राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक: 08] चौदहवीं विधान सभा के आठवें सत्र का पांचवां दिवस [संख्या: 02

सोमवार,

27 फरवरी 2017

(राजस्थान विधान सभा की बैठक 11.00 बजे
राजस्थान विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।)

(श्री कैलाश चन्द्र मेघवाल, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष: प्रश्नकाल। श्री जगदीश नारायण।

जमवारामगढ़ में शीतलहर से नष्ट फसलों का मुआवजा

1. **श्री जगदीश नारायण** (जमवारामगढ़): क्या आपदा प्रबन्धन एवं सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ में शीतलहर के कारण किसानों की सब्जी की फसलें खराब हो गई हैं? यदि हां, तो 1 दिसम्बर, 2016 से 31 जनवरी, 2017 तक किस-किस ग्राम में कितना-कितना नुकसान हुआ? ग्रामवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त विधान सभा क्षेत्र में शीतलहर से नष्ट हुई फसलों का किसानों को मुआवजा देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

आपदा प्रबन्धन एवं सहायता मंत्री (श्री गुलाबचन्द कटारिया): (1) राज्य में वर्तमान में फसलों की गिरदावरी का कार्य चल रहा है, गिरदावरी कार्य 05 मार्च को पूर्ण होने पर फसल खराबे की स्थिति ज्ञात हो सकेगी।

(2) आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग द्वारा फसल खराबे की स्थिति में किसानों को मुआवजा देने का प्रावधान नहीं है, मुआवजा हम नहीं देते हैं। किन्तु प्राकृतिक आपदाओं से फसलों की गिरदावरी रिपोर्ट (7डी) में 33 प्रतिशत या इससे अधिक फसल खराबे पर एस.डी.आर.एफ. मानदण्डों के अनुरूप बजट उपलब्धता के अनुसार कृषि आदान अनुदान दिया जाता है।

श्री जगदीश नारायण (जमवारामगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, आज तक किसान लगभग परम्परागत फसलों के अन्तर्गत जौ, गेहूं चना, सरसों, मक्का, बाजरा आदि की खेती करता आ रहा है। कई बार तो परम्परागत फसलों के बोने से किसान को लागत खर्चा भी प्राप्त नहीं हो पाता है। ऐसी सूरत में किसान परम्परागत फसलों से निकल करके व्यावसायिक फसलों के अन्तर्गत सब्जी की बुआई करता है। अभी हाल ही में, जो पिछले दिनों शीतलहर और पाला पड़ा है, उस पाले से मेरे क्षेत्र की सब्जी की फसलों में लगभग शत-प्रतिशत नुकसान हुआ है। आज किसान का जीवन यापन करना भी बहुत मुश्किल हो गया है। इसलिये, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि क्या तत्काल सहायता के रूप में सरकार किसानों की मदद में कुछ कदम उठाना चाहती है, क्या इस तरह की कोई कार्यवाही करना चाह रही है?

श्री अध्यक्ष: विराजिये। माननीय मंत्री महोदय।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): अध्यक्ष महोदय, जो मुआवजे का सवाल है वह मुआवजा तो इंश्योरेंस कम्पनी देती है। आपदा विभाग केवल आदान अनुदान देता है। वह हम तभी देते हैं जब हमारी गिरदावरी की रिपोर्ट आ जाती है। अब तो हमने 33 प्रतिशत से अधिक खराबे को भी इसमें जोड़ लिया है। एक फरवरी से रबी की शुरू होती है, और 05 मार्च तक होती है। 05 मार्च के बाद जो रिपोर्ट आती है उसमें हम जरूर उनको मदद करेंगे। मैं इतना विश्वास दिला सकता हूं। मुआवजा केवल इंश्योरेंस कम्पनी देती है और कृषि विभाग, मुआवजा देने का प्रावधान उनके पास है।

श्री अध्यक्ष: पूरक प्रश्न नम्बर दो।

श्री जगदीश नारायण (जमवारामगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय के उत्तर से मैं संतुष्ट हूं। मेरा तो निवेदन इतना सा है कि अभी हाल ही में जो नुकसान हुआ है, किसान ने बड़ी मुश्किल से मंडियों के आढ़तियों से पैसा ले-ले करके अपनी जमीन पर फसलों की बुआई की है। फसलें शत-प्रतिशत खराब हो चुकी हैं। अब अगली फसल अगर किसान उगाना चाहे तो उसके पास खर्चे, बीज, दवा और खाद की भी समस्या पैदा हो गई है। आढ़तिया उसको उधार पैसा देना चाहता नहीं है। क्योंकि पहले का पैसा अभी लौट नहीं पाया है। तो मैं माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि कृषि आदान अनुदान के तहत अभी रबी की फसल में जो नुकसान हुआ है, क्या आने वाली जायद फसलों के रूप में उसको किसी प्रकार की सहायता

(श्री जगदीश नारायण)

मुहैय्या कराने का विचार रखते हैं, जिससे किसान कम से कम फिर से अपनी पहले वाली स्थिति में आ जाये और फिर से जायद फसलें उगा करके वह अपना जीवन यापन करने के स्तर को प्राप्त कर ले।

श्री अध्यक्ष: विराजिये, विराजिये।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन को यह बताना चाह रहा हूं कि पिछली बार हमने 33 से लेकर के अधिक खराबे के लिये भी अनुदान देने की बात तय की है। खरीफ-2072 और रबी-2072 में हमने 33 प्रतिशत से अधिक, जिन किसानों का खराबा हुआ है, उन सबका पेमेण्ट कर दिया है, सबका। केवल, इतनी बड़ी ... (व्यवधान) एक सेकण्ड, जो बड़े किसान हैं। एक सेकण्ड, मेरी बात को पूरा आप सुन लें। मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूं कि खरीफ-2072 में 50 प्रतिशत से अधिक खराबे वाले समस्त कृषकों हेतु जिले से प्राप्त मांग अनुसार कृषि आदान अनुदान भुगतान हेतु 1713 करोड़ रुपये जिलों में आबंटित कर दिये हैं। उसमें से 86 प्रतिशत, अर्थात 1482 करोड़ रुपया खाते में डिस्ट्रीब्यूट हो गया। प्रत्येक जिले की सूची मेरे पास है, मैंने कितना तो जिले को दिया और जिले ने कितना डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। वह आंकड़ा मेरे पास खरीफ का है। (व्यवधान) ऐसा का ऐसा, मैं यह अभिमान तो नहीं करता हूं। पर आनलाइन पेमेण्ट किया है। राजस्थान से सिंगल शिकायत किसी जगह से कोई दर्ज नहीं हुई, सिंगल शिकायत। इसी तरह से रबी-2072 का भी हमने 50 प्रतिशत से अधिक खराबे वाले...

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): अध्यक्ष महोदय, हमें भी मौका दिया जाये। माननीय मंत्रीजी ने पूरे स्टेट को इन्वाल्व किया है।

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं हो, बीच में बोल रहे हैं। बीच में बोल रहे हैं, अंकित नहीं हो। यह कोई तरीका है।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): ×××

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): इसी तरह से रबी-2072 में 50 प्रतिशत से अधिक खराबे वाले समस्त कृषकों को कृषि आदान अनुदान भुगतान हेतु 63 करोड़ 54 लाख रुपये का आबंटन जिलों को कर दिया। जिलों ने 22 फरवरी तक, यह अभी मैं आया हूं, तब तक, 22 फरवरी तक 23 करोड़ 82 लाख रुपये तो उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। बाकी अभी डिस्ट्रीब्यूशन की

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

प्रोसेस में हैं। 33 प्रतिशत से ले करके जो 50 प्रतिशत रबी का खराबा हुआ है, उसमें भी 2 हेक्टेयर से कम भूमि जिनकी थी, उन सबको पेमेंट हमने कर दिया है, 17.01.17 को। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: श्री निर्मल कुमावत, पूरक प्रश्न।

श्री निर्मल कुमावत (फुलेरा): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी से दो जवाब सरकार से जानना चाहूंगा, कि जिस प्रकार आपने कहा है कि प्राकृतिक आपदा में ही केवल मुआवजे का प्रावधान है, केन्द्रीय नार्म्स के हिसाब से और शीतलहर को प्राकृतिक आपदा में नहीं माना जाता, यह जो समस्या शीतलहर की है, यह उत्तर और पूर्वी राजस्थान की ज्यादा है। क्योंकि एक रात भी अगर शीतलहर चलती है तो किसान का काफी नुकसान होता है। तो क्या इसमें बीमा कम्पनियों को और शिथिलता मिलकर, और उसको बाध्य कर सकते हैं, किसानों के लिये, क्षेत्र विशेष के लिये इसमें और क्या सुविधा दे सकते हैं। मैं माननीय मंत्रीजी से जानना चाहूंगा। आप इसके लिये अलग से सुझाव दें।

श्री अध्यक्ष: विराजिये।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, पहले शीतलहर आपदा राहत में कवर्ड नहीं थी। पर अब आपदा राहत में शीतलहर और पाला भी कवर हो गया है। उसी के तहत हमने पिछले साल का पेमेण्ट किया है। अब यह है कि गिरदावरी हमारी 05 मार्च तक आयेगी। उसके आधार पर हम पेमेण्ट करेंगे।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): ×××

श्री अध्यक्ष: आप बैठिये, नहीं, आप बैठिये। अंकित नहीं हो। इनका बोलना अंकित नहीं हो।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): उसके आधार पर हम करेंगे। वैसे हमारी जो सूचना कलक्टर के द्वारा आई है, उसमें शीतलहर से तीन जिलों में विशेष रूप से अलवर, कोटा, सिरोही में आया है। ओलावृष्टि से हमारे ग्यारह जिले हैं, जिनमें कुछ न कुछ नुकसान हुआ है। उसमें अजमेर है, भरतपुर है, चूरू है, दौसा है, जयपुर है, झालावाड़ है, झुंझुनूं है, करौली है, सवाई माधोपुर है, सीकर है, टोंक है।

श्री किशनाराम (डूंगरगढ़): बीकानेर भी है।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): हम बराबर मोनिटरिंग कर रहे हैं और 05 तारीख तक, जैसे ही हमें गिरदावरी रिपोर्ट मिलेगी, उसके आधार पर हम पेमेण्ट करेंगे। मैंने पहले पेमेण्ट किया था 75 से लेकर 100 तक वालों को, वह जितना पैसा मेरे पास था। फिर पैसा आया, फिर मैंने 50 से 75 को किया और बाद में और पैसा आया तो मैंने 33 से ले करके 50 तक का भी पेमेण्ट किया है।

श्री अध्यक्ष: पूरक प्रश्न, श्री सुखराम।

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): माननीय अध्यक्षजी, किसानों ने सब्जियां गोशाला में गायों को डालीं, सड़कों पर डालीं। क्योंकि नोटबंदी से पैसे नहीं मिले। नोटबंदी से नुकसान किसानों को हुआ है। वह मुआवजा आप देना चाहते हो, नहीं चाहते हो? अहम बात, यह तो अकाल आपने डाला है, जान बूझकर डाला गया है। मोदीजी ने नोटबंदी में जो नुकसान किसानों को हुआ है, उसका हर्जाना आप देना चाहते हो, यह स्पष्ट करो आप।

श्री जितेन्द्र कुमार गोठवाल (संसदीय सचिव): नोटबंदी का नुकसान किया कांग्रेस के लोगों ने। (व्यवधान)

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): नोटबंदी का नुकसान किसको हुआ है। यह वे स्वयं समझ जायें।

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): किसानों को हुआ है। आपने अखबारों में पढ़ा होगा।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): वह उनको समझ में आ जायेगा।

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): अखबारों में से भी पढ़ा होगा। माननीय अध्यक्षजी, सड़कों पर डाली। टमाटर, सब्जी सड़कों पर डाली है। टमाटर डाले, गोशाला में पशुओं को सब्जी डाली है। यह स्थिति बनी हुई थी।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): लोगों ने आपको नकार करके यह साबित कर दिया कि नोटबंदी का जनता पर कोई प्रभाव था नहीं। केवल कुछ धनी लोग चिल्ला रहे हैं, बाकी कुछ है नहीं।

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): वह आपको 11 तारीख को पता चल जायेगा, किसका प्रभाव है। यह 11 तारीख को पता चलेगा।

श्री अध्यक्ष: श्री सुरेश धाकड़, पूरक प्रश्न। श्री सुरेश धाकड़।... (व्यवधान)

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): आने दो, डेढ़ साल बचा है, आने दो, आ जाएंगे, अच्छे दिन आने वाले हैं आप लोगों के, आने वाले है अच्छे दिन। फालतू बात करते हैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: पूरक प्रश्न श्री सुरेश धाकड़।...(व्यवधान)

श्री अर्जुन लाल जीनगर (कपासन): महाराष्ट्र का रिजल्ट देखो। महाराष्ट्र का रिजल्ट देखकर बताओ।

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): आने वाले हैं अच्छे दिन। डेढ़ साल बचा है। डेढ़ साल बाद कोई नहीं आएगा यहां पर सदन में। आराम से, जो आपका चल रहा है कार्यक्रम, आप अपने आप ही साफ हो जाओगे। (व्यवधान)

श्री अर्जुन लाल जीनगर (कपासन): महाराष्ट्र में क्या हुआ? जीरो हो गये। (व्यवधान) महाराष्ट्र में जीरो। ....(व्यवधान).

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री राजेन्द्र सिंह भादू।

डा. फूलचन्द भिण्डा (विराटनगर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं बोलूंगा।

श्री अध्यक्ष: नहीं, बोलना नहीं, प्रश्न कर रहे हैं वह। प्रश्न कर रहे हैं। नहीं, आमने-सामने नहीं होगा। बैठिये। आप बैठिये।

सूरतगढ़ क्षेत्र में बैंक बी.सी. की नियुक्तियां

2. **श्री राजेन्द्र सिंह भादू** (सूरतगढ़): क्या ग्रामीण विकास (रोजगार गारंटी योजना) मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि सूरतगढ़ पंचायत समिति की 46 ग्राम पंचायतों में से 22 ग्राम पंचायतों में बैंकों द्वारा बी.सी. की नियुक्तियां नहीं करने से हजारों मनरेगा मजदूरों, वृद्धावस्था/विकलांग/विधवा-परित्यक्ता पेंशन-धारियों को 50 किलोमीटर की दूरी तक से बैंकों से भुगतान लेने के लिए आना पड़ता है?

(2) क्या सरकार उक्त विधान सभा क्षेत्र की सभी ग्राम पंचायतों में उक्त बी.सी. की नियुक्तियां करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें।

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री (श्री राजेन्द्र राठौड़): (1) लीड बैंक मैनेजर गंगानगर की सूचना के अनुसार सूरतगढ़ पंचायत समिति की 31 ग्राम पंचायतों में बी.सी. नियोजित किये गये हैं एवं 9 ग्राम पंचायत में बैंक

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

है। केवल एस.बी.बी.जे. बैंक के सर्विस एरिया में बी.सी. नहीं है। चूंकि, एस.बी.बी.जे. एवं एस.बी.आई. की मर्जर प्रक्रियाधीन है अतः बी.सी. नियुक्ति नहीं हो पा रही है।

(2) सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक ग्राम पंचायत के अटल सेवा केन्द्र पर स्थित ई-मित्र कियोस्क को माइक्रो ए टी एम मशीन निःशुल्क उपलब्ध करायी गयी है, जिनका उपयोग डेबिट कार्ड/रुपे कार्ड स्वाइप कर नगद भुगतान तथा डिजिटल कैशलेस ट्रांजेक्शन हेतु उपयोग में ली जाती है।

सूरतगढ़ विधान सभा क्षेत्र की सभी ग्राम पंचायत में आवश्यकतानुसार एवं बी.सी. के लिए पर्याप्त कार्य उपलब्ध होने के आधार पर बी.सी. नियोजित करने की कार्यवाही की जा रही है।

श्री अध्यक्षः पूरक प्रश्न, नम्बर-एक।

श्री राजेन्द्र सिंह भादू (सूरतगढ़)ः माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि यह रिपोर्ट या जिस तरह की नीचे से जो सूचना आई है, यह सूचना तथ्यों से बहुत परे है। दूरदराज क्षेत्र के अन्दर आज कहीं भी हमारे बी.सी. कार्य नहीं कर रहे हैं। सिर्फ जहां पर हमारे ग्रामीण बैंक हैं, उन 9 ग्रामीण बैंकों के सिवाय सूरतगढ़ की पूरी पंचायत समिति में इस तरह की सुविधाएं न तो ई-मित्र के माध्यम से उपलब्ध हैं और न बी.सी. है इसलिए मैं माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि कब तक यह सारी सुविधाएं शुरू हो जाएंगी? क्योंकि, हमारे नरेगा के मजदूर या हमारी पेंशन लेने के लिए महिलाएं, पुरुष, बुजुर्ग, जो भी हैं, कम से कम 50-60 किलोमीटर उनको बैंक तक सूरतगढ़ आना पड़ता है। इससे किराया के धन के साथ-साथ समय भी व्यर्थ होता है। इसलिए मैं माननीय मंत्रीजी से यह जानना चाहूंगा कि यह काम धरातल पर कब तक शुरू हो जाएगा?

श्री अध्यक्षः विराजिए।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री)ः माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने मेरे मूल उत्तर में यह निवेदन किया था कि सूरतगढ़ जो माननीय सदस्य का विधान सभा क्षेत्र है, इसमें 31 ग्राम पंचायत में बैंकिंग कोरस्पोंडेंस काम कर रहे हैं।

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

माननीय अध्यक्ष महोदय, यह बैंकिंग वैसे तो यूनियन लिस्ट का सब्जेक्ट है और यह बी.सी. की नियुक्ति रिजर्व बैंक और सम्बन्धित बैंक के बोर्ड आफ डाइरेक्टर द्वारा की जाती है और 9 बैंक अभी इन ग्रामीण क्षेत्र में काम कर रहे हैं। सिर्फ 5 ग्राम पंचायत ऐसी हैं- मानेवाला, सरदारपुरा खरदा, 13 एस.डी., पालीवाल और ठडेर, इन ग्राम पंचायतों में वर्तमान में न बी.सी. काम कर रहे हैं और न ही माइक्रो ए टी एम काम कर रहा है। एक ग्राम पंचायत एटा, यह माइक्रो ए टी एम से जुड़ी हुई है। इसके अलावा माननीय अध्यक्ष महोदय, अटल सेवा केन्द्र जो पूरे राजस्थान में सब जगह, जहां पर ई-मित्र काम कर रहे हैं, सूरतगढ़ विधान सभा क्षेत्र में स्टेट बैंक आफ इंडिया के 23 ई-मित्र के माध्यम से बी.सी. काम कर रहे हैं, अटल सेवा केन्द्र में और पाइनेक्स के 12, यानी, 35 जगह पर अटल सेवा केन्द्र के माध्यम से भी वह सारी सुविधा देय है जो बैंकिंग कोरस्पोंडेंस के माध्यम से 31 ग्राम पंचायत में देय है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, हर बैंक का एक सब-सर्विस एरिया है। बैंक अपने सब सर्विस एरिया के आधार पर एक हजार से लेकर पन्द्रह सौ गांवों तक एक बी.सी. की नियुक्ति करता है। आज राजस्थान के अन्दर भी, माननीय अध्यक्ष महोदय, 9894 ग्राम पंचायत में 7423 बी.सी. काम कर रहे हैं और 1983 बैंक हैं। निश्चित तौर पर अब डिजिटल इंडिया की बात जब हो रही है तो इन सारी ग्राम पंचायतों और गांवों के अन्दर बी.सी. उपलब्ध हो, ए टी एम उपलब्ध हो, इसके लिए सरकार प्रयत्नशील है और मैं माननीय सदस्य को यह आश्वस्त करना चाहूंगा कि इसी महीने के अन्दर जहां-जहां पर बी.सी. क्रियाशील नहीं है, उनकी पूरी जानकारी लेकर आपके विधान सभा क्षेत्र में शत-प्रतिशत बी.सी. क्रियाशील हो जाए, इसकी व्यवस्था की जाएगी। मैं स्वयं इसकी मोनिटरिंग करूंगा।

श्री अध्यक्षः दूसरा पूरक प्रश्न, श्री नारायण सिंह देवल।

श्री नारायण सिंह देवल (रानीवाड़ा): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि जहां-जहां पर बी.सी. नहीं है, वहां पर कब तक बी.सी. की व्यवस्था करवा पाएंगे?

श्री अध्यक्षः विराजिए।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): माननीय

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

अध्यक्ष महोदय, हम एक अभियान चलाएंगे और गांवों में कैम्प लगाकर 31 मार्च तक पूरे राजस्थान में जहां पर भी बी.सी. नहीं है, हमारी यह कोशिश रहेगी कि हर ग्राम पंचायत पर बी.सी. 31 मार्च से पहले-पहले नियुक्त हो जाए।

श्री अध्यक्षः श्रीराम भींचर।

बेसरोली (मकराना) में 132 के.वी. जी.एस.एस. की स्थापना

3. **श्री श्रीराम भींचर** (मकराना): क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि मकराना में अनेक खानें व मार्बल फैक्ट्रियां संचालित हैं?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त क्षेत्र में वर्तमान में 220 के.वी. का जी.एस.एस. स्थापित है?

(3) क्या सरकार मकराना विधान सभा क्षेत्र के ग्राम बेसरोली में 132 के.वी. जी.एस.एस. स्थापित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

राज्य मंत्री, ऊर्जा (श्री पुष्पेन्द्र सिंह): (1) जी हां।

(2) जी हां।

(3) मकराना विधान सभा क्षेत्र के ग्राम बेसरोली में 132 के.वी. ग्रिड सब-स्टेशन बनाने के प्रस्ताव का परीक्षण किया जा रहा है। राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग के मापदंडों के अनुरूप तकनीकी व आर्थिक रूप से साध्य पाये जाने तथा संसाधनों की उपलब्धता एवं विभिन्न योजनाओं की प्राथमिकता के आधार पर इस पर अग्रिम कार्यवाही की जाएगी।

श्री अध्यक्षः पूरक प्रश्न, नम्बर एक।

श्री श्रीराम भींचर (मकराना): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी से यह जानना चाहता हूं कि मकराना एक औद्योगिक क्षेत्र है, जो संगमरमर पत्थर के नाम से भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व के अन्दर विख्यात है। विधान सभा क्षेत्र मकराना के अन्दर मात्र एक 220 के.वी.ए. का जी.एस.एस. है, जहां पर हजारों की संख्या के अन्दर माइन्स है, मार्बल फैक्ट्रियां हैं एवं काफी कृषि क्षेत्र भी हैं, जिसके कारण मकराना क्षेत्र के अलावा ग्रामीण क्षेत्र के अन्दर किसानों को वोल्टेज बहुत कम मिलता है और

(श्री श्रीराम भींचर)

किसानों के पम्प-सैट भी बार-बार जलते हैं। इसलिए माननीय मंत्री महोदय से मेरा निवेदन है कि एक ही जी.एस.एस. होने के कारण किसानों को जो नुकसान हो रहा है इस पर आप हमारे विधान सभा क्षेत्र के अन्दर 220 के अलावा एक जो हमने मांग की है, 132 की बेसरोली के अन्दर, इसकी आप घोषणा करें और बजट सत्र के अन्दर इसको स्वीकृत कराएं।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री महोदय।

श्री पुष्पेन्द्र सिंह (राज्य मंत्री, ऊर्जा): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो मांग की है बेसरोली 132 के.वी. जी.एस.एस. के लिए इसकी हम अभी समीक्षा कर रहे हैं, परीक्षण कर रहे हैं और अगर इसके 9 परसेंट वी.आर. लोसेज हो जाएंगे और उससे अधिक अगर वी.आर. लोसेज होंगे पूरे क्षेत्र में या पांच लाख यूनिट से ज्यादा उसमें उसकी बचत होगी तो निश्चित रूप से हम वहां 132 के.वी. जी.एस.एस., जो नियामक आयोग के मापदंड हैं, उन मापदंडों के अनुसार जो भी इसमें बैठता है, नियम के अनुसार तो निश्चित रूप से वहां पर 132 के.वी. जी.एस.एस. स्वीकृत करवाएंगे।

श्री अध्यक्ष: पूरक प्रश्न श्री फूलचन्द भिण्डा।

डा. फूलचन्द भिण्डा (विराटनगर): माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान में अधिकांशत: सभी विधान सभा क्षेत्रों में 132 के.वी. के ग्रिड हैं और जब लोड-शेडिंग होता है तो 220 जहां पर उपलब्ध है, उस विधान सभा क्षेत्र के लोगों को तो बिजली मिल जाती है और जिसमें 132 का है, लेकिन 220 का नहीं है, वहां पर बिजली नहीं मिलती, ऐसी समस्या आती है। विशेष तौर पर, मेरे क्षेत्र में दो 132 के ग्रिड हैं लेकिन 220 के या तो शाहपुरा में है या कोटपूतली में है। जब लोड-शेडिंग होती है तो विराटनगर पूरा अंधेरे में डूब जाता है तो मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं, मेरे पास जमीन उपलब्ध है, लाडा का बास में, क्या 220 का ग्रिड बनाने की घोषणा करेंगे?

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री महोदय।

श्री पुष्पेन्द्र सिंह (राज्य मंत्री, ऊर्जा): माननीय अध्यक्ष महोदय, विराटनगर से आने वाले माननीय सदस्य ने जो यह बात रखी है कि विराट नगर में 220 के.वी.जी.एस.एस. बनना चाहिए क्योंकि लोड-शेडिंग होती है। पर मेरा आपसे अनुरोध है कि नियामक आयोग के कई मापदंड हैं, उन मापदंडों के

(श्री पुष्पेन्द्र सिंह)

अनुसार आपके लोसेज को देखते हुए या आपके वी.आर. लोसेज को देखते हुए अगर वहां पर फिजिबिलिटी आएगी तो निश्चित रूप से हम 220 के.वी. जी.एस.एस. बनाएंगे। हर साल सरकार पूरे क्षेत्र में, पूरे राजस्थान में 220 के.वी. जी.एस.एस. लगभग छह से सात हम बनाते हैं। विराटनगर में उसकी फिजिबिलिटी हम देखेंगे। पर मैं समझता हूं कि इसको आपने जोड़ा है लोड-शेडिंग से, लोड-शेडिंग से जी.एस.एस. की कोई तुलना नहीं है और यह भी कोई बात नहीं है कि 220 के.वी. जी.एस.एस. पर आपकी लोड-शेडिंग होती है तो आपके 132 बंद हो जाता है। लोड-शेडिंग का मेरा आपसे अनुरोध है कि हमारे इस तीन साल के कार्यकाल को आप देखें तो लोड-शेडिंग नाम की कोई चीज हुई नहीं है पूर्ववर्ती सरकार के टाइम में तो मुझे आज भी मालूम है कि जिला हैड-क्वार्टर पर छह-छह घंटे बिजली की लोड-शेडिंग होती थी। ग्रामीण क्षेत्र में भी मतलब, 12-12 घंटे हमारी बिजली लोड-शेडिंग होती थी। अभी कोई अचानक ही कोई अगर थर्मल बैठ जाए, उस पर अचानक कोई लोड-शेडिंग करनी पड़े, पर ऐसा कभी नहीं रहा कि दो दिन, तीन दिन लगातार हमने कोई लोड-शेडिंग की है और उस लोड-शेडिंग के कारण मतलब आपका 220 के.वी. जी.एस.एस. खोलना, मैं समझता हूं कि यह बात सही नहीं है।

श्री अध्यक्षः नेता प्रतिपक्ष। (व्यवधान) बैठिये-बैठिये।

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्रीजी से यह निवेदन करना चाहूंगा कि 132 की, 220 की और ट्रांसमिशन किस तरीके से ठीक हो। सबसे बड़ी प्राब्लम अपने राजस्थान में और विशेष कर जो पश्चिमी राजस्थान है, जहां पर ट्यूबवैल से खेती होती है, जमीन काफी महंगी है। जी.एस.एस. 132 का हो या चाहे 220 का हो..., इनको पहले तो जगह चाहिये और वहां के एरिया के जो लोकल लोग हैं, वह जमीन खरीदकर आपको दें, उसके बाद में डिपार्टमेंट बनायेगा और उसका कहीं कोई कम्पनसेशन नहीं है। पैसा इनके पास में नहीं है। गांव के पूरे आदमी मिलकर जमीन खरीदते हैं उसके बाद में जी.एस.एस. चालू करते हैं। मंत्रीजी, आप यह बताओ मेरे यहां भी नोखा क्षेत्र में भामरसर गांव है, उसमें 132 केवीए का जी.एस.एस. मंजूर है। एक था आपके कितासर में डूंगरगढ़ के अन्दर, वहां पर गांव वालों ने जमीन खरीदकर दे दी, 132 केवीए के लिये 12 बीघा जमीन मांगते हैं और जमीन है 10-15 लाख रुपये बीघा, वह जमीन खरीदकर आप

(श्री रामेश्वर लाल डूडी)

डिपार्टमेंट को देओ, तब तो डिपार्टमेंट जी.एस.एस. बना देगा और यदि जमीन नहीं है तो डिपार्टमेंट कहेगा यह कैंसिल होगा। यही स्थिति भामरसर के अन्दर है और राजस्थान में कई जगह पर है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): यह सवाल तो मकराना से सम्बन्धित है, भामरसर कहां आ गया? यह अलग क्वेश्चन है।

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय राठौड़ साहब, 132 केवीए जी.एस.एस. की सबकी प्राब्लम है। कोई हमारे अकेले की प्राब्लम नहीं है, यह पूरे राजस्थान के किसानों की प्राब्लम है। आज गांव वाला यदि जमीन खरीदकर देगा तब तो 132 का और 232 का जी.एस.एस. बन जाएगा और यदि गांव वालों के पास में जमीन नहीं है तो आप जी.एस.एस. नहीं बनाओगे। इसमें आप मंत्रीजी बतायें।

श्री अध्यक्ष: विराजिये, माननीय मंत्री महोदय।

श्री पुष्पेन्द्र सिंह (राज्य मंत्री, ऊर्जा): माननीय अध्यक्ष महोदय, नेता प्रतिपक्ष जी ने जो बात बतायी है, 33 केवीए जी.एस.एस. की भी अगर जमीन चाहिये तो कोई किसान अगर अपनी जमीन देना चाहता है तो हम कम्पनसेशन देते हैं। 132 केवीए जी.एस.एस. पर हमको लगभग 25 बीघा जमीन चाहिये और मैं तो नेता प्रतिपक्ष को यह कहना चाहूंगा कि कोई भी आदमी खातेदार अपनी जमीन देना चाहता है तो निश्चित रूप से हम उसको पूरा कम्पनसेशन, जो भी होता है, वह पूरा देते हैं। जो भी अपनी जमीन देगा उसका पूरा कम्पनसेशन हम उसको देंगे, उसके बाद ही हम उसकी जमीन अधिग्रहण करेंगे। यह बात बिलकुल गलत है कि हम उसको पैसा देते नहीं हैं। अगर कोई व्यक्ति अपनी भूमि दान ही देना चाहता है तो भामरसर जो आपका जी.एस.एस. है, यह हमने पी पी पी मोड पर लिया है और निश्चित रूप से आने वाले महीने-डेढ़ महीने के अन्दर जब पी पी पी मोड के तहत इसकी प्रक्रिया पूरी हो जाएगी तो भामरसर में जो आपने जमीन दी है, उस पर हम काम शुरू कर लेंगे।

श्री अध्यक्ष: अगला पूरक प्रश्न श्री छोटूसिंह।

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): डी एल सी रेट से आप पैसा दोगे क्या? किस रेट से पैसा दोगे आप। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: इसको जनरल डिबेट में लें क्या?

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): अध्यक्ष महोदय, अगर आप अलाउ करेंगे तो ही मैं बोलूंगा।

श्री अध्यक्ष: अलाउ किया। आप खड़े ही हो गये तो फिर अलाउ किया।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): माननीय मंत्री महोदय, आप यह बताने की कृपा करें पश्चिमी राजस्थान के अन्दर तो लैण्ड अवेलेबल हो सकती है, लेकिन पूर्वी राजस्थान में, खास तौर से भरतपुर, धौलपुर, करौली जहां पर डेनसिटी आफ पापुलेशन बहुत ज्यादा है। इसका मतलब तो यह हुआ कि भविष्य में वहां कभी 132 और 220 के सब-स्टेशन बनेंगे ही नहीं। मुझे अपने जिले का मालूम है कि आपको 25 बीघा जमीन किसी गांव में मिलने वाली नहीं है। इसके लिये आप क्या करेंगे, इस पर तो प्रकाश डाल दें। मंत्री महोदय, प्लीज यह सबके लिये फायदे का सवाल है।

श्री अध्यक्ष: इसीलिये मैंने अलाउ किया है।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): सबके फायदे का सवाल है, कोई मेरे अकेले के फायदे का नहीं है। कृपया आप इस पर प्रकाश डालें, आपको अपनी नीति बदलनी पड़ेगी। अगर आप अपनी नीति नहीं बदलेंगे तो 132 और 220 के सब-स्टेशनों का बनना ही मुश्किल हो जाएगा। जो नेता प्रतिपक्ष ने कहा है कि लोग पैसे इकट्ठे करते हैं, जमीन खरीदते हैं और दान में देते हैं तब आप जाकर बनाते हैं, तो आप जब तक अपनी नीति नहीं बदलेंगे तो पूर्वी राजस्थान में कहीं बनेंगे ही नहीं, मैं आपको निश्चित रूप से कह सकता हूं।

श्री अध्यक्ष: विराजिये, विराजिये। माननीय मंत्री महोदय।

श्री पुष्पेन्द्र सिंह (राज्य मंत्री, ऊर्जा): माननीय अध्यक्ष महोदय, राजाखेड़ा से आने वाले माननीय सदस्य ने जो बात कही है, अभी भी हमने पूर्वी राजस्थान में 132 केवीए जी.एस.एस. स्वीकृत किये हैं, जमीन के कारण हमारा कोई जी एस एस पेंडिंग हो, ऐसी कोई बात नहीं है। पर अगर जहां जी.एस.एस. स्वीकृत है और जमीन की उपलब्धता नहीं है तो हम कोशिश करेंगे कि आस-पास जमीन मिले और सरकारी जमीन उपलब्ध नहीं होगी तो हमारा जो भी एक्वीजिशन होगा, किसान का उचित पूरा मूल्य देंगे।

श्री अध्यक्ष: अगला सवाल, श्री अर्जुन लाल जीनगर।

सलाहकार नियुक्ति में हुई अनियमितता की जांच

4. श्री अर्जुन लाल जीनगर (कपासन): क्या तकनीकी शिक्षा (कृषि) मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(श्री अर्जुन लाल जीनगर)

(1) क्या यह सही है कि वित्त विभाग के परिपत्र दिनांक 1 दिसम्बर, 2015 एवं कार्मिक विभाग के परिपत्र दिनांक 10 फरवरी, 2016 के अन्तर्गत कृषि (ग्रुप-3) विभाग में संविदा पर सलाहकार (Consultant) की नियुक्ति की गई है? यदि हां, तो किस पद के विरुद्ध? उक्त पद के लिए प्राप्त आवेदन पत्र व जारी किये गये आदेशों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त नियमों में सलाहकार (Consultant) रखे जाने का प्रावधान ही नहीं है? यदि हां, तो उक्त सलाहकार का वेतन कहां से आहरित किया गया? पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि आवेदन पत्र में कृषि (ग्रुप-3) विभाग का उल्लेख ही नहीं किया गया है? यदि हां, तो प्रकरण का निस्तारण किस प्रकार किया गया? क्या सरकार उक्त प्रकरण की जांच कराकर दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्रीजी।

कृषि मंत्री (श्री प्रभू लाल सैनी): (1) जी हां। विभाग के आदेश दिनांक 31.3.2016 के द्वारा श्री हरिशंकर शर्मा सेवानिवृत्त वरिष्ठ शासन उप सचिव को समेकित पारिश्रमिक पर एक वर्ष की अवधि के लिए संविदा पर सलाहकार रखा गया है। प्रस्तुत आवेदन पत्र एवं नियुक्ति आदेश की प्रति परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) कार्मिक विभाग एवं वित्त विभाग के परिपत्र के अन्तर्गत विभागों/कार्यालयों में रिक्त पदों के विरुद्ध तत्कालिक आवश्यकता के आधार पर सेवानिवृत्त अधिकारियों/कर्मचारियों की सेवायें समेकित पारिश्रमिक पर संविदा पर पुनर्नियुक्ति के माध्यम से लिए जाने का प्रावधान है। विभाग में तीन नये कृषि विश्वविद्यालयों की स्थापना से कार्यभार में वृद्धि, अन्य न्यायालयों सम्बन्धी प्रकरणों की अधिकता, कई पदों का रिक्त होना तथा श्री शर्मा के कृषि अनुभाग 3 में कार्य अनुभव को दृष्टिगत रखते हुये प्रावधानों की पालना करते हुए श्री हरिशंकर शर्मा, सेवानिवृत्त वरिष्ठ शासन उप सचिव को संविदा पर समेकित पारिश्रमिक पर सलाहकार रखा गया है। श्री शर्मा का भुगतान प्रकियाधीन है। वर्तमान तक कोई भुगतान नहीं हुआ है।

(3) जी हां। श्री शर्मा द्वारा प्रस्तुत आवेदन पर विभाग स्तर पर

(श्री प्रभू लाल सैनी)

स्वीकृत व रिक्त पदों की स्थिति, कार्य का महत्व व प्रकार, श्री शर्मा द्वारा कृषि अनुभाग-3 में पूर्व में भी अपनी सेवायें देने, तथा इनके पूर्व सेवा रिकार्ड का सक्षम स्तर पर परीक्षण करने उपरांत आवश्यकता, अनुभव व योग्यता के आधार पर श्री हरिशंकर शर्मा को कृषि अनुभाग-3 में सलाहकार पर संविदा के आधार पर लिये जाने का निर्णय लिया गया था। प्रकरण में कोई अनियमितता न होने के कारण अग्रिम जांच अपेक्षित नहीं है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्री अध्यक्ष: भंवर सिंह जी, आप इसमें पूरक प्रश्न करेंगे? माफ कीजिये। पूरक प्रश्न एक। पहले पूरक प्रश्न होगा। चूक हो गयी चूक।

श्री अर्जुन लाल जीनगर (कपासन): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं मंत्री महोदय से जानना चाह रहा हूं क्या भविष्य में भी सरकार इस प्रकार से संविदा पर सलाहकार रखेगी नम्बर एक।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री महोदय, उन्होंने एक सवाल कर लिया। दूसरा बाद में करेंगे। पूरक प्रश्न एक कर लिया इसका जवाब दीजिये न।

श्री प्रभू लाल सैनी (कृषि मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य प्रश्न के माध्यम से यह पूछना चाह रहे हैं कि भविष्य में सरकार कोई सलाहकार रखेगी। मेरा आपसे निवेदन यह है कि राजस्थान सिविल सर्विसेज पेंशन 2015 रूल 164(ए) के अन्तर्गत ...(व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): अध्यक्ष महोदय, भविष्य तो प्रभु के हाथ में है। आप किसलिये जवाब दे रहे हो?

श्री अध्यक्ष: उसको रेग्युलेट ब्राह्मण लोग करते हैं।

श्री प्रभू लाल सैनी (कृषि मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, उक्त प्रावधानों के अन्तर्गत जैसाकि कार्मिक विभाग के आदेश हैं, उनमें ऐसी नियुक्तियों के बारे में जहां पर तात्कालिक आवश्यकता हो, वैकल्पिक व्यवस्था के लिये लगाना हो या समेकित पारिश्रमिक पर जिनकी पुनर्नियुक्ति की जानी हो, तो विभाग की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए इस प्रकार की नियुक्तियां दिये जाने का प्रावधान है।

श्री अध्यक्ष: दूसरा पूरक प्रश्न। इसके बाद आपको टाइम दूंगा।

श्री अर्जुन लाल जीनगर (कपासन): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि राजस्थान सरकार के

(श्री अर्जुन लाल जीनगर)

द्वारा अन्य विभागों में भी इस प्रकार से संविदा के आधार पर कहां-कहां पर कार्मिक रखे गये हैं।

श्री अध्यक्ष: वह जवाब तो आ गया न आवश्यकतानुसार रखेंगे। आप बैठिये जवाब आ गया। श्री सुखराम।

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): आपके माध्यम से जानना चाहूंगा कि इसी प्रश्न के भाग 2 में वेतन का प्रावधान नहीं है। वेतन पर इनका जवाब नहीं आया है। उसको वेतन दोगे या नहीं दोगे, सुविधाएं दोगे या नहीं दोगे, यह स्पष्ट किया जाए।

श्री अध्यक्ष: स्पष्ट कर दीजिये माननीय मंत्री महोदय। नियम सब स्पष्ट हैं।

श्री प्रभू लाल सैनी (कृषि मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, समय-समय पर कार्मिक विभाग के माध्यम से इस प्रकार की नियुक्तियां होती रही हैं और मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि इसके भुगतान की प्रक्रिया के बारे में आपने देखा होगा कि निम्न बजट मद में प्रावधान किये जा सकते हैं। सचिवालय सामान्य सेवाएं 20452, सचिवालय सेवाएं 090, वित्त विभाग 04, संविदा व्यय और आयोजन व्यय 41, इन मदों में से उनके भुगतान की प्रक्रिया की जा सकती है और अभी राजस्थान में अन्य और भी विभाग ऐसे हैं जिनमें वित्त विभाग भी है, मंत्रिमण्डल सचिवालय भी है और अन्य विभाग भी हैं जहां पर इन्हीं नियमों के अन्तर्गत सलाहकार की नियुक्तियां की गयी हैं।

श्री अध्यक्ष: विराजिये। श्री नन्दकिशोर महरिया।

श्री नन्दकिशोर महरिया (फतेहपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, कृषि विभाग को सलाह देने के लिये पांच-पांच कृषि विश्वविद्यालय राजस्थान में कार्यरत हैं। उसके बाद एक सिंगल आदमी के आवेदन पर इस तरह से सलाहकार रखने की क्या आवश्यकता पड़ी? अगर सलाहकार रखना था तो सार्वजनिक रूप से आवेदन क्यों नहीं लिये गये?

श्री अध्यक्ष: मंत्री महोदय।

श्री प्रभू लाल सैनी (कृषि मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जैसा कि माननीय सदस्य ने पूछा इसको क्यों रखा, कारण यह है कि 2010 से श्री शर्मा का कृषि विभाग के माध्यम से कृषि ग्रुप-3 में, आपने इस पद पर पहले काम किया था, अनुभव था, चूंकि यूनिवर्सिटी नई-नई बनी है, यूनिवर्सिटी जब नई

(श्री प्रभू लाल सैनी)

बनी तो उनके नियमों के प्रावधान भी बनाने थे, उनके रूल्स बनाने थे, ऐसी स्थिति में अनुभव के आधार पर, दक्षता के आधार पर इनकी नियुक्ति सलाहकार के रूप में दी गयी है। इनको किसी पद के विरुद्ध नहीं लगाया गया, किसी के हक को मारने का काम हम लोगों ने नहीं किया। हमने एक एडवाइजर के रूप में लिया ताकि समय-समय पर नियम संगत होनी वाली कार्यवाही की सलाह के रूप में उसके अनुभव का लाभ लिया जा सके और विभाग की गतिविधियों को आगे बढ़ाया जा सके।

श्री अध्यक्ष: अगला सवाल। श्री संदीप शर्मा। (व्यवधान)

आप विराजिये। नहीं, तीन सवाल हो गये। तीन पूरक प्रश्न हो गये, बैठिये।

मुकन्दरा टाइगर रिजर्व क्षेत्र में बाघों के विस्थापित करने की कार्ययोजना

5. **श्री संदीप शर्मा** (कोटा दक्षिण): क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या मुकन्दरा टाइगर रिजर्व क्षेत्र में स्थित सभी गांवों को अन्य जगह पर स्थानान्तरित कर दिया गया है? यदि नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त टाइगर रिजर्व क्षेत्र में बाघों को बसाने के लिए सरकार द्वारा क्या-क्या प्रयास किये गये तथा उक्त क्षेत्र में बाघों को अब कब तक बसा दिया जायेगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या उक्त टाइगर रिजर्व क्षेत्र में वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए चारदीवारी का निर्माण पूर्ण हो चुका है? यदि नहीं, तो सरकार द्वारा उक्त क्षेत्र की चारदीवारी का निर्माण कब तक पूरा करा दिया जायेगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

वन मंत्री (श्री गजेन्द्रसिंह): (1) जी नहीं। मुकन्दरा टाइगर रिजर्व क्षेत्र के कोर (सी.टी.एच.) क्षेत्र से भारत सरकार की गाइड लाइन्स अनुसार ग्राम विस्थापन का कार्य प्रगति पर है। कुल 14 ग्रामों का विस्थापन किया जाना है, जिनमें से ग्राम लक्ष्मीपुरा एवं खरली बावड़ी का विस्थापन आंशिक रूप से हो गया है। अगले चरण में दो ग्रामों, गिरधरपुरा एवं दामोदरपुरा का विस्थापन प्रस्तावित है। राज्य सरकार द्वारा विस्थापन पैकेज संशोधित किया जाना

(श्री गजेन्द्रसिंह)

प्रक्रियाधीन है। संशोधित विस्थापन पैकेज के माध्यम से कार्य में तेजी आने की संभावना है।

(2) मुकन्दरा टाइगर रिजर्व क्षेत्र में बाघों को बसाने के लिए ग्राम विस्थापन की कार्यवाही की जा रही है तथा चीतलों, सांभरों की संख्या बढ़ाने के लिए जयपुर, जोधपुर चिड़ियाघरों तथा शाहपुरा, पंचकुण्ड से लाकर यहां छोड़े जा रहे हैं। मुकन्दरा हिल्स टाइगर रिजर्व में बाघ पुनर्स्थापित करने हेतु एक कमेटी एन.टी.सी.ए. (नेशनल टाइगर कन्जर्वेशन आथोरिटी) भारत सरकार द्वारा गठित की गई है। कमेटी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर एन.टी.सी.ए. भारत सरकार द्वारा दिसम्बर, 2018 तक टाइगर पुनर्स्थापन करने की सहमति दी है।

(3) जी नहीं। पूरे मुकन्दरा टाइगर रिजर्व के चारों ओर चारदीवारी बनाया जाना प्रस्तावित नहीं है परन्तु रिजर्व के कुछ संवेदनशील क्षेत्रों/चयनित क्षेत्रों में पक्की दीवार बनाया जाना/फैंसिंग किया जाना प्रस्तावित है। वर्तमान में बजट उपलब्धता के आधार पर ऐसे संवेदनशील क्षेत्रों में पक्की दीवार बनायी जा रही है।

श्री अध्यक्ष: पूरक प्रश्न एक।

श्री संदीप शर्मा (कोटा दक्षिण): माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय से यह जानकारी चाहूंगा कि केन्द्र सरकार द्वारा मुकन्दरा टाइगर रिजर्व में जिस धीमी गति से कार्य चल रहा है और डेड लाइन अक्टूबर, 2018 दी गयी है, इसके मुताबिक क्या यह कार्य पूर्ण हो जायेगा? आपने अभी तक सिर्फ दो गांव विस्थापित करे हैं जबकि मुकन्दरा टाइगर रिजर्व में लगभग 14 गांव हैं और जिस प्रकार विभाग की लापरवाहियां हैं, अवैध खनन चल रहा है, आपके पास स्टाफ की कमी है, आपके पर्याप्त रूप में स्टाफ नहीं है, स्टाफ के पास संसाधन नहीं हैं, हमें जो आगे की बाघों के लिए कार्यवाही करनी चाहिए थी वो कार्यवाही विभाग के द्वारा पूर्ण नहीं हो पा रही है, कैसे हम बाघों को 2018 तक बसा पायेंगे?

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री महोदय।

श्री गजेन्द्रसिंह (वन एवं पर्यावरण मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, एन.टी.सी.ए. ने 2016 में सर्वे किया और वहां पर टाइगर्स को शिफ्ट करने के लिए हमें नियमों का पालन करना पड़ेगा और यह जो कार्य है, इसके अन्दर समय लगता है।

(श्री गजेन्द्रसिंह)

सबसे पहले वहां पर हमें ग्रास लैंड डवलप करना पड़ेगा क्योंकि जब ग्रास लैंड डवलप होगा तो वहां पर हर्बीवोरस जितने भी जानवर हैं, जैसे हिरण वगैरह हैं, जो वैजिटेरियन खाना खाते हैं और वहां पर जो प्री-बेस बनेंगे टाइगर के, क्योंकि टाइगर भी आखिर में शिकार करेगा तो उसको जो प्री-बेस चाहिए, अगर प्री-बेस नहीं होगा तो वहां पर टाइगर का सर्वाइवल सम्भव नहीं है।

री-लोकेशन जो करने हैं वहां के गांवों के, उसका भी अभी कार्य चल रहा है और अभी उसके अन्दर भी समय लगेगा। अभी फिलहाल लक्ष्मीपुरा और खरली बावड़ी का काफी काम हो चुका है। अभी हमारे 16 में से 14 और गांव का री-लोकेशन के लिए कार्य चल रहा है और क्योंकि रि-लोकेशन का जो पैकेज है वो 2002 में इंट्रोड्यूज किया था फिर उसमें 2008 में संशोधन किया गया परन्तु उसके जो आंकड़े हैं, आज 2017 है, हम इस रि-लोकेशन पैकेज को एक नया रूप दे रहे हैं जिससे फाइनेंशियली हमारे जितने भी गांव हैं वो री-लोकेट होने में खुशी से सैंक्चुअरी छोड़ कर जायेंगे। इसलिए अभी यह पैकेज विचाराधीन हैं और हमें आशा है कि हम मार्च के अन्दर इस रि-लोकेशन पैकेज को और भी स्ट्रीगर कर देंगे।

इसके अलावा वहां पर जो चौकियां हैं, वायरलैस सैट हैं, कई जगह दीवार की भी जरूरत पड़ जायेगी, अपने को स्टाफ की भी जरूरत है, दिसम्बर, 2018 का बोला है, मैंने खुद वहां जाकर, भ्रमण करके जहां भी कमियां थीं उसके बारे में जानकारी ली है, इसमें थोड़ा सा समय लगेगा लेकिन हम बिलकुल हमारे शिड्यूल के अनुसार दिसम्बर, 2018 तक इसको कमप्लीट कर देंगे।

श्री अध्यक्ष: पूरक प्रश्न नम्बर दो।

श्री संदीप शर्मा (कोटा दक्षिण): माननीय अध्यक्ष महोदय, शाकाहारी पशुओं के लिए ग्रास लैंड का कार्य तो अभी प्रारम्भ हुआ ही नहीं है। जो चीतल जयपुर से मंगाये गये थे टाइगर के प्रवेश के लिए, उनमें से कई चीतल तो मारे जा चुके हैं और कई चीतल वहां से लापता हैं, भाग गये हैं। तो इन सारी चीजों के लिए विभाग क्या कोई कार्यवाही कर रहा है? विभाग का पूरा ध्यान अभी वर्तमान में जो हमारे धार्मिक स्थल हैं गरडिया महादेव, गेपरनाथ और नर्सिंग माता जी, इस पर रोक लगाने पर लगा हुआ है, वहां पर शुल्क वसूला जा रहा है, कृपया इन चीजों को मंत्रीजी बताएं कि क्या यह सही है?

श्री अध्यक्षः विराजिये।

श्री गजेन्द्रसिंह (वन एवं पर्यावरण मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह सही है कि कुछ चीतलों को जब ट्रांसपोर्ट किया गया था, उनकी कुछ की डैथ हुई है। यह नोर्मल है, इसमें कोई ऐसी एबनोर्मलिटी नहीं है क्योंकि जब उनको ट्रांसपोर्ट किया जाता है तो कुछ की डैथ हो जाती है।

चीतल का जो एन्क्लोजर है, मैं खुद देखकर आया हूं। पहला लोट अब रिलीज होने वाला है फोरेस्ट के अन्दर। मैं माननीय विधायक महोदय को यह आश्वासन देना चाहूंगा कि जब बरसात का मौसम आयेगा, वहां पर हम ग्रास लैंड का डवलपमेंट करेंगे और चीतल और इंट्रोड्यूज करेंगे, प्री-बेस बढ़ेगा और आपका ग्रास लैंड भी अच्छा बढ़ेगा।

श्री अध्यक्षः पूरक प्रश्न। श्री सुरेश धाकड़।

श्री सुरेश धाकड़ (बेगूं): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरी विधान सभा के भी नौ गांव इसमें आते हैं, भैंसरोड़गढ़, गोपालपुरा, बूजरखुर्द, नासेरा, श्रीपुरा, अम्बा, जगपुरा और सणिता, क्या सरकार इन गांवों को भी री-लोकेट करने की मंशा रखती है?

दूसरा, इसमें एक और है कि यह सारे गांव बार्डर के हैं, अगर एक किलोमीटर या एक स्क्वायर किलोमीटर जगह को छोड़ दें तो यह सारे गांव बाहर हो सकते हैं और यहां आबादी है, वहां पेयजल की व्यवस्था नहीं है। आदिवासी क्षेत्र है, वो लोग मकान भी नहीं बना सकते हैं, तो क्या फोरेस्ट में वहां निर्माण करने में ऐसा कोई नियम है, केवल राठौड़ी लगा रखी है कहीं न कहीं, तो अगर ऐसा कोई नियम है तो सदन के पटल पर रखें ताकि पता लगे कि उनका मकान बन सकता है या नहीं बन सकता है?

श्री अध्यक्षः माननीय मंत्री महोदय।

श्री गजेन्द्रसिंह (वन एवं पर्यावरण मंत्री): अध्यक्ष महोदय, भैंसरोड़गढ़ जो है वो एक बहुत बड़ा कस्बा है, उसका री-लोकेशन संभव नहीं है और एक जवाहर सागर जो वो गवर्नमेंट सैटलमेंट है, इनको छोड़कर जितने भी गांव आते हैं, क्रिटिकल टाइगर हैबिटैट्स में जो आते हैं उनको सब को री-लोकेट किया जायेगा। मैं सदन को आश्वासन देना चाहता हूं कि जो री-लोकेशन पैकेज है हम इतना शानदार बनायेंगे कि खुद ग्रामवासी चाहेंगे कि हमें ऐसी जगह ले जाया जाए जहां पर हमें स्कूल उपलब्ध हो, बिजली उपलब्ध हो, जहां हमारी नोर्मल एक्टिविटीज हो, हास्पिटल की एवेलेबिलिटी हो क्योंकि अभी बीच जंगल

(श्री गजेन्द्रसिंह)

के अन्दर इनको कई असुविधाएं होती हैं। इसलिए जब तक एक प्रैक्टिकल पैकेज को नया रूप मिलेगा उसके बाद में हम री-लोकेशन जल्दी कर देंगे।

श्री अध्यक्ष: श्रीमती शकुन्तला रावत। (व्यवधान)

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): अब आपका जवाब नहीं मिलेगा, आप बैठ जाइये।

श्री सुरेश धाकड़ (बेगूं): आबादी में मकान बना सकता है या नहीं बना सकता, फोरेस्ट का रूल क्या कहता है? जरा मंत्री महोदय यह बताएं कि आबादी में मकान निर्माण कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? इसका जवाब नहीं आया, मंत्री महोदय स्पष्ट करें कि रूल्स में लिखा हुआ है तो इसकी प्रति सदन की मेज पर रखें।

श्री अध्यक्ष: एक मिनट।

श्री सुरेश धाकड़ (बेगूं): अगर वहां आबादी में मकान नहीं बना सकते हैं फोरेस्ट में, लॉ में कहीं ऐसा लिखा हुआ है क्या? अगर लिखा हुआ है तो मंत्री महोदय मुझे बताएं।

श्री अध्यक्ष: विराजिये। मंत्री महोदय, ऐसी कोई स्थिति?

श्री गजेन्द्रसिंह (वन एवं पर्यावरण मंत्री): अध्यक्ष महोदय, जब री-लोकेशन होगा, अभी क्या है कि फोरेस्ट एरिया के अन्दर कानून-कायदे ऐसे हैं कि उनके लिए मकान-वकान बनाना अभी सम्भव नहीं है।

श्री अध्यक्ष: आप विराजें, जवाब आ रहा है।

श्री गजेन्द्रसिंह (वन एवं पर्यावरण मंत्री): मैंने जो यह दो आपको जवाहर सागर का और भैंसरोडगढ़ का, वहां अभी आबादी बसी हुई है, वहां पासिबल नहीं होगा।

श्री सुरेश धाकड़ (बेगूं): अध्यक्ष महोदय, मेरा सीधा सा सवाल है कि वहां आबादी में बना सकते हैं कि नहीं बना सकते हैं? घुमाकर के जवाब दे रहे हैं, ऐसा ठीक नहीं है। बना सकते हैं। आप नियम देखिए।

श्री अध्यक्ष: आप बैठिये। यह तो कानूनी बात है, पूछ लेना। श्रीमती शकुन्तला।

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से अनुरोध करना चाहूंगी कि जो आप विस्थापन का नियम कह रहे हैं कि

(श्रीमती शकुन्तला रावत)

शानदार बनाया जायेगा, लेकिन अभी उनको नाममात्र का मुआवजा दिया जा रहा है, 10 लाख रुपये। इस 10 लाख में तो घर भी नहीं बनता। ग्रामीण क्षेत्रों में जो यह प्रावधान रखते हैं कि हम फलां परिवार को देंगे, उसके क्या प्रावधान हैं? क्योंकि गांवों में कोई पढ़े-लिखे आदमी नहीं हैं। उनकी कोई मार्कशीट नहीं है। उनकी डेट आफ बर्थ का सर्टिफिकेट नहीं है। उनके पास स्कूल के कोई डाक्यूमेंट नहीं हैं। आप किस आधार पर तय करते हैं? किसी को दे देते हैं और किसी को नहीं देते हैं। उनको कम से कम एक करोड़ रुपया मुआवजा मिलना चाहिए। जिससे वह अपनी गुजर-बसर कर सकें। उनको जमीन भी मिलनी चाहिए। यह हम सरकार से मांग करते हैं। मंत्री महोदय, क्या आप ऐसा सोचेंगे? आप खुद कह रहे हैं कि आप स्वयं अच्छा पैकेज देने वाले हैं।

श्री अध्यक्ष: देंगे। विराजिये अब आप।

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): जंगली जानवर जो हैं, उनकी भी कोई व्यवस्था हो जाए, वह सारी फसल नष्ट कर देते हैं किसानों की।

श्री अध्यक्ष: वह भी हो जाएगी।

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): देखते हैं। अभी तक तो हुई नहीं है 3 वर्ष में। क्या आप प्रावधान रखेंगे विस्थापित परिवारों को 1 करोड़ रुपये देने का?

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री महोदय।

श्री गजेन्द्रसिंह (वन एवं पर्यावरण मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह बात शुरू में ही मैंने आपके माध्यम से बोली थी कि यह री-लोकेशन पैकेज के जो 10 लाख हैं, यह 2008 के नियम से बने थे। 2008 और 2017 में बहुत अंतर है। इसके लिए केन्द्र सरकार के साथ भी मीटिंग हुई थी। राज्य सरकार भी इसके अन्दर अच्छा री-लोकेशन पैकेज बनाएगी। अभी री-लोकेशन में आप 10 लाख रुपये के अलावा जमीन भी ले सकते हैं। मैं इसका आपको फार्मूला बताना चाहूंगा जमीन का जो री-लोकेशन का है कि अगर आपके पास बिलकुल ही जमीन नहीं है तो आपको जब हम री-लोकेट करेंगे वन से बाहर, जहां जमीन बहुत महंगी है, तो आपको 0.6 हैक्टेयर जमीन मिलेगी। यदि आपके पास 0.6 हैक्टेयर है तो 1.06 हैक्टेयर और 0.7 है तो 1 हैक्टेयर प्लस 0.7 मिलेगी। 2 हैक्टेयर है तो 1 हैक्टेयर प्लस 2 हैक्टेयर तीन हैक्टेयर होगी।

(श्री गजेन्द्रसिंह)

जमीन जो हम बाहर दे रहे हैं वह बहुत महंगी जमीन है। जैसे अलवर क्षेत्र में सरिस्का के अन्दर जमीनों के भाव बहुत बढ़ गये हैं। इनको अच्छा पैकेज मिलेगा। इसके अलावा भी हमारी बहुत सी चीजे हैं, जिनके बारे में हमारी मीटिंग्स चल रही हैं। अभी मैं उनको डिसक्लोज नहीं कर पाऊंगा। हम बहुत शानदार पैकेज बनाएंगे जिससे ग्रामीण खुद चाहेंगे कि हम खुशी-खुशी री-लोकेट होकर के जाएं।

श्री अध्यक्ष: तीसरा पूरक प्रश्न। श्री हीरालाल नागर।

श्री हीरालाल नागर (सांगोद): माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने बताया कि वहां सभी जगह चारदीवारी बनाना सम्भव नहीं है। चारदीवारी के अभाव में किसानों के फसलों का जंगली जानवरों द्वारा नुकसान हो रहा है, किसानों की फसलें नष्ट हो रही हैं। क्या उन नष्ट फसलों के लिए विभाग या सरकार मुआवजा देने का विचार रखती है? ऐसे किसानों की फसलों को बचाने के लिए सरकार की क्या योजना है?

श्री अध्यक्ष: विराजिये। माननीय मंत्री महोदय।

श्री गजेन्द्रसिंह (वन एवं पर्यावरण मंत्री): अध्यक्ष महोदय, यह फाइनेन्शियली फिजिबल नहीं है कि आप सब क्षेत्रों के अन्दर बाउंड्रीवाल बनायें। बाउंड्रीवाल बनाना बहुत महंगा है। हां, यह जरूर है कि जहां फोरेस्ट में अतिक्रमण हो रहा है या जहां पर ह्युमन लाइफ को बहुत ज्यादा खतरा है, वहां फैंसिंग की गई है। जहां हम देखते हैं कि खतरा ज्यादा है, वहां बजट मिलने पर हम उसको प्रायोरिटी पर लेंगे।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री हनुमान बेनीवाल।

मूंडवा (नागौर) में सीमेंट प्लांट स्थापित करने के लिये एम.ओ.यू.

6. **श्री हनुमान बेनीवाल** (खींवसर): क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) नागौर जिले के मूंडवा में अंबुजा सीमेंट लिमिटेड कंपनी को ग्रीन फील्ड सीमेंट प्लांट स्थापित करने के लिए एम.ओ.यू. के बाद सरकार द्वारा उक्त कम्पनी द्वारा प्लांट स्थापित करने की समयावधि कब-कब बढ़ाई गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त कम्पनी को एम.ओ.यू. के अनुसार किस तिथि तक प्लांट स्थापित करना था तथा समय पर प्लांट शुरू नहीं करने व एम.ओ.यू. की शर्तों

(श्री हनुमान बेनीवाल)

का उल्लंघन करने पर कम्पनी के विरुद्ध सरकार ने कब-कब कितना जुर्माना लगाया और कंपनी ने कितनी-कितनी जुर्माना राशि सरकार को जमा कराई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि विभाग द्वारा दिनांक 29 जनवरी, 2015 को उक्त कम्पनी को पत्र लिखकर इस प्रोजेक्ट को शुरू करने की अंतिम तिथि 31 दिसम्बर, 2016 दी थी? यदि हां, तो उक्त समयावधि समाप्त होने के पश्चात् सरकार द्वारा क्या-क्या कार्यवाही की गई व सम्बन्धित कम्पनी के विरुद्ध कितना जुर्माना लगाया गया विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) गत तीन वर्षों में नागौर व जोधपुर जिले में औद्योगिक इकाइयां स्थापित करने के लिए सरकार ने किस-किस कम्पनी के साथ अनुबंध किए? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उद्योग मंत्री (श्री राजपाल सिंह शेखावत): (1) नागौर जिले के मूंडवा में सीमेंट प्लांट स्थापित किये जाने हेतु दिनांक 01.09.2006 को एमओयू इण्डो निप्पोन स्पेशल सीमेन्ट लि. नामक कम्पनी (वर्तमान में अम्बुजा सीमेन्ट लि.) के साथ हस्ताक्षरित किया गया था। उक्त एमओयू के अनुसार कम्पनी को सीमेन्ट प्लांट की स्थापना दिनांक 31.12.2008 तक की जानी थी। प्लांट स्थापित करने की समयावधि को कम्पनी के निवेदन पर समय-समय पर निम्नानुसार बढ़ाया गया-

क्र.सं.	राज्य सरकार द्वारा जारी अनुमति की दिनांक	बढायी गयी अवधि
1.	08.07.2008	01.01.2009 से 31.12.2010 तक
2.	18.11.2010	01.01.2011 से 31.12.2012 तक
3.	24.12.2012	01.01.2013 से 31.12.2014 तक
4.	29.01.2015	01.01.2015 से 31.12.2016 तक

(2) उक्त एमओयू के अनुसार सीमेन्ट प्लांट की स्थापना दिनांक 31.12.2008 तक की जानी थी जिसे राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर बिन्दु संख्या 1 में वर्णित तालिका के अनुसार बढ़ाया गया। उक्त एमओयू में प्लांट स्थापना में देरी होने पर किसी प्रकार के आर्थिक दण्ड/धारण शुल्क (जुर्माना) का प्रावधान नहीं है।

(श्री राजपाल सिंह शेखावत)

(3) जी, हां। मैसर्स अंबुजा सीमेंट लि. ने प्लांट स्थापित किये जाने के लिए समयावधि दिनांक 01.01.2017 से 3 वर्ष अर्थात 31.12.2019 तक विस्तार किये जाने हेतु अपने पत्र दिनांक 12.12.2016 द्वारा निवेदन किया है। जिसकी कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

(4) राज्य सरकार गत तीन वर्षो के दौरान रिसर्जेन्ट राजस्थान 2015 के अन्तर्गत नागौर व जोधपुर जिले में औद्योगिक इकाइयां स्थापित करने के लिए हस्ताक्षरित एमओयू से सम्बन्धित सूचना अनुसंलग्नक-1 पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्री अध्यक्ष: पूरक प्रश्न, नम्बर एक।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): अध्यक्ष महोदय, मैं सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगा कि मूंडवा के अन्दर हजारों बीघा जमीन आपने किसानों की सस्ती दर पर खरीद ली। लैंड बैंक बना दिया। जो जमीन साढ़े 7 हजार रुपया बीघा और 15 हजार रुपया बीघा में खरीदी, आज उस जमीन का भाव 40 लाख रुपया बीघा है। आपने जो एमओयू किया था 01.09.2006 को, उसके अनुसार 2 साल के अन्दर आपको वहां सीमेंट का उत्पादन करना था और लोगों को रोजगार देना था। आप लगातार इसकी समयावधि 4 बार बढ़ा चुके हो, 2006 से 2008, 2008 से आपने 2010 बढ़ा दी, 2010 से 2012, 2012 से 3 साल के लिए 2015 और अब सरकार इसकी 2019 तक समयावधि बढ़ाकर कंपनी को फायदा देना चाहती है।

अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्रीजी से 2-3 पूरक प्रश्न करूंगा। एक तो आप यह बताएं कि जब 2006 के अन्दर एमओयू हुआ था तो उस एमओयू के अन्दर लीज बढ़ाने का कोई प्रावधान नहीं था। किस आधार पर, एमओयू के किस बिन्दु पर आपने समय-समय पर इसको बढ़ाया? नम्बर दो, यह बताएं कि प्लांट स्थापना में देरी होने पर किसी भी प्रकार से जुर्माने का प्रावधान नहीं है। यह आपने हमें उत्तर दिया है। जबकि रिवीजन याचिका के अन्दर जब यह कंपनी भारत सरकार के पास गई थी, 2003 में इनका पट्टा राजस्थान सरकार ने निरस्त कर दिया था, तब भी इन्होंने एमओयू की शर्तों का उल्लंघन किया था। भारत सरकार ने यह कहते हुए 2006 को वापिस राजस्थान सरकार को बहाल करने के निर्देश दिए कि कंपनी की जो 2 करोड़ की सिक्योरिटी राशि जमा है, वह जब्त करेंगे और अब कंपनी आइंदा से एमओयू का उल्लंघन नहीं करेगी। यह बातें 2006 की हैं। 2006 को आज 12 साल हो चुके हैं।

(श्री हनुमान बेनीवाल)

तीसरा मेरा यह है कि क्या उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए पुन: प्लांट स्थापित करने की समयावधि आप बढ़ाने का विचार रखते हैं? सरकार सदन में आश्वस्त करे कि आप कितनी बार समयावधि बढ़ायेंगे? जिन किसानों ने साढ़े 7 हजार, 10 हजार, 15 हजार और 20 हजार रुपयों में अपनी जमीनें दे दीं, उसको वहां रोजगार मिलना चाहिए। वहां सबसे बड़ी रेवेन्यू की हानि राजस्थान सरकार को हुई है। अगर कंपनी समय के अन्दर सीमेंट का उत्पादन करती तो रोजगार के साथ-साथ आपकी भी आमदनी बढ़ती। आपका रेवेन्यू बढ़ता। आपने रिसर्जेंट राजस्थान के अन्दर जितने भी एमओयू करे, उनमें से 40 रद्द हो गये। 2008 में भी एमओयू किये। फिर 2015 के अन्दर रिसर्जेंट राजस्थान लेकर के आये। आप राजस्थान की सरकार को आश्वस्त तो करें कि आप किसानों को फायदा दोगे, जवानों को फायदा दोगे। सिर्फ उद्योगपतियों को फायदा देकर इस तरह इन कंपनियों की लीज की अवधि बढ़ाते रहोगे। आज आप सदन के अन्दर आश्वस्त करें लास्ट समय सीमा, पिछली बार भी मैंने बोला था तब राठौड़ साहब ने कहा था कि अब की बार हम इस पर विचार करेंगे, नहीं बढ़ेगी। लेकिन फिर बढ़ रही है। 2019 की आपने तैयारी कर ली है। 2019 तक आप इसका टाइम बढ़ा रहे हो। क्या कारण है टाइम बढ़ाने का, यह मैं मंत्रीजी से पूछना चाहता हूं। आप यह बताएं कि बार-बार इस कंपनी को क्यों सरकार फायदा पहुंचा रही है।

श्री अध्यक्ष: विराजिये। माननीय मंत्री महोदय।

श्री राजपाल सिंह शेखावत (उद्योग मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह सीमेंट प्लांट है और कैप्टिव सीमेंट प्लांट है। कैप्टिव सीमेंट प्लांट का मतलब, माइनिंग लीज, ऐसा सीमेंट प्लांट जिसके साथ माइनिंग लीज भी शामिल है। उस माइनिंग लीज से जिस लाइम स्टोन का वह खनन करेगा, उसका उपयोग उस सीमेंट प्लांट के लिए करेगा। 2006 के जिस एमओयू की आप चर्चा कर रहे हैं और आपने कहा कि उसमें आर्थिक दंड का प्रावधान नहीं है तो साथ में एक्सटेंशन का प्रावधान भी नहीं है। यह बात सही है माननीय अध्यक्ष महोदय, कि 2006 में रीको के साथ जो एमओयू हुआ उस एमओयू के अन्दर एक्सटेंशन का प्रावधान इसलिए नहीं था कि 2006 का एमओयू तो केवल लैंड एक्वीजिशन का एक्ट का था। सीमेंट का प्लांट लगाना, सीमेंट का प्लांट लगाने के लिए माइनिंग डिपार्टमेंट ने जो माइनिंग लीज दी है, जिस

(श्री राजपाल सिंह शेखावत)

इलाके की लीज उन्होंने दी है, उस इलाके की जमीन को एक्वायर करने का एमओयू उन्होंने रीको के साथ में किया था। रीको के साथ में जो एमओयू था वह जमीन के एक्वीजिशन का एमओयू था, जो 1203 बीघा जमीन जिस पर वह प्लांट लगाना चाहते थे उस प्लांट की जमीन का एमओयू था, चूंकि जमीन के एक्वीजिशन का एमओयू था इसलिए उसमें एक्सटेंशन और नोन एक्सटेंशन के प्रोविजन डालने का कोई प्रश्न उठता ही नहीं था।

जहां तक इस बात का ताल्लुक है कि एक्सटेंशन लगातार क्यों देते गए तो मैं इतना निवेदन करना चाहता हूं कि यह मामला 2006 से शुरू नहीं हुआ, यह मामला बेसिकली शुरू हुआ 1986 के अन्दर, 1986 के अन्दर नागौर में सीमेंट प्लांट लगाने के इंटेंशन के साथ उसमें जमीन के अलोटमेंट की परमीशन मांगी कम्पनी ने, और उसके बाद वह कम्पनी किसी और कम्पनी में मर्ज हो गई। मर्जर के बाद 2006 के अन्दर जाकर रिसर्जेंट राजस्थान के अन्दर उस जमीन को प्लांट लगाने के लिए जमीन उपलब्ध नहीं हुई तो 1986 में उन्होंने जो जमीन मांगी थी वह जमीन मांगी थी 2700 बीघा तो 2700 बीघा जमीन सरकार नहीं दे पाई। सरकार केवल 1000 बीघा जमीन दे पाई और 1000 बीघा जमीन के अन्दर भी 500-600 बीघा जमीन गोचर में आती थी, आगोर में आती थी इसलिए आगोर में आने के कारण, अब्दुल रहमान वाले केस के अन्दर डिस्प्यूटेड हो गई, उसका म्यूटेशन नहीं हुआ, उसका कब्जा नहीं दे पाए और इसलिए प्लांट लगाने के लिए जमीन उस कम्पनी को नहीं मिल पाई। इसलिए उस प्लांट के लिए जमीन नहीं मिल पाई, क्योंकि वह गोचर में आती थी, आगोर में आती थी, इसलिए आगोर में आने के कारण वह आपके अब्दुल रहमान वाले केस के अन्दर डिस्प्यूटेड हो गई, उसका म्यूटेशन नहीं हुआ, उसका कब्जा नहीं दे पाए इसलिए प्लांट लगाने के लिए जमीन उस कम्पनी को नहीं मिल पाई। प्लांट के लिए जमीन नहीं मिल पाई तो उस जमीन को एक्वायर करने के लिए 2006 में उन्होंने रीको के साथ में एमओयू किया कि हम वहां प्लांट लगाना चाहते हैं, हमें माइनिंग लीज हो गई है, दो-दो माइनिंग लीज हमारे पास हैं, उस माइनिंग लीज के आधार पर हम कैप्टिव सीमेंट प्लांट लगाना चाहते हैं उसके लिए 1200 बीघा जमीन हमें प्रोवाइड की जाए, उस लैंड के एक्वीजिशन के लिए एमओयू था। उसके अन्दर इस आर्थिक दंड का प्रावधान और समय बढ़ाने का प्रावधान नहीं था।

(श्री राजपाल सिंह शेखावत)

जहां तक समय बढ़ाने के प्रावधान की बात है तो समय बढ़ाने का प्रावधान, लीज हुई 1993 में माननीय अध्यक्ष महोदय, उसके सैक्शन 5(3) के अन्दर लीज बढ़ाने का प्रावधान है। तो पहले परमीशन ली गई 5 साल में सीमेंट का प्लांट लगाएंगे, 5 साल में सीमेंट का प्लांट नहीं लगा पाए तो उसको जो एक्सटेंशन मिला वह सैक्शन 5(3) के अन्दर मिला जो लीज डीड के एक्जीक्यूशन के टाइम पर शर्त थी। उसके आधार पर 2006 के बाद जो एक्सटेंशन मिले वह भी विभिन्न प्रावधानों के आधार पर मिले। या तो एमओयू के अन्दर पीरियड दिया गया था या अनफोरसीन सर्कम्स्टांसेज, सीमेंट का प्लांट लगाना बहुत काम्प्लीकेटेड काम है, दिल्ली के अन्दर एन्वायरमेंट डिपार्टमेंट से क्लीयरेंस लेनी पड़ती है, एन्वायरनमेंट डिपार्टमेंट के अलावा यहां माइनिंग लीज की परमीशन लेनी पड़ती है, कभी माइनिंग लीज लाक हो जाती है तो एन्वायरनमेंट की जो क्लीयरेंस मिली तो वह अगेंस्ट में चली जाती है, कभी इसको, कभी उसको रेस्टोर करना पड़ता है तो यह जो एमओयू हुए, कांग्रेस के राज में भी एमओयू हुए, भारतीय जनता पार्टी के राज में भी हुए और उससे पहले लगातार पांच-छह एमओयू हुए, दोनों सरकारों के राज में हुए हैं और मोटा-मोटा यह है कि क्या नागौर जैसे पिछड़े इलाके के अन्दर सीमेंट का प्लांट और ढाई हजार करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट हो, चाहे डाइरेक्ट एम्प्लायमेंट हो, चाहे इन्डाइरेक्ट एम्प्लायमेंट का जनरेशन हो, नागौर की इकोनोमी में बायोडाइवरसिटी क्रिएट हो उसके माध्यम से सीमेंट का प्लांट लगाना चाहते हैं, नागौर के हित के अन्दर और प्रदेश के हित के अन्दर लगातार इस कम्पनी के सामने लगातार समस्याएं आती रहीं, संकट आते रहे और जिन परिस्थितियों पर कम्पनी का भी कंट्रोल नहीं था और राजस्थान सरकार का भी कंट्रोल नहीं था, उन समस्याओं के निदान के लिए समय-समय पर उसका एक्सटेंशन किया गया। आर्थिक दंड का प्रावधान किसी भी एमओयू के अन्दर नहीं था। लेकिन उसके बावजूद गई बार जो एक्सटेंशन दिया आर्थिक दंड के प्रावधान नहीं होने के बावजूद और जिस आर्थिक दंड की बात कर रहे हैं, दो चीजें साथ-साथ हैं, एक तो माइनिंग लीज, माइनिंग लीज का ताल्लुकात माइनिंग डिपार्टमेंट से है, एक है इंडस्ट्रीज। हम इंडस्ट्रीज लगाना चाहते हैं, सीमेंट उत्पादन का ताल्लुकात इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट से है लेकिन कैप्टिव पावर प्लांट लगाना चाहते हैं तो माइनिंग की लीज का रिन्युअल होना, उसका रिवोक होना या नहीं होना या उसको एक्सटेंशन देना, उसका इंटेंशन चार्ज देना वह सब अलग है और एमओयू के माध्यम से प्लांट नहीं लगाने पर आर्थिक दंड

(श्री राजपाल सिंह शेखावत)

लगाना दूसरी बात है। उसका कोई प्रावधान नहीं था, उसका प्रावधान नहीं होने के बावजूद भी हमने गई बार जो उनको एक्सटेंशन दिया दिसम्बर 2016 तक का उस एक्सटेंशन में प्रावधान नहीं होने के बावजूद हमने 2 करोड़ रुपए के एक्सटेंशन चार्जेज की वसूली की है। मैं समझता हूं कि नागौर से आने वाले माननीय सदस्य नागौर की जनता के हितों में ...(व्यवधान) आप तो राजस्थान के नेता हो और नागौर से प्रेम है आपका। मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं माननीय अध्यक्ष महोदय, सीमेंट प्लांट लग जाए इसकी सरकारें लम्बे समय से कोशिश कर रही हैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: जबाव देने दीजिए।

श्री हबीबुर्रहमान अशरफी लाम्बा (नागौर): यह तो हो गया 1986 से, माननीय अध्यक्ष महोदय, चालू कब करेंगे यह बता दें, दो-दो सरकारों ने एमओयू कर लिया।

श्री अध्यक्ष: आप प्रश्न के बीच में खड़े नहीं हो सकते, आप विराजिये। (व्यवधान)

श्री राजपाल सिंह शेखावत (उद्योग मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, हम लगातार इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि सीमेंट का प्लांट वहां लगकर प्रोडक्शन शुरू हो जाए। 2016 के अन्दर हमने जो उनको एक्सटेंशन दिया था, 31 दिसम्बर, 2016 को एक्सटेंशन खतम हो चुका है। उन्होंने एक्सटेंशन की डेट को अगले दो-तीन साल के लिए बढ़ाने के लिए सरकार से निवेदन किया है। उनके इस निवेदन को बहुत वेरियस एंगल के साथ में एक्जामिन कर रहे हैं। सरकार के और जनता के हित में उसको एक्सटेंशन दिया जाना चाहिए या नहीं दिया जाना चाहिए, इसके बारे में पूरी चिंता के साथ और पूरे एंगल्स को एक्जामिन करने के बाद में हम जल्दी ही इस बारे में निर्णय कर देंगे। हालांकि जो 2015 के रिसर्जेंट राजस्थान के माध्यम से उन्होंने जो एमओयू किया था उसके अन्दर माइंस डिपार्टमेंट ने एमओयू किया था उसमें 2015 के अन्दर किया गया एमओयू उसके अन्दर अगले 3 साल के अन्दर काम कम्पलीट करने का प्रोविजन है, लेकिन जो एक्सटेंशन की डेट दी गई इंडस्ट्री डिपार्टमेंट से, खनिज डिपार्टमेंट से, वह एक्सपायर हो चुकी है। उन्होंने हमसे मांग की है कि उसका एक्सटेंशन करें, उसको हम एक्जामिन करेंगे, वेरियस एंगल से एक्जामिन करेंगे, हम भी चाहते हैं कि नागौर के इलाके के अन्दर सीमेंट प्लांट जल्दी से जल्दी लगे और वहां के लोगों को इसका फायदा हो। (व्यवधान)

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): माननीय अध्यक्ष महोदय, एक सैकंड, मेरा ही मामला है। मैं यह कह रहा हूं। जब आपने 1988 में इस के ई सी इंटरनेशनल को खनिज पट्टा जारी किया था, 5 साल के अन्दर वहां सीमेंट प्लांट लगकर तैयार होना था। 1988 से 5 साल, 1993 के अन्दर और वह नहीं लगा पाए तो 2003 में आपने उसका पट्टा निरस्त कर दिया फिर वह रिवीजन में भारत सरकार के अन्दर गए। भारत सरकार ने कहा कि इन पर आर्थिक दंड लगाओ और अब यह सही शर्तों पर चले, राजस्थान सरकार ने कहा आपका दो साल का बढ़ा रहे हैं और हर बार दो-दो साल का बढ़ा रहे हैं। अब आप यह बता दो कि जब किसानों ने सस्ती दरों पर जमीन बेच दी वह दर, यदि फायदा होता उस इलाके को, कोई डवलपमेंट होता, कोई रोजगार मिलता, सरकार को रेवेन्यू मिलता, तीनों ही चीजें नहीं मिल रही हैं। हर बार आप कह रहे हैं कि सरकार के कंट्रोल में नहीं था, यदि कंट्रोल में नहीं था तो किसके कंट्रोल में था, राजस्थान सरकार के कंट्रोल में नहीं है क्या राजस्थान। और दूसरा यह बताओ कि कम्पनी वाले हर बार हम कहते हैं कि आप क्यों नहीं कर रहे हो तो वह कहते हैं कि करने की आवश्यकता ही नहीं है, हमारी जमीन के तो भाव बढ़ रहे हैं हम तो जो भी मंत्री होगा, मैं राजपालजी के ऊपर आरोप नहीं लगा रहा, वह कहते हैं कि हम तो मंत्री को दो करोड़ रुपए देंगे तो अपने आप दो साल बढ़ जाएगी। (व्यवधान) यह मैं आपके लिए नहीं कह रहा हूं, सुनो ...(व्यवधान) मैं कह रहा हूं। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): यहां पर आरोप लगाने के पहले या तो यह नोटिस देकर आते, ...(व्यवधान) या यह बताएं कि कौनसे मंत्री को दो करोड़ रुपए देकर आए हैं।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): इन पर आरोप नहीं लगाया है। (व्यवधान) मैंने आप पर आरोप नहीं लगाया है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, इस आरोप को कार्यवाही से हटवाएं।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): मैंने आप पर आरोप नहीं लगाया है। यह तो कम्पनी वाले कह रहे हैं कि सरकार को पैसा देंगे और बढ़वा लेंगे। मैंने इनका नहीं कहा है, मैंने आप पर आरोप नहीं लगाया है। आप तो अब बढ़ाओगे। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: विराजिये। (व्यवधान) जवाब आने दीजिए।

श्री राजपाल सिंह शेखावत (उद्योग मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह सही है जैसा कि मैंने आपके माध्यम से जवाब में निवेदन किया था कि कम्पनी ने 1986 में 2700 बीघा जमीन मांगी और 2700 बीघा जमीन में से केवल हम 1000 बीघा जमीन दे पाए और 1000 बीघा जमीन में से भी 500 बीघा जमीन अब्दुल रहमान के मामले में अटक गई। तो जमीन कितनी मिली, 2700 बीघा जमीन मांगने वाले को 500 बीघा जमीन से भी कम मिले, 496 बीघा जमीन मिले, अब तो क्या है वह अलग बात है तो उस पर प्लांट लगाने की उस पांच साल की परमीशन तो वह इनीशियली तो बहुत छोटा प्लांट ही लगाएगा, जब वह कह रहे हैं कि 0.5 मिलियन टन पर एनम का, अब वह प्लांट लगा रहा है 0.2 मिलियन टन पर एनम का तो उसी के आधार पर उसका माइनिंग लीज का एक्सटेंशन भी हुआ है। और अगर आप यह कहें कि लगातार एक्सटेंशन इंडस्ट्रीज मिनिस्टर को दो-दो करोड़ रुपए देकर करवाते हैं तो दो करोड़ रुपए दिए जा सकते हैं, चार करोड़ रुपए दिए जा सकते हैं, यह हनुमानजी बेनीवालजी ही जान सकते हैं, मेरे को इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। मैं इतना जरूर कर सकता हूं कि सीमेंट प्लांट लगाने की सारी सरकारों ने ईमानदारी से नागौर में कोशिश की। ईमानदारी से कोशिश की उसका परिणाम है कि जो 1986 से लेकर 2017 तक हर सरकार ने उनको एक्सटेंशन दिया और एक्सटेंशन देने के पीछे केवल एकमात्र नीयत रही कि किसी प्रकार से नागौर के पिछड़े हुए इलाके को इण्डस्ट्रियल मैप पर लाया जा सके और इसी भावना से एक्सटेंशन दिया, लगातार हर सरकार ने एक्सटेंशन दिया लेकिन मैं फिर आपको कह रहा हूं कि हम कोई भी एक्सटेंशन देने से पहले राजस्थान के वृहत्तर हितों को वेरियस एंगल पर एक्जामिन करने के बाद और ट्रांसपेरेंट तरीके से इसका एक्सटेंशन किया जाए या नहीं किया जाए, इसके बारे में निर्णय लेंगे और जिस तरीके से निर्णय माननीय अध्यक्ष महोदय, अब लिया जाएगा मैं सोचता हूं कि 1986 से लेकर आज तक इस प्रकार का निर्णय इतने ट्रांसपेरेंट ढंग से कभी नहीं लिया गया। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: बैठिए। श्री हबीबुर्रहमान, पूरक प्रश्न।

(12.00 बजे)

श्री हबीबुर्रहमान अशरफी लाम्बा (नागौर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा तो मंत्री महोदय से यही कहना है कि अंबुजा सीमेंट की वजह से यह चालू नहीं हुई। हमारे यहां लाइमस्टोन की कंपनियां नहीं आ रही हैं, जिप्सम की कंपनियां नहीं आ रही हैं। सरकार ने सब जमीन एक्वायर कर ली, लेकिन इस

(श्री हबीबुर्रहमान अशरफी लाम्बा)
अंबुजा की वजह से न लाइमस्टोन की कंपनी आ रही है, न जिप्सम की आ रही है। यह चालू होगी तो हमारे तीनों कंपनियां और आएंगी। मंत्री महोदय से मेरा यही कहना है कि आप चालू कब करोगे? वह 500 बीघा जमीन नहीं है अब्दुर्रहमान में। 131 बीघा है, वह बहुत बड़ा तालाब है, आगोर है, उसको तो आपको छुड़ाना ही पड़ेगा। कल भी वे मूंडवा में माप-तौल कर रहे थे। कंपनी वाले कह रहे थे हम नहीं छोड़ेंगे। यही तो बहुत बड़ा झगड़ा है हमारे यहां।

श्री अध्यक्ष: विराजिए, विराजिए। माननीय मंत्री महोदय।

श्री हबीबुर्रहमान अशरफी लाम्बा (नागौर): इसकी नींव रखो और 131 बीघा जमीन है उसको आप आकर छुड़ाओ। यहां से आपके आदमी भेजो तब वह कंपनी चालू होगी।

श्री अध्यक्ष: अब जवाब दे रहे हैं। इसके बाद मानिक जी।

श्री राजपाल सिंह शेखावत (उद्योग मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर चुका हूं। जैसा कि मैंने आपसे निवेदन किया है। (व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): सरकार के 12 बजे गये हैं।

श्री अध्यक्ष: प्रश्नकाल समाप्त। मैं सुनने में ध्यान दे रहा था, इसलिए समय का ध्यान नहीं रहा। मानिक जी, विराजिए। प्रश्नकाल समाप्त।

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): इस पर चर्चा की अनुमति प्रदान करें। जितने तथ्य आये हैं वे आधे घण्टे की चर्चा के बिना इन तथ्यों पर सही दृष्टि से कोई निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता। हिन्दुस्तान में अंबुजा सीमेंट ही नहीं है, अनेक अरबपति हैं।

श्री अध्यक्ष: विराजिए।

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): सुनिए, अध्यक्ष महोदय। आप जिन टर्म्स पर विज्ञापित करते कि इतनी जमीनें हैं और कौन उद्योगपति आता है तथा कितने रुपये लगाने की बात करता है। और भी उद्योगपति हैं जो दो बिलियन टन का कैप्टिव सीमेंट प्लांट लगाने को तैयार हैं। माननीय मंत्री महोदय, आपने जो लम्बी-चौड़ी व्याख्या की है उसके लिए तो आप बधाई के पात्र हैं, लेकिन यह डिले 1986 से 2017 तक प्लांट नहीं लगा है।

श्री अध्यक्ष: आप मूव कीजिए।

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): कांग्रेस भी है, बीजेपी भी है और एक्सटेंशन पर एक्सटेंशन है। क्या इस निष्कर्ष पर जनता नहीं आ सकती कि दोनों सरकारों का चरित्र एक-सा है।

प्रश्न संख्या 7

(स्थगित)

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तर के लिए कृपया आगे देखें।)

श्री अध्यक्ष: शोकाभिव्यक्ति।

शोकाभिव्यक्ति एवं श्रद्धांजलि

ऋषिकेश मीना, श्री, पूर्व सदस्य

माननीय सदस्यगण, शोकाभिव्यक्ति के इस अवसर पर मैं इस विधान सभा के पूर्व सदस्य श्री ऋषिकेश मीना के निधन पर संवेदना व्यक्त करते हुए यह शोक प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं।

पूर्व विधायक श्री ऋषिकेश मीना का जन्म 31 मार्च, 1954 को सवाईमाधोपुर के जाखोदा ग्राम में हुआ। आपने मिडिल तक शिक्षा प्राप्त की। श्री ऋषिकेश मीना आठवीं राजस्थान विधान सभा में सपोटरा निर्वाचन क्षेत्र से कांग्रेस (आई) दल के विधायक रहे। विधान सभा के कार्यकाल के दौरान आप अनुसूचित जनजाति कल्याण समिति तथा गृह समिति के सदस्य रहे।

श्री मीना अपने सार्वजनिक जीवन में ग्राम पंचायत जाखोदा के सरपंच रहे। आप 20 सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत वृक्षारोपण तथा समाज में व्याप्त कुरीतियों के उन्मूलन के लिए सदैव प्रयत्नशील रहे।

श्री ऋषिकेश मीना का दिनांक 7 जुलाई, 2016 को निधन हो गया।

मैं अपनी ओर से तथा इस सदन के सभी माननीय सदस्यों की ओर से दिवंगत के प्रति शोक प्रकट करते हुए उनके परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं तथा दिवंगत श्री ऋषिकेश मीना को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि दिवंगत आत्मा को शान्ति प्रदान करे तथा उनके शोकसंतप्त परिजनों को उनका बिछोह सहन करने की शक्ति दे। माननीय सदस्यगण कृपया दो मिनट मौन खड़े रहकर दिवंगत आत्मा की शान्ति के लिए प्रार्थना करें।

(तदनन्तर सदन ने दो मिनट मौन खड़े रहकर दिवंगत को श्रद्धांजलि अर्पित की।)

अनुपस्थिति अनुमति

ललित कुमार, श्री, को दिनांक 27 फरवरी से 7 मार्च, 2017 तक

मुझे सदन को सूचित करना है कि श्री ललित कुमार, सदस्य, विधान सभा ने अपने विवाह के कारण दिनांक 27 फरवरी, 2017 से दिनांक 7 मार्च, 2017 तक सदन की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुमति चाही है। क्या

(श्री अध्यक्ष)
सदन की अनुमति है कि उन्हें सदन की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुमति प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

अनुमति प्रदान की गयी।

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है:-

1. श्रीमती सोना देवी, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र रायसिंहनगर के शहीद भगतसिंह कालेज की भूमि को बेचान करने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

उपरोक्त प्रस्ताव ऐसा नहीं है कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्यवाही को रोककर इस पर विचार किया जाय, अतः इस पर अनुमति देने में असमर्थ हूं।

2. श्री हनुमान बेनीवाल, सदस्य की ओर से जिला नागौर के मेलों में पारम्परिक तांगा दोड़ बंद किए जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।
3. श्रीमती शकुन्तला रावत, सदस्य की ओर से जिला अलवर के सरिस्का क्षेत्र में वन्य जीवों के शिकार मृतक लोगों को मुआवजा व परिवार के एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी दिए जाने के सम्बन्ध में।
4. श्री सुखराम विश्नोई, सदस्य की ओर से गौशालाओं को दिये जा रहे अनुदान नियमों में संशोधन किए जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।
5. श्री मनोज कुमार, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र सादुलपुर में ग्रामीणों द्वारा एन.एच. 65 पर बस स्टैण्ड को हटाने व सर्विस रोड बनाने की मांग को लेकर दिये जा रहे धरने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

उपरोक्त प्रस्ताव भी ऐसे नहीं हैं कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्यवाही को रोककर इन पर विचार किया जाये, अत: अनुमति देने में असमर्थ हूं। फिर भी माननीय सदस्य श्री हनुमान बेनीवाल, श्रीमती शकुन्तला रावत, श्री सुखराम विश्नोई एवं श्री मनोज कुमार को उनके प्रस्ताव की विषयवस्तु पर दो-दो मिनट बोलने की अनुमति होगी।

(श्री अध्यक्ष)

नियम 295 के अन्तर्गत प्राप्त विशेष उल्लेख की सूचनाएं

1. श्री रमेश, सदस्य की ओर से जिला करौली के उपखण्ड मण्डरायल में राजघाट पर चंबल नदी पर पुल बनाने हेतु वाइल्ड लाइफ एनओसी की कार्यवाही शीघ्र पूरी किए जाने के सम्बन्ध में।
2. श्री संदीप शर्मा, सदस्य की ओर से कोटा शहर में काफी लम्बे समय से बसी हुई आवासीय कालोनियों एवं कच्ची बस्तियों का सर्वे कराकर पट्टा जारी किये जाने के सम्बन्ध में।
3. श्री रतन लाल जलधारी, सदस्य की ओर से जिला सीकर में जयपुर रोड से बीकानेर रोड के बीच की दस किलोमीटर सड़क की फोरलेन निर्माण स्वीकृति के सम्बन्ध में।
4. श्री विजय सिंह चौधरी, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र नावां के कुचामन सिटी में वेटेरिनरी महाविद्यालय स्वीकृत किए जाने के सम्बन्ध में।
5. श्री शुभकरण चौधरी, सदस्य की ओर से प्रदेश में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में तारबंदी को भी शामिल किए जाने के सम्बन्ध में।
6. श्रीमती कामिनी जिन्दल, सदस्य की ओर से जिला श्रीगंगानगर में कार्कस प्लांट स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में।
7. श्री नंदकिशोर महरिया, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र फतेहपुर में सड़कों की हालत खराब होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।
8. श्री जगदीश नारायण, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ में देवनारायण आवासीय विद्यालय खोले जाने के सम्बन्ध में।
9. श्री फूलसिंह मीणा, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र उदयपुर ग्रामीण में यूआईटी पेराफेरी एरिया में रहने वाले निवासियों को पट्टे दिलाये जाने के सम्बन्ध में।
10. श्री नारायण सिंह देवल, सदस्य की ओर से मुख्यालय रानीवाड़ा पर स्थित हास्पिटल को सैटेलाइट हास्पिटल बनाये जाने की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

(श्री अध्यक्ष)

11. श्री भंवरसिंह, सदस्य की ओर से जिला बीकानेर की तहसील कोलायत की उपतहसील बज्जू में नवीन राजस्व तहसील व उपखण्ड अधिकारी कार्यालय खोलने के सम्बन्ध में।

12. श्री राजेन्द्र गुर्जर, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र देवली-उनियारा के बीसलपुर डूब क्षेत्र में स्थित सड़कों की मरम्मत व निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में।

माननीय सदस्यों को उनके द्वारा दी गयी सूचना को पढ़ने की अनुमति होगी।

पर्ची

आज दिनांक 27 फरवरी, 2017 को शून्यकाल में बोलने हेतु 29 पर्चियां प्राप्त हुई, जिनमें शलाका द्वारा 4 पर्चियां निकाली गई, जो निम्नांकित हैं:-

1.	डा. फूलचन्द भिण्डा	विधान सभा क्षेत्र विराटनगर में सरकारी उच्च माध्यमिक विद्यालय की कमी के सम्बन्ध में।
2.	श्री रामलाल शर्मा	चौमूं-महला सड़क के अधूरे कार्य पूर्ण कराने के सम्बन्ध में।
3.	श्री जोगाराम पटेल	जोधपुर को राजीव गांधी नहर से पेयजल उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।
4.	श्री कैलाश चौधरी	उपखण्ड मुख्यालय बायतू पर उपाधीक्षक कार्यालय और पंचायत समिति मुख्यालय, पाटोदी पर पुलिस थाना खोले जाने के सम्बन्ध में।

श्री घनश्याम (टोडाभीम): माननीय अध्यक्ष महोदय, एक मिनट।

श्री अध्यक्ष: हां, क्या कहना चाहते हैं? हनुमान जी, बैठिये। आप क्या कहना चाहते हैं?

श्री घनश्याम (टोडाभीम): अध्यक्ष महोदय, प्रदेश में एस.बी.सी. का आरक्षण जो समाप्त किया गया है उससे आज जगह-जगह गांवों में....

श्री अध्यक्ष: नहीं, बैठिये। अंकित नहीं होगा। अंकित नहीं होगा।

श्री घनश्याम (टोडाभीम): ×××

श्री अध्यक्ष: प्रक्रिया के अन्तर्गत आइये, अंकित नहीं होगा। प्रक्रिया के अन्तर्गत आइये।

श्री घनश्याम (टोडाभीम): ×××

श्री अध्यक्ष: प्रक्रिया के अन्तर्गत होता है। प्रक्रिया के अन्तर्गत आइये, अंकित नहीं होगा। नहीं, बिलकुल नहीं। श्री हनुमान बेनीवाल। आप चालू कीजिये। यह अंकित नहीं हो। अनुशासन तोड़ रहे हैं, अंकित नहीं हो। आप अनुशासन तोड़ रहे हैं। अंकित नहीं होगा। (व्यवधान)

श्री अरुण चतुर्वेदी (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): ×××

श्री अध्यक्ष: हां-हां, बहस हो जाएगी। अंकित नहीं होगा। आप सब अपने स्थान पर जाइये। (व्यवधान) अपने-अपने स्थान पर जाइये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): ×××

श्री घनश्याम (टोडाभीम): ×××

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): ×××

श्री अरुण चतुर्वेदी (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): ×××

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं हो। (व्यवधान)

श्री अरुण चतुर्वेदी (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): ×××

श्री अध्यक्ष: श्री हनुमान बेनीवाल।

श्री अरुण चतुर्वेदी (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): ×××

श्री घनश्याम (टोडाभीम): ×××

श्री अरुण चतुर्वेदी (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): ×××

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं होगा। अंकित नहीं करना है।

श्री घनश्याम (टोडाभीम): ×××

श्री अध्यक्ष: प्रतिपक्ष के नेता, आप इनको कंट्रोल कीजिये। बिना किसी प्रक्रिया के बोल रहे हैं। नहीं, यह नहीं चलेगा। बिना प्रक्रिया के, नियम के ये जब चाहें तब बोल लें यह फ्री फोर आल नहीं हैं, आप बिठाइये इनको। नहीं दूंगा मैं। बिठाइये इनको। आउट आफ कोर्स नहीं दूंगा मैं। इनकी आदत पड़ गई है डिस्टर्ब करने की। नो-नो-नो।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): अब बोल लूं क्या मैं? घनश्याम जी, बोल लूं?

श्री अध्यक्ष: पहले ही बात कर लेते तो आपको डिस्टर्ब तो नहीं करते ये।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

नागौर के मेलों में पारस्परिक तांगा दौड़

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): ये कर रहे हैं साहब। अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद दूंगा कि आपने राजस्थान के इतने महत्वपूर्ण और हमारे समाज के साथ-साथ किसानों की आस्था के प्रतीक लोक देवता वीर तेजाजी महाराज का जो मेला भादवा...

श्री अध्यक्ष: समय का ध्यान रखिये।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): उस पर ही आ रहा हूं मैं। उसके अन्दर जो खरनाल है वो मेरे विधान सभा क्षेत्र में आता है और वहां पर वीर तेजाजी महाराज का मेला भरता है जो किसानों की आस्था के प्रतीक थे। आज भी किसान जब खेती करने के लिए जाता है तो तेजाजी को निश्चित रूप से याद करता है। अध्यक्ष महोदय, उस मेले में लाखों लोग आते हैं और मेले में परम्परागत दौड़ होती है। पहले दिन नवमी को मूंदयाड़ के अन्दर गणेश जी का मेला भरता है और फिर दशमी को खरनाल के अन्दर भरता है। उसमें नगर परिषद नागौर, स्थानीय जन-प्रतिनिधि और मेला समिति उस दौड़ का आयोजन करते हैं। अध्यक्ष महोदय, लाखों की तादाद में लोग इस मेले में आते हैं लेकिन 2015 के अन्दर कुछ लोग हाई कोर्ट में चले गये और उन्होंने कहा कि जो वहां पर तांगा दौड़ होती है यह पशु क्रूरता है। इस पर हाई कोर्ट ने जीव जन्तु कल्याण बोर्ड और पशु क्रूरता निवारण समिति है उसको मामला सौंपकर इसकी जांच के आदेश दिये। अध्यक्ष महोदय, दो साल से जो हमारे परम्परागत मेले थे, जो हमारी आस्था के प्रतीक थे उनमें उस दौड़ को बैन कर दिया और उसके साथ-साथ मूंदयाड़ की जो दौड़ होती थी उस पर भी प्रतिबन्ध लगा दिया। इसके अलावा हमारी मुस्लिम आस्था के प्रतीक हमीर साहब के गांव से ही हम हैं जहां पर बाला पीर का भी बहुत बड़ा मेला भरता है और वहां से भी तांगा दौड़ नागौर के लिए आती थी। अध्यक्ष महोदय, हाई कोर्ट ने कोई निर्देश नहीं दिया कि दौड़ को बन्द करो और सिर्फ सरकार को सौंपा कि

(श्री हनुमान बेनीवाल)

सरकार इसकी जांच कराये कि यह पशु क्रूरता की श्रेणी में आता है या नहीं आता है। अध्यक्ष महोदय, इतना गम्भीर यह विषय है।

अध्यक्ष महोदय, अभी पिछले दिनों तमिलनाडु में वहां की सरकार एक अध्यादेश लेकर आयी और वहां का पारम्परिक खेल जलीकट्टू शुरू किया। कोर्ट ने स्टे किया लेकिन वहां की सरकार असेम्बली में अध्यादेश लेकर आई और आपके प्रधान मंत्री ने भी कहा कि जन-भावनाओं को आहत नहीं किया जा सकता। अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान की सरकार से मांग करता हूं कि इस बार सितम्बर के अन्दर जो मेला भरेगा उससे पहले-पहले आपने इस मामले में कोई निर्णय नहीं किया तो तमिलनाडु वाली स्थिति भी राजस्थान में होगी। अध्यक्ष महोदय, दौड़ तो होगी वहां पर और दौड़ रुकने वाली नहीं है।

श्री अध्यक्ष: विराजिये। बैठिये।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): लेकिन हम चाहते हैं कि राजस्थान की सरकार हमारी जन-भावनाओं को समझते हुए खरनाल के वीर तेजाजी महाराज के मेले की दौड़ को शुरू करवाये...

श्री अध्यक्ष: विराजिये। श्रीमती शकुन्तला रावत।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): बाला पीर के मेले की दौड़ को शुरू करवायें और रोल के मेले की दौड़ को शुरू करवायें। अध्यक्ष महोदय, मैं फिर आपके बीच में कहकर जा रहा हूं...

श्री अध्यक्ष: रिपीट हो चुका है।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): इस बार हम दौड़ करायेंगे और सरकार रोक नहीं पायेगी। या तो आप अध्यादेश लेकर आ जाएं नहीं तो तमिलनाडु वाली स्थिति इस राजस्थान के अन्दर होगी और हम तेजाजी महाराज की आस्था के साथ कुठाराघात नहीं होने देंगे।

श्री अध्यक्ष: हनुमान जी, आप बैठिये। (व्यवधान) आप बैठिये नहीं तो आइंदा मैं आपको इस तरह से समय नहीं दूंगा। (व्यवधान)

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): अध्यक्ष महोदय, एक मिनट जवाब तो दिलवा दो मंत्रीजी का।

श्री अध्यक्ष: नहीं, नहीं, कोई जवाब नहीं है।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): ये मंत्रीजी भी हमारे उसी इलाके से आते हैं। कम से कम तेजाजी के बारे में तो बता दो आप।

श्री अध्यक्ष: जवाब देने की जरूरत नहीं है, आप बैठिये। अंकित नहीं हो।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): ×××

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं हो। श्रीमती शकुन्तला रावत।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): ×××

श्री अध्यक्ष: नो-नो, कोई जवाब नहीं आयेगा। नहीं आयेगा, बैठिये। टाइम सीमित है, आप बैठ जाइये। यह क्या हुआ? आप बैठिये। मैं कह रहा हूं, देखिये, आप अनुशासन तोड़िये मत। (व्यवधान) इस पर क्या जवाब है? इसका क्या जवाब है? चलने दो। श्रीमती शकुन्तला रावत।

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रक्रिया के नियमों के नियम 50 के अन्तर्गत....

श्री अध्यक्ष: जवाब उसी को दिया जा सकता है जो अनुशासन में रहकर पूछे। आप आइंदा भी इस बात का ध्यान रखें।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): आपकी आज्ञा शिरोधार्य है अध्यक्ष महोदय।

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): मंत्रीजी को जवाब देना चाहिए। जो मामला है, उसमें मंत्रीजी जवाब देना चाहें तो मंत्रीजी जवाब दे दें।

श्री अध्यक्ष: प्रतिपक्ष के नेता, नहीं, मुझे बाध्य मत कीजिये। आप बैठिये। यह नहीं।

सरिस्का में मृतक के परिजनों को मुआवजा

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से नियम 50 के अन्तर्गत स्थगन प्रस्ताव पेश करना चाहती हूं। अलवर जिले में वन क्षेत्र सरिस्का पड़ता है। सरिस्का राजस्थान का ही नहीं, बल्कि भारत देश में भी वन्य जीवों के लिए जाना जाता है। यहां पर पैंथर, टाइगर देखने के लिए बहुत दूर-दूर से पर्यटक आते हैं। यह बहुत अच्छी बात है। लेकिन प्राचीन काल से ही इंसान और जानवरों का नाता रहा है। वर्तमान में वन क्षेत्र में बसे हुए लोगों का विस्थापन किया जा रहा है। उनको नाम मात्र का मुआवजा दिया जा रहा है। इसे बढ़ाये जाने की मांग करते हैं। साथ ही, ग्रामीणों को जो मूलभूत आवश्यकताएं मिलनी चाहिए, जो विस्थापित किये गये हैं, उनकी पूरी

(श्रीमती शकुन्तला रावत)

मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हुई है। उन्हें थ्री-फेस बिजली का कनेक्शन आदि ऐसे काम पैंडिंग चल रहे हैं। हाल ही में चार-पांच लोगों को पैंथर के द्वारा मार दिया गया है, कम से कम उनको 10-10 लाख रुपये मुआवजा दिया जाना चाहिए और उनके परिवार से एक-एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी दी जानी चाहिए। जिससे उन लोगों के परिवार का पालन-पोषण हो सके।

वहां एक प्रसिद्ध मंदिर है पांडुपोल हनुमानजी का वहां पर शनिवार के दिन लोकल, स्थानीय व्यक्ति जाते हैं, उनकी भी अब वर्तमान में फीस निर्धारित कर दी गई है। उसे हटाया जाना चाहिए।

वन क्षेत्र के जो जंगली पशु हैं, अध्यक्ष महोदय, यह मैटर बार-बार उठाया जाता है। मेरे वहां कम से कम 20-30 पंचायतें ऐसी हैं जो वन क्षेत्र से लगती हैं। पूरी फसल को जंगली सूअर और रोज आकर नष्ट कर देते हैं। इसके लिए भी सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहती हूं।

श्री अध्यक्ष: विराजिये। विराजिये। श्री सुखराम विश्नोई।

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): ये जवाब दे रहे हैं। मंत्रीजी जवाब दे रहे हैं। खड़े हो गये हैं मंत्रीजी, साहब।

श्री अध्यक्ष: जवाब आना जरूरी नहीं है।

डा. जसवन्त सिंह यादव (श्रम एवं नियोजन मंत्री): मंत्रीजी, मेरा एक सुझाव है। वो शकुन्तलाजी के लिए एक पिंजरा वहीं बना दो ना।

श्री गजेन्द्रसिंह (वन एवं पर्यावरण मंत्री): अध्यक्ष महोदय, पैंथर या बाघ से कोई भी डेथ हो जाती है, उसमें दो लाख रुपये का मुआवजा नियमानुसार सरकार को देना पड़ता है। इस बार ही हमारे सरिस्का फाउण्डेशन से अलग से दो लाख रुपये हमने देकर उसको चार लाख रुपये कर दिये हैं। हम पेमेंट कर भी चुके हैं। इसके अलावा जो मृतक हैं, या तो खुद या उनके बच्चे जो 10वीं पास हैं, उनको नेचर गाइड की ट्रेनिंग देकर, हम उनको ईको-ट्यूरिज्म के मार्फत इन्वाल्व करेंगे।

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): नौकरी दे देते उनको। आप यह बोल देते।

श्री अध्यक्ष: श्री सुखराम विश्नोई।

गौशाला अनुदान नियमों में संशोधन

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी मार्फत मंत्रीजी से जानना चाहूंगा। गाय की बात करके सत्ता में आये। पिछले 70 साल से गाय-गाय, गाय हमारी माता है, गाय-गाय करते हुए आये। इन्होंने 23 नवम्बर, 2016 को एक नया कानून बनाया गौशालाओं के लिए कि 200 से कम गायें जिन गौशालाओं में होंगी, उनको हम अनुदान नहीं देंगे। इसके साथ ही पिछली कांग्रेस सरकार ने नौ महीने का अनुदान देना, यह इसी में संलग्न है। देने का वादा किया था, उसको हटा दिया और हटाकर केवल मात्र यह जनवरी, 2017 से मार्च, 2017 तक दो किस्तों में देना तय किया गया है। माननीय अध्यक्षजी, आपके मार्फत मैं जानना चाहूंगा, जो बीमार गायें हैं, जो लंगड़ी गायें हैं, उनके लिए आजीवन, मतलब साल भर के अनुदान की पिछली सरकार ने घोषणा की थी। इन्होंने भी सुराज संकल्प यात्रा में घोषणा की थी। उस अनुदान को बंद कर दिया। इसके साथ ही एक नई लाइन और जोड़ दी कि 31 दिसम्बर, 2014 से पूर्व का रजिस्ट्रेशन जिस गौशाला का होगा, उसी गौशाला को अनुदान मिलेगा। माननीय अध्यक्षजी, मेरा आपसे निवेदन है कि अकाल की स्थिति पश्चिमी राजस्थान में बनी हुई है और गौ-धन बड़ी मुश्किल से बचा हुआ है, बचा ही नहीं है, बहुत कम बचा हुआ है तो माननीय अध्यक्षजी, आपकी मार्फत सरकार से, मंत्रीजी से जानना चाहेंगे कि 200 की मान्यता हटाई जाये और जो 2016 की मान्यता है, वह भी हटाई जाये। आज की जो स्थिति है, आज जो गौशालाएं चल रही हैं, उनको अनुदान दिया जाये। जो बीमार गौ-वंश है, उनको पूरा 12 महीने का अनुदान दिया जाये।

मेरा निवेदन है माननीय अध्यक्षजी, मेरे विधान सभा क्षेत्र में एशिया की, दुनिया की सबसे बड़ी गौशाला है और उस गौशाला को अनुदान नहीं मिल रहा है। माननीय अध्यक्षजी, आप भी हमारे वहां से एम.पी. रहे हुए हैं और आप स्थिति को जानते हैं।

श्री अध्यक्ष: विराजिये। बैठिये। अब और नहीं। आप बैठिये।

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): मेरा आपसे निवेदन है कि कम से कम इसको, यह जो गायों का मामला है, इनका जवाब दिलायें और पोजिटिव जवाब दिलायें।

श्री अध्यक्ष: मैंने अभी-अभी कहा है कि अगर आपको जवाब चाहिए तो आप भी सीमा में रहिये। आ जायेगा। तीन मिनट का समय है। नहीं नहीं, तीन मिनट की सीमा है।

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): हम सीमा में ही तो रहे। आपके कहते ही बैठ गये हम तो।

श्री अध्यक्ष: देंगे जवाब, मंत्रीजी जवाब देंगे। तीन मिनट की सीमा है।

श्री अजय सिंह (सहकारिता मंत्री): माननीय अध्यक्षजी, अभी नियम 50 के तहत जो स्थगन प्रस्ताव माननीय सदस्य ने लगाया है, उसके बारे में आपने बताया है कि नियमों में संशोधन किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में। पहले तो मैं आपको स्पष्ट करना चाहूंगा कि नियम पहले बने हुए नहीं थे। नियम प्रथम बार वर्तमान भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बनाये हैं और मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा कि वर्तमान सरकार गौ-वंश के संरक्षण और संवर्द्धन के लिए कटिबद्ध है। माननीय अध्यक्षजी... (व्यवधान) माननीय सदस्य, सुन तो लो मुझे आप। (व्यवधान)

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): अभी तो मंत्रीजी ने जवाब देना शुरू किया है। क्यों टेबल बजा रहे हो आप? क्यों ताली बजा रहे हो आप? (व्यवधान)

श्री अजय सिंह (सहकारिता मंत्री): माननीय अध्यक्षजी, प्रदेश में कुल गौ-वंश 6.68 लाख है, उसमें से वर्तमान में हम 5.59 लाख गौ-वंश को अनुदान दे रहे हैं। केवल 15 प्रतिशत है, उनको नहीं मिल पा रहा है। मैं माननीय सदस्य को और बताना चाहूंगा कि अनुदान जब आपने दिया था, आपकी सरकार ने दिया था तो उसमें सोसायटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत जो गौशालाएं पंजीकृत थीं, उनको आपने किसी तरह का अनुदान नहीं दिया। आपने उनको अनुदान की शर्तों में शामिल नहीं किया। हमने उनको भी शामिल कर लिया है। माननीय अध्यक्षजी...

श्री अध्यक्ष: शोर्ट कीजिये। जवाब शोर्ट कीजिये। यह गम्भीर बात है।

श्री अजय सिंह (सहकारिता मंत्री): इसके बारे में मैं बताऊं माननीय अध्यक्षजी,...

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): नंदी का क्या हुआ? नंदी भूखे बैठे हुए हैं आपके। आपके नंदी।

श्री अजय सिंह (सहकारिता मंत्री): ऐसा है, आपके जालौर जिले के अन्दर महावीर गौशाला नंदी गौशाला है। उनको 98 लाख रुपये हमने अनुदान स्वीकृत कर दिया है और 60 दिनों का अनुदान जारी कर दिया गया है। माननीय अध्यक्षजी, सरकार यह चाहती है कि गौशालाओं के लिए अच्छे

(श्री अजय सिंह)

नियम बनें, नीति बने और अच्छे तरीके से चले। हमारी गौशालाएं आदर्श गौशालाएं बनें। हमारी गौशालाएं आत्मनिर्भर बनें। मैं आपको अवगत कराना चाहूंगा कि इसके बारे में माननीय उच्च न्यायालय ने भी एक केस के सम्बन्ध में कुछ दिशा-निर्देश दिये हैं। मैं एक-दो लाइन पढ़ रहा हूं। "राज्य सरकार से अपेक्षा की जाती है कि निम्न बिन्दुओं पर गौर करे और सारभूत एवं महत्वपूर्ण कदम उठायें ताकि राजस्थान की समस्त गौशालाओं का संचालन सही रूप से हो सके एवं गौशालाओं का विकास हो सके।" हम इसी दिशा के अन्दर बढ़ रहे हैं और माननीय अध्यक्षजी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि अभी 1,148 गौशालाएं पंजीकृत एवं पात्र हैं जिनको हम अनुदान देंगे। 71.24 करोड़ रुपये हमने स्वीकृत कर दिये हैं।

श्री अध्यक्ष: बैठिये बैठिये। जवाब आ गया। श्री मनोज कुमार। इसमें विस्तृत बहस नहीं।

सादुलपुर में सर्विस रोड की मांग

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र में और माननीय पंचायती राज मंत्रीजी के विधान सभा क्षेत्र में एक एनएच-65 पिछले तीन वर्ष से कैंसर के रूप में हमारे बीच में खड़ा है जिसको लम्बे अर्से से सरकार बनाने में नाकाम रही लेकिन अब भी उसका काम चल रहा है और उसी काम में मेरे विधान सभा क्षेत्र का ग्राम गोठ्यां बड़ी जो राजगढ़ से हिसार रोड जाने वाली सीमा पर अंतिम गांव है। गांव के किनारे पर ओवरब्रिज बना है और ओवरब्रिज के नीचे से रास्ता है, उस रास्ते के दोनों ओर सर्विस लाइन बनाने की आवश्यकता थी। गांव का निकास पूर्णत: बंद हो जायेगा, इसलिए ग्रामवासी वहां उस सर्विस लाइन बनाने के लिए और गांव का बस स्टैण्ड जिसको हरियाणा बोर्डर की तरफ ले जा रहे हैं, जोकि गांव की सीमा में है। वैसे ही गांव हरियाणा सीमा पर होने के कारण वहां बैंक लुटेरे और डकैत हमारे यहां प्रवेश करते रहते हैं और हमारा बस स्टैण्ड अगर हरियाणा सीमा पर चला जायेगा तो हमारे लोगों का जीना दूभर हो जायेगा। हमारे ग्रामीण लोग पिछले पांच-सात दिन से धरने पर बैठे हैं। मैं माननीय मंत्री महोदय से कहना चाहता हूं और पंचायती राज मंत्री महोदय से भी सिफारिश करना चाहता हूं कि आपकी विधान सभा क्षेत्र से भी जुड़ा हुआ मामला है इसलिए आप हमारे ग्राम गोठ्यां बड़ी के लोगों को, वहां का बस

(श्री मनोज कुमार)

स्टैण्ड उसी स्थान पर रखा जाये और सर्विस लाइन रोड बनाकर हमारे ग्रामीणों का जो आंदोलन चल रहा है, उसको आश्वस्त करें और हमारी राजगढ़ की जनता के हित में आप आज इस सदन में अपना वक्तव्य देकर हमें संतुष्ट करें और मैं राजगढ़ के लोगों को संतुष्ट कर पाऊं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं चाहता हूं कि हमारा बस स्टैण्ड वही रहे और सर्विस लाइन रोड का निर्माण हो।

श्री भंवरसिंह (कोलायत): माननीय अध्यक्ष महोदय, पाइंट आफ आर्डर।

श्री अध्यक्ष: कोई रेस्पोंस नहीं है। इसमें क्या पाइंट आफ आर्डर है।

श्री भंवरसिंह (कोलायत): अध्यक्ष महोदय, गम्भीर मुद्दा है। मैं पाइंट आफ आर्डर के तहत अपनी बात रखना चाहूंगा।

श्री अध्यक्ष: नहीं नहीं, पाइंट आफ आर्डर के तहत मुद्दे नहीं उठाये जा सकते हैं।

श्री भंवरसिंह (कोलायत): जानकारी है माननीय अध्यक्ष महोदय। बीकानेर शहर से जुड़ा हुआ तात्कालिक विषय है उस पर मैं एक मिनट का समय चाहूंगा।

श्री अध्यक्ष: बहुत विषय हैं। नहीं-नहीं। ऐसे नहीं।

श्री भंवरसिंह (कोलायत): माननीय अध्यक्ष महोदय, कृपया अनुमति दें।

श्री अध्यक्ष: भंवर सिंह जी, मैं कह रहा हूं कि जानकारी का यह समय नहीं है।

श्री भंवरसिंह (कोलायत): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि बीकानेर शहर में जो विद्युत आपूर्ति है उसको एक...

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं हो।

श्री भंवरसिंह (कोलायत): ×××

श्री अध्यक्ष: आप बैठिये। आप बिना प्रक्रिया के आये हैं मैं अलाउ नहीं करूंगा। अंकित नहीं होगा। बिना प्रक्रिया के आये हैं आप।

श्री भंवरसिंह (कोलायत): ×××

श्री अध्यक्ष: नहीं दूंगा। प्रक्रिया तय है। हर बार हर कोई, इसकी अनुमति दे दो। नियम 295 के अन्तर्गत। श्री रमेश।

नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख

मण्डरायल में राजघाट पर चम्बल नदी पर पुल निर्माण

श्री रमेश (सपोटरा): माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख के माध्यम से निवेदन है कि जिला करौली के उपखण्ड के समीप राजघाट स्थान पर चम्बल नदी पर पुल बनाने की हमारी मांग पर राज्य सरकार ने पुल बनाने की घोषणा की थी। इस सम्बन्ध में मध्य प्रदेश सरकार से भी बातचीत लम्बे समय तक चली एवं तत्पश्चात सहमति बनी और मध्य प्रदेश सरकार ने पुल निर्माण की घोषणा की। मध्य प्रदेश सरकार ने इस हेतु कदम बढ़ाते हुए वाइल्ड लाइफ की एनओसी भी प्राप्त कर ली है। राज्य सरकार ने बजट घोषणा के अनुसार पुल निर्माण की डीपीआर बनाकर केन्द्र सरकार को भेज दी है। डीपीआर केन्द्र सरकार को प्राप्त होने के बाद ही केन्द्रीय मंत्री श्री नितिन गडकरी ने राजस्थान सरकार के तीन वर्ष पूरे होने पर आयोजित समारोह में पुल निर्माण के लिए 200 करोड़ रुपये देने की घोषणा की है। स्वयं सार्वजनिक निर्माण मंत्री भी वहां उपस्थित थे एवं वे इस पुल के महत्व को अच्छी तरह समझ भी चुके हैं। मध्य प्रदेश सरकार को पर्यावरणीय स्वीकृति मिलने के बाद भी वह पुल के निर्माण को लेकर गम्भीर नहीं है। जबकि वर्तमान स्थिति यह है कि यह कार्य केन्द्र सरकार की कार्यकारी एजेन्सी के माध्यम से किया जाना प्रस्तावित है और केन्द्र सरकार की कार्यकारी एजेन्सी को वाइल्ड लाइफ एनओसी लेना आवश्यक है जो अभी तक ली नहीं गई है। यदि केन्द्रीय एजेन्सी इसका प्रयास भी करेगी तो लम्बा समय लगने की संभावना है। ऐसी स्थिति में मेरा आपके माध्यम से सार्वजनिक निर्माण मंत्री से अनुरोध है कि वह मध्य प्रदेश सरकार को प्राप्त वाइल्ड लाइफ एनओसी के आधार पर केन्द्रीय एजेन्सी को एनओसी दिलाने की कार्यवाही शीघ्र पूरा करने हेतु आवश्यक कदम उठाये। इससे एनओसी प्राप्त करने में समय भी कम लगेगा और पुल निर्माण का कार्य शीघ्र प्रारम्भ हो सकेगा।

अतः मेरा आपके माध्यम से सार्वजनिक निर्माण मंत्री महोदय से अनुरोध है कि वाइल्ड लाइफ एनओसी सहित सभी औपचारिकताओं को समयबद्ध कार्यक्रम बनाकर पुल का निर्माण कार्य शीघ्र प्रारम्भ कराने के प्रयास करायें।

माननीय मंत्री महोदय से मैं जानना चाहूंगा कि इसमें देंगे क्या? थोड़ा सा प्लीज, मंत्रीजी।

श्री अध्यक्ष: श्री संदीप शर्मा।

श्री रमेश (सपोटरा): बता तो दें क्या पोजिशन है।

श्री अध्यक्ष: देखिये इसका जवाब आना जरूरी नहीं है।

श्री रमेश (सपोटरा): मंत्रीजी से जवाब दिलवा दें। हर बार हम प्रयास कर रहे हैं तीन साल हो गये, साहब। सरकार ने घोषणा की है। भरतपुर संभाग में घोषणा की है।

श्री अध्यक्ष: रमेश जी, बैठिये। हर समय आप इस तरह दुराग्रह करते हो।

श्री अशोक (हिण्डौली): अभी करौली में जो समारोह हुआ उसमें 200 करोड़ की केन्द्रीय मिनिस्टर ने घोषणा की है। मंत्रीजी से जवाब दिलवा दें मैं तो इतना सा निवेदन कर रहा हूं आपसे।

श्री अध्यक्ष: नहीं। नहीं देना चाहें तो नहीं देना चाहें। बैठिये। श्री संदीप शर्मा।

कोटा में आवासीय व कच्ची बस्तियों के पट्टे

श्री संदीप शर्मा (कोटा दक्षिण): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख के द्वारा राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित कर निवेदन करना चाहता हूं कि कोटा शहर में कुछ आवासीय कालोनियां एवं कुछ कच्ची बस्तियां हैं जो काफी लम्बे समय से बसी हुई हैं। इन बस्तियों में बड़ी संख्या में पक्के मकान बन चुके हैं तथा इन बस्तियों में राज्य सरकार द्वारा बिजली, पानी एवं अन्य मूलभूत सुविधाएं भी उपलब्ध करवाई जा रही हैं, लेकिन इन बस्तियों के निवासियों को अभी तक अपने मकानों के पट्टे जारी नहीं किये गये हैं। जिन बस्तियों में पूर्ववर्ती सरकार ने पट्टे बांटे वहां अभी भी बड़ी संख्या में लोग पट्टों से वंचित हैं। पूर्ववर्ती सरकार ने पट्टे जारी करने में निष्पक्ष होकर कार्य नहीं किया फलस्वरूप इन लोगों को अपने मकानों का पट्टा जारी होने का जो सपना था वो अभी तक पूरा नहीं हो पाया है। पट्टा जारी नहीं हो पाने से इन लोगों के मकानों की न तो रजिस्ट्री हो सकती है ना ही इन्हें मकान बनाने के लिए बैंकों से ऋण मिल सकता है। दो जून की रोटी के लिये संघर्ष करने वाले इन बस्तियों में रहने वाले लोग यदि मेहनत करके अपना कच्चा मकान पक्का करना चाहें तो वो भी सम्भव नहीं है क्योंकि इन बस्तियों के पट्टे जारी नहीं हो पाने से बैंक इन्हें मकान बनाने के लिए ऋण नहीं देती है। राज्य सरकार द्वारा पूर्व में

(श्री संदीप शर्मा)

अपंजीकृत दस्तावेजों के आधार पर पट्टे जारी करने के आदेश जारी किये थे लेकिन अभी भी कई लोगों के पट्टे नहीं बन पाये हैं।

कोटा शहर में कच्ची बस्तियों का जो सर्वे हुआ था उसमें कई गरीब लोगों का जानकारी के अभाव में सर्वे नहीं हो पाया। इस कारण न तो इन लोगों का पुनर्वास हो पाया, न ही इनके मकानों का पट्टा जारी हो सका। माननीय अध्यक्ष महोदय, अगर सही तरीके से सर्वे किया जाये तो अकेले कोटा शहर में ही हजारों ऐसे परिवार हैं जिनका न तो सर्वे हुआ और न ही उनको पट्टा जारी हो पाया।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र के संतोषी नगर, हनुमान बस्ती, सिदपुरा, गोबरिया बावड़ी, किशोरपुरा, केशवपुरा सेक्टर 6 और 7, बालाकुण्ड, जवाहर नगर, अनन्तपुरा, विज्ञान नगर, दुर्गा बस्ती, संजय नगर, श्याम नगर, साजीदेहड़ा, बरड़ा बस्ती, गांधी नगर और कोटा शहर में ही रंगबाड़ी, वीर सावरकर, आंवली, रोजड़ी नयागांव, प्रेम नगर, बालिता, कुन्हाड़ी, नयाखेड़ा, बड़गांव, बोरखेड़ा, रंगतालाब, काला तालाब, सोगरिया, डडवाडा ऐसी कई बस्तियां एवं कालोनियां हैं जिनमें हजारों मकानों के पट्टे जारी होना अभी शेष हैं। यहां एक बात उल्लेखनीय है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र के शिवपुरा, हनुमान बस्ती, किशोरपुरा, बरडा बस्ती को घड़ियाल अभयारण्य या वन विभाग की सीमा में होने के कारण लोगों को पट्टे जारी नहीं किये जा रहे हैं जबकि सच्चाई यह है कि ये बस्तियां पूरी तरह से घड़ियाल अभयारण्य या वन सीमा में नहीं हैं। इन बस्तियों का कुछ भाग ही वन या घड़ियाल अभयारण्य की सीमा में है बाकी एक बड़ा भाग घड़ियाल अभयारण्य और वन सीमा से बाहर है।

अतः इस बात की पुनः विवेचना होनी चाहिए और बस्तियों का जो भाग घड़ियाल अभयारण्य या वन्य सीमा से बाहर है उस भाग में पट्टे जारी किये जाने चाहिए। बस्ती के ये लोग जब अपने मकानों के पट्टे बनवाने के लिए नगर विकास न्यास या नगर निगम जाते हैं तो वहां के अधिकारियों द्वारा यह बताकर इन लोगों को लौटा दिया जाता है कि सरकार ने पट्टे बनाने पर रोक लगा रखी है। इसके साथ ही कृषि भूमि पर बसी हुई कालोनियों के भी पट्टे जारी नहीं हो पा रहे हैं, कई बस्तियों के ले आउट प्लान अभी तक पास नहीं हो पाये हैं। कृषि भूमि पर बिना ले आउट प्लान किये कालोनियां काटी

(श्री संदीप शर्मा)

जा रही हैं जिसको देखते हुए कृषि भूमि पर बसी हुई कालोनियों का सुओमोटो सर्वे करा कर ले आउट पास करवाया जाये क्योंकि कई कालोनाइजर प्लानिंग बेच कर जा चुके हैं। जिससे ले आउट स्वीकृत करवाना सम्भव नहीं हो पाता और राजस्व का काफी नुकसान होता है।

विधान सभा क्षेत्र कोटा दक्षिण के सैक्टर 6 एवं 7 में स्थित मकान जिन्हें साजीदेहड़ा बाढ़ प्रभावित क्षेत्र से पुनर्वासित कर बसाया गया था इन मकानों की रजिस्ट्री भी हो चुकी है लेकिन इन मकानों की विक्रय स्वीकृति जारी नहीं हो पा रही है। नगर निगम द्वारा स्टेट ग्रान्ट एक्ट के पट्टे नहीं दिये जा रहे हैं। नगर विकास न्यास, कोटा द्वारा एलआईजी एवं ईडब्ल्यूएस के जो आवास आबंटित किये गये थे उसके उपभोक्ता बकाया राशि जमा करवाना चाह रहे हैं लेकिन उनकी राशि जमा नहीं की जा रही है। समस्या केवल यहां तक ही सीमित नहीं है, कोटा में कृषि भूमि पर बसी कालोनियों के पट्टा जारी करने की प्रक्रिया को काफी जटिल कर दिया गया है। इकरारनामे को मुद्रांकित करवाकर ही पट्टे जारी किये जा रहे हैं जिससे लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। यदि राज्य सरकार इन कच्ची बस्तियों का पुन: सर्वे करवा कर नियमानुसार लोगों को पट्टा जारी करे तो राज्य सरकार को करोड़ों का राजस्व प्राप्त होगा और इन बस्तियों में रहने वाले गरीब लोगों के खुद के घर का सपना सच हो सकेगा।

अत: मेरा आपके माध्यम से नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन मंत्री जी से निवेदन है कि कोटा शहर की इन बस्तियों का पुन: सर्वे करवाया जाये तथा जो परिवार पट्टे से वंचित हैं, पुनर्वास से वंचित हैं उनको शिविर लगाकर पट्टा दिया जाये साथ ही कृषि भूमि पर पट्टा जारी करने की प्रक्रिया का सरलीकरण किया जाये।

(12.39 बजे)

(श्री राव राजेन्द्र सिंह, उपाध्यक्ष, पदासीन)

यदि माननीय मंत्रीजी, इस विषय में बताना चाहें तो उनकी कृपा होगी।

श्री उपाध्यक्ष: श्री रतन लाल जलधारी। You don't have to…

श्री संदीप शर्मा (कोटा दक्षिण): वे बताना चाह रहे हैं, साहब।

श्री उपाध्यक्ष: He is not supposed to.

सीकर में फोर लेन निर्माण की स्वीकृति

श्री रतन लाल जलधारी (सीकर): उपाध्यक्ष महोदय, प्रक्रिया एवं नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख के माध्यम से सीकर जिला मुख्यालय पर रिंग रोड को पूरा किये जाने के सम्बन्ध में निवेदन करना चाहूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन सम्बन्धी नियमावली के नियम 295 के तहत मैं मेरे विधान सभा क्षेत्र सीकर की आम जनता को हो रही परेशानी से सम्बन्धित अत्यन्त लोक महत्व के विषय की ओर राज्य सरकार एवं सार्वजनिक निर्माण मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करते हुए निवेदन करता हूं कि सीकर जिला मुख्यालय के चारों ओर फोरलेन सड़क बनी हुई है परन्तु जयपुर रोड से बीकानेर रोड के बीच का कुछ हिस्सा फोरलेन होना बाकी है। पूर्व में सरकार द्वारा रिंग रोड को पूरा किये जाने हेतु सर्वे भी कराया गया था परन्तु उसके आगे की कार्यवाही अधर में रह गई और जनता को होने वाली परेशानी दूर नहीं हो पाई।

इस विशेष उल्लेख प्रस्ताव के जरिये मैं सार्वजनिक निर्माण मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि जयपुर रोड पर रामू का बास तिराहे से दासा की ढाणी, हरदयालपुरा, कुडली होते हुए फतेहपुर रोड पर सबलपुरा, जगमालपुरा, भैंरूपुरा, भादवासी होते हुए भडाढर तक दस किलोमीटर की फोरलेन सड़क अगर बन जाती है तो जयपुर रोड से आने वाले वाहनों को आवागमन में सुविधा होगी, बगैर किसी भीड़ भाड़ वाले आबादी क्षेत्र में प्रवेश किये आम जन का सुगमतापूर्वक आना जाना सम्भव हो सकेगा। अभी वर्तमान में नवलगढ़ पुलिया होते हुए बीकानेर रोड पर जाना पड़ रहा है, जहां पर ट्रैफिक का अत्यधिक दबाव है, दुर्घटनाएं होने का अंदेशा सदैव बना रहता है। मात्र दस किलोमीटर का टुकड़ा यदि फोरलेन से जोड़ दिया जाता है तो सरकार पर कोई विशेष आर्थिक भार भी नहीं पड़ने वाला है और आम जनता को बेहतर आवागमन का रास्ता उपलब्ध हो सकेगा।

मेरा राज्य के इस सर्वोच्च सदन के माध्यम से सरकार और सार्वजनिक निर्माण मंत्रीजी से विनम्र निवेदन है कि सीकर शहर के चारों ओर रिंग रोड की पूर्णता हो सके इसके लिये बकाया दस किलोमीटर के टुकड़े पर फोरलेन सड़क निर्माण की मंजूरी आज ही दिलवाकर सीकर जिले की जनता को तोहफा दें, धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: श्री विजय सिंह चौधरी, श्री विजय सिंह चौधरी (अनुपस्थित) श्री शुभकरण चौधरी।

प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में तारबंदी

श्री शुभकरण चौधरी (उदयपुरवाटी): उपाध्यक्ष महोदय, विधान सभा कार्य संचालन के नियम 295 के तहत समस्त राजस्थान के किसानों की फसलों को बर्बाद करने वाले आवारा पशुओं को रोकने के लिये प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (PMKSY) बंदी को शामिल करने के सम्बन्ध में आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय, उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि समस्त राजस्थान के अधिकांश लोग खेती का कार्य करते हैं, खेती ही इनके जीवन-यापन का एकमात्र साधन है। यहां के छोटी जोत वाले किसानों के खेतों में लगातार आवारा पशु घूम रहे हैं, जो फसलों को काफी नुकसान पहुंचा रहे हैं। इन गरीब किसानों के पास इतनी आमदनी नहीं है कि ये अपने खेत के चारों ओर तारबंदी कर सकें। एक गरीब किसान के पास दो वक्त की रोटी का साधन खेती के सिवाय कुछ नहीं है अगर वो ही छिन जायेगी तो इनके खेती करने का क्या फायदा। बड़ा दुर्भाग्य है कि किसानों की फसलों का इससे बड़ा नुकसान कोई कर नहीं सकता।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगा कि एक गरीब किसान आवारा पशुओं के द्वारा किये जा रहे नुकसान से काफी परेशान है। अत: सरकार द्वारा चलाई जा रही प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (PMKSY) में जमीन समतलीकरण, फार्म पौण्ड, फलदार पौधे लगाना, पशुओं हेतु कैटल शेड, वार्मिंग कम्पोस्ट इत्यादि कार्य कराये जा रहे हैं और इन कार्यों हेतु किसानों को अनुदान दिया जा रहा है। मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि अगर इस योजना में तारबंदी को भी शामिल किया जाये तो किसानों की फसलों की बर्बादी व आवारा पशुओं को खेतों में आने से रोका जा सकता है। मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि सरकार किसानों के हित में उक्त योजना में तारबंदी को शामिल करने हेतु उचित कदम उठायेगी। हाल ही में सरकार ने बिजली बिल पर छूट देकर व बिजली सम्बन्धी ऐतिहासिक किसान हितैषी पैकेज की घोषणा कर किसानों को बहुत बड़ी राहत प्रदान की है किन्तु अब किसान की फसलों को आवारा पशुओं से बचाना भी बहुत जरूरी है। अत: किसान की कृषि के हित में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (PMKSY) में तारबंदी को शामिल किया जाकर किसानों की फसलों को आवारा पशुओं से बचाकर सरकार उन पर एक उपकार और करे, धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: श्री कामिनी जिन्दल।

गंगानगर में कारकस प्लांट

श्रीमती कामिनी जिन्दल (गंगानगर): उपाध्यक्ष महोदय, विधान सभा संचालन एवं प्रक्रिया के नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख के माध्यम से निवेदन करना चाहूंगी कि श्रीगंगानगर शहर का लगातार विस्तार एवं बसावट क्षेत्र बढ़ता जा रहा है। श्रीगंगानगर में गत दशक में लगभग सौ से अधिक नई कालोनियां विकसित हुई हैं, जहां सैकड़ों, हजारों की तादाद में मकान बने हुए हैं। श्रीगंगानगर में सोलिड वेस्ट निस्तारण, बरसाती पानी निकासी और मृत पशुओं के निस्तारण पर भी कार्य करने की आवश्यकता है इसके बिना सम्पूर्ण स्वच्छता की बात करना बेमानी होगा। श्रीगंगानगर में सोलिड वेस्ट प्लांट के लिये उपलब्ध स्थान राजरकबा (राजकीय भूमि) को इस हेतु आबंटन की समस्त औपचारिकताएं पूर्ण हो चुकी हैं परन्तु अभी आगे कोई प्रगति नहीं हुई है।

इसी प्रकार मृत पशुओं का निस्तारण सम्पूर्ण राज्य की नगर परिषद/नगरपालिकाओं हेतु गले की फांस बन चुका है। श्रीगंगानगर में हालात और भी भयावह हो चुके हैं यहां 6 जैड स्थित हड्डा रोडी अब आवासीय क्षेत्र में आ चुकी है। हड्डा रोडी से फैली गंदगी और बदबू से परेशान होकर समीपस्थ कालोनीवासी जिला प्रशासन के समक्ष कई बार गुहार लगा चुके हैं। श्रीगंगानगर से हड्डा रोडी के स्थानान्तरण की मांग को लेकर आमजन लगातार आंदोलनरत है।

हड्डा रोडी पर मंडराने वाले कुत्ते हिंसक होकर आसपास के निवासियों पर हमला कर रहे हैं। गत दिवस एक मासूम को हिंसक कुत्तों ने नोच-नोच कर काट खाया जिससे उसकी दर्दनाक मौत हो गई। बदबू और कुत्तों से आतंकित होकर कालोनीवासी हड्डा रोडी को अन्यत्र स्थानान्तरण करने बाबत न्यायालय की शरण में जा चुके हैं।

नगर परिषद श्रीगंगानगर क्षेत्र में स्थित हड्डा रोडी भारत सरकार के स्वच्छ भारत अभियान की धज्जियां उड़ा रही हैं। सरकार द्वारा स्वच्छ भारत मिशन/अमृत योजना इत्यादि में शहरों को विकसित, साफ सुथरा बनाने के लिये करोड़ों रुपये बजट का प्रावधान रखा जा रहा है परन्तु मृत पशुओं के निस्तारण के लिये सरकार गम्भीर दिखाई नहीं देती।

महोदय, नगर परिषद अधिनियम में स्पष्ट प्रावधान है कि मृत पशुओं

(श्रीमती कामिनी जिन्दल)

के निस्तारण का सम्पूर्ण उत्तरदायित्व राज्य सरकार का है। भारत सरकार के नीति आयोग ने भी नेशनल लाइवस्टाक मिशन (एनएलएम) के तहत मृत पशुओं का निस्तारण अनिवार्य करते हुए इस हेतु लगाये जाने वाले कारकस प्लांट पर 2.20 करोड़ तक की सब्सिडी का प्रावधान रखा है।

मृत पशुओं के निस्तारण के लिये कारकस प्लांट स्वीकृत करने पर सम्बन्धित नगर परिषद की न केवल नियमित आय प्रारम्भ हो जायेगी वरन् इसके लैदर इंडस्ट्री और रोजगार की व्यापक संभावनाओं के साथ-साथ साफ सफाई और सुरक्षा भी सुनिश्चित होगी।

श्रीगंगानगर नगर परिषद में कारकस प्लांट स्वीकृत करने से पूरे श्रीगंगानगर जिले में मृत पशुओं के निस्तारण की समस्या का स्थाई समाधान हो सकता है। कारकस प्लांट के लिये कई कंपनियों ने प्रस्ताव भी नगर परिषद एवं सक्षम स्तर पर दिये हैं परन्तु विभागीय उदासीनता के चलते इन पर कोई विचार नहीं हो रहा है।

अतः मृत पशुओं के निस्तारण हेतु श्रीगंगानगर में कारकस प्लांट स्वीकृत करने हेतु विशेष उल्लेख प्रस्ताव करती हूं, धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: श्री नन्दकिशोर महरिया।

फतेहपुर में सड़कों की जर्जर स्थिति

श्री नन्दकिशोर महरिया (फतेहपुर): उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली के नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख द्वारा प्रदेश में सड़कों की स्थिति के सम्बन्ध में सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, वर्तमान में प्रदेश में सड़कों की स्थिति बेहद खराब है। मेरे क्षेत्र फतेहपुर में तो सड़कों की स्थिति तो बहुत ही खराब है। बारह वर्ष पहले से घोषित क्षेत्र से निकलने वाली एनएच 65 का काम अभी तक पूरा नहीं हुआ है। तीन साल पहले घोषित हुए एनएच 11 का कार्य दूर-दूर तक दिखाई नहीं दे रहा है। पिछली केन्द्रीय सरकार ने उक्त हाईवे की घोषणा की थी। लगभग तीन वर्ष हो गये अभी तक कार्य प्रारमभ ही नहीं हुआ, आखिर पूरा तो कब होगा इसका पता नहीं है। मिसिंग लिंक सड़कों की हालत खराब पड़ी है। फतेहपुर शहर की प्रमुख सड़कें पूरी तरह से टूटी पड़ी हैं। कस्बे के मुख्य मार्ग दो जांटी बालाजी मंदिर से कोतवाली तिराहे तक सड़क पूरी तरह से टूटी पड़ी है।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप वही पढ़ें जो आपने हमें भेजा है। Exactly the same.

श्री नन्दकिशोर महरिया (फतेहपुर): माननीय सार्वजनिक निर्माण मंत्री जी ने करीब सवा वर्ष पहले फतेहपुर के एक कार्यक्रम में यह सड़क बनाने की घोषणा की थी लेकिन पानी निकासी की योजना साथ नहीं बनाने के कारण इस सड़क का कोई औचित्य नहीं होगा क्योंकि पानी भराव के कारण फिर से सड़क टूट जाती है। ऐसे में सरकार के करोड़ों रुपये बर्बाद हो चुके हैं। अभी तक उस सड़क के लिये कोई रूपरेखा ही नहीं बनी, ऐसे में सड़क का बनना तो सिर्फ एक सपना सा लग रहा है। फतेहपुर से मंडावा के बीच सड़क पूरी तरह से टूट चुकी है। वहां तो ऐसे हालात हैं कि इतने खड्डे हैं कि सड़क नजर ही नहीं आती है। दो से तीन फीट के गड्डे सड़क पर बने हुए हैं। पिछली केन्द्रीय सरकार ने इस सड़क को नेशनल हाईवे नंबर 11 बनाने के लिये स्वीकृति दे दी थी। यह सड़क दिल्ली से बीकानेर को जोड़ने वाली सड़क है। इस सड़क से रोज सैंकड़ों विदेशी सैलानी व अन्य लोग गुजरते हैं। ऐसे में वाहन चालकों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। टूटी सड़कों के कारण आये दिन हादसे हो रहे हैं। पेचवर्क व रिपेयरिंग का कार्य भी ढंग से नहीं हो पाया और जो हुआ है वह तुरन्त ही उखड़ गया था...

उपाध्यक्ष महोदय, पेचवर्क व रिपेयरिंग का कार्य भी ढंग से नहीं हो रहा है कुछ ही दिनों में पेचवर्क वापस उखड़ जाता है। आपने पास्ट टेंस, प्रजेंट टेंस दोनों को गड़बड़ा दिया।

उपाध्यक्ष महोदय, सड़कों के राष्ट्रीय औसत से आज भी प्रदेश बहुत पीछे है। टोल सड़कों की स्थिति भी सही नहीं है, कोई सड़क टूटी हुई है तो कहीं पर सड़क पूरी बनने से पहले ही टोल वसूली शुरू कर दी जाती है। सड़कों पर आवारा पशुओं की भी बड़ी समस्या है। आवारा पशुओं की वजह से आये दिन हादसे होते रहते हैं, इससे जान माल का नुकसान होता है। प्रदेश सरकार ने गांवों में गौरव पथ बनाने का फैसला किया, लेकिन पंचायत मुख्यालय पर गौरवपथ बनाने में गौरवपथ को दरकिनार किया गया। जहां कम जरूरत थी, वहां पर पहले गौरवपथ बना व जहां ज्यादा जरूरत थी, वहां पर अभी तक गौरवपथ नहीं बन पाया। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करता हूं कि मेरे क्षेत्र सहित प्रदेश में सड़कों की व्यवस्था को जल्द सही करें।

श्री उपाध्यक्ष: इसको शुद्धीकरण के साथ आप समावेश कर लें। श्री जगदीश नारायण।

जमवारामगढ़ में देवनारायण आवासीय विद्यालय की स्थापना

श्री जगदीश नारायण (जमवारामगढ़): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 295 के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ में देवनारायण आवासीय विद्यालय खोलने के सम्बन्ध में प्रस्ताव प्रस्तुत कर निवेदन है कि विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ आदिवासियों हेतु आरक्षित है। परन्तु विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ में विशेष पिछड़ा वर्ग की गुर्जर जाति का भी बाहुल्य है। विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ में सामरेड कलां, खुर्द, घाटी घनश्यामपुरा, गोपालगढ़, धौला, बहलोड, चौमुक, रामपुरा, धावपुरा, मूण्डला, लाली, इन्द्रगढ़, पाली, कोल्याण, घाटा, जलधारी, बासना, चिलपली, निम्बी, आरवाडी, खराना आदि गुर्जर बाहुल्य ग्राम/ग्राम पंचायतें हैं। इन ग्राम/ग्राम पंचायतों में गुणात्मक शिक्षण संस्थाओं का अभाव एवं आवासीय शिक्षण संस्थाओं का अभाव होने के कारण जयपुर के नजदीक होते हुए भी विशेष पिछड़ा वर्ग की साक्षरता अपेक्षानुरूप नहीं है। छात्रों में ड्राप आउट अधिक पाया जाता है। इस वस्तु स्थिति को मद्देनजर रखते हुए विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ में गुणात्मक शिक्षा एवं उच्च शिक्षा की सुनिश्चितता के लिए नवीन देवनारायण आवासीय विद्यालय की आवश्यकता है। इस सम्बन्ध में क्षेत्रवासियों की मांग एवं 50 बीघा से अधिक भूमि की उपलब्धता के आधार पर मेरे विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ में देवनारायण आवासीय विद्यालय खोला जाना उचित होगा ताकि विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ के गुर्जर बाहुल्य क्षेत्र में गुणात्मक शिक्षण संस्थान की स्थापना हो सके।

अतः इस अत्यन्त ही महत्वपूर्ण एवं जनहित के मुद्दे पर मैं सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री महोदय से पुरजोर शब्दों में मांग करता हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ में देवनारायण आवासीय विद्यालय खोलने की कृपा करें।

श्री उपाध्यक्ष: श्री फूलसिंह मीणा।

उदयपुर ग्रामीण में यूआईटी पैरिफेरी निवासियों को पट्टे

श्री फूलसिंह मीणा (उदयपुर ग्रामीण): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख प्रस्ताव मेरे विधान सभा क्षेत्र उदयपुर ग्रामीण में यूआईटी पैरिफेरी एरिया में पट्टे दिलाने के सम्बन्ध में।

(श्री फूलसिंह मीणा)

महोदय, उपरोक्त विषय में निवेदन है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र उदयपुर (ग्रामीण) में पैरिफेरी एरिया के आस-पास कई वर्षों से लोग रह रहे हैं। यह लोग खेती-मजदूरी से अपने घर का गुजारा कर रहे हैं। श्रीमान जिला कलक्टर महोदय ने कहा, सरकार का एक आदेश आया कि इनका सर्वे करवाकर पट्टा दे दिया जाए। तब हमारी अनेक पंचायतों के जनप्रतिनिधियों ने मिलकर गूगल मैप सहित सर्वे करवाकर फाइलें कम्पलीट करवाईं और जब सब ओके हो गया कि अब पट्टा देने वाले हैं, तब कलक्टर साहब ने मना कर दिया कि अब सरकार का आदेश आने पर ही पट्टा दिया जाएगा।

वर्षों से बंजारा व अन्य गरीब परिवारों को रोड पर निवास करने वाले परिवारों को पक्के मकान बनवाकर, बिलिया में 160 परिवारों को बसाकर इस सरकार ने अनोखी पहल की है, उसके लिए सरकार धन्यवाद की पात्र है, साथ ही मेरा सरकार से यह निवेदन है कि इन पैराफेरी एरिया में बसने वाले परिवारों को जल्द से जल्द शिविर लगवाकर मकान का पट्टा दिलवाने का आदेश फरमावें। जिससे हमने जो चुनावों में वादा किया था, वह पूरा हो सके एवं सरकार की योजना सबको आवास एवं स्वच्छ भारत मिशन पूर्ण हो सके। सादर।

श्री उपाध्यक्ष: श्री नारायण सिंह देवल।

रानीवाड़ा में सैटेलाइट हास्पिटल की स्वीकृति

श्री नारायण सिंह देवल (रानीवाड़ा): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके मार्फत राजस्थान विधान सभा प्रक्रिया के नियम 295 के तहत सरकार का ध्यान आकर्षित करते हुए निवेदन करना चाहता हूं कि रानीवाड़ा कस्बा जालौर जिले में गुजरात और सिरोही बार्डर पर बसा हुआ है। विधान सभा और उपखण्ड मुख्यालय है। रानीवाड़ा कस्बा जिला जालौर मुख्यालय से करीब 100 किमी दूर है।

रानीवाड़ा मुख्यालय पर वर्तमान में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र स्वीकृत है। जहां प्राथमिक स्तरीय चिकित्सा सुविधा उपलब्ध हो जाती है। गहन चिकित्सा सुविधा उपलब्ध नहीं होने से सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र रानीवाड़ा में आने वाला मरीज रैफर किए जाने की स्थिति में जिला मुख्यालय की तरफ न जाकर पड़ौसी राज्य की ओर जाता है, जहां उसको निजी चिकित्सालयों के भरोसे अपना इलाज करवाना पड़ता है।

(श्री नारायण सिंह देवल)

रानीवाड़ा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पर दुर्घटना से ग्रसित होने वाले मरीजों की संख्या अधिकांशत: अधिक है, जिसमें आने वाले मरीजों को राहत प्रदान किए जाने का मुख्य साधन सैटेलाइट अस्पताल है।

रानीवाड़ा विधान सभा मुख्यालय पर सैटेलाइट हास्पिटल की स्वीकृति किये जाने से इसका लाभ रानीवाड़ा सहित उपखण्ड भीनमाल, सांचौर के साथ ही पड़ौसी जिला जिसकी सीमा 50 किमी एवं पड़ोसी राज्य सीमा 40 किमी पर निवास कर रहे आमजन को मिलेगा और उनको निजी चिकित्सालयों के बड़े बिलों से छुटकारा मिलेगा।

रानीवाड़ा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र का औसतन आउटडोर 250 प्रतिदिन एवं इनडोर 15 मरीजों का है।

अत: निवेदन है कि आमजन के हितार्थ रानीवाड़ा विधान सभा मुख्यालय पर स्थित हास्पिटल को सैटेलाइट हास्पिटल बनाये जाने की स्वीकृति प्रदान करावें।

श्री उपाध्यक्ष: श्री भंवर सिंह भाटी।

बीकानेर (बज्जू) में नवीन राजस्व तहसील व उपखण्ड अधिकारी कार्यालय की स्थापना

श्री भंवरसिंह (कोलायत): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, श्री कोलायत तहसील की उप तहसील बज्जू में राजस्व तहसील व उपखण्ड कार्यालय खोलने के सम्बन्ध में, राजस्थान विधान सभा में प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 295 के अन्तर्गत निवेदन है कि बीकानेर जिला राज्य का सीमान्त जिला है एवं इस सीमान्त जिले की सबसे बड़ी तहसील है, श्री कोलायत। इस तहसील की एक छोर जैसलमेर जिले की सीमा पर व एक छोर जोधपुर जिले की सीमा पर है। वर्तमान में श्री कोलायत तहसील के क्षेत्राधिकार में 245 राजस्व ग्राम आते हैं जबकि जिले की अन्य तहसीलों में, बीकानेर तहसील में 125 राजस्व ग्राम हैं। खाजुवाला तहसील में 139 राजस्व ग्राम हैं। लूणकरणसर तहसील में 180 राजस्व ग्राम हैं। नोखा तहसील में 145 राजस्व ग्राम हैं व श्री डूंगरगढ़ तहसील में 98 राजस्व ग्राम हैं। श्री कोलायत तहसील वर्तमान में क्षेत्रफल व जनसंख्या की दृष्टि से बीकानेर जिले की सबसे बड़ी तहसील है। इस तहसील का कुल क्षेत्रफल 797174 हैक्टेयर है। इस तहसील के 118 राजस्व ग्राम इन्दिरा गांधी नहर परियोजना के क्षेत्र में आते हैं अर्थात

(श्री भंवरसिंह)

उक्त क्षेत्र में दो फसली रकबा काश्त होता है। श्री कोलायत तहसील के अन्तर्गत आने वाले तहसील के अंतिम ग्रामों की तहसील मुख्यालय से दूरी 140 किमी है। इस प्रकार इतनी लम्बी दूरी वाली राज्य में अन्य कोई तहसील नहीं है। दिनांक 31-08-2015 से पूर्व उक्त तहसील क्षेत्र में उपनिवेशन विभाग की तीन तहसीलें कार्यरत थीं, परन्तु उक्त दिनांक को उक्त तीनों उपनिवेशन तहसीलों का राजस्व में विलय कर दिया गया। उक्त तीनों तहसीलों का सम्पूर्ण कार्यभार राजस्व तहसील कोलायत के क्षेत्राधिकार में आ गया। उपनिवेशन विभाग की इस क्षेत्र की तहसीलों में 75 पटवारियों व 21 भू.अभिलेख निरीक्षकों व 3 तहसीलदारों, 4 नायब तहसीलदारों व तीन तहसील

(13.00 बजे)

राजस्व लेखाकारों सहित मंत्रालयिक कार्मिकों व दो आबंटन अधिकारियों के पद स्वीकृत थे जिस कारण क्षेत्र के आमजन का कार्य सुचारू रूप से होता था परन्तु उपनिवेशन विभाग की इन तहसीलों का राजस्व में विलय होने के पश्चात उक्त क्षेत्र में एक तहसीलदार व दो नायब तहसीलदार व एक उपखण्ड अधिकारी का पद व 53 पद पटवारियों, 12 भू अभिलेख निरीक्षकों, एक तहसील राजस्व लेखाकार का स्वीकृत है, जिसमें से 27 पद पटवारी, 4 पद भू अभिलेख निरीक्षक के रिक्त चल रहे हैं। इतने बड़े क्षेत्राधिकार वाली राज्य में अन्य कोई तहसील नहीं है जिसमें तहसीलदार व उपखण्ड अधिकारी का क्षेत्राधिकार 150x150 किमी. की परिधि में आता हो। उक्त क्षेत्र जब उपनिवेशन विभाग के क्षेत्राधिकार में था तो विभाग में दो आबंटन अधिकारियों के पद स्वीकृत थे व कोलायत में उपखण्ड अधिकारी का पद भी था। इस प्रकार क्षेत्र में उपखण्ड स्तर के तीन प्रशासनिक अधिकारी कार्यरत थे परन्तु उपनिवेशन विभाग का राजस्व में विलय होने के बाद क्षेत्र में एक पद उपखण्ड अधिकारी का रह गया और दो पद आबंटन अधिकारी के समाप्त कर दिए गए जिससे क्षेत्र के आमजन का कार्य सही व सुचारु नहीं हो रहा है। अत: क्षेत्र के क्षेत्रफल, जनसंख्या, कृषि क्षेत्र को देखते हुए व क्षेत्र के आमजन की आवश्यकताओं को मद्देनजर रखते हुए बज्जू में उपखण्ड अधिकारी कार्यालय का सृजन नितांत आवश्यक है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि क्षेत्रफल के हिसाब से यह दो राजस्व तहसीलों के मानदण्ड (Norms) पूरे करता है।

(श्री भंवरसिंह)

अगर राज्य सरकार बज्जू स्थित उप तहसील को पूर्ण राजस्व तहसील का दर्जा देती है तो राज्य सरकार को बज्जू में न तो तहसील हेतु भवन बनाने की, न ही उपखण्ड कार्यालय हेतु भवन बनाने की, व न ही तहसील व उपखण्ड कार्यालय में कार्यरत कार्मिकों हेतु आवासीय कालोनी बनाने की आवश्यकता होगी क्योंकि उपनिवेशन विभाग का तहसील भवन, आबंटन अधिकारी कार्यालय व कार्मिकों की आवासीय कालोनी बनी हुई है और आज दिनांक तक सही स्थिति में है।

इस क्षेत्र की उपनिवेशन तहसील कोलायत नं 1, 2, 3 का राजस्व में विलय करने से पूर्व उक्त क्षेत्र के आमजन के समस्त प्रकार के कार्य राज्य सरकार के आदेशांक 11(3) उप/2006 पार्ट जयपुर दिनांक 08 जुलाई, 2015 से बंद कर दिए गए थे और इसी आदेश के चलते क्षेत्र के आमजन के कार्य आज दिनांक तक सुचारु रूप से शुरू नहीं हो पाए हैं जिससे क्षेत्र के हर किसान को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

कार्य न होने का दूसरा बड़ा कारण कार्मिकों के पद रिक्त होना है। तहसील मुख्यालय की दूरी अधिक होना है।

अत: अगर राज्य सरकार उक्त क्षेत्र की उप तहसील बज्जू को क्रमोन्नत कर पूर्ण राजस्व तहसील का दर्जा देती है तो भी राज्य सरकार को किसी भी पद पर अतिरिक्त व्यय नहीं करना पड़ेगा और आमजन को राहत भी मिल जाएगी।

अत: इस क्षेत्र की महती आवश्यकताओं को मद्देनजर रखते हुए इसी बजट सत्र में बज्जू में नवीन राजस्व तहसील व उपखण्ड अधिकारी कार्यालय खोलने की घोषणा कर क्षेत्र के आमजन को राहत प्रदान करावें। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: श्री राजेन्द्र गुर्जर।

देवली-उनियारा सड़कों की मरम्मत

श्री राजेन्द्र गुर्जर (देवली-उनियारा): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम 295 के अन्तर्गत निवेदन है कि देवली-उनियारा विधान सभा क्षेत्र के बीसलपुर डूब क्षेत्र में नासिरदा, रतनपुरा, हिसामपुर, डाबरकला, मालेडा, थावला एवं बीजवाड़ सहित कुल 7 ग्राम पंचायतें स्थित हैं। उक्त सातों ग्राम पंचायतों में 21 राजस्व ग्राम 18 गैर आबाद ग्राम एवं सैकड़ों ढाणियां आती हैं। इन ग्राम पंचायतों में निवास करने वाली

(श्री राजेन्द्र गुर्जर)

जनसंख्या क्रमशः नासिरदा में 7809, हिसामपुर में 4583, मालेडा में 4634, डाबरकला में 3700, बीजवाड़ में 3860, थावलां में 6456 एवं रतनपुरा में 4000 व्यक्ति के हिसाब से इस क्षेत्र की कुल जनसंख्या 35000 व्यक्ति है। ये सभी ग्राम पंचायतें देवली मुख्यालय से 50 किमी. की दूरी पर स्थित है। इन ग्राम पंचायतों में आवागमन के लिए सड़कों का अभाव होना ग्रामीणों के लिए एक महत्वपूर्ण समस्या बनी हुई है।

बीसलपुर परियोजना के अन्तर्गत जल संसाधन विभाग द्वारा बीसलपुर बांध के निर्माण के समय में डूब क्षेत्र की ग्राम पंचायतों में डामरीकरण सड़कों का निर्माण करवाया गया था। इन सड़कों का निर्माण हुए लगभग 15-16 साल बीत चुके हैं। तब से लेकर आज तक ना तो इन सड़कों की मरम्मत का कार्य हो पाया है और ना ही कोई नई सड़क स्वीकृत हुई हैं। ये सड़कें रख-रखाव के अभाव में पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हो चुकी हैं। इन सड़कों पर बड़े-बड़े गहरे गड्ढे हो चुके हैं जिसके कारण आये दिन दुर्घटनाएं हो रही है और ग्रामीणों को जान-माल की हानि हो रही है। इस प्रकार बीसलपुर डूब क्षेत्र के लोगों के लिए ये क्षतिग्रस्त सड़कें जन जीवन को प्रभावित करने वाली एक महत्वपूर्ण समस्या बन गई है। बीसलपुर परियोजना द्वारा इन सड़कों के रख रखाव हेतु बजट प्रावधान नहीं होने का हवाला दिया जाता है किन्तु आमजन का तो जनजीवन प्रभावित हो रहा है। यदि बीसलपुर परियोजना के अन्तर्गत निर्मित इन सड़कों को जल संसाधन विभाग से सार्वजनिक निर्माण विभाग को हैण्ड ओवर कर दिया जाये तो सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा इन सड़कों के रख रखाव का कार्य स्वीकृत करना सम्भव हो सकेगा।

अतः मैं इस प्रस्ताव के माध्यम से अनुरोध करता हूं कि उक्त आधारभूत सुविधाओं को पूर्ण करवाने की कृपा करें। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्षः पर्ची के माध्यम से उठाये जाने वाले विषय, डा. फूलचन्द भिण्डा।

पर्ची के माध्यम से उठाये गये मुद्दे

विराटनगर में सरकारी उच्च माध्यमिक विद्यालय

डा. फूलचन्द भिण्डा (विराटनगर): माननीय उपाध्यक्ष जी, वर्ष 2015 में वर्तमान सरकार ने एक ऐतिहासिक निर्णय किया था कि सभी ग्राम

(डा. फूलचन्द भिण्डा)

पंचायतों में सीनियर स्कूल शिक्षा की व्यवस्था की जाएगी और ऐतिहासिक रूप में पांच हजार स्कूल एक साथ खोली थीं लेकिन उस समय 882 ऐसी ग्राम पंचायतें रह गई थीं जहां प्राइवेट शिक्षा थी। प्राइवेट स्कूल लेकिन वहीं होती है जहां जनसंख्या ज्यादा होती है और वहां गरीबों की संख्या भी ज्यादा होती है, इस कारण से 882 ग्राम पंचायतें ऐसी रह गई थीं। उसके बाद सरकार ने एक ऐतिहासिक निर्णय फिर किया और पंचायतों का पुनर्गठन करके एक हजार के लगभग नई पंचायतों बनीं लेकिन 704 पंचायतें ऐसी थीं जिनमें सैकण्डरी स्कूल, सीनियर हायर सैकण्डरी स्कूल नहीं थी।

मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहता हूं कि जो बड़े गांव है, जहां गरीब लोग रहते हैं उनको नजदीक या दूर के स्थानों पर उच्च शिक्षा के लिए सरकारी स्कूल में जाना पड़ता है। मैं आपसे मेरे क्षेत्र का निवेदन करूं, लगभग 13 पंचायतें ऐसी हैं जिनमें सीनियर हायर सैकण्डरी स्कूल नहीं है। एक साथ छह पंचायतें लगातार हैं जहां सैकण्डरी स्कूल नहीं है, सीनियर हायर सैकण्डरी स्कूल नहीं है। सुदूर क्षेत्र कारौली है, पाचूडाला है, करोड़ी है, मण्डा है, प्रेमनगर है, वीर तेजाजी नगर है, जवानपुरा, भामोद है। इसी प्रकार से पालड़ी है, रामपुरा है, ढाणी गेसकान है, जयसिंहपुरा है, नाथावाला है, पापड़ा है, इस प्रकार की 13 स्कूल ऐसी हैं जो सीनियर हायर सैकण्डरी नहीं हैं।

इसके अलावा तीन पंचायतें ऐसी हैं जिनमें सैकण्डरी स्कूल भी नहीं है। जो नई पंचायतें बनी हैं केरली, वीर तेजाजी और प्रेमनगर। इसी प्रकार से एक सैकण्डरी स्कूल ऐसी है जिसकी आबादी दस हजार है लेकिन लडकियों का स्कूल 37 वर्ष से नहीं है। एक बार माननीय तत्कालीन शिक्षा मंत्री कालीचरण जी सराफ भी गए थे मेढ़ में, यह घोषणा भी करके आए थे लेकिन आज तक 13 वर्ष के बाद भी वह सैकण्डरी स्कूल सीनियर हायर सैकण्डरी नहीं हुआ। यह जो 13 पंचायतें हैं, इनमें से 3 को छोड़कर 10 पंचायतें ऐसी हैं जिनमें 90 परसेंट जनसंख्या एस. टी., एस.सी. और ओबीसी की है। इस कारण से मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि जितनी वंचित पंचायतें हैं उनमें सीनियर हायर सैकण्डरी इसी सत्र से खोला जाए।

इसके अलावा 14 पंचायतें ऐसी हैं जिनमें सीनियर हायर सैकण्डरी स्कूल तो है लेकिन विज्ञान विषय नहीं है। विज्ञान विषय एक में भी नहीं है। विज्ञान के हम स्टार्टअप, कौशल विकास विश्वविद्यालय, ऐसी स्थापना कर रहे

(डा. फूलचन्द भिण्डा)

हैं लेकिन विज्ञान और वाणिज्य विषय नहीं है। कम्प्यूटर की शिक्षा, विशेष शिक्षा, कम्प्यूटर अनिवार्य तो है जिसमें थोड़ा बटन दबाना आ जाता है लेकिन वास्तव में जो कम्प्यूटर का ज्ञान होना चाहिए उसके कारण वाणिज्य, विज्ञान और कला, तीनों संकायों में कम्प्यूटर विषय खोला जा सकता है।

इस कारण आपके माध्यम से यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि इस प्रकार की स्थिति बने, राजनोता बहुत बड़ा गांव है, 10 हजार की आबादी है। भाकरी बड़ा गांव है, बड़नगर है, बीलवाड़ी है, भाबरु है, प्रागपुरा, ये सब 8 हजार की आबादी के बड़े गांव हैं, जिनमें निश्चित तौर पर विज्ञान विषय खोला जाना चाहिये। एक विषय, सारे जितने स्कूल हैं, उनमें से एक जो दस हजार की आबादी के बड़े गांव हैं, उनको छोड़ दीजिये, तीन को, उनके अलावा विज्ञान विषय है ही नहीं। इस कारण से विज्ञान विषय खोला जाये। जैसे जाजनकला जहां केवल विज्ञान विषय है, कला विषय नहीं है। इस प्रकार की विसंगतियां कई स्थानों पर हैं। गरीबों के बच्चे हैं। मेरा विराटनगर विधान सभा क्षेत्र गरीब क्षेत्र है। विशेष पिछड़ा वर्ग बहुल क्षेत्र है। इस कारण से मैं आपके माध्यम से विशेष आग्रह करना चाहता हूं कि इसी सत्र से यह इतनी बड़ी मात्रा में जो वंचित ग्राम पंचायतें हैं, उनमें सीनियर हायर सैकण्डरी स्कूल खोले जाएं। जो मेढ़ का 37 साल से सीनियर हायर सैकण्डरी बनने से वंचित है बालिका विद्यालय, उसको भी इस साल क्रमोन्नत किया जाये। आपके माध्यम से यही निवेदन है।

श्री उपाध्यक्ष: जवाब दें।

श्री वासुदेव देवनानी (राज्य मंत्री, शिक्षा): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह तो शिक्षा क्षेत्र का एक अभूतपूर्व निर्णय था कि आजादी के बाद से केवल 4400 सीनियर हायर सैकण्डरी स्कूल थे, एक साथ पांच हजार नये सीनियर हायर सैकण्डरी स्कूल क्रमोन्नत करके हर ग्राम पंचायत में कम से कम 12वीं तक पढ़ने की व्यवस्था हो, यह माननीय मुख्य मंत्रीजी ने घोषणा की। मैं समझता हूं कि यह ऐतिहासिक घोषणा और ऐतिहासिक जो निर्णय हुए हैं, अब उसके अन्दर इनके अकेले विधान सभा क्षेत्र के अन्दर 2008 से लेकर 2013 तक केवल दो ही स्कूल क्रमोन्नत हुए, जबकि पिछले तीन वर्षों में हमने 12 स्कूलों को क्रमोन्नत किया है। इसीलिये इन सारे स्कूलों को क्रमोन्नत करते हुए आगे भी हमारे...

श्री उपाध्यक्ष: मंत्री महोदय, इनके 13 हुए हैं, 12 नहीं हुए, 13 हुए हैं।

श्री वासुदेव देवनानी (राज्य मंत्री, शिक्षा): एक एक्स्ट्रा हो गया होगा। पड़ौसी हैं आप। तो 13 इनके क्रमोन्नत हुए, अभी जो इनकी अपेक्षाएं हैं।

श्री उपाध्यक्ष: 13 के 13 विज्ञान में हुए थे, उसमें से कितने रखे और कितने वापस लौटाये, यह भी।

श्री वासुदेव देवनानी (राज्य मंत्री, शिक्षा): यह पूछेंगे। इन्होंने कई जगह कैंसिल करवाये। हमने कर दिये। अब मेरा इसमें निवेदन इतना है कि जहां पर भी 12वीं के पढ़ने की व्यवस्था नहीं है, जो नई ग्राम पंचायतें बनीं, उनको हम चरणबद्ध रूप से क्रमोन्नत कर रहे हैं। 2020 तक एक भी ग्राम पंचायत ऐसी नहीं रहेगी, जहां पर 12वीं के पढ़ने की व्यवस्था न हो।

डा. फूलचन्द भिण्डा (विराटनगर): माननीय उपाध्यक्षजी, मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि 2020 तक कौन इंतजार करेगा। पांच साल तो वैसे निकल गये। वे विद्यार्थी तो वंचित रह जाएंगे। सैकण्डरी स्कूल का भी कीजिये। जहां न प्राइवेट है, न गवर्नमेंट है। आपके माध्यम से यह तो करवाइये।

श्री बाबू सिंह (शेरगढ़): आप 2020 तक मंत्री रहेंगे?

डा. फूलचन्द भिण्डा (विराटनगर): जहां प्राइवेट स्कूल नहीं हैं, वहां तो करवा दें कम से कम। यह कह रहे हैं, जहां प्राइवेट स्कूल है, वहां नहीं किया है। जबकि उस वक्त आश्वासन यह था सदन में कि उसमें यह चरणबद्ध तरीके से आगे करेंगे लेकिन इतने साल थोड़ी लगेंगे।

श्री उपाध्यक्ष: आप मंत्रीजी का जवाब चाहते हैं?

डा. फूलचन्द भिण्डा (विराटनगर): हां।

श्री उपाध्यक्ष: विराजिये।

श्री वासुदेव देवनानी (राज्य मंत्री, शिक्षा): इनको, मैं समझता हूं शिक्षाविद् हैं। इनको जानकारी होगी कि जहां पर प्राइमरी स्कूल होगा, पहले वह अपर प्राइमरी बनेगा और जहां पर अपर प्राइमरी होगा, पहले सैकण्डरी बनेगा। जहां सैकण्डरी होगा, वहां सीनियर सैकण्डरी बनेगा। तो चरणबद्ध रूप से क्रमशः हमने शुरूआत कर दी है, जो प्राइमरी थे, उनको अपर प्राइमरी बना दिया। जहां अपर प्राइमरी थे, उनको सैकण्डरी बना दिया। तो धीरे-धीरे वह अंत में सैकण्डरी से सीनियर हायर सैकण्डरी बनेगा, वह तारीख मैंने बताई है।

डा. फूलचन्द भिण्डा (विराटनगर): मंत्रीजी, तीन नहीं बने, प्रेमनगर, वीर तेजाजी और केराली। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: सम्माननीय सदस्य, आप मंत्रीजी का जवाब तो आने दीजिये। आप यही चाहते हैं ना। दो जवाब चाहते हैं ना कि जो मौजूदा ग्राम पंचायतें हैं, जहां बारहवीं की व्यवस्था नहीं है, जहां दसवीं की है, वह बारहवीं कब होगी और जो नवीन बनी हैं तो वह चरणबद्ध हो जाएंगी। अब यह जवाब और दे दीजिये कि जो पहले से पंचायतें बनी हुई हैं, जहां दसवीं की व्यवस्था है, वहां बारहवीं की व्यवस्था आप करेंगे या नहीं करेंगे। करेंगे तो कब तक करेंगे? यही चाह रहे हैं ना, तो विराज जाइये। (व्यवधान)

डा. जसवन्त सिंह यादव (श्रम एवं नियोजन मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, यह अपने लिये पूछा है क्या, या आपका कहीं इशारा अपने विधान सभा क्षेत्र के लिये है?

श्री वासुदेव देवनानी (राज्य मंत्री, शिक्षा): सरकार का पहला सोच है कि कम से कम 12वीं तक पढ़ने की व्यवस्था सारी ग्राम पंचायतों में हो जाए। अब जो नई बनी हैं उनको छोड़ करके सब जगह 12वीं के पढ़ने की व्यवस्था है। केवल इनमें, जो 703 नई बनी हैं, वहां धीरे-धीरे हम लोग कर रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष: श्री रामलाल शर्मा।

चौमूं-महला सड़क के अपूर्ण कार्य

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, विगत सरकार के समय चौमूं से लेकर महला तक 81.2 किलोमीटर लम्बाई की सड़क को पी.पी.पी. मोड के ऊपर दिया गया। इसमें 134.20 करोड़ रुपये की राशि का प्रावधान रखा गया। इसके कार्य की शुरूआत जून, 2012 के अन्दर की गई। इस कम्पनी को दिसम्बर, 2013 तक पूरा काम करना था। दिसम्बर, 2013 निकल गया, दिसम्बर, 2014 निकल गया; दिसम्बर, 2015 निकल गया, दिसम्बर, 2016 निकल गया। अब दिसम्बर, 2017 का इंतजार है, लेकिन अभी तक भी इस कम्पनी ने 81.2 किलोमीटर की सड़क का कार्य पूरा नहीं किया। बीच में माननीय मंत्री महोदय से फुलेरा से आने वाले माननीय सदस्य और मैं, हम दोनों मिले थे। इस 81.2 किलोमीटर के बीच-बीच में जो टुकड़े छोड़ रखे थे, उपाध्यक्ष महोदय, कई साधन तीव्र गति से आते, उनको इस बात का ज्ञान नहीं था कि आगे फिर 500 मीटर, एक किलोमीटर के टुकड़े की खराब रोड है। कई दुर्घटनाएं भी इस रोड के ऊपर घटित हुईं। कई लोगों की मौतें भी

(श्री रामलाल शर्मा)

इस सड़क के ऊपर हुई। मैं मंत्रीजी को इस बात के लिये तो धन्यवाद दूंगा कि बीच के जो टुकड़े छूटे हुए थे, उनको तो पूरे मजबूत तरीके से कम्पनी वालों को बुलाकर उनसे मीटिंग करके इन्होंने कम्पलीट कराया। लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, अभी भी चार किलोमीटर का बाई-पास का एक टुकड़ा है, वह पूरा का पूरा अधूरा पड़ा हुआ है और लगभग 60 किलोमीटर के ऊपर बी.सी. करना अभी भी बाकी है।

उपाध्यक्ष महोदय, इतना ही नहीं, कई कस्बे ऐसे हैं कि जिनका ड्रेनेज सिस्टम नहीं बनने की वजह से, नालियां नहीं बनने की वजह से सारा का सारा पानी सड़क के ऊपर होता है। कई जगह सड़कें वापस टूट चुकी हैं। उन टूटी हुई सड़कों के ऊपर दुर्घटनाएं होना अभी भी लगातार जारी है। मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी से आग्रह करुंगा कि इस कम्पनी को बुलाकर, या तो ब्लैक लिस्ट करके या दूसरी कम्पनियों को ठेका देकर या डिपार्टमेंट के माध्यम से चार किलोमीटर का जो टुकड़ा शेष रहा है, वह हाड़ौता से स्टार्ट होकर टांकाहेड़ा तक है। रेलवे लाइन बीच में आती है। अभी मीटर गेज को ब्राड गेज में परिवर्तित करने के लिये पूरा रेल मार्ग बंद पड़ा हुआ है। यदि इस समय आप काम शुरू कर देंगे तो आपको उसके अन्दर भी असुविधा नहीं होगी। इसलिये आपके माध्यम से मंत्री महोदय से चाहूंगा कि जितना जल्दी हो सके इस टुकड़े को कम्पलीट करायें ताकि आम जनता को राहत मिल सके। धन्यवाद।

श्री निर्मल कुमावत (फुलेरा): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं भी निवेदन करना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: आपका भी है क्या इस मार्ग में?

श्री निर्मल कुमावत (फुलेरा): एक ही रोड है।

श्री उपाध्यक्ष: करिये, आप भी करिये।

श्री निर्मल कुमावत (फुलेरा): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि अभी चौमूं वाले माननीय सदस्य ने कहा कि हम मिले थे और काफी काम इसमें हो गया। लेकिन आज जो इसमें सबसे बड़ी समस्या आ रही है कि जो सड़क बन चुकी है ...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: आप धन्यवाद तो धन्यवाद प्रस्ताव पर दे देना। अभी कोई पूछना है आपसे तो पूछिये।

श्री निर्मल कुमावत (फुलेरा): इसमें यह पूछना चाहूंगा कि आज की

(श्री निर्मल कुमावत)

तारीख में इस सड़क का रख रखाव कौन कर रहा है। कुछ भी अगर खड्डे हो जाते हैं या खराब हो गई या इसमें लेयर पूरी नहीं बनी तो यह जिम्मेदारी किसकी है। यह विभाग कहता है हमारी जिम्मेदारी नहीं है और ड्रेनेज की जो इन्होंने बात बताई, वह वाकई में कुछ कस्बों की बड़ी बुरी स्थिति है। तो माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि इसमें आसलपुर फाटक पर भी बड़ी स्थिति खराब रहती है। ट्रैफिक बहुत ज्यादा है। उस पर एक पुल का भी प्रोविजन था। वह पुल इसमें है या नहीं है, बनेगा या नहीं बनेगा, उसका भी जवाब दें माननीय मंत्री महोदय।

श्री प्रभू लाल सैनी (कृषि मंत्री): सब कर देंगे, राव साहब ने कहा तो। सब कर देंगे, आप कहेंगे तो।

श्री उपाध्यक्ष: आपका जवाब वे देंगे।

श्री युनुस खान (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): प्रभू लालजी? अगर ये दें तो बहुत अच्छा।

श्री उपाध्यक्ष: वे कोशिश तो कर रहे हैं आपका जवाब देने की। वैसे ऐसी कोशिश और भी कर रहे होंगे। लेकिन आपका जवाब तो आप ही को देना पड़ेगा।

श्री प्रभू लाल सैनी (कृषि मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आप कहेंगे तो ये सब कर देंगे। यह मैच फिक्सिंग लग रहा है, साहब।

श्री युनुस खान (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, दोनों माननीय सदस्यों ने जो मुद्दा उठाया है, यह वास्तव में गम्भीर विषय है कि 2011 से लेकर 2017 तक यह पी.पी.पी. मोड का जो रोड था, यह पूर्ण नहीं हुआ। बार-बार हमने कंसेशनर से मीटिंग भी की, नोटिस भी दिये, टर्मिनेशन का नोटिस भी दिया, इसके पैनल्टी भी लगाई और पैनल्टी भी बहुत हैवी लगाई। उसके बावजूद भी यह काम पूरा नहीं हो रहा है। अब सरकार ने तीन दिन पहले अंतिम निर्णय लिया है कि चूंकि कंसेशनर, जब-जब उसको नोटिस देते हैं, तब-तब आ करके कोई न कोई काम वह शुरू कर देता है, और महीने-बीस दिन ऐसे लगता है कि अब की बार यह गम्भीर है लेकिन फिर धनराशि के अभाव में वह काम को रोक देता है। तो हमने अंतिम निर्णय तीन दिन पहले यही लिया है कि इनका जो चेंज आफ आनरशिप है, इसके एग्रीमेंट में जो क्लाज 48 है, उसके अनुसार बैंकर्स से बात की है कि बैंक इसको वापस ले लें और बैंक ही इस सड़क का निर्माण करें। इसके लिये बैंकर्स ने सहमति दे

(श्री युनुस खान)

दी है। तो चौमूं से आने वाले माननीय सदस्य और फुलेरा से आने वाले माननीय सदस्य ने जो चिंता व्यक्त की है, उसके अनुसार हम अक्टूबर, 2017 तक कोशिश करेंगे बैंकर्स के साथ बैठ करके कि यह काम पूरा हो जाए। अब यह प्रोजेक्ट बैंक्स टेक ओवर कर रहे हैं, मैं समझता हूं कि इनकी भावना के अनुसार काम हो जाएगा।

श्री उपाध्यक्ष: श्री जोगाराम पटेल।

जोधपुर को राजीव गांधी नहर से पेयजल की व्यवस्था

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): आभार, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं जिस विषय पर श्रीमान के मार्फत निवेदन करना चाहूंगा वह गम्भीर है। आम जनता से जुड़ा हुआ है। कहा भी गया है कि जल है तो जीवन है। जल के बिना कुछ भी नहीं है। रहीमदासजी ने भी कहा था कि 'रहिमन पानी राखिये, बिन पानी सब सून', राजस्थान में जोधपुर और बाड़मेर यह मरुस्थलीय इलाकों में आते हैं। जोधपुर शहर और जोधपुर शहर के दो-तीन कस्बे, जिसमें पिपाड़ सिटी, बिलाड़ा, फलौदी, यह बहुत बड़े-बड़े कस्बे भी हैं। बाड़मेर के समदड़ी, सिवाना, बालोतरा, यह बड़े-बड़े कस्बे आते हैं। जोधपुर शहर और जोधपुर शहर से लगते बड़े-बड़े कस्बे और उसके आस-पास के गांव और बाड़मेर जिले के उक्त कस्बे और उनके गांव दोनो जिलों के करीबन 700 गांव इस पानी की समस्या से अभी जूझ रहे हैं। जोधपुर शहर में सात-आठ विश्वविद्यालय और हाई कोर्ट, इसरो, रेलवे का बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर, रेलवे की बहुत बड़ी कालोनियां, मिलिट्री का बहुत बड़ा भाग, यह सभी जो राजीव गांधी लिफ्ट कैनाल से जो पानी जोधपुर आ रहा है, उस पानी पर निर्भर है। राजीव गांधी लिफ्ट कैनाल, जिसको आर.जी.सी.एल. के नाम से पुकारते हैं, करीब 176 किलोमीटर लम्बी नहर है। 29 पाइंट समथिंग यह पाइप से है और बाकी कैनाल से, ग्रेविटी से पानी आता है। करीब 205 किलोमीटर लाइन से पानी यह जोधपुर में आता है और जोधपुर में स्टोरेज के लिए कायलाना और तख्तसागर दो स्टोरेज हैं। मैं आज धन्यवाद दूंगा माननीय मंत्रीजी को और राजस्थान की यशस्वी माननीया मुख्य मंत्रीजी को कि उन्होंने अभी महीने भर पहले ही सूरपुरा में एक नया स्टोरेज का प्रारम्भ किया है, वह भी आधुनिक युग का सबसे आटोमेटिक प्लांट उन्होंने प्रारम्भ किया है।

अभी श्रीमान जो समस्या है, वह समस्या यह है कि पूर्व में 240 क्यूसेक्स पानी इस नहर के माध्यम से (सात-आठ जगह पर पम्पिंग होता था

(श्री जोगाराम पटेल)

बाकी ग्रेविटी से) जोधपुर पानी आता था और यह पानी आकर कायलाना और तख्तसागर में स्टोरेज होता था और फिर वहां से मैंने जो क्षेत्र बताये हैं इन क्षेत्रों को पीने के लिए जाता था। जो हमारा कायलाना क्षेत्र है उसमें करीब 217.40 एम.सी.एफ.टी. पानी रहता है और 100 फीट का डेड स्टोरेज रहता है, जो हमेशा इमरजेंसी के लिए और बाकी 117 एम.सी.एफ.टी. पानी है, वह आठ दिन का पानी बनता है। जो सप्लाई होता रहता हैं 217 एम.सी.एफ.टी. पानी भी अगर उपलब्ध होता है तो वह आठ दिन के लिए इन क्षेत्रों को सप्लाई किया जा सकता है। रोजाना 14 एम.सी.एफ.टी. पानी की जरूरत रहती है। अभी जो लास्ट आंकड़े जनवरी और फरवरी के हैं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, उसके अनुसार जो 240 क्यूसेक्स पानी हमको मिल रहा था, वह भी हमारा बहुत ही कम पड़ रहा था क्योंकि पिछले तीस-चालीस सालों में इस नहर के पानी की आवक में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है बल्कि धीरे-धीरे बहुत से कारणों से कमी हुई है। लेकिन, जबकि पापुलेशन बढ़ी है, एरिया बढ़ा है, प्रारम्भ में सिर्फ जोधपुर जिला ही था फिर जोधपुर जिले का ग्रामीण क्षेत्र हुआ, फिर बाड़मेर जिले के कस्बे हुए, फिर बाड़मेर जिले के ग्रामीण क्षेत्र भी साथ जुड़ गये। यूं करके करीब 700 गांवों की 38 लाख पापुलेशन आज की तारीख में इस पर निर्भर है। जो पानी अभी हमको मिल रहा है वह सिर्फ 190 क्यूसेक्स पानी ही मिल रहा है और वह 190 क्यूसेक्स पानी खाली जोधपुर के लिए भी पर्याप्त नहीं है और आने वाले समय से फरवरी या मार्च में यह जो क्लोजर की बात, 25 मार्च के आस-पास 25 दिन का लम्बा क्लोजर है और ये ले रहे हैं।

तो मेरा आपसे निवेदन है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह राजस्थान की जनता का द्वितीय सबसे बड़ा शहर जोधपुर है, उसके आस-पास के और बाड़मेर जिले के जैसा मैंने उपर बताया कि करीबन 700 गांव और 38 लाख से 40 लाख की पापुलेशन इस पर निर्भर है इससे डाइरेक्टली इफेक्ट हो रही है। हमको 240 क्यूसेक्स पानी जो प्रारम्भ में मिल रहा था, यह जनवरी से पहले तक, इस जनवरी, 2017 से पहले तक, वह काट कर 195 क्यूसेक्स पानी कर दिया गया है और 240 क्यूसेक्स पानी जिसको 20.73 एम.सी.एफ.टी. पानी कहते हैं, अगर वह पानी हमको नहीं मिलेगा या उस पानी को नहीं बढ़ाया जाएगा तो आने वाली गर्मी और आने वाले क्लोजर के दौरान जोधपुर और आस-पास के गांवों में हाहाकार मच जाएगा।

(श्री जोगाराम पटेल)

आज भी जोधपुर में तीसरे, चौथे और पांचवें दिन पानी मिलता है। गांवों में सातवें और आठवें दिन पानी मिलता है और बड़े-बड़े गांवों में तो पच्चीस से तीस दिन तक पानी की सप्लाई नहीं हो पा रही है। इसलिए मेरा निवेदन है आपके मार्फत माननीय मंत्री महोदय से और विशेषकर इर्रिगेशन मंत्रीजी से कि हमारा जो पानी जोधपुर को मिल रहा है, जो 240 क्यूसेक्स पानी लगातार इतने वर्षों से सप्लाई किया जा रहा था, उसको बढ़ाने की आवश्यकता थी। बढ़ाने के स्थान पर 240 से 245 क्यूसेक्स के स्थान पर 190-195 क्यूसेक्स पानी कर दिया गया है। आज की तारीख में मैं निवेदन कर रहा हूं कि सिर्फ 14 एम.सी.एफ.टी. पानी कायलाना में है और यह 14 एम.सी.एफ.टी. पानी सिर्फ सात और आठ दिन तक ही सप्लाई हो सकता है अगर एक-दो दिन भी कहीं पानी आने में देरी हो गयी तो जोधपुर और आस-पास की 38 से 40 लाख की पापुलेशन पूरी पानी से वंचित हो जाएगी, हाहाकार मच जाएगा और आने वाली गर्मी में जो कैपेसिटी बढ़ेगी, उसका ध्यान रखें तो बहुत मुश्किल स्थिति आने वाली है। इसीलिए मैं आपके मार्फत निवेदन कर रहा हूं। मेरा तीन बातों का विशेष निवेदन है।

पहला यह कि जो क्लोजर अभी होने वाला है, 25 मार्च से प्रस्तावित है, इस क्लोजर के दौरान ऐसे सात-आठ या चौदह-पन्द्रह स्थान पर स्टोरेज बनाये जाएं, रिजरवायर बनाये जाएं और उस पानी को वहां पर रोका जाए और जब क्लोजर के दौरान उस पानी की सप्लाई की जाए ताकि रेगुलर जो पानी मिल रहा है, उसमें कम से कम आवश्यकता का पानी तो मिले। पहला मेरा निवेदन यह था कि अभी तक इन्होंने ऐसे कोई भी मुख्य नहर में, आर.डी. 120 से 1121 के मध्य पोंड नहीं बनाये हैं, जहां पर पानी का स्टोरेज किया जाए और इस 25 या 30 दिन के क्लोजर के दौरान उस स्टोरेज पानी को वहां से सप्लाई किया जाए।

दूसरा मैं माननीय मंत्री महोदय से यह निवेदन करूंगा कि आपने बहुत प्रयास किया, उसके लिए जोधपुर की जनता आपको धन्यवाद भी देती है, आप जोधपुर के प्रभारी मंत्री भी हैं और आपके सामने विभाग के अधिकारियों ने विषय भी अनेक बार रखा है लेकिन अभी तक उसका कोई परिणाम नहीं मिल पाया है अगर 240 क्यूसेक्स फीट पानी नहीं बढ़ा या 245 या 250 क्यूसेक्स फीट पानी नहीं हुआ तो जोधपुर शहर ओर जोधपुर शहर के ऊपर मैंने जो नाम गिनाये वह कस्बे, बाड़मेर के वह कस्बे और बाड़मेर जिले के

(श्री जोगाराम पटेल)

700 गांव प्लस जोधपुर शहर, इनको पानी की भारी समस्या होने वाली है। आपके साथी मंत्रीजी को होने वाली है। आपके साथी जो विधायक सात-आठ बैठे हैं, उन सबको यह समस्या होने वाली है, आम जनता को यह समस्या होने वाली है। इसलिए मेरा निवेदन है कि आप प्रयास करके वापस 240 क्यूसेक्स पानी जोधपुर को इस कैनाल के मार्फत दिलाएं।

तीसरा मेरा निवेदन यह है कि इस नहर को बने 40 से 45 साल हो गये हैं। उस वक्त खाली जोधपुर शहर को ध्यान में रखते हुए इस नहर को बनाया गया था, उसके बाद में ग्रामीण क्षेत्र जुड़ गया, बाड़मेर जिले का इतना क्षेत्र जुड़ गया लेकिन इसकी आवक को नहीं बढ़ाया गया, इसकी कैपेसिटी को नहीं बढ़ाया गया है और अब इसकी कैपेसिटी बढ़ने की स्थिति में भी नहीं है। इसलिए हमारा सबका निवेदन है कि इसके पास आलरेडी लैंड अवेलेबल है, उसकी थर्ड फेज बनायी जाए। पाइप लाइन की मार्फत जो पानी है, कम से कम 100 या 150 क्यूसेक्स पानी और एक्स्ट्रा लाने की कोई व्यवस्था की जाए नहीं तो आने वाले पांच या दस साल के बाद, आने वाले दो या तीन साल के बाद जोधपुर के आस-पास पानी की भयंकर समस्या होने वाली है और शहर उजड़ने की स्थिति में हो जाएगा। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि इस सारी परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए, अभी जो क्लोजर आ रहा है, उसको ध्यान में रखते हुए, भविष्य में पानी की जो उपयोगिता बढ़ेगी, उसको ध्यान में रखते हुए, यह जो राजस्थान में सबसे अधिक बाड़मेर और जोधपुर में पर्यटक आ रहे हैं, चाहे वह देशी है या चाहे विदेशी है, उन पर्यटकों को ध्यान में रखते हुए, मिलिट्री का इतना बड़ा एरिया है, उसको ध्यान में रखते हुए मेरा निवेदन है कि थर्ड फेज का भी प्लान बनाया जाए, थर्ड फेज भी प्रारम्भ की जाए, जोधपुर को पानी उपलब्ध करवाया जाए, ऐसा ही मेरा आपसे निवेदन था।

आपने मेरी बात सुनी, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री कैलाश भंसाली (जोधपुर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस पर अपनी बात कहना चाहूंगा।

श्री उपाध्यक्ष: आप अपनी सीट पर पधारो पहले तो।

श्री कैलाश भंसाली (जोधपुर): अच्छा, सारी। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो बात इन्होंने कही है उस सम्बन्ध में मैं भी निवेदन करूंगा कि क्लोजर में अभी तक पानी की सप्लाई बराबर की उसके लिए तो धन्यवाद

(श्री कैलाश भंसाली)

परन्तु यह तीनों बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं। अभी शिवरात्रि पर तीन दिन पानी नहीं आया, लोगों को बड़ी तकलीफ हो गयी और मैंने अखबारों के माध्यम से भी इस बात को उठाया था और आप भी आए पर जल्दी ही चले गये, दूसरे इलाकों में।

मेरा आपसे निवेदन है कि आप इसको गम्भीरता से लें और इस पर जल्दी से जल्दी थर्ड फेज का काम शुरू करवा देंगे तो बड़ी कृपा होगी, धन्यवाद।

श्री सुरेन्द्र गोयल (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने अपनी एक समस्या के बारे में सदन का ध्यान आकर्षित किया है, मैं इनसे निवेदन कर दूं कि आपने 700 गांवों के लिये कहा है, 700 गांवों के लिये ही नहीं, यह जोधपुर शहर के तीन नगर पीपाड़, बिलाड़ा और फलौदी के साथ ही 700 गांव जोधपुर के लिये और बाड़मेर के 132 गांव समदड़ी और बालोतरा, दो शहर इनके लिये योजना बनी है। मेरा निवेदन है जब यह राजीव गांधी लिफ्ट कैनाल योजना शुरू की थी उस समय सिर्फ यह 158 गांवों के लिये थी पर धीरे-धीरे इसका एक्सटेंशन हुआ और यह भी सही है कि आज की तारीख में 195 क्यूसेक पानी जोधपुर को मिल रहा है और दिसम्बर के पहले 240 क्यूसेक पानी मिल रहा था। मैं लगातार सम्पर्क में हूं और मैंने इर्रिगेशन मंत्रीजी से भी निवेदन किया और पत्राचार भी किया और मेरी पूरी कोशिश है कि 240 क्यूसेक पानी जोधपुर को मिले वरना आने वाले समय में परेशानी आने वाली है। मैं आज 195 क्यूसेक जो मिल रहा है और जैसे इन्होंने क्लोजर की बात की 25 तारीख से, मेरा पहला प्रयास तो रहेगा कि क्लोजर नहीं हो और बाई-द-वे क्लोजर होगा तो उस राजीव गांधी लिफ्ट कैनाल के अन्दर पानी को इकट्ठा करके पानी के मामले में किसी प्रकार की जोधपुर शहर और गांवों को समस्या नहीं आने देंगे, यह मैं माननीय सदस्य को आश्वस्त करना चाहता हूं।

दूसरा मेरा निवेदन है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कि यह 240 क्यूसेक पानी के लिये नहीं, 296 क्यूसेक पानी के लिये मैंने माननीय इर्रिगेशन मिनिस्टर को चिट्ठी लिखी है कि आज से सात-आठ साल पहले हमने पत्राचार किया था और ज्यों-ज्यों डिमाण्ड बढ़ रही है, उसके अनुसार आपको पानी देना पड़ेगा और जो 195 क्यूसेक पानी का यह कह रहे हैं और

(श्री सुरेन्द्र गोयल)

195 नहीं, 240 का आपका कमिटमेंट है तो इन्होंने मुझे यस किया है और कहा है कि 6.3.2017 तक यह सिंचाई का चक्र चल रहा है, यह चक्र समाप्त हो जाए उसके बाद में आपका 240 क्यूसेक पानी दिया जाएगा तो आप निश्चित रहें और 6.3.2017 के बाद में 240 क्यूसेक पानी मिल जाएगा। किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं आने देंगे और जैसा इन्होंने कहा कि कायलाना और तगसागर में पानी सिर्फ 70 एम सी एफ टी बताया, 70 एम सी एफ टी नहीं है आज की तारीख में 115 एम सी एफ टी पानी है। पानी 195 क्यूसेक ही आ रहा है इस कारण दो एम सी एफ टी पानी हमेशा कम पड़ रहा है तो आप निश्चित रहें कि जोधपुर शहर और जोधपुर के जो भी गांव हैं, उनके लिये पेयजल की किसी भी प्रकार की कोई समस्या भविष्य में नहीं आने देंगे, यह मैं आपको आश्वस्त करता हूं।

रहा सवाल थर्ड फेज का, तो आप थर्ड फेज की बात कर रहे हो, अभी तक तो 158 गांवों के लिये सिर्फ यह राजीव गांधी लिफ्ट कैनाल योजना बनी थी, उसके बाद में इतने गांव और जुड़ गये और अब अगर थर्ड फेज की व्यवस्था करें तो पंजाब सरकार जो पानी देती है, उस पानी का जब तक स्टोरेज तय नहीं होगा, उसके पहले योजना बनाने का मकसद पूरा नहीं होगा। इसलिये पहले स्टोरेज करने की व्यवस्था पंजाब सरकार से वार्ता करके करने का प्रयत्न करेंगे, उसके बाद में थर्ड फेज की व्यवस्था करने का प्रयत्न करेंगे, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: श्री कैलाश चौधरी।

बायतू में उप-अधीक्षक कार्यालय एवं पाटोदी में पुलिस थाने की स्थापना

श्री कैलाश चौधरी (बायतू): माननीय उपाध्यक्ष महोदयजी, आपके माध्यम से मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि निश्चित रूप से पिछले तीन वर्षों में राजस्थान में अपराधों में कमी हुई है, इसके लिये मैं मुख्य मंत्री महोदया जी का और मंत्री महोदय जी का आभार प्रकट करना चाहूंगा। लेकिन इसी के साथ में बाड़मेर जिला भौगोलिक दृष्टि से बहुत बड़ा है और इस हिसाब से वहां पर जो उप-अधीक्षक का कार्यालय है, उसका क्षेत्रफल भी बहुत बड़ा है और अन्तिम गांव बाड़मेर जिले का मुख्यालय पर उप-अधीक्षक कार्यालय बना हुआ है, उसके अन्दर यह बायतू आता है। तो, वहां पर

(श्री कैलाश चौधरी)

जो अन्तिम गांव है, उसकी दूरी लगभग 150 किलोमीटर से ज्यादा है तो उसकी वजह से काफी लोगों को परेशान होना पड़ता है और वह उप-अधीक्षक कार्यालय आते हैं और वहां के उप-अधीक्षक हैं, वह भी इतना लम्बा क्षेत्र होने की वजह से वह उस क्षेत्र को पूरा संभाल भी नहीं पाते हैं जिसकी वजह से वहां के लोगों को समस्या आ रही है। मेरा आपसे निवेदन रहेगा कि बायतू के अन्दर उप खण्ड कार्यालय भी है और नेशनल हाइवे के ऊपर भी आया हुआ है और वहां के लोगों की सुविधा के लिये अगर बायतू के अन्दर एक उप-अधीक्षक कार्यालय खुलता है तो इससे निश्चित रूप से वहां के किसानों और वहां के लोगों के लिये बहुत राहत का काम होगा। इसी तरह बायतू के पास में जैसे नागाणा थाना है और नागाणा के अदर तेल के अथाह भण्डार हैं और वहां पर बाहर से भी, जैसे यू.पी. और बिहार से जो लोग मजदूरी करने आते हैं उसकी वजह से क्राइम की संख्या भी बढ़ रही है और उसके साथ ही वहां के जो मजदूर हैं, उनको सर्टिफिकेट देने के लिये भी उप-अधीक्षक कार्यालय बाड़मेर जाना पड़ता है तो हमेशा वहां के लोगों को तकलीफ रहती है। इसलिये मेरा निवेदन रहेगा कि एक तो बायतू के अन्दर उप-अधीक्षक कार्यालय खुले। दूसरा निवेदन है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में एक पाटोदी गांव है जहां पंचायत समिति भी अभी बनी है और तहसील मुख्यालय भी है, तो वहां पर भी क्षेत्रफल है, वहां पर पुलिस की चौकी है, उस चौकी के अन्दर मुकदमों की संख्या बहुत ज्यादा है, इसलिये मेरा आपसे आग्रह रहेगा कि पाटोदी को अगर थाना बना दिया जाये और बायतू क्षेत्र में जो गिड़ा थाना है और नागाणा है इन सबको मिलाकर वहां पर पुलिस उप-अधीक्षक कार्यालय बनता है तो वहां के क्षेत्र के लोगों के लिये बहुत बड़ी राहत होगी। इसलिये मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि आज सदन के अन्दर कहते हैं तो क्षेत्र के लोगों को बहुत बड़ी खुशी होगी, यही निवेदन है।

श्री उपाध्यक्ष: मंत्री महोदय, आप रिएक्ट करेंगे?

श्री कैलाश चौधरी (बायतू): मंत्री महोदयजी से निवेदन है।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): नये थाने और सर्कल बनाना बजट की उपलब्धता पर निर्भर करेगा। वैसे परमेश चन्द्रजी की कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार उन्होंने एस डी ओ हैडक्वार्टर और पंचायत समिति को प्राथमिकता दी है, लेकिन बजट की उपलब्धता के बाद ही सम्भव हो पायेगा कि बनेगा या नहीं।

श्री कैलाश चौधरी (बायतू): मंत्री महोदय जी से निवेदन है कि जब बनायें तब बायतू जरूर बनायें।

श्री उपाध्यक्ष: सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्रादि। वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे। श्री राजपाल सिंह शेखावत।

सदन पटल पर रखे गये पत्र

प्रतिवेदन एवं लेखे

श्री युनुस खान (सार्वजनिक निर्माण मंत्री) (राजपाल सिंह शेखावत के स्थान पर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से निम्नांकित वार्षिक प्रतिवेदन सदन की मेज पर रखता हूं :-

राजस्थान स्टेट बेवरेजेज कारपोरेशन लिमिटेड का प्रतिवेदन वर्ष 2015-16

(I) कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा-395(1) के अन्तर्गत राजस्थान स्टेट बेवरेजेज कारपोरेशन लिमिटेड का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2015-2016;

राजस्थान राज्य गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड, जयपुर का 71वां प्रतिवेदन वर्ष 2016

(II) कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा-395(1) के अन्तर्गत राजस्थान राज्य गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड, जयपुर का 71वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2016;

राजस्थान राज्य हथकरघा विकास निगम लिमिटेड का 32वां प्रतिवेदन वर्ष 2015-16

(III) कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा-395 के अन्तर्गत राजस्थान राज्य हथकरघा विकास निगम लिमिटेड का 32वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2015-2016; एवं

दी राजस्थान स्माल इण्डस्ट्रीज कारपोरेशन लिमिटेड का 55वां प्रतिवेदन वर्ष 2015-16

(IV) कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा-395 के अन्तर्गत दी राजस्थान स्माल इण्डस्ट्रीज कारपोरेशन लिमिटेड का 55वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2015-2016 ...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: आप विराज जाइये। I know what you intend to say. अब विराज जाओ। अजय सिंहजी ..(व्यवधान) जब आसन ने एतराज नहीं किया तो परमिशन मान ली गयी है।

श्री अजय सिंह (सहकारिता मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से निम्नांकित वार्षिक प्रतिवेदन सदन की मेज पर रखता हूं:-

राजस्थान राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक लिमिटेड, जयपुर की वर्ष 2014-15 की लेखा परीक्षा रिपोर्ट

(I) राजस्थान सहकारी सोसायटी अधिनियम, 2001 की धारा-54(14) के अन्तर्गत राजस्थान राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक लिमिटेड, जयपुर की वर्ष 2014-2015 की लेखा परीक्षा रिपोर्ट; एवं

राजस्थान को-आपरेटिव डेयरी फैडरेशन लिमिटेड, जयपुर का प्रतिवेदन वर्ष 2015-16

(II) राजस्थान सहकारी सोसायटी अधिनियम, 2001 की धारा-54(14) के अन्तर्गत राजस्थान को-आपरेटिव डेयरी फैडरेशन लिमिटेड, जयपुर का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2015-2016

श्री उपाध्यक्ष: यह कम्पनी आपकी नई बनी है क्या? Is this a new Company? भूमि विकास बैंक लिमिटेड।

श्री अजय सिंह (सहकारिता मंत्री): नहीं सर, बहुत पुरानी है, पहले से है।

श्री उपाध्यक्ष: Then, why is it only limited to 2014-15. What about 2015-16?

श्री अजय सिंह (सहकारिता मंत्री): किस सम्बन्ध में, सर?

श्री उपाध्यक्ष: Your Audit Reports or your accounts should be right upto date. It should be updated.

श्री अजय सिंह (सहकारिता मंत्री): यह 2014-15 का ही है, सर, जो अभी पेश कर रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष: आपको 2015-16 भी पेश करना चाहिये। that is no excuse. This House doesn't agree to such excuses. Parliamentary Affairs Minister, this is between you and the Minister concerned. You will have to settle these things.

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): इसको करवाते हैं, सर।

श्री उपाध्यक्ष: श्री युनुस खान।

राजस्थान स्टेट रोड डवलपमेंट एण्ड कन्सट्रक्शन कारपोरेशन लिमिटेड का 16वां प्रतिवेदन एवं लेखे वर्ष 2015-16

श्री युनुस खान (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा-395 के अन्तर्गत राजस्थान स्टेट रोड डवलपमेंट एण्ड कन्सट्रक्शन कारपोरेशन लिमिटेड का 16वां वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे वर्ष 2015-2016 सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: श्री श्रीचन्द कृपलानी।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (स्वायत्त शासन एवं नगरीय विकास मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से निम्नांकित वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखा विवरण सदन की मेज पर रखता हूं:-

जयपुर विकास प्राधिकरण का अंकेक्षित लेखा प्रतिवेदन वित्तीय वर्ष 2015-16

(1) जयपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1982 की धारा-64 के अन्तर्गत जयपुर विकास प्राधिकरण का अंकेक्षित वार्षिक लेखा प्रतिवेदन वित्तीय वर्ष 2015-2016; एवं

जयपुर मैट्रो रेल कारपोरेशन लिमिटेड का 7वां प्रतिवेदन वर्ष 2015-16

(2) कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा-395 के अन्तर्गत जयपुर मैट्रो रेल कारपोरेशन लिमिटेड का 7वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2015-2016.

श्री उपाध्यक्ष: श्री प्रभू लाल सैनी।

श्री प्रभू लाल सैनी (कृषि मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से निम्नांकित वार्षिक प्रतिवेदन सदन की मेज पर रखता हूं:-

राजस्थान स्टेट सीड्स कारपोरेशन लिमिटेड का 38वां प्रतिवेदन वर्ष 2015-16

(1) कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा-394 के अन्तर्गत राजस्थान स्टेट सीड्स कारपोरेशन लिमिटेड का 38वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2015-2016; एवं

(श्री प्रभू लाल सैनी)

राजस्थान राज्य भण्डार व्यवस्था निगम का 58वां प्रतिवेदन वर्ष 2015-16

(2) दी वेयर हाउसिंग कारपोरशन एक्ट, 1962 की धारा 31(2) के अन्तर्गत राजस्थान राज्य भण्डार व्यवस्था निगम का 58वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2015-2016.

श्री उपाध्यक्ष: श्री पुष्पेन्द्र सिंह।

श्री पुष्पेन्द्र सिंह (राज्य मंत्री, ऊर्जा): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से निम्नांकित वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखा विवरण सदन की मेज पर रखता हूं:-

राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड का 16वां प्रतिवेदन एवं वित्तीय विवरण वर्ष 2015-16

(1) कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा-395 के अन्तर्गत राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड का 16वां वार्षिक प्रतिवेदन एवं वित्तीय विवरण वर्ष 2015-2016;

राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड का 16वां प्रतिवेदन वर्ष 2015-16

(2) कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा-395 के अन्तर्गत राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड का 16वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2015-2016;

जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड का 16वां प्रतिवेदन वर्ष 2015-16

(3) कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा-395 के अन्तर्गत जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड का 16वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2015-2016;

अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड का 16वां प्रतिवेदन एवं लेखे वर्ष 2015-16

(4) कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा-395 के अन्तर्गत अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड का 16वां वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे वर्ष 2015-2016;

(श्री पुष्पेन्द्र सिंह)

जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड का 16वां प्रतिवेदन एवं लेखा विवरण वर्ष 2015-16

(5) कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा-395 के अन्तर्गत जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड का 16वां वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखा विवरण वर्ष 2015-2016; एवं

राजस्थान ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड का प्रथम प्रतिवेदन एवं लेखा विवरण वर्ष 2015-16

(6) कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा-395 के अन्तर्गत राजस्थान ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड का प्रथम वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखा विवरण वर्ष 2015-2016.

श्री उपाध्यक्ष: कार्य सलाहकार समिति के प्रतिवेदन का उपस्थापन एवं उस पर विचार। श्री कालू लाल जी गुर्जर। श्री मदन जी राठौड़।

समिति प्रतिवेदन

कार्य सलाहकार समिति (क्रम संख्या-28)

श्री मदन राठौड़ (सरकारी उप मुख्य सचेतक): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्य सलाहकार समिति के 28वें प्रतिवेदन का उपस्थापन करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, कार्य सलाहकार समिति की बैठक दिनांक 23 फरवरी, 2017 को मध्याह्न पश्चात् 12.45 बजे माननीय अध्यक्ष के वेश्म में हुई। समिति ने निर्णय लिया कि दिनांक 27 फरवरी, 2017 से 06 मार्च, 2017 तक सदन में अग्रेतर लिये जाने वाले कार्य का बंटवारा निम्न प्रकार किया जाय:-

सोमवार, दिनांक 27 फरवरी, 2017 मंगलवार, दिनांक 28 फरवरी, 2017 बुधवार, दिनांक 01 मार्च, 2017	राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर प्रस्तुत धन्यवाद प्रस्ताव पर वाद-विवाद।
गुरुवार, दिनांक 02 मार्च, 2017	राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर प्रस्तुत धन्यवाद प्रस्ताव पर अग्रेतर वाद-विवाद एवं राज्य सरकार की ओर से उत्तर।

(श्री मदन राठौड़)

शुक्रवार, दिनांक 03 मार्च, 2017	1. राजस्थान होम्योपैथिक चिकित्सा (संशोधन) विधेयक, 2017 2. राजस्थान किराया नियंत्रण (संशोधन) विधेयक, 2017 एवं निर्वाण विश्वविद्यालय, जयपुर विधेयक, 2017 -पर विचार एवं पारण।
शनिवार, दिनांक 04 मार्च, 2017 रविवार, दिनांक 05 मार्च, 2017	बैठक नहीं होगी।
सोमवार, दिनांक 06 मार्च, 2017	1. राजस्थान विनियोग अधिनियम (निरसन) विधेयक, 2017, एवं 2. राजस्थान राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग विधेयक, 2017 पर विचार एवं पारण।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन कार्य सलाहकार समिति के 28वें प्रतिवेदन पर अपनी सहमति प्रकट करता है।

श्री उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है कि यह सदन कार्य सलाहकार समिति के 28वें प्रतिवेदन पर अपनी सहमति प्रकट करता है?

(स्वीकृत)

सदन द्वारा प्रतिवेदन पर सहमति प्रदान की गई।

विधायी कार्य: विधेयक का पुर:स्थापन

राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2017

विधायी कार्य। पुर:स्थापित किये जाने वाले विधेयक।

राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2017, श्री श्रीचन्द कृपलानी।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (स्वायत शासन एवं नगरीय विकास मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2017 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है कि राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2017 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाए?

(श्री उपाध्यक्ष)

(स्वीकृत)

विधेयक को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गई। प्रभारी मंत्री

श्री श्रीचन्द कृपलानी (स्वायत्त शासन एवं नगरीय विकास मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2017 को पुर:स्थापित करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: भारतीय कौशल विकास विश्वविद्यालय, जयपुर विधेयक, 2017, डा. जसवन्त सिंह।

भारतीय कौशल विकास विश्वविद्यालय, जयपुर विधेयक, 2017

डा. जसवन्त सिंह यादव (श्रम एवं नियोजन मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से भारतीय कौशल विकास विश्वविद्यालय, जयपुर विधेयक, 2017 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है कि भारतीय कौशल विकास विश्वविद्यालय, जयपुर विधेयक, 2017 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

विधेयक को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गई। प्रभारी मंत्री।

डा. जसवन्त सिंह यादव (श्रम एवं नियोजन मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से भारतीय कौशल विकास विश्वविद्यालय, जयपुर विधेयक, 2017 को पुर:स्थापित करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: कारण भी बताएं।

डा. जसवन्त सिंह यादव (श्रम एवं नियोजन मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रक्रिया के नियम-63(1) के अन्तर्गत भारतीय कौशल विकास विश्वविद्यालय, जयपुर अध्यादेश, 2016 (2016 का अध्यादेश संख्यांक-4) को जारी करने के कारणों का विवरण भी सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: राजस्थान आई.एल.डी. कौशल विश्वविद्यालय, जयपुर विधेयक, 2017, डा. जसवन्त सिंह।

राजस्थान आई.एल.डी. कौशल विश्वविद्यालय, जयपुर विधेयक, 2017

डा. जसवन्त सिंह यादव (श्रम एवं नियोजन मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति राजस्थान आई.एल.डी. कौशल विश्वविद्यालय, जयपुर विधेयक, 2017 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है कि राजस्थान आई.एल.डी. कौशल विश्वविद्यालय, जयपुर विधेयक, 2017 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

विधेयक को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गई। प्रभारी मंत्री।

डा. जसवन्त सिंह यादव (श्रम एवं नियोजन मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान आई.एल.डी. कौशल विश्वविद्यालय, जयपुर विधेयक, 2017 को पुर:स्थापित करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: प्रभारी मंत्री, अध्यादेश के कारण?

डा. जसवन्त सिंह यादव (श्रम एवं नियोजन मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रक्रिया के नियम-63(1) के अन्तर्गत राजस्थान आई.एल.डी. कौशल विश्वविद्यालय, जयपुर अध्यादेश, 2017 (2017 का अध्यादेश संख्यांक-1) को जारी करने के कारणों का विवरण भी सदन की मेज पर रखता हूं।

घोषणा/व्यवस्था

धन्यवाद प्रस्ताव पर वाद विवाद हेतु समय का बंटवारा

श्री उपाध्यक्ष: राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर वाद-विवाद के लिए समय का आबंटन, अध्यक्षीय घोषणा।

मुझे सदन को सूचित करना है कि राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर वाद-विवाद के लिए लगभग 16 घंटे उपलब्ध हैं। उपलब्ध समय में सरकार द्वारा उत्तर दिये जाने का समय भी सम्मिलित है।

मैं विभिन्न पार्टियों के लिए समय का बंटवारा निम्न प्रकार करता हूं:-

भारतीय जनता पार्टी	12 घंटे 48 मिनट
इंडियन नेशनल कांग्रेस	1 घंटा 57 मिनट
नेशनल पीपुल्स पार्टी	20 मिनट
बहुजन समाज पार्टी	10 मिनट
नेशनल यूनियनिस्ट जमींदारा पार्टी	10 मिनट
निर्दलीय	35 मिनट
कुल	**16 घंटे**

(श्री उपाध्यक्ष)

अब मैं आप सब से एक बात निवेदन करता हूं। सरकारी उप सचेतक महोदय और प्रतिपक्ष के सचेतक महोदय, जब आसन की आज्ञा से किसी सदस्य को बोलने की अनुमति दे दी जायेगी, उसके उपरान्त अगर कोई भी सदस्य उसमें अवरोध पैदा करने की चेष्ट करेगा तो उस पार्टी का उतना समय विलोपित कर दिया जायेगा। Any such things, this way or that way, including Independents and other partners.

श्रीमती अलका सिंह।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक आसन से थोड़ा संरक्षण चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: फरमाएं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): आपने अभी फर्माया कि जो माननीय सदस्य बोलेंगे इधर से या उधर से तो उनमें किसी ने अवरोध पैदा किया तो उस पार्टी का समय कम कर दिया जायेगा लेकिन, उपाध्यक्ष महोदय, अगर किसी माननीय सदस्य के बोलने में पार्टी के सचेतक और मुख्य सचेतक अवरोध पैदा करें, उस स्थिति में क्या होगा?

उदाहरण के लिए मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि अभिभाषण पर वाद-विवाद होगा, उसमें चर्चा आपने नियतन कर रखी है, बजट पर आम बहस होगी उस पर भी आप समय तय कर देते हैं, कट-मोशंस पर पहले सब को बोलने का अधिकार होता था, अब संशोधन करके कट-मोशन को एक साथ अस्वीकार कर देते हैं और एप्रोप्रिएशन बिल पर भी पार्टियां ही बोलने का समय तय करती हैं।

अब किसी पार्टी का सचेतक और संसदीय कार्य मंत्री, यह दोनों ही राठौड़ हैं हमारे तो, राजेन्द्र सिंह जी राठौड़ हैं और मदन सिंह जी भी राठौड़ हैं। यह दोनों अगर राठौड़ी लगाकर किसी माननीय सदस्य का नाम ही अगर आप तक नहीं पहुंचाएं तो उस सदस्य के लिए बोलने का कौनसा अवसर रहता है? इस पर आसन की व्यवस्था चाहिए, कि उस सदस्य को आसन का प्रोटेक्शन चाहिए। इसलिए मैं यह चाहता हूं कि इस व्यवस्था के साथ-साथ आप इस विषय पर भी विचार करें, यह मेरी आपसे प्रार्थना है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, यह निरीह राठौड़, यह कभी हो सकता है कि हम राठौड़ी चलायें। माननीय सदस्य, वरिष्ठ सदस्य हैं। इन्होंने संशोधन जरूर दिया है। मैं तो

(श्री राजेन्द्र राठौड़)
इनसे यही कहूंगा कि इनका बोलने का अधिकार सुरक्षित है। जब बोलना चाहें तब बोलें।

श्री उपाध्यक्ष: वैसे आसन सम्पूर्ण सदन को यह अवगत कराना चाहता है कि कोई भी अपने आपको असुरक्षित महसूस ना करे, आसन यहां मौजूद है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): ठीक है।

श्री उपाध्यक्ष: श्रीमती अलका सिंह।

अभिभाषण

धन्यवाद प्रस्ताव

श्रीमती अलका सिंह (बांदीकुई): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करती हूं कि राज्यपाल महोदय को निम्नांकित रूप से धन्यवाद समवेदन प्रस्तुत किया जाए, 'इस सत्र में एकत्र हम राजस्थान विधान सभा के सदस्यगण, राज्यपाल महोदय द्वारा इस सदन में दिए गए अभिभाषण के प्रति उनके आभारी हैं'।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका, माननीय अध्यक्ष महोदय का और सदन की नेता माननीय वसुन्धरा जी का भी आभार व्यक्त करना चाहूंगी कि उन्होंने महिला और पिछड़े वर्ग को सबसे पहले बोलने का मौका दिया।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): उपाध्यक्ष महोदय, ये अब पिछड़े में नहीं हैं। हमारे साथ हैं। गुर्जर समाज कानूनन इस समय अगड़ों में हो गया है, पिछड़ों में नहीं हैं। आप हमारे साथ हैं।

श्रीमती अलका सिंह (बांदीकुई): धन्यवाद जी। इस पवित्र सदन में बहुत ही उच्च आदर्शों और परम्पराओं का निर्वहन किया गया है। इन उच्च आदर्शों की स्थापना करने में हमारे माननीय सुखाड़िया जी, माननीय भैरोंसिंह जी शेखावत, हमारे पूर्व मुख्य मंत्री माननीय अशोक जी गहलोत और हमारी इस सदन की नेता माननीय वसुन्धरा जी का बहुत बड़ा योगदान रहा है। मैं आशा करती हूं कि इस सत्र में भी हम सभी माननीय सदस्य सदन की गरिमा का ध्यान रखेंगे और उन उच्च आदर्शों और परम्पराओं का निर्वहन करेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय, तीन वर्ष पूर्व राजस्थान की इस महान जनता ने जो विशाल मैन्डेट हमारी सरकार को माननीय वसुन्धरा जी के नेतृत्व में दिया था, उसको बहुत ही विनम्रता से स्वीकार करते हुए हमारी यशस्वी मुख्य मंत्रीजी ने

(श्रीमती अलका सिंह)

उसी दिन संकल्प लिया था कि सुराज संकल्प यात्रा के समय जो सुशासन का वादा राजस्थान की जनता से किया है, उसके बारे में आगे कदम बढ़ाएंगे।

उपाध्यक्ष महोदय, उस समय परिस्थितियां बहुत विपरीत थीं। राजस्थान बीमारू राज्यों की श्रेणी में आ चुका था। यह हम नहीं कह रहे हैं, कांग्रेस के लोग ही उस समय कहते थे कि खजाना खाली है, खजाना खाली है। बार-बार यह खजाना खाली है का रोना रोया करते थे, लेकिन फिर भी एक चीज बार-बार प्रचारित की जाती थी कि खजाना खाली लेकिन मुख्य मंत्री नम्बर वन। बिजली की हालत खराब, लेकिन मुख्य मंत्री नम्बर वन। कानून व्यवस्था तार-तार, लेकिन फिर भी मुख्य मंत्री नम्बर वन। सड़कों की हालत खस्ता, लेकिन फिर भी मुख्य मंत्री नम्बर वन। नौकरियों पर रोक लेकिन मुख्य मंत्री नम्बर वन। फर्जी राशनकार्ड लेकिन मुख्य मंत्री नम्बर वन। नरेगा में भ्रष्टाचार, लेकिन फिर भी मुख्य मंत्री नम्बर वन।

लेकिन इतने मैन्डेट के बाद भी हमारी यशस्वी मुख्य मंत्री महोदया ने राजस्थान की जनता को साथ लिया और एक संकल्प लिया कि अब होगा राजस्थान नम्बर वन। नई जन कल्याणकारी योजनाएं चालू कीं। पुरानी जो योजनाएं थीं, उनमें जो लीकेज या भ्रष्टाचार था, उसको समाप्त किया। ई-गवर्नेंस चालू किया और सारे सिस्टम को ऑनलाइन किया। चार पंक्तियां इसके बारे में कहना चाहूंगी कि,

'सच के संकल्पों के आगे पर्वत भी हिल जाते हैं,
हो अगर हौंसले तो लक्ष्य सभी मिल जाते हैं।
चट्टानों पर बीज नहीं उगते, कहती है दुनिया,
लेकिन हों मजबूत इरादे तो फूल वहां खिल जाते हैं'।

इसी मजबूत इरादे के साथ राजस्थान को नम्बर वन बनाया। आज यह है कि भामाशाह योजना में गोल्ड मैडल, यानी राजस्थान नम्बर वन। स्किल डवलपमेंट में दूसरी बार राजस्थान नम्बर वन। खानों की नीलामी में राजस्थान नम्बर वन। सौर ऊर्जा उत्पादन में राजस्थान नम्बर वन। राष्ट्रीय राजमार्ग नैटवर्क में राजस्थान नम्बर वन। स्वच्छ भारत अभियान में, व्यक्तिगत शौचालय निर्माण में आज राजस्थान नम्बर वन। राशन की दुकानों और अन्नपूर्णा भण्डारों की स्थापना करने में राजस्थान नम्बर वन। 36 हजार ई-मित्रों पर 270 सरकारी सेवाएं और ई-रसीद देने वाला राजस्थान नम्बर वन।

(श्रीमती अलका सिंह)

अब एक नया नम्बर वन और जुड़ गया है, उसके लिए बधाई देना चाहूंगी महिला, बाल विकास मंत्री और हमारी माननीय मुख्य मंत्री महोदया को कि नारी शक्ति पुरस्कार आगामी 8 मार्च को माननीय प्रधान मंत्री जी द्वारा दिल्ली में दिया जाएगा, 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ' में उल्लेखनीय कार्य करने के लिए। यह अंतर है विजन का, सोच का, संवेदनशीलता का और जनता के लिए काम करने के माद्दा का।

उपाध्यक्ष महोदय, इन्होंने बार-बार कहा कि हमारा खजाना खाली हो गया, खजाना खाली हो गया और आज जनता ने इनको खाली कर दिया। लेकिन फिर भी कई चीजों में यह नम्बर वन हैं। देश के सबसे कमजोर विपक्ष नम्बर वन। टुकड़ों में बंटा हुआ विपक्ष नम्बर वन और अनर्गल कमियां निकालने में नम्बर वन।

'बहुत कमियां निकालते हैं हममें ये अक्सर,
आइये जरा एक मुलाकात आइने से करें'।

उपाध्यक्ष महोदय, अब मैं उपलब्धियां बताना चाहूंगी। ऊर्जा और बिजली की बढ़ोतरी में कांग्रेस ने 2957.20 मेगावाट का उत्पादन किया और हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 4752 मेगावाट का उत्पादन किया, करीब डबल। पेयजल पर इन्होंने व्यय किया 5799 करोड़ और हमने व्यय किया 13 हजार करोड़, ढ़ाई गुणा ज्यादा। लाभान्वित गांव और ढाणियां 2775 इनके समय कीं हैं और हमारे समय को 3186 गांव और ढाणियां हैं। सड़क 5 वर्ष में 12554 किलोमीटर आपने बनाई और हमने 3 वर्ष में 14787 किलोमीटर और अभी 22 हजार किलोमीटर का लक्ष्य है। चिकित्सकों की नियुक्तियां 1543 आपने की और हमने 4164 चिकित्सक नियुक्त किये, करीब ढाई गुणा। पर्यटन पर व्यय 5 वर्षों में आपने किया 34 करोड़ 85 लाख और हमने 3 वर्षो में 91 करोड़ 92 लाख व्यय किया, करीब 3 गुणा।

उपाध्यक्ष महोदय, ग्रामीण विकास में आपने 72 करोड़ रुपये खर्च किये और हमने 163 करोड़ खर्च किये, अगेन 3 गुणा। आरयूआईडीपी में 466 करोड़ आपने 5 साल में खर्च किये और हमने 563 करोड़ रुपये 3 वर्ष में खर्च किये। उद्योग विकास पर आपने 1,045 करोड़ रुपये व्यय किये और हमने 2217 करोड़ रुपये किये, डबल किये पहले से। परिवहन में आपने 520 नये परमिट जारी किये थे। हमने 1687 नये परमिट जारी किये। यह रिपोर्ट कार्ड है जो कि हमने 3 साल में आपके 5 साल से ज्यादा विकास का काम किया।

(श्रीमती अलका सिंह)

उपाध्यक्ष महोदय, किसी भी राज्य के विकास के लिए यह जरूरी है कि उसका इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित हो। इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित होगा तो रोजगार बढ़ेंगे। अगर रोजगार बढ़ेंगे तो प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगी। अगर प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगी तो इकानामी को बूस्ट मिलेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर में सबसे पहले मैं सड़कों की बात करना चाहूंगी। माननीय मंत्रीजी यहां विराजमान हैं। हमने 5 साल में 20 हजार किलोमीटर सड़कें बनाने का वादा किया था लेकिन आज 22 हजार किलोमीटर सड़कें बन चुकी हैं, या बन रही हैं। हर दिन 16 किलोमीटर सड़कों का निर्माण हो रहा है, हर दिन 17 किलोमीटर सड़कों का नवीनीकरण किया जा रहा है, प्रतिदिन 5 गांवों को सड़कों से जोड़ा जा रहा है। यह विजन का फर्क है।

हमारी माननीय मुख्य मंत्री महोदया ने गांव के लोग भी गौरवान्वित हो सकें और वहां आधारभूत ढांचे का विकास हो, इसके लिए ग्रामीण गौरव पथों की घोषणा की थी। इसके फर्स्ट फेज में 1972 पंचायत समितियों में 1720 किलोमीटर गौरव पथों का निर्माण हुआ। सैकिण्ड फेज में 2086 पंचायत समितियों में 2098 किलोमीटर सड़कों का निर्माण होगा। इसके साथ-साथ अब तो शहरी गौरव पथों को भी लिया गया है। मिसिंग लिंक में 9 हजार किलोमीटर सड़कों का निर्माण कार्य प्रगति पर है। मैं धन्यवाद देना चाहूंगी माननीय सार्वजनिक निर्माण मंत्रीजी को और माननीय मुख्य मंत्री महोदया को कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में सड़कों की बहुत बुरी हालत थी। वहां से सार्वजनिक निर्माण मंत्री भी रह चुके हैं। लेकिन अब ऐसी-ऐसी सड़कों का निर्माण करवाया गया जो कि 15 सालों से नहीं हुई थीं। मैं क्षेत्र की जनता और मेरी ओर से मंत्रीजी का आभार व्यक्त करना चाहूंगी।

(14.00 बजे)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इन्फ्रास्ट्रक्चर में दूसरी चीज आती है, बिजली। यह बात किसी से छिपी हुई नहीं है कि बिजली की क्या हालत कांग्रेस सरकार ने कर दी थी। पूरा ढांचा चरमरा गया था और हमारी सरकार के सामने चुनौती थी कि हम इस सिस्टम को सुधारें या इसको ऐसे ही छोड़ दें। हमारी माननीय मुख्य मंत्री महोदया ने इस चुनौती को स्वीकार किया और तंत्र को सुधारने का प्रयास किया और उसी प्रयास के तहत 60 हजार करोड़ रुपए आज बजट में उदय योजना के अन्तर्गत लिए हैं। 2008 में जब हम

(श्रीमती अलका सिंह)

लोगों ने सरकार छोड़ी थी तो 15 हजार करोड़ रुपए बिजली का कर्जा था। आज 2013 में जब ये लोग गए तो 80 हजार करोड़ रुपए कर्जा छोड़कर गए और बैंकों ने जब इनको लोन देना बंद कर दिया तो इन्होंने लिखित में समझौता किया कि हम हर वर्ष बिजली की कीमत बढ़ाएंगे लेकिन क्योंकि इनका विजन नहीं था, सोच नहीं था, काम करने का माद्दा नहीं था और इन्होंने कभी नहीं चाहा कि गांव, किसान, मजदूर की व्यथा को ये सुनें और उसके लिए कार्य करें। इन्होंने इस पर बिलकुल ध्यान नहीं दिया। न फीडर रिनोवेशन किया गया, न छीजत को रोकने का प्रयास किया गया, बिजली के ट्रांसमिशन को सुधारने का प्रयास किया गया और उसी का परिणाम हुआ कि जब अभी नियामक आयोग ने बिजली की रेट बढ़ाई वह एक मजबूरी थी लेकिन जब हमारे जनप्रतिनिधि और किसान माननीय मुख्य मंत्री महोदया से मिले तो उन्होंने उन बढ़ी हुई रेटों को वापस ले लिया।

आज प्रभावी वित्तीय प्रबंधन के द्वारा हर वर्ष होने वाला बिजली का घाटा कम होता जा रहा है। जब इन्होंने सरकार छोड़ी तब प्रतिमाह घाटा था 15645 करोड़ रुपए और वर्ष 2015-16 में घाटा हो गया 11240 करोड़ रुपए और कुशल वित्तीय प्रबंधन का फर्क है कि हम यह अनुमान लगा रहे हैं कि इस वर्ष यह घाटा हो जाएगा 3700 करोड़ रुपए।

उत्पादन क्षमता 3 वर्ष में 5086 मेगावाट बढ़ी है और अब तक इतनी स्थिति खराब होने के बावजूद 1 लाख 27 हजार कृषि कनेक्शन हमारी सरकार ने जारी किये हैं। 17 लाख 87 हजार घरेलू कनेक्शन जारी किए हैं और वर्ष 2017 तक हमारा लक्ष्य हो 400 केवी का एक, 200 केवी के चार, 132 केवी के नौ और 33 केवी के 143 जीएसएस हम स्थापित कर देंगे।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं धन्यवाद देना चाहूंगी, माननीय बिजली मंत्रीजी को कि मेरे यहां पर बहुत समय से अवेटेड था, इस जीएसएस का निर्माण कराया गया और उसका उद्घाटन माननीय मंत्रीजी ने ही किया था और एक शहर के लिए और जीएसएस स्थापित होने जा रहा है।

किसानों को 9 हजार करोड़ रुपए का वार्षिक अनुदान हमारी सरकार ने दिया। सबसे बड़ी योजना, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, इसमें जगह-जगह कैम्पस लगाकर घरेलू कनेक्शन देने की योजना है, इसमें 7 लाख 60 हजार घरेलू कनेक्शन अभी तक दे दिए गए हैं। बिजली पर इतनी ज्यादा

(श्रीमती अलका सिंह)

निर्भरता नहीं रहे इसलिए किए गए प्रयासों से वैकल्पिक ऊर्जा के उत्पादन में, सौर ऊर्जा में आज राजस्थान देश में प्रथम है। 1252 मेगावाट ऊर्जा सौर ऊर्जा के तहत उत्पादित हो रही है और हम विंड पावर को बढ़ाने पर भी जोर दे रहे हैं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए सरकारी नौकरियां पर्याप्त नहीं हो सकतीं। कांग्रेस का शासन रहे या हमारा शासन, सरकारी नौकरियों की लिमिटेशंस हैं, इसलिए युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए, उनको स्वावलंबी बनाने के लिए आवश्यक है स्किल इंडिया, उनको स्किल किया जाए और प्राइवेट सैक्टर में उनके लिए रोजगार की व्यवस्था की जाए। इसके तहत हमारी सरकार ने रिसर्जेंट राजस्थान 2015 किया था। उसमें 3.38 करोड़ रुपए के एमओयू हुए थे और उनमें से कई योजनाएं आज धरातल पर आ गई हैं और उसमें होटल, शिक्षण संस्थाएं, पार्क और ऐसी चीजों का निर्माण होना था ताकि युवाओं को रोजगार मिले। 17040 हैक्टेयर भूमि का आबंटन अभी तक हो चुका है। उसी के साथ-साथ उद्योगों को आकर्षित करने के लिए ईज आफ डूइंग बिजनस के तहत हमारी सरकार ने रीको के मार्फत से 1677 एकड़ भूमि अवाप्त की है और आधारभूत संरचनाओं के निर्माण के लिए उद्योग फ्रेंडली एन्वायरनमेंट हो, उसके लिए 584 करोड़ रुपए का खर्चा किया है। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग, यह आज की आवश्यकता है उसके लिए मेमोरेंडम पोर्टल का निर्माण किया गया है और उसमें आनलाइन पंजीयन किया गया ताकि बिचौलियों की व्यवस्था खतम हो जाए और जो उद्योग धंधे लगाने के लिए यहां आ रहे हैं, जो युवा उद्योग धंधे लगाना चाहते है उनको आफिसेज के चक्कर नहीं काटने पड़े। इसके तहत अभी तक 31525 इकाइयों का पंजीयन हो चुका है, उसमें 11763 करोड़ रुपए का निवेश भी हो चुका है इससे 4 लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, उद्योग तभी आते हैं जब पानी, बिजली और सड़क के साथ-साथ कुशल, अर्द्ध कुशल श्रमिकों की व्यवस्था भी हो और उसके लिए आवश्यक है कि उनको, हमारे युवाओं को स्किल ट्रेनिंग दी जाए। हमारी यशस्वी मुख्य मंत्री महोदया ने इसके लिए कौशल नियोजन और उद्यमिता विभाग का गठन किया है। उस विभाग के अन्तर्गत कौशल प्रशिक्षण दिया जाता है और रोजगार शिविरों का आयोजन किया जाता है। कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रमों में अभी तक 1 करोड़ 27 लाख युवा प्रशिक्षित हो चुके हैं

(श्रीमती अलका सिंह)

और 326 रोजगार सहायता शिविरों में 2.39 लाख बेरोजगार लाभांवित हो चुके हैं। हमने 2 कौशल यूनिवर्सिटीज का निर्माण भी किया है ताकि अलग-अलग स्किल्स की ट्रेनिंग यहां के युवा ले सकें। स्कूल शिक्षा में भी करीब 620 विद्यालयों में हमने स्किल ट्रेनिंग की व्यवस्था की है और इसके तहत 10 लाख गैर सरकारी और 1 लाख सरकारी नौकरियां आज तक हम दे चुके हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वर्ष 2008-09 में औसत रोजगार दिवस जहां 69 थे, वहीं वर्ष 2011-12 में कांग्रेस की नीतियों के कारण वह 42 ही रह गए।

उद्योगों के साथ-साथ ग्रामीण विकास। हमारा राज्य गांवों में बसता है, जब तक ग्रामीण क्षेत्र का विकास नहीं होगा, तब तक राज्य के विकास की बात करना बेमानी है। ग्रामीण विकास का बजट भी हमने कांग्रेस के राज से दोगुना कर दिया है। वर्ष 2011-12 में इनका बजट था 1206.45 करोड़ रुपए, हमने वर्ष 2015-16 में बढ़ाकर 2457.17 करोड़ कर दिया है। पूर्ववर्ती सरकार के समय में केन्द्र की जो योजनाएं आती थीं उनमें 13 में से 11 प्रोजेक्ट्स में काम ही नहीं हुआ था और 60 परसेंट पैसा ग्रामीण विकास का खर्च नहीं किया गया था। उपाध्यक्ष महोदय, इससे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि किस तरह की योजनाएं पूर्ववर्ती सरकार चला रही थी और इनका क्या सोच था, गांव और गांव के व्यक्तियों के लिए। हमारी माननीय मुख्य मंत्रीजी ने मुख्य मंत्री आदर्श ग्राम योजना चालू की, इसके तहत 197 गांवों का चयन किया गया ताकि उनमें आधारभूत सुविधाओं का विकास हो और वहां के लोग भी पानी, बिजली, सड़क, जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं उनके लाभ लें और वह भी अच्छा जीवन व्यतीत कर सकें।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालय निर्माण में हमारा नम्बर वन है। मुख्य मंत्री स्वच्छ ग्राम योजना में 125 करोड़ रुपए का प्रबंध किया है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमने गांधीजी को उनके सपने स्वच्छता के साथ जोड़ा और आप लोगों ने गांधीजी को एक परिवार के साथ जोड़ दिया, यह है सोच का अंतर।

हम लोगों ने स्वच्छता के साथ महात्मा गांधी नरेगा में इनके समय पर जो होता था मिट्टी डालो, मिट्टी उठाओ और काम हो जाता था। बोलेरो सरपंच एक नई डेफिनिशन हो गई थी और एक नया व्यक्तित्व आ गया था, 'बोलेरो सरपंच', सरपंच बनते थे और नरेगा की वजह से बोलेरो लेकर आ जाते

(श्रीमती अलका सिंह)

थे। हमारे पूर्व प्रधान मंत्री जो कि इनकी पार्टी से थे, उन्होंने भी कहा था कि मैं सौ रुपए भेजता हूं और नीचे पंद्रह रुपए पहुंचते हैं लेकिन हमारी सरकार ने यह व्यवस्था की है कि यदि किसी को सौ रुपए दिए जाते हैं तो पूरे सौ के सौ रुपए उसके खाते में पहुंचे इसके लिए आनलाइन पेमेंट की व्यवस्था की है। इसके अलावा मनरेगा में अब पक्के काम भी जोड़ दिए गए हैं। मनरेगा को कृषि से जोड़ा है ताकि किसान पोंड्स बनवा सकें, मेड़ बंदी करवा सकें और जब इस तरह के काम नरेगा के मार्फत होंगे तो निश्चित रूप से किसान की आमदनी बढ़ेगी, हमारे ग्रामीण क्षेत्रों का विकास होगा, हमारी परिसम्पत्तियों का निर्माण होगा। आज हम सड़क बना सकते हैं, मेड़ बंदी कर सकते हैं, गोदाम बना सकते हैं इस योजना के तहत।

एक और चीज बताना चाहूंगी कि गैस सब्सीडी और नरेगा में सिस्टम सुधारने के साथ ही एक साल के अन्दर-अन्दर देश का 36 हजार करोड़ रुपए बचा है। आप इससे अंदाज लगा सकते हैं कि किस तरह की योजनाएं और किस तरह का काम कांग्रेस के समय पर चल रहा था, न कोई मोनिटरिंग थी न कोई देखा जाता था न कोई आगे बढ़ने का सोचता था, न किसी को रिलीफ देने का सोचता।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारे राज्य के किसान ज्यादातर कृषि और पशुपालन पर निर्भर है। इकोनोमी की ग्रोथ के लिए कृषि विकास होना बहुत जरूरी है इसके लिए ग्लोबल एग्रोटेक मीट हमारी सरकार ने आयोजित की थी जिसमें 58 हजार किसानों ने भाग लिया था। 4400 करोड़ के 38 एमओयू उसके अन्दर हुए थे जिसके अन्तर्गत किसानों को उन्नत कृषि की जानकारी देने की योजनाएं थीं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इनके समय पर किसानों को एक्सीडेंट और अन्य दुर्घटना पर जो रिलीफ दी जाती थी वह 50 हजार रुपए थी और हमने उसे 5 लाख कर दिया। उसमें भी 54 रुपये प्रीमियम लगता है उसमें से 27 रुपया सरकार द्वारा दिया जाता है। इसमें दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों को भी जोड़ा है। हमारी सरकार की एक बड़ी उपलब्धि है साइल हैल्थ कार्ड। उसके अन्तर्गत किसान को उसकी फसल के बारे में उसकी भूमि के अनुरूप फसल करने की जानकारी दी जाती है, उससे उसके समय और पैसे की बचत होती है।

किसानों के लिए किसान काल सेंटर की शुरुआत की थी। हमारी सरकार ने 2008 के समय जब हम राज में थे उस समय यह चालू की थी जो

(श्रीमती अलका सिंह)

किसानों को सहायता देने वाली स्कीम है। फसल बीमा योजना के अन्तर्गत 50 परसेंट की जगह 33 परसेंट मुआवजे की व्यवस्था की और यूनिट तहसील के बजाय किसान को बनाया। अभी पिछली बार जब विधान सभा चल रही थी, जब ओलावृष्टि हुई थी तो हमारी संवेदनशील मुख्य मंत्री महोदय ने विधान सभा की दो दिन की छुट्टी करके हम सभी को क्षेत्र में भेजा था। हम उस किसान, उस व्यक्ति के बारे में सोचें जो हमारे लिए अन्न की आपूर्ति करता है और उसी के तहत हम लोग सर्विस डिलीवरी में विश्वास करते हैं। 1 करोड़ 99 लाख किसानों को 3412 करोड़ का मुआवजा हमारी सरकार द्वारा दिया गया।

2008 में कृषि का जीडीपी में योगदान 5 परसेंट था, लेकिन कांग्रेस के आने के बाद वह 2.3 परसेंट हो गया। अब हमारी सरकार ने किसानों के फायदे के लिए, किसानों को सुविधा प्रदान करने के लिए कृषि यंत्र बैंक की भी स्थापना की है। उसके अन्तर्गत कोई भी व्यक्ति यदि वह अफोर्ड नहीं कर सकता है तो किराये पर वह सारे संसाधन ले सकता है जिससे वह कृषि को उन्नत कर सके और अच्छा उत्पादन कर सके।

सहकारिता क्षेत्र की बात की जाय तो सहकारी बैंकों में कांग्रेस के समय 12 प्रतिशत ब्याज पर ऋण दिया जाता था। हमने उसे घटाकर 7.1 परसेंट कर दिया है। पूर्ववर्ती सरकार के समय कोर बैंकिंग प्लेटफार्म की घोषणा की थी। लेकिन वे कुछ भी नहीं कर पाये। हमारी सरकार आने के बाद एक साल के अन्दर ही कोर बैंकिंग व्यवस्था चालू कर दी है। एक और सबसे बड़ी बात है भ्रष्टाचार और लीकेज की इनके समय में गृह निर्माण सहकारी समितियां। पुराने कागज रख लेती हैं, पट्टे दे देती हैं। सबसे ज्यादा गड़बड़, घोटाला, भ्रष्टाचार इन सहकारी समितियों में है। जब हमारी सरकार माननीय मुख्य मंत्री महोदय के नेतृत्व में राजस्थान में आयी थी तो आडिट सिर्फ चार गृह निर्माण सहकारी समितियों का था। भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा गढ़ ये गृह निर्माण सहकारी समितियां थीं। आज 65 परसेंट का आडिट हो चुका है और अब सिर्फ तीन महीने इन सहकारी समितियों को दिये गये हैं कि ये अपना आडिट करवा लें अन्यथा इनका लिक्विडेशन कर दिया जाएगा।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सार्वजनिक वितरण प्रणाली की बात की जाय। इनके समय में यह हालत थी कहीं 110 परसेंट राशन मिलता था तो कहीं 5 परसेंट। असमानता थी। ट्रक के ट्रक गायब हो जाते थे, कोई मानिटरिंग नहीं थी। ईवन पूरे राशन कार्ड भी नहीं बने हुए थे। हमारी सरकार

(श्रीमती अलका सिंह)

आने के बाद राशन कार्ड बनवाये गये। जब राशन कार्ड को आधार कार्ड के साथ जोड़ा तो 58 लाख राशन कार्ड फर्जी पाये गये। यह बहुत बड़ा आंकड़ा है। हमारी सरकार ने पारदर्शिता लाने के लिए पोस मशीन की स्थापना की। पोस मशीन की स्थापना के बाद 2 करोड़ 30 लाख लोग इससे लाभान्वित हो रहे हैं। उनके पास मोबाइल पर मैसेज आ जाता है। पूरी तरह से पारदर्शी सिस्टम है।

ग्रामीण क्षेत्रों की सुविधा के लिए अन्नपूर्णा भण्डारों की व्यवस्था की गयी। इनके अन्तर्गत उचित मूल्य पर ब्रान्डेड व ऐसी सामग्री वहीं ग्रामीण क्षेत्र में उपलब्ध करा दी जाती है जिससे ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को बाहर भी नहीं जाना पड़ता और पूरी सुविधा मिल जाती है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान में पानी की भारी कमी है। 11 परसेंट भूभाग में से सिर्फ एक परसेंट भूभाग पर पानी है। आज हमारे 294 ब्लाक्स में से 200 ब्लाक डार्कजोन में हैं। वर्षा जल के समुचित उपयोग के लिए आज तक किसी के द्वारा नहीं सोचा गया और वर्षा जल संग्रह करना ही एकमात्र हमारे पास रास्ता है क्योंकि पानी एक ऐसी चीज है जिसे हम पैदा नहीं कर सकते। हमारे किसान और हम सभी पूर्ण रूप से वर्षा पर निर्भर करते हैं। हमारी माननीय मुख्य मंत्री महोदया ने उसके लिए जल स्वावलम्बन अभियान की शुरुआत की और इसे अभियान का नाम दिया ताकि जनसहभागिता, जनता का जुड़ाव इसके साथ हो क्योंकि पानी के लिए सोचना बहुत आवश्यक है। आज फर्स्ट फेज में 50 ब्लाक डार्कजोन से बाहर आ चुके हैं। अब तक 3529 गांवों में पीने व खेती के पानी की व्यवस्था हो चुकी है। सैकिण्ड फेज में 4200 गांवों में इसका फायदा होने वाला है। इस पर भी हमारे प्रतिपक्षी सदस्यों ने ऐतराज किया और बार-बार इन्होंने कहा खा गये, खा गये। खाने का लाइसेंस आपके पास है। हमारे पास नहीं है। हम लोग तो जनता को रिलीफ पहुंचाने का काम करते हैं। इसके लिए हमने ये सारी चीजें कीं, सारा सिस्टम आनलाइन है। आपको कुछ भी देखना है तो मैं आपको साइट का एड्रेस बता सकती हूं, थोड़ा टेक्नो-फ्रेंडली बनिए। water.rajasthan.gov.in.mgrs, इस पर पूरी की पूरी सूची उपलब्ध है, किसने कहां कितना पैसा दिया, कितना पैसा किस योजना में खर्च हुआ, किसने अपना श्रम दिया, किसने अपनी मशीनरी दी और इससे कितना फायदा हुआ।

(श्रीमती अलका सिंह)

इसके अलावा भी आप प्रत्यक्ष देखना चाहते हैं तो यहां दौसा के माननीय सदस्य शंकरजी बैठे होंगे, उनके यहां एक गेटोलाव तालाब है, बहुत उजड़ी हुई स्थिति में था, आज आप वहां देखिए, पानी से लबालब है और प्रवासी पक्षी आ रहे हैं। अभी वहां पर जिला प्रशासन ने एक कार्यक्रम रखा था, जो पक्षी एक्सपर्ट हैं वे भी वहां पर गये थे। वह क्षेत्र अब एक पर्यटन क्षेत्र के रूप में विकसित हो रहा है। पानी की समस्या का भी समाधान हो रहा है और राज्य को उससे आय भी हो रही है क्योंकि वह एक पर्यटन स्थल बनता जा रहा है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, किसी भी समाज को सशक्त बनाने के लिए मातृशक्ति को सशक्त बनाना बहुत आवश्यक है क्योंकि वह आधी आबादी होती है। हम कितना ही विकास कर लें, अगर राज्य की आधी आबादी के बारे में नहीं सोचा जाएगा तो निश्चित रूप से विकास के मतलब बेमानी हो जाएंगे। हमारी माननीय मुख्य मंत्री महोदया ने 2007 में भामाशाह योजना की शुरुआत की थी। आज भामाशाह योजना की सराहना पूरे देश में हो रही है। लेकिन कांग्रेस ने आने के बाद, क्योंकि ये न किसान के बारे में सोचते हैं, न महिला के बारे में, न युवा के बारे में, न गांवों के बारे में। इन्होंने उस योजना को बंद कर दिया। हमारी माननीय मुख्य मंत्रीजी ने आते ही पुनः उस योजना को चालू किया और अब उसके साथ आधार कार्ड और परिवार को मिलने वाले लाभ को उसके साथ जोड़ा तथा बैंक अकाउंट उसके साथ जोड़ा। आज 1 करोड़ 30 लाख परिवार भामाशाह योजना से लाभान्वित हो रहे हैं। 5 हजार करोड़ रुपया बैंकों में जमा हो चुका है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कैशलैस इकानोमी के लिए मैं यह कहूं तो अतिशयोक्ति नहीं होगी कि शुरुआत राजस्थान से हुई। 2007 में जब भामाशाह योजना चालू की थी तब महिलाओं के बैंक खाते में डाइरेक्ट पैसा जमा कराया था। यह कैशलेस इकानोमी की शुरुआत है। अजमेर को इस कैशलैस इकानोमी में आने के लिए देश के प्रथम 5 जिलों में से एक मानकर अभी माननीय प्रधान मंत्रीजी ने पुरस्कृत किया है। उसके लिए मैं अजमेर जिले के विधायकों को साधुवाद देना चाहूंगी। आज हमारी सरकार किसान, गरीब, महिला सबके बारे में सोचने वाली सरकार है।

कोई भी गरीब व्यक्ति इलाज के बिना सफर नहीं करे इसके लिए भी व्यवस्था की है। भामाशाह स्वास्थ्य योजना, 30 हजार से 3 लाख तक कैशलैस

(श्रीमती अलका सिंह)

इलाज और इसमें 6 लाख लोगों का नि:शुल्क इलाज इसमें हो चुका है और 4.5 करोड़ लोग बीमा के दायरे में आ गये हैं। भामाशाह निर्माण श्रमिक योजना चालू की जिसमें 14 लाख श्रमिकों को अभी तक लाभान्वित किया जा चुका है।

हमारी सरकार ने बच्चियों के बारे में भी सोचा क्योंकि आज बच्चियों की जो स्थिति है उसके लिए हमारे समाज को सोचने की आवश्यकता है। हमारी सरकार ने राजश्री योजना चालू की और बारहवीं तक जब बच्ची आएगी, उसके जन्म से लेकर बारहवीं तक की शिक्षा के लिए 50 हजार रुपये का प्रावधान किया है। मुख्य मंत्री सक्षम बालिका योजना के अन्तर्गत सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग बच्चियों को दी जाती है।

इन सभी भामाशाह योजनाओं के लिए भामाशाह प्राधिकरण का गठन किया गया। सिर्फ योजनाएं बनाने से काम नहीं चलता जब तक उनकी प्रभावी मानिटरिंग नहीं हो। इस मानिटरिंग की व्यवस्था हमारी माननीय मुख्य मंत्री महोदया ने की है।

आज पेंशन की बात करें। पूर्ववर्ती सरकार के समय पेंशन 5-5, 6-6 माह मिलती नहीं थी और यदि मिलती थी तो डाकिया जाता था और आधा पैसा ले लेता था। मैं माननीय सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री महोदय को धन्यवाद देना चाहूंगी कि हमारी सरकार ने ऐसी व्यवस्था की है, माननीय मुख्य मंत्रीजी के कुशल नेतृत्व में कि पेंशन योजना आनलाइन हो गयी है और 97 परसेंट पेंशन का भुगतान आनलाइन किया जा रहा है।

स्कालरशिप में चार साल का बैकलाग था। कांग्रेस के समय, पूर्ववर्ती सरकार के समय स्कालरशिप एक तरह से बंद थी, लेकिन हमारी सरकार आने के बाद आज सिर्फ चार महीने का बैकलाग रहा है और सारी व्यवस्था आनलाइन हो गयी है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जनकल्याण की विभिन्न योजनाएं संचालित होती हैं, लेकिन धरातल पर फिर भी उनके एक्जीक्युशन में कई बार समस्याएं आती हैं, कई बार तंत्र सपोर्ट नहीं करता है, कई बार योजनाओं की पूरी जानकारी नहीं होती है तो इसकी प्रभावी मानिटरिंग के लिए माननीय मुख्य मंत्री महोदया ने व्यवस्था की और मानिटरिंग खुद के हाथ में ली।

हमारी सरकार ने आते ही 'सरकार आपके द्वार' कार्यक्रम शुरू किया।

(श्रीमती अलका सिंह)

उसमें सम्भाग स्तर पर सारे प्रिंसिपल सैक्रेट्रीज, सैक्रेट्रीज, सारा मंत्रिमण्डल और सभी लोग तहसील लेवल पर पंक्ति के अंतिम उस व्यक्ति के घर तक गये जहां से विकास की शुरूआत होना या सबसे ज्यादा विकास की जिसको जरूरत है। उसके अन्तर्गत 3 लाख 15 हजार आवेदन प्राप्त हुए उनमें से 3 लाख 14 हजार आवेदनों का निस्तारण कर दिया गया है।

इसके अलावा 'आपका जिला आपकी सरकार', माननीय मुख्य मंत्री महोदया स्वयं जिलों में गईं और त्रिस्तरीय व्यवस्था की। वहां उन्होंने जो डिस्ट्रिक्ट लेवल के आफिसर्स हैं उनकी मीटिंग की ताकि इन जन-कल्याणकारी योजनाओं का प्रभावी संचालन हो सके और अगर कहीं कुछ कमी है तो उसको भी देखा जाए, उसको सुधारा जाए। इसके अलावा डायरेक्ट जनता से संवाद स्थापित किया ताकि कम्पलीट सही फीडबैक आ सके और औचक निरीक्षण किया गया। लेकिन उसकी भी आलोचना हमारे जो प्रतिपक्षी मित्र हैं उनके द्वारा की गईं क्योंकि इन्होंने कभी फील्ड में जाकर नहीं देखा। ये ए.सी. में बैठे-बैठे ही व्यवस्था करते थे और यहीं से मानिटरिंग करते थे। कभी आनलाइन कोई चीज नहीं की और इनके यहां पर हमेशा बिचौलियों का ही राज रहा। तो हमारी मुख्य मंत्री महोदया जनता के बारे में सोचने वाली हैं। उसके बाद मंत्रिमण्डल समूह भेजे गये। इनके मंत्री जाते थे तो सिर्फ घूमने-फिरने के लिए या पर्यटन के लिए जाते थे पर हमारा मंत्रिमण्डल, 4-5 मंत्री जिलों में गया, जनता से संवाद स्थापित किया, जन-कल्याणकारी योजनाओं के संचालन की मानिटरिंग की जानकारी ली और उसी तरह से जितने भी वहां अधिकारी हैं उनको चाक-चौबन्द करने का काम किया। अगर कहीं कोई कमी पकड़ी गई तो उसके खिलाफ तुरन्त एक्शन किया गया।

इसके बाद भी अगर कोई परेशानी है तो 'सम्पर्क पोर्टल' है जो हमारी सरकार का बहुत ही क्रांतिकारी कदम है। आनलाइन आप अपनी जो भी परिवेदना है वो दे सकते हैं और उस परिवेदना को दे ही नहीं सकते, उसकी प्रगति को आप आनलाइन देख सकते हैं कि आपकी एप्लीकेशन कहां तक पहुंची, कहां तक आपकी परिवेदना को एड्रेस किया गया, उसमें क्या निर्णय लिया गया और उसकी पूरी सूचना आपको दी जाती है। इसके तहत अभी तक 9 लाख समस्याओं का समाधान हमारी सरकार द्वारा कर दिया गया है।

एक और जनता को रिलीफ पहुंचाने वाली योजना 'न्याय आपके द्वार'

(श्रीमती अलका सिंह)

है जो राजस्व मामलों को निपटाने के लिए है। हमारे जो ग्रामीण क्षेत्र हैं उनमें जमीनों की लड़ाई, परिवारों की लड़ाई सदियों से चली आ रही थी और अभी तक इसको एड्रेस करने के बारे में किसी ने भी नहीं सोचा था। सामाजिक समरसता के लिए, सामाजिक विषमता को दूर करने के लिए यह सबसे बड़ा कदम था हमारी सरकार का और इसके अन्तर्गत 68 लाख मामलों का निपटारा सरकार द्वारा किया गया। मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि पूरे राज्य में बांदीकुई मेरा विधान सभा क्षेत्र है वो सैकण्ड नम्बर पर रहा राजस्व मामलों को निपटाने में। ई-मित्र के द्वारा भी 270 सरकारी सेवाओं की रसीद दी जाती है। उसके बाद सबसे बड़ा 'दीनदयाल उपाध्याय जन-कल्याण शिविर'। हर फ्राइडे को हर पंचायत समिति में यह शिविर लगता है और उसमें 17 विभागों की 70 सेवाएं होती हैं। मुझे यह बताते हुए खुशी है कि प्रतिपक्षी भले ही कुछ भी बोलते हों लेकिन ये लोग भी उन शिविरों में जाते हैं और ये मानते हैं कि जनता के कल्याण के लिए लगाये गये ये शिविर वास्तव में बहुत लाभदायक हैं, जनता को बहुत फायदा इनसे पहुंच रहा है। हमारी सरकार लिप-सर्विस नहीं, वास्तविक लाभ देने वाली सरकार है।

उपाध्यक्ष महोदय, विकास की कितनी भी योजनाएं हों पर जब तक शांति व्यवस्था नहीं होती, कानून व्यवस्था, लॉ एण्ड आर्डर सही नहीं होता तब तक हैप्पीनैस इंडेक्स नहीं बढ़ता है। इस हैप्पीनैस इंडेक्स को बढ़ाने के लिए हमारी सरकार ने उचित अधिकारियों को पुलिस विभाग में उचित जगह पर पोस्ट किया, उनके लिए ट्रेनिंग की व्यवस्था की और उनका आत्मविश्वास बना रहे उसके लिए व्यवस्था की। आज मैं ए.सी.बी. को बधाई देना चाहूंगी, माननीय गृह मंत्रीजी यहां नहीं हैं, उनको और हमारी माननीय यशस्वी मुख्य मंत्री महोदया को कि आज ए.सी.बी. बिल्कुल खुले रूप में काम कर रहा है, उस पर कोई राजनीतिक दबाव नहीं है और पहली बार बड़ी मछलियों को, बड़े लोग जो करप्शन करते हैं उनको पकड़ा है, जेल में डाला है। पूर्ववर्ती सरकार के समय पकड़े जाते थे पटवारी और ग्राम सेवक। बड़ी मछलियों पर हाथ इसलिए नहीं डाला जाता था क्योंकि उनको एक तो राजनीतिक संरक्षण होता था और एक इन लोगों की भी अच्छी दोस्ती उधर हुआ करती थी। इसी वजह से आज आई.पी.सी. के अपराधों में 14 प्रतिशत की कमी आई है।

उपाध्यक्ष महोदय, चाहे औद्योगिक क्षेत्र हो, इन्फ्रास्ट्रक्चर हो, सड़क हो, बिजली हो, पानी हो, युवा, किसान, गरीब, ग्रामीण विकास, सभी क्षेत्रों में

(श्रीमती अलका सिंह)

हमारी माननीय मुख्य मंत्रीजी ने अभूतपूर्व कार्य किया है और ई-गवर्नेंस को बढ़ावा दिया है। सबसे बड़ा काम किया है लीकेज को रोकना, भ्रष्टाचार को कम करना। ये हैं हमारी माननीय मुख्य मंत्री जी की संकल्प शक्ति और विजन। आज इस विजन का ही परिणाम है कि राज्य बीमारू राज्यों से बाहर निकल चुका है, आज एक विकसित राज्य की हमारी छवि हो गई है। मैं उम्मीद करती हूं कि हमारा राज्य विकास की नई ऊंचाइयों को छूएगा।

अब मैं दो पंक्तियों के साथ अपनी बात समाप्त करना चाहती हूं:-

"बनाकर रख देंगे मुकम्मल फिजां जमाने की,
हमें तो जिद है नया राजस्थान बनाने की।"

जय-जय राजस्थान।

श्री उपाध्यक्ष: श्री रामलाल शर्मा।

धन्यवाद प्रस्ताव पर वाद-विवाद

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से उक्त प्रस्ताव का अनुमोदन करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, इस गरिमामय सदन में महामहिम राज्यपाल महोदय ने जो अभिभाषण दिया है यह अभिभाषण सरकार का दर्पण की तरह से है। उपाध्यक्ष महोदय, यह जरूर है कि यह पवित्र सदन ईंट और पत्थर से बना हुआ दिखाई देता है लेकिन इस पवित्र सदन के अन्दर कोई भी आवाज निकलती है या कोई भी बात होती है वो प्रदेश के अवाम् को प्रभावित करती है। उपाध्यक्ष महोदय, इस पवित्र सदन के अन्दर कई माननीय सदस्यों ने अपने अनुभव, अपनी बुद्धि और अपने विवेक के आधार पर इस राजस्थान प्रदेश के अवाम् को लाभ पहुंचाने के लिए कानून की व्यवस्था भी की है, कानून पारित करने का काम भी किया है, उसके लिए जन-कल्याणकारी योजनाएं बनाने का काम भी किया है और उसके लिए शांति व्यवस्था बनाये रखने के लिए भी अनेकों कदम उठाये हैं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं धन्यवाद दूंगा प्रदेश की यशस्वी मुख्य मंत्री माननीय वसुंधरा जी को कि उन्होंने आज इस अवसर पर आपके माध्यम से बोलने का एक अवसर दिया। पिछले तीन साल में जिस विजन को लेकर माननीय मुख्य मंत्री महोदया चली हैं, मैं आंकड़ों के आधार पर इस चीज को प्रमाणित करूंगा कि उनका विजन आज पूरे अवाम् के

(श्री रामलाल शर्मा)

साथ एक न्याय की दृष्टि से, एक जन-कल्याण की दृष्टि से और आने वाले समय में राज्य के परिवारों के लोगों के चेहरों पर खुशियां पहुंचाने का काम माननीय वसुंधरा जी की योजनाओं ने किया है।

उपाध्यक्ष महोदय, सबसे पहले बांदीकुई से आने वाली माननीय सदस्या ने जो बात रखी है उसी को मैं आगे बढ़ाऊंगा। उपाध्यक्ष महोदय, भामाशाह योजना एक ऐसी योजना थी जिसके नाम से ही है कि भामाशाह, यानी जिसने संकट के समय अपना सब कुछ देकर राष्ट्र की अस्मिता बचाने के लिए, समाज का जो सामाजिक ढांचा है वो किसी भी तरीके से बना रहे उसके लिए उन्होंने सब कुछ न्यौछावर किया।

उपाध्यक्ष महोदय, जब 2003 से 2008 तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार वसुंधरा जी के नेतृत्व में चल रही थी और उस समय उन्होंने पहली भामाशाह योजना लागू की उसमें पहली बार बी.पी.एल. की जो महिला थी उस महिला के खाते में पैसे जाने की शुरूआत हुई। उपाध्यक्ष महोदय, पहली बार महिला को इस योजना का मुखिया इसलिए बनाया गया कि महिला अगर सशक्त रहेगी तो वो परिवार को बांधकर रख सकती है, वो परिवार को चला सकती है, वो संकट के समय भी अपने परिवार को संकट से बाहर निकालकर ला सकती है और इस ध्येय के आधार पर तत्कालीन समय में इस योजना में 160 करोड़ रुपये जमा किये गये। उस समय न केवल योजना की घोषणा की गई बल्कि उसके लिए पूरा वितीय प्रबन्धन भी किया गया। उपाध्यक्ष महोदय, उस समय 8 हजार कार्ड वितरित किये गये थे, 45 लाख 78 हजार महिलाओं का नामांकन भी किया गया था। लेकिन दु:ख तो इस बात का है कि जो कल्याणकारी योजना थी और जब सरकार बदली तो पूर्ववर्ती सरकार ने 5 साल तक इस योजना को आगे बढ़ाने का काम नहीं किया और इस योजना को पूर्ण रूप से बन्द करने का काम किया। उपाध्यक्ष महोदय, मुझे यह बताते हुए खुशी है कि जो मेवाड़ की धरती राजस्थान ही नहीं, पूरे हिन्दुस्तान को गौरवान्वित करने वाली धरती है उस धरती से 15 अगस्त, 2014 को इस योजना का दोबारा शुभारम्भ किया गया और दोबारा शुभारम्भ जब इस योजना का किया गया तो इस योजना के अन्दर और एडिशनल कई चीजें जोड़ी गईं। आज मुझे बताते हुए खुशी इस बात की है। जिस बात के लिए हम गांवों के अन्दर जाते थे। हमारे सामने एक ही संकट आता था कि डीलर मुझे गेहूं नहीं

(श्री रामलाल शर्मा)

दे रहा। जो पेंशन वाला डाकिया है, वह डाकिया मुझे पेंशन समय पर नहीं दे रहा। जो दे रहा है तो उसके अन्दर बार्गेनिंग करने का काम करता है। आज इस भामाशाह योजना से चार योजनाओं को जोड़ा गया चाहे वह नरेगा को जोड़ा गया, खाद्य सुरक्षा योजना को इससे जोड़ा गया। आपकी जननी सुरक्षा योजना को इससे जोड़ा गया और सामाजिक सुरक्षा योजना को भी इससे जोड़ा गया है। उपाध्यक्ष महोदय, आज आप भी ग्रामीण क्षेत्र के अन्दर दौरा करते हैं। कोई भी व्यक्ति इस बात की शिकायत लेकर नहीं आता कि मुझे डीलर अनाज नहीं दे रहा। मेरी पेंशन मुझे समय पर नहीं मिल रही। आज एक पारदर्शिता पूर्ण तरीके से, जिसका हक था, उस हक का पैसा उसके खाते के अन्दर ट्रांसफर हो रहा है।

उपाध्यक्ष महोदय, आज पूरे प्रदेश के अन्दर लगभग 40,000 ई-मित्रों की स्थापना की गई है। जो पहले बैंकों के अन्दर कई किलोमीटर दूर चलकर आते थे। आज ग्राम पंचायतों के अन्दर भी, अटल सेवा केन्द्र के ऊपर पूरे प्रदेश के अन्दर लगभग 1,500 माइक्रो एटीएम स्थापित किये गये हैं। लगभग 26,000 बैंकिंग संवादकर्ता भी नियुक्त किये गये हैं और जिस तरीके से भामाशाह योजना और जिस तरह से आईटी क्षेत्र के अन्दर काम हुआ है, उस काम की प्रशस्ति-पत्र केन्द्र सरकार ने भी राजस्थान सरकार को दी है। मैं मानता हूं कि आने वाले समय के अन्दर इस योजना के अन्दर और भी प्रगति होगी और प्रगति के साथ-साथ आमजन को इस योजना के माध्यम से सुविधाएं भी मिलेंगी।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा और धन्यवाद इस बात का देना चाहूंगा, इस योजना से जोड़ा गया भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना को। उपाध्यक्ष महोदय, यह एक ऐसी योजना है। इस योजना में कई लोग गरीबी की वजह से, जब उनके बुखार या सिरदर्द होता है तो अपना इलाज कराना तो दूर की बात है, वह डाक्टर के पास जाना भी पसन्द नहीं करते थे और वह डाक्टर के पास इसलिए जाना पसंद नहीं करते थे कि मेरा इलाज तो बाद में शुरू होगा, मेरी जेब के अन्दर जांच कराने के लिए भी पैसा नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय, प्राइवेट हास्पिटलों की स्थिति तो यह थी कि उसके अन्दर कदम रखने से भी उसको डर लगता था कि पता नहीं, इसमें क्या होगा। लेकिन मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, भामाशाह स्वास्थ्य

(श्री रामलाल शर्मा)

बीमा योजना एक ऐसी जीवनरेखा योजना साबित हुई है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको बताना चाहूंगा, यह जो कार्ड दिया गया है, यह भामाशाह कार्ड नहीं है, यह बादशाह कार्ड है, उपाध्यक्ष महोदय, इस बादशाह कार्ड के माध्यम से आदमी अपने स्वाभिमान के साथ ही निजी चिकित्सालयों के अन्दर जाकर भी यह कहता है कि खाद्य सुरक्षा सूची के अन्दर मेरा नाम है, भामाशाह कार्ड मेरे पास है और प्रदेश के लगभग 600 निजी चिकित्सालय हैं, जिन चिकित्सालयों के अन्दर उस मरीज की हिम्मत नहीं होती थी घुसने की, आज वह पूरे सम्मान के साथ अपना इलाज कराने के लिए जाता है। उपाध्यक्ष महोदय...

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): भामाशाह कार्ड आपके पास कैसे आया?

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): भामाशाह कार्ड मेरे पास मेरा नहीं है, दूसरे का है लेकिन मैं बताना चाह रहा हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, एक निवेदन मैं आपसे और करना चाहता हूं जो हकीकत है। आज आम आदमी की स्थिति यह है कि पैसे के अभाव के अन्दर इलाज से ही वह तड़पता हुआ दिखता है।

उपाध्यक्ष महोदय, एक घटना का मैं जिक्र करूंगा। चीथवाड़ी गांव में, मेरे विधान सभा क्षेत्र के अन्दर जब गमी हो गई तो सभी माननीय जन प्रतिनिधि बैठने के लिए जाते हैं, मैं भी बैठने के लिए गया। विनोद स्वामी एक व्यक्ति था, जिसके पिताजी का देहांत हुआ था। उपाध्यक्ष महोदय, उस व्यक्ति ने जो बात की कि मेरे पिताजी को बचाने के लिए प्रयास हुआ, दो आपरेशन भी कराये लेकिन सफलता नहीं मिली। उपाध्यक्ष महोदय, उस व्यक्ति के शब्द थे कि मेरे पिताजी तो इस दुनिया से चले गये, वह तो एक घटना थी, हो गई लेकिन मैं और मेरा परिवार बच गया। मैंने कहा, आप कैसे बच गये? उपाध्यक्ष महोदय, उस व्यक्ति ने कहा कि ढाई लाख रुपये का खर्चा निम्स अस्पताल के अन्दर मेरे पिताजी के इलाज पर हुआ लेकिन मेरी जेब से एक रुपया नहीं लगा। उपाध्यक्ष महोदय, कई आदमी इलाज की वजह से कर्ज के नीचे दबते थे और इस इलाज के अभाव के अन्दर जिंदगी और मौत के बीच उनका संघर्ष चलता था।

उपाध्यक्ष महोदय, आपको भी कई बार गांवों के लोग सम्पर्क करते होंगे। कई बार कहते होंगे कि हास्पिटलों का बिल बहुत अधिक हो गया, जरा हमारी सिफारिश कर दो, थोड़ा-बहुत पैसा कम कर दे तो। उपाध्यक्ष महोदय,

(श्री रामलाल शर्मा)

उस व्यक्ति के इलाज के अन्दर आने वाली पीढ़ी का भविष्य अंधकारमय हो जाता है। उनके बच्चों का पैसा जो वह सेफ मानकर चलता है कि मैं मेरे बच्चों की शिक्षा के ऊपर यह पैसा खर्च करूंगा। वह सारा का सारा पैसा अपने इलाज के अन्दर वह खर्च करता था लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, मैं धन्यवाद दूंगा तत्कालीन चिकित्सा मंत्रीजी को भी कि उन्होंने भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना को इतनी धरातल तक लागू करने का काम किया। लगभग प्रदेश के 600 चिकित्सालयों के साथ-साथ, उपाध्यक्ष महोदय, एक आंकड़ा मैं आपके माध्यम से पेश करूंगा। 30,000 रुपये से लेकर तीन लाख रुपये का खर्चा, मैं जयपुर जिले की बानगी आपके सामने पेश कर रहा हूं उपाध्यक्ष महोदय, जो मेरे पास आई है 24 फरवरी, 2017 तक। भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना में 1,18,816 लाभार्थी हुए हैं। यह आंकड़ा सिर्फ जयपुर जिले का है और इसके अन्दर 1,30,25,63,239 रुपये बीमा स्वीकृत हो चुके हैं और उनमें से 98,60,57,968 रुपये चिकित्सालयों के अन्दर भुगतान भी बीमित कंपनी ने कर दिया है। उपाध्यक्ष महोदय, मुझे एक चीज बताओ। इतनी बड़ी राशि सिर्फ जयपुर जिले के अन्दर खर्च हुई है। क्या इन लोगों के परिवारों को इस योजना का लाभ नहीं मिला? विपक्ष के कई माननीय सदस्य इस आधार पर आलोचना करते हैं कि सिर्फ कार्ड बना दिया। इससे क्या होगा? कार्ड तो, आधार कार्ड भी हमने बनाया था, उससे क्या हो गया। उपाध्यक्ष महोदय, यह बात बिलकुल सत्य है कि इन्होंने आधार कार्ड बनाया था। उससे फायदा नहीं हुआ तो हम क्या करें? लेकिन हमने तो भामाशाह कार्ड बनाये हैं, उस भामाशाह कार्ड के अन्दर कई परिवारों के चूल्हे जलने का काम हुआ है, कई परिवारों के चूल्हे बुझने से बचे हैं और आज आदमी अपनी जमीन जो बेचा करता था, साहूकार से उधार लेता था, आज वह जमीन को बेचने से भी बचा है, साहूकार से उधार लेने से भी बचा है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं दूसरी योजना का जिक्र आपके माध्यम से करना चाहूंगा। मजदूरों के भले के लिए बनाई हुई योजना है। योजना तो पहले से भी चालू थी लेकिन विजन नहीं था। उस योजना के अन्दर मजदूर को लाभ पहुंचाने की इनकी इच्छाशक्ति नहीं थी। उपाध्यक्ष महोदय, जो मजदूर के पंजीयन की योजना थी, उसके आंकड़े मैं आपके सामने एक बार रखना चाहूंगा। जो तत्कालीन मंत्री महोदय थे, उनकी सक्रियता को मैं धन्यवाद दूंगा कि पूरे प्रदेश के अन्दर घूम-घूमकर मजदूरों को लाभ पहुंचाने का काम उन्होंने

(श्री रामलाल शर्मा)

किया है। उपाध्यक्ष महोदय, इनकी पांच साल पहले की जो सरकार थी, उस पांच साल के अन्दर उपकर राशि का संग्रहण हुआ, वह सिर्फ 539 करोड़ रुपये हुआ। पांच साल के अन्दर उपाध्यक्ष महोदय, सिर्फ 539 करोड़ रुपये हुआ और हमारी सरकार ने तीन साल के अन्दर लगभग 1,400 करोड़ रुपये इकट्ठे किये, जो सिर्फ मजदूरों के भले के लिए इकट्ठे किये गये थे।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक आंकड़ा आपके सामने और रखना चाहूंगा। पिछले पांच साल के अन्दर इनकी सरकार के समय मजदूरों का, श्रमिकों का पंजीयन किया गया। उपाध्यक्ष महोदय, वह आंकड़ा है, 3,79,350, सिर्फ तीन लाख लोगों का पूरे राजस्थान के अन्दर पंजीयन किया गया। पिछले तीन साल के अन्दर माननीय वसुन्धराजी की सरकार में लगभग 12,77,769 मजदूरों के पंजीयन करने का काम हुआ है। यदि इन आंकड़ों की तुलनात्मक लाभ की स्थिति अगर देखें माननीय उपाध्यक्ष महोदय, तो इस योजना के अन्दर पिछले पांच साल के अन्दर सिर्फ 21.96 श्रमिकों को लाभान्वित करने का काम किया है। इससे ज्यादा काम नहीं किया है और वर्तमान तीन सालों के अन्दर 316.7 प्रतिशत लोगों को लाभान्वित इस योजना के माध्यम से किया गया है। उपाध्यक्ष महोदय, जो मजदूर है, वह अपनी दैनिक दिनचर्या का हिस्सा है कि वह सिर्फ अपनी आजीविका चलाने का काम करता है। वह ना इतना पैसा इकट्ठा कर सकता है कि वह आने वाली पीढ़ी के भविष्य को सुरक्षित कर सके। वह इतना पैसा भी नहीं इकट्ठा करता कि अपनी आने वाली पीढ़ी के बच्चों को अच्छी तालीम दिला सके। उपाध्यक्ष महोदय, हर व्यक्ति का सपना होता है। मेरा भी सपना है, आपका भी सपना है, सभी माननीय सदस्यों के सपने हैं कि मैं मेरे बेटे को अच्छी तालीम दिलाऊं। मैं भी डाक्टर बनाऊं, मैं भी इंजीनियर बनाऊं, मैं भी उसको मैनेजमेंट क्षेत्र में भेजूं, मैं भी उसको प्रशासनिक क्षेत्र में भेजूं लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, सबसे बड़ी पीड़ा इस बात की है कि काम तो सभी कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए दाम बहुत जरूरी है। दाम के अभाव के अन्दर कई परिवारों के सपने टूटते हुए हम सबको दिखाई देते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, बात इतनी सी है कि कौन किस व्यक्ति के प्रति कितना संवेदनशील है।

मैं इस अवसर पर माननीय मुख्य मंत्री महोदया को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने ऐसी योजनाओं से, जहां एक ओर परिवार को कर्ज के नीचे दबने से बचाने का काम किया है भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना से और दूसरी तरफ

(श्री रामलाल शर्मा)

जो निर्माण श्रमिक योजना है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं दो व्यक्तियों को आपके माध्यम से कोट करना चाहूंगा। एक है श्योराम मीणा पुत्र जगदीश मीणा, बेलदारी का काम करता था। मकान की ऊंचाई के ऊपर काम कर रहा था, नीचे आकर गिरा और उसकी मौत हुई। यह पालेड़ा पोस्ट लांगड़ियाबास, जमवारामगढ़ विधान सभा क्षेत्र का रहने वाला था। दिनांक 29.9.2014 को इसने अपना पंजीयन करवाया था। 21.7.2016 को इसकी मृत्यु हुई। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस परिवार की स्थिति देखो। इसके चार पुत्रियां और एक पुत्र है। इसकी उम्र भी ज्यादा नहीं है। आप और हम किसी परिवार में गमी होती है तो सांत्वना देने जाते हैं। परिवार के अन्दर गमी के वातावरण से जो चीख हम सबको सुनाई देती है। कोई कितना ही कठोर व्यक्ति हो, उसका हृदय भी आखिरकार पिघलता है, लेकिन मजबूरी इस बात की है कि हम चाह कर भी कुछ नहीं कर सकते। माननीय प्रतिपक्ष के कई माननीय सदस्य यह भी आज कहने लगे हैं पूरे हक के साथ कि दुर्घटना में जो मृत्यु होती है, आज यह पूछते हैं कि मोदी जी का 12 रुपये वाला बीमा करवाया था क्या? वो कहते हैं कि हां, साहब करवाया था तो ठीक है फिर तो आपको 2 लाख रुपये मिल जायेंगे।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह बात इसलिए कह रहा हूं कि जो योजनाएं अच्छी हैं जो योजनाएं जनता के भले की हैं जिन योजनाओं से जनता को लाभ मिल रहा है कम से कम प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों को भी उन योजनाओं की तो तारीफ करनी चाहिए। मैं यह बात इसलिए कह रहा हूं कि पहले हमारे पास कुछ नहीं था। आज हम यह दावे के साथ कह सकते हैं, वसुन्धरा जी ने कहा है कि खोया हुआ व्यक्ति तो मैं वापस नहीं ला सकती लेकिन आपके परिवार के जो सपने हैं उन सपनों को तो मैं टूटने से बचा सकती हूं। आपने देखा कि लड़के को डाक्टर बनाने के लिए पांच लाख रुपये इस श्योराम मीणा के परिवार को मिले हैं। वास्तविकता यह है माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस संकट की घड़ी में सहानुभूति के तौर पर सामाजिक मर्यादाओं के आधार पर हर आदमी 15-20 दिन, एक महीने तक लोक लज्जा की वजह से सांत्वना प्रकट करता है उस परिवार के प्रति लेकिन सपने तो तब टूटते हैं जब 15-20 दिन का खर्चा भी उस बेचारी विधवा जिसकी उम्र 25-30 साल है उसके घर पर उसका जो भी जेठ है या चाचा है वो भिजवा देता है। वो अपने बेटे को डाक्टर, इंजीनियर बनाना तो भूल जाती है और अपने बच्चे को

(श्री रामलाल शर्मा)

कहती है कि तू ये पढ़ाई तो छोड़ और मजदूरी कर ताकि परिवार चलाने का काम हो सके।

मानीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस अवसर पर माननीय मुख्य मंत्री महोदया को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने एक नहीं अनेकों परिवार के लोगों के आंसू पोंछने का काम किया है। दूसरी घटना सत्यनारायण बैरवा पुत्र गंगाराम मिस्त्री, ऊंट का खेड़ा, चांदमा कलां, तहसील फागी। इसने 8.6.2015 को पंजीयन करवाया और 18.6.2016 को इसकी अकाल मृत्यु हुई। यह ऐसा परिवार है जिसमें आज मैं यह नहीं कहता कि पांच लाख या दो लाख की सहायता पूरी सहायता है लेकिन मैं इस बात को स्पष्ट रूप से कह सकता हूं कि ऐसे संकट की घड़ी में यह राशि उसके परिवार के सपनों को बचाने का काम, उसके परिवार को आगे बढ़ाने का काम, उस परिवार के व्यक्ति को एक संबल प्रदान करने वाली राशि है। इस सरकार ने अगर बेहतरीन कोई काम किया है तो उन कामों में भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना और ये मजदूरों का पंजीयन यह इस सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि है और आज का आम आदमी इस बात को स्वीकार भी कर रहा है कि यदि यह योजनाएं नहीं होतीं तो आज पता नहीं हमारे घर की क्या स्थिति बनती। इसलिए इन योजनाओं के लिए भी हम सबको सरकार को और माननीय वसुन्धरा जी को बधाई भी देनी चाहिए और उनकी तारीफ भी करनी चाहिए।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र में भी धौबलाई गांव में श्री निर्मल योगी पुत्र रामगोपाल योगी कैंसर से पीड़ित था। इसने भी निर्माण श्रमिक में अपना पंजीयन करवा रखा था। दुर्घटना मृत्यु नहीं थी बीमारी से मृत्यु थी। इस व्यक्ति को भी इसी योजना के तहत दो लाख रुपये की सहायता राशि मिली है। मैं इस योजना के लिए माननीय सदस्यों से कहूंगा कि इनको वास्तविकता में हमारी विचाराधारा से ऊपर उठ कर धरातल तक पहुंचने की आवश्यकता है, ताकि जिस उद्देश्य के लिए हम आये हैं इस पवित्र सदन में आये हैं उस उद्देश्य की पूर्ति कर सकें और लोगों को राहत पहुंचाने का काम कर सकें।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बिजली की चर्चा प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों ने बहुत जोर-शोर से की और यह भी किसी से भी छिपी हुई बात नहीं है कि बिजली की आज जो दशा है उसके गुनहगार कौन हैं। 2000 में पांच कंपनियों को बांटने का काम किसने किया और जब 2000 में बिजली कंपनी

(श्री रामलाल शर्मा)

को पांच डिवीजन में बांटने का काम गहलोत सरकार ने किया उस समय 70 पैसे प्रति यूनिट के हिसाब से एग्रीकल्चर में चार्ज था और इन्होंने 2000 से लेकर यदि मैं आंकड़े बताऊं एग्रीकल्चर में 2000 में 70 पैसे थे, 2001 में 90 पैसे किये गये, 2005 में 1.10 रुपये किये गये, 2011 में इनकी सरकार थी 1.36 रुपये और बढ़ाये गये जो नियामक आयोग ने की थी राशि और इन्होंने सहमति दी। लास्ट में जाते-जाते इन्होंने 30 हजार करोड़ रुपये का भार कर्ज लेकर और डाल दिया और यह शपथ पत्र भी दे दिया जिसको मैं कोट करना चाहूंगा यह मुख्य सचिव महोदय के माध्यम से, 'विद्युत वितरण निगम की वित्तीय स्थिति को सुदृढ़ीकरण करने हेतु कार्य योजना, विद्युत दरों में संशोधन हेतु प्रतिवर्ष विद्युत नियामक में याचिका दायर की जाएगी।' यह इन्हीं का एमओयू है। यह तारीख है 19 अक्टूबर, 2011.

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कर्म तो इनके और भुगते प्रदेश की जनता। इन्होंने इतना ही कर्म नहीं किया इसके आगे इन्होंने पूरी चीजें इस एक्ट के माध्यम से स्वीकार की हैं और इन्होंने कहा कि विद्युत नियामक आयोग के आदेशानुसार अर्द्धवार्षिक ईंधन मूल्य वृद्धि को विद्युत दरों में स्वतः समायोजित किया जायेगा। विद्युत वितरण निगमों में टी एण्ड डी लोसेज विद्युत छीजत को प्रतिवर्ष 2 प्रतिशत की दर से कम कर आगामी तीन वर्षों में 15 प्रतिशत छीजत कम की जायेगी। यह इन्हीं का एमओयू है। विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा-65 के अन्तर्गत कृषि, बीपीएल व छोटे घरेलू उपभोक्ताओं को 50 यूनिट प्रतिमाह तक राज्य सरकार द्वारा विद्युत दरों में दिया जा रहा अनुदान वास्तविक उपभोग के आधार पर समय पर वितरण कंपनियों को उपलब्ध करा दिया जायेगा। इन्होंने यह काम भी नहीं किया। समय पर यह जो पैसा था अनुदान का ये भी कंपनियों को नहीं लौटाया और अंत में माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके सामने हैं जो कंपनियों की स्थिति हुई। अगर वर्तमान सरकार साठ हजार करोड़ का इनका कर्जा अपने ऊपर नहीं लेती तो आज ये कंपनियां पूरी तरीके से बरबाद हो चुकी होतीं। बिजली के क्षेत्र में वर्तमान सरकार ने जो कार्य किये हैं वो काबिले तारीफ हैं। जिस तरीके से सिविल लाइबिलिटी का एक जो भार, जो एमओयू ये करके गये थे। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आप भी ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं, किसी के दस एचपी की मोटर उस पर दो हजार रुपये पर-एचपी का तो वो पैसा लेंगे और सिविल लाइबिलिटी 12 महीनों तक वो पैसा लेंगे और दो सौ यूनिट पर-डे के हिसाब से चार्ज करेंगे।

(श्री रामलाल शर्मा)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अपनी जमीन बेच कर बिजली का बिल जमा कराने लग गये थे किसान। यह दशा इन्होंने कर दी थी। मैं धन्यवाद दूंगा वसुन्धरा जी को कि इसको गम्भीरता से लिया। संवेदनशील तरीके से लिया और इसमें बहुत जगह रियायतें दीं। माननीय ऊर्जा मंत्रीजी ने भी इसको गम्भीरता से लिया। 2000 रुपये पर-एचपी के कम करके 1000 रुपये किये। पहले 12 महीनों का जो पैसा लिया जाता था उसको पहले चार महीने किये और अब उसको दो महीने के ऊपर लेकर आये। यह किसानों को राहत देने वाला एक बहुत बड़ा काम है और 200 यूनिट के हिसाब से जो चार्ज होता था उसको भी 166 यूनिट तक किया गया।

बिजली के लिए मैं आपसे एक निवेदन करना चाहूंगा कि बिजली के क्षेत्र में अभी एक अभियान चला कि कितने अवैध ट्रांसफार्मर लगे हुए हैं। जयपुर जिले में एक विधान सभा क्षेत्र है। मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है 400-450 ट्रांसफार्मर इनके कार्यकाल में अवैध लगे हुए जिनकी कोई बिलिंग नहीं होती, जिनके तार कैसे पहुंचे, ट्रांसफार्मर कैसे पहुंचे किसी को कोई पता नहीं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, काम करने की नीयत ठीक होनी चाहिए और उसी की वजह से चूंकि इनकी नीयत ठीक नहीं थी इसलिए पूरे प्रदेश में भट्ठा बैठाने का काम पूर्ववर्ती सरकार ने किया है। नीयत ठीक होती तो आज जिस तरीके से इन्होंने कहा कि हम 15 परसेंट तक छीजत कम करेंगे। कई जिलों में तो 30-35 परसेंट तक छीजत है। अगर ये वक्त रहते चेत जाते और सबसे बड़ी आश्चर्य की बात है कि किसानों की सब्सिडी का जो पैसा राज्य सरकार देती थी अनुदान के रूप में, पांच साल के अन्दर सिर्फ 9613 करोड़ रुपये की सहायता इन्होंने दी और वर्तमान सरकार में तीन सालों में 20,481 करोड़ की सहायता हम दे चुके हैं और लगभग 16 हजार करोड़ रुपये की सहायता आने वाले दो सालों में और देंगे। फिर भी ये किसानों के हितैषी बनते हैं। जिस तरीके से पूरे प्रदेश में हल्ला इन्होंने मचाया माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह तो है नहीं कि जो कुछ घटनाएं हुई हैं वो तीन साल में ही हुई हैं। पांच साल पहले आपने भी अगर इनके ऊपर अंकुश लगा लिया होता तो आज बिजली कंपनियों की ये दशा नहीं होती।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सबसे बड़ी राहत का काम जो किसानों के लिए किया गया। आज जिस तरीके से माननीय ऊर्जा मंत्रीजी ने गम्भीरता से

(श्री रामलाल शर्मा)

लिया। 2003 से 2008 तक की सरकार थी उससे पहले आपको भी पता है थ्री-फेस जो बिजली आती थी उसी में डोमेस्टिक घरेलू बिजली हमको मिलती थी और उसके अन्दर भी कभी बिजली कम और कभी बिजली ज्यादा और कई माननीय सदस्य तो सिर्फ पनप ही बिजली के आधार पर गये। बिजली का धरना देकर, बिजली की मांग करके, बिजली का प्रदर्शन करके कई नेता डवलप हुए। लेकिन 2003 से 2008 तक जिस तरीके से फीडर सुधार का कार्यक्रम चला, थ्री-फेस की बिजली एग्रीकल्चर की अलग की गई, घरेलू बिजली को अलग किया गया और उस समय यह एक विजन के साथ फीडर सुधार का कार्यक्रम हुआ। सिंगल फेस की लाइट अलग हुई, आज ग्रामीण क्षेत्र में 24 घंटे नहीं तो 20-22 घंटे आराम से सिंगल फेस की बिजली मिलना शुरू हुई। जो लोग लघु रोजगार के लिये पयालन करके गांवों से निकल रहे थे आज उनको छोटा-छोटा रोजगार, चाहे वह मूर्ती बनाने का हो, चाहे वेल्डिंग मशीन लगाने का हो, चाहे डेयरी संचालित करने का रोजगार हो, आज जिस तरह से छोटे-छोटे रोजगार डवलप हुए उससे लोगों का पलायन रुका है, वह बिजली की वजह से रुका है।

उपाध्यक्ष महोदय, इतना ही नहीं वीसीआर के लिये भी जो जिला स्तरीय कमेटी गठित की गई है और गलत तरीके से जो वीसीआर भरी गई हैं उनको भी मानीटरिंग कमेटी में लेने का निर्देश कंपनियों को दिया है। पहले 30 दिन अपील करने का अधिकार था, उसको भी बढ़ाकर 60 दिन किया गया। बिना जांच के जो लोड बढ़ाये गये थे या बिना आवेदन के जो लोड बढ़े थे उनको भी वापस करने का सरकार ने निर्णय लिया है। उपाध्यक्ष महोदय, सबसे बडी बात यह थी कि किसान साढ़े सात एचपी की मोटर लेकर आता था लेकिन जब चैकिंग पर जाते थे तो वह कहते थे कि आपका 9 का लोड आ रहा है, आपके 8 का लोड आ रहा है। सरकार ने निर्णय किया कि 20 परसेंट तक अगर बढ़ा हुआ लोड भी आता है तो उसकी कोई वीसीआर नहीं भरी जायेगी। सबसे बड़ा जो राहत देने वाला काम है बूंद-बूंद से जो कृषि कनेक्शन थे उसमें पांच साल की जो सीमा थी उसको कम करके तीन साल किया गया। यह योजना घोषणाओं के आधार पर किसानों के लिये बहुत बड़ी उपलब्धि है और उनकी सहायता भी है।

(श्री रामलाल शर्मा)

उपाध्यक्ष महोदय, इस अवसर पर मैं एक निवेदन और करना चाहूंगा इनके कार्यकाल में बिजली का उत्पादन पांच साल में सिर्फ 2300 मेगावाट और इस 2300 मेगावाट में सब तरह की बिजली आ गई, लेकिन हमने पिछले तीन साल में 4500 मेगावाट बिजली पैदा करने का काम किया है। आज स्थिति यह आ गई कि इनके कार्यकाल में तो यह लोग बिजली की खरीद करते थे, आज स्थिति यह है कि राजस्थान बिजली के क्षेत्र में आत्म निर्भर बना है, खरीद करने की आवश्यकता नहीं है। बस बिजली का मैनेजमेंट ठीक हो जाये, आने वाले समय में इसमें सुधार हो जाये तो मेरे ख्याल से किसानों को पर्याप्त और अच्छे वोल्टेज में बिजली भी मिलेगी।

उपाध्यक्ष महोदय, इस अवसर पर मैं एक चीज और बताना चाहूंगा। मुख्य मंत्री जल स्वावलंबन योजना, विपक्ष के कई माननीय सदस्यों ने इस योजना के ऊपर प्रश्न चिन्ह भी लगाये, कई हल्की टीका टिप्पणी भी इस योजना पर की। उपाध्यक्ष महोदय, इस अवसर पर मैं एक बात कहना चाहूंगा वैज्ञानिकों ने अभी इतनी प्रगति नहीं की है कि पानी का कोई विकल्प बना सकें। उपाध्यक्ष महोदय, मेरे ख्याल से राजस्थान में ही नहीं, हिन्दुस्तान में ही नहीं, विश्व में कोई भी वैज्ञानिक यह दावा नहीं कर सकता कि पानी तैयार करने की फैक्ट्री मैंने लगाई है। कोई भी विज्ञान इस बात को इंगित नहीं करती है कि एक कैप्सूल लो और शरीर में पानी पूरी आपूर्ति हो जायेगी। उपाध्यक्ष महोदय, यह प्रकृति का प्रसाद है और इस प्रकृति के प्रसाद को हम बचा सकें वही हमारे लिये उत्तम है।

आज जिस तरह से मुख्य मंत्री महोदय ने मुख्य मंत्री जल स्वावलंबन योजना की जो शुरूआत की है उपाध्यक्ष महोदय, आने वाली पीढ़ी को हम विरासत में क्या देकर जायेंगे, हमने तो हमारा जीवन यापन कर लिया या जो शेष बचा है उसको और कर लेंगे, अगर समय रहते इस योजना के बारे में हम विचार नहीं करेंगे, चिंता नहीं करेंगे तो आने वाली पीढ़ी हमारे को कोसेगी कि आपने जितना जल का दोहन कर सकते थे वह कर लिया और आज जैसे वैज्ञानिक चिंता जाहिर कर रहे हैं कि 2025 तक दुनिया की आधी आबादी पलायन करने का रास्ता चुनेगी वह सिर्फ पानी के लिये होगा। कोई कहता है कि आने वाले समय में तीसरा विश्व युद्ध होगा तो वह भी पानी के लिये होगा। उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने इस समस्या के

(श्री रामलाल शर्मा)

समाधान के लिये पूरी संवेदनशीलता रखी और इसको एक जन आंदोलन बनाने का निर्णय किया। जब गांव में कोई स्कूल बनती है, गांव में कोई मंदिर का निर्माण होता है जन सहयोग इसलिए नहीं लिया जाता कि सबका सामूहिक हो, एक व्यक्ति भी मंदिर या स्कूल बना सकता है लेकिन जन सहयोग इसलिए लिया जाता है कि भावनात्मक लगाव उस योजना के प्रति हो, उस योजना के प्रति समर्पण हो। उपाध्यक्ष महोदय, इस योजना के लिये सभी का सहयोग, चाहे उसमें अधिकारी हो, चाहे जन प्रतिनिधि हो, चाहे उसमें भामाशाह हो, चाहे उद्योगपति हो, चाहे समाजसेवी संस्था हो, माननीय मुख्य मंत्री महोदया ने सभी का सहयोग लेकर इस राजस्थान में जो सबसे बडी पीड़ा थी वह जल की थी, इस जल की समस्या के लिये जो अभियान शुरू किया गया मैं उसके लिये माननीय मुख्य मंत्री महोदया को धन्यवाद दूंगा।

आज की वर्तमान स्थिति में अगर किसान की पीड़ा या आवाम की पीड़ा की मैं बात करूं तो मेरे ख्याल से जो मुझे उचित लगे वह शब्द मैं आपके सामने बयां कर रहा हूं -

जमीन जल चुकी है आसमान बाकी है
सूख कुएं तेरा इम्तिहान बाकी है,
बरस जाना इस बार वक्त पर हे मेघा
किसी का मकान गिरवी है और किसी का लगान बाकी है।

उपाध्यक्ष महोदय, यह वास्तविक पीड़ा है राजस्थान के उस आवाम की, एक साधारण व्यक्ति की कि पानी के अभाव में वह पलायन भी करता है और आने वाले समय में पानी की समस्या से निजात नहीं मिली तो कानून व्यवस्था को बनाये रखना भी एक मुश्किल काम हो जायेगा। आपने कई जगह देखा भी है कि आज भी कई जिले ऐसे हैं जिन जिलों में दूसरे जिलों से पानी लाकर पेयजल आपूर्ति की व्यवस्था की जा रही है। उपाध्यक्ष महोदय, इस योजना के पहले फेज में जो 27 जनवरी, 2016 को सबका साथ लेकर शुरू की गई, कई कुएं, कई जोहड़ कई नलकूपों को रीचार्ज किया गया और इस योजना में पहले फेज में लगभग 3500 गांवों को चुना गया। उपाध्यक्ष महोदय, आपको भी ज्ञात होगा आपका कुछ भाग है, कुछ मेरी विधान सभा का भाग है, सामोद में एक राजोला की तलाई हुआ करती थी, उस राजोला की तलाई में जब तक पानी भरता था सामोद और महार में कुएं अपने आप रीचार्ज होते थे। 1995 में जब राजोला का बांध टूट गया उसके बाद आज स्थिति यह है कि

(श्री रामलाल शर्मा)

महार और सामोद में दोनों गांवों में पेयजल की किल्लत है और इन दोनों गांवों को दूसरी जाटावाली ग्राम पंचायत से पानी लाकर पिलाने का काम हो रहा है।

अगर समय रहते हम नहीं चेतेंगे, इन प्राकृतिक स्रोतों को नहीं बनाये रखेंगे, इस प्रकृति के प्रसाद को रोकने का काम हम नहीं करेंगे तो आने वाले समय में यह गम्भीर समस्या हमारे सामने दिखेगी। उपाध्यक्ष महोदय, लगभग 3500 गांवों को फर्स्ट फेज में लिया गया। लगभग 4200 गांवों को सैकिण्ड फेज में लिया गया और मेरा मानना है कि फर्स्ट फेज में जो परिणाम हमारे सामने आये कई ट्यूबवैल रीचार्ज हुए, कई जोहड़ रीचार्ज हुए, सेफ जोन में जो सिर्फ 25 बचे थे आज उन 25 की संख्या बढ़कर 50 हो गई। डार्क जोन के जो ब्लाक हैं, इनकी संख्या भी धीरे-धीरे बढ़ रही है। उपाध्यक्ष महोदय, मेरा विश्वास है कि इस अभियान को जितनी गम्भीरता से हम लेंगे उतनी ही आने वाली पीढ़ी को हम कुछ सौगात देकर जायेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय, पानी के लिये अभी लूणी से आने वाले माननीय सदस्य भी कह रहे थे रहिमन पानी राखिये, बिन पानी सब सून: बिन पानी न ऊबरे, मोती, मानस, चून। यह बात बिलकुल सही है, पानी हर व्यक्ति को सुबह उठते ही चाहिये। इसलिए पानी से कोई समझौता नहीं हो सकता।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके सामने कानून व्यवस्था पर भी आऊंगा। मेरे ख्याल से अपराध किसी धर्म से जुड़ा हुआ नहीं है, किसी जाति से जुड़ा हुआ नहीं है। अपराध तो व्यक्ति की विकृत मानसिकता का परिणाम है और विकृत मानसिकता किसी की भी हो सकती है और यह कभी भी हो सकता है। इसके ऊपर अंकुश लगाना और कानून के दायरे में रहकर कार्यवाही करना यह इच्छा शक्ति पर निर्भर है। उपाध्यक्ष महोदय, प्रतिपक्ष के कई माननीय सदस्य यह इंगित करते हैं कि अपराध सिर्फ पिछले तीन सालों में शुरू हुआ है और इनके पांच साल के कार्यकाल में तो रामराज की स्थापना थी, जिसमें कोई अपराध नहीं था।

उपाध्यक्ष महोदय, कुछ घटनाओं का जिक्र मैं इस अवसर पर करूंगा। (व्यवधान) पांच साल में जो घटनाएं हुईं उनका जिक्र भी मैं करना चाहूंगा। आपके राज में किसी थाने के एसएचओ को जिंदा जला दिया गया उस समय किसका राज था। एक निर्दोष एसएचओ को जेल भेज दें वह आठ महीने तक

(श्री रामलाल शर्मा)

जेल में पड़ा रहे फिर कोर्ट से पाक साफ होकर वापस आये, तब किस का राज था? चेचट थाने में एक महिला पुलिस कर्मी की हत्या कर दें, उस समय किसका राज था? यादगार के सामने नर मुंडी काट कर आपकी सरकार को चुनौती देकर चला जाये उस समय किसका राज था? इसी सदन के एक माननीय सदस्य का अपहरण करके उसकी हत्या कर दें, उस समय किसका राज था? इसी सदन के एक माननीय सदस्य को अपनी बात मनवाने के लिये सरकार के सामने टावर पर चढ़ना पड़े, उस समय किसका राज था? जोधपुर में 11 सितम्बर, 2011 को जेलर की हत्या हुई, उस समय किसका राज था? एक माननीय विधायक की गाड़ी छीन कर ले जाय...

(14.59 बजे)

(श्री ज्ञानचन्द पारख, सभापति, पदासीन)

तब भी आपका ही राज था। आप ही के गृह मंत्री कहते थे कि थाने तो भू-माफियाओं के अड्डे बन चुके हैं, उन्होंने सार्वजनिक रूप से कहा है। सभापति महोदय, कोटा के अन्दर गैंगवार किसी से छिपा हुआ नहीं है और आप ही के राज के अन्दर, आप की ही सरकार के खिलाफ, आपके ही तीन विधायक भ्रष्टाचार की रथ यात्रा शुरू कर दें, यह भी तो आप का ही राज था। सभापति महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं...(व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): वर्ना कोई घनश्याम जी वाली बात बोल देगा। दीनदयाल वाली बोल देगा। (व्यवधान)

(15.00 बजे)

श्री सभापति: आपका नंबर आने वाला है। बैठो ना आप तो।

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): सभापति महोदय, मैं आपसे यह निवेदन करना चाह रहा था कि अपराध के ऊपर अंकुश लगना चाहिए। अपराधी किसी भी धर्म या किसी जाति का नहीं होता। अपराधी की एक ही भाषा है, एक ही धर्म है कि वह अपराधी है और उसके ऊपर अंकुश लगना भी चाहिए। यह प्रयास अगर ये गम्भीरता से तत्काल या समय रहते करते तो मेरे ख्याल से आज प्रदेश की यह स्थिति भी नहीं बनती।

सभापति महोदय, 2011 के अन्दर हत्या के जो मुकदमे दर्ज हुए, वे 1461 हुए, 2013 के अन्दर 2573 हुए, 2014 के अन्दर 1637, 2015 के अन्दर 1569 और 2016 के अन्दर 1551 मुकदमे दर्ज हुए। सभापति महोदय,

(श्री रामलाल शर्मा)

मैं ये आंकड़े इसीलिए बता रहा हूं कि 2012 के अन्दर अपराधों में हत्या के अन्दर वृद्धि नहीं हुई। 2013 के अन्दर 7.67 परसेंट वृद्धि हुई, 2014 के अन्दर हत्या के मुकदमों 4.7 परसेंट वृद्धि हुई, लेकिन सभापति महोदय, 2015 के अन्दर 4.15 परसेंट कमी हुई और 2016 के अन्दर अपराधों में हत्या के जो अपराध थे उसमें 1.15 परसेंट की कमी आई है। मैं यह बात इस आधार पर कह सकता हूं कि माननीय गृह मंत्री महोदय ने, माननीया मुख्य मंत्री महोदया ने इस बात को गम्भीरता से लिया है कि सभी लोगों को लोकतांत्रिक तरीके से पूरी स्वतंत्रता के साथ जीने का अधिकार है और उनके अधिकारों के ऊपर कोई अतिक्रमण नहीं करे।

इसी तरीके से हत्या के प्रयास के जो मुकदमे हैं। यह बात सही है कि 2012 में 1.79 परसेंट की कमी आई थी। लेकिन 2013 के अन्दर इनके आंकड़े बढ़ गए, 8.6 परसेंट की वापिस वृद्धि हुई। 2014 के अन्दर 7.9 परसेंट और 2015 के अन्दर 8.31 परसेंट की कमी आई है। वर्तमान के अन्दर 2016 में 0.79 परसेंट की कमी आई है।

सभापति महोदय, इसी तरीके से लूट में पिछले दो सालों के अन्दर अपराध के ऊपर अंकुश लगे हैं और अपराध के ऊपर अंकुश लगने की वजह से आज प्रदेश के अन्दर हर व्यक्ति शांति के साथ जीवनयापन कर सकता है।

सभापति महोदय, इसी तरीके से जो मुकदमे दर्ज होते थे, उनके अन्दर भी कमी आई है। 2009-10 के अन्दर 1.15 परसेंट प्लस, 2011 के अन्दर 5.66 परसेंट वृद्धि हुई। लेकिन सभापति महोदय, 2015 के अन्दर 2.38 परसेंट की मुकदमों में कमी हुई। 2016 के अन्दर 4.21 परसेंट मुकदमों के अन्दर कमी आई। यह बात ये आंकड़े प्रमाणित करते हैं। सभापति महोदय, ये आंकड़े मेरे भी नहीं हैं, ये क्राइम ब्यूरो के आंकड़े हैं। जो प्रमाणित आंकड़े हैं। इन आंकड़ों के आधार पर पिछले दो साल में कानून व्यवस्था को भी ठीक करने का काम किया है।

सभापति महोदय, सड़क के ऊपर मैं आना चाहूंगा और महामहिम राज्यपाल महोदय ने जिस बात का जिक्र किया है। जिस तरीके से शरीर के अन्दर जो हमारी नसें हैं, जो कि रक्त का प्रवाह करती हैं, वे एक तरीके से पूरे शरीर का संतुलन बनाए रखती हैं, सड़कें भी उसी तरीके से हैं। सड़कें अगर ठीक रहेंगी, सड़कें अगर सुगम रहेंगी तो आम आदमी को उससे राहत मिलती

(श्री रामलाल शर्मा)

है। सभापति महोदय, राजस्थान के अन्दर आंकड़े इस बात को बताते हैं कि दस हजार से अधिक मौतें दुर्घटनाओं के अन्दर होती हैं। वह सड़क की खामी की वजह से भी होती हैं और उसके दूसरे कारण भी हो सकते हैं, लापरवाही भी हो सकती है। लेकिन सभापति महोदय, आपको जानकर यह आश्चर्य होगा कि जो दस हजार से अधिक मौतें होती हैं, उनमें से 80 परसेंट मौतें युवा लोगों की होती हैं, जिनकी उम्र 40-45 साल से कम होती है। इस तरह से हम जब तक गंभीरतापूर्वक सड़कों के सुदृढ़ीकरण का काम नहीं करेंगे, सड़कें ठीक करने का काम नहीं करेंगे। यातायात के नियमों की पालना नहीं करायेंगे, यातायात के नियमों को प्रभावी रूप से हम लागू नहीं करेंगे, तब तक इनके अन्दर कमी नहीं ला सकते। मैं धन्यवाद दूंगा माननीय मंत्री महोदय को, जिन्होंने पिछले तीन सालों के अन्दर, चाहे ग्रामीण गौरव-पथ के रूप में हो, चाहे मिसिंग रोड के रूप में हो और चाहे एम.डी.आर. रोड़ों के रूप में हो।

सभापति महोदय, बांदीकुई से आने वाली माननीया सदस्या ने पूरे आंकड़े आपके सामने रख दिए। मैं आंकड़ों के अन्दर नहीं जाऊंगा। लेकिन मैं इतना कह सकता हूं कि आपके शासनकाल के अन्दर..। सभापति महोदय, आज एक ग्राम पंचायत के अन्दर किसी न किसी रूप में दो करोड़ से तीन करोड़ रुपए की सड़कें बनी हैं। चाहे किसी गांव में मिसिंग सड़क बनी हो, चाहे गौरव पथ बना हो, चाहे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से बनी हो। लेकिन आपके कार्यकाल के अन्दर इस प्रकार का कोई विजन नहीं था। आज ग्रामीण क्षेत्र के अन्दर, मैं मेरी विधान सभा क्षेत्र की बात करूं, सभापति महोदय, 73 किलोमीटर सड़कें तो जो कि आपकी सरकार ने बंद कर दी थीं, वह किसान गौरव पथ के नाम से थीं। आपकी सरकार ने एक किलोमीटर सड़क किसानों के लिए नहीं बनाई और फिर आपकी सरकार कहती है कि हम किसानों के हितैषी हैं। 73 किलोमीटर सड़कें तो मेरे क्षेत्र में किसान गौरव पथ के रूप में मिसिंग सड़कें बनी हैं। लगभग 60 किलोमीटर सड़कें प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत बनी हैं। 22 गौरव पथ स्वीकृत हुए हैं। सभापति महोदय, लगभग 30 किलोमीटर सड़कों का मिसिंग सड़कों के रूप में पीडब्ल्यूडी ने निर्माण किया है। मैं यह कह सकता हूं कि पिछले 15 साल के अन्दर इनके कार्यकाल के अन्दर इतनी सड़कों का निर्माण नहीं हुआ, जितनी सड़कों का निर्माण पिछले तीन सालों के अन्दर किया गया।

(श्री रामलाल शर्मा)

सभापति महोदय, आपके माध्यम से एक बात का जिक्र मैं और करना चाहूंगा कि पिछले पांच सालों में इनके कार्यकाल के अन्दर जिस तरीके से इन्होंने काम किया। यदि ये जनता के मर्म को समझते हुए काम करते तो आज इनकी यह स्थिति नहीं होती। जिस तरीके से प्रदेश के खजाने को लूटने की जगह अगर एक व्यवस्थित मैनेजमेंट के आधार पर यह काम करते तो इनकी स्थिति आज यह नहीं होती।

सभापति महोदय, कई अभियान ऐसे चले, जिन अभियानों के माध्यम से जनता को राहत मिली है। न्याय आपके द्वार, सभापति महोदय, आपने भी गांवों के अन्दर देखा है कि किस तरीके से एक-एक उपखण्ड के अन्दर आठ-आठ दस-दस हजार मुक़दमे पैंडिंग पड़े हैं। एक व्यक्ति जो मुकदमा करता है, उसकी तीन पीढ़ी निकल जाती हैं लेकिन इसके बावजूद भी उनको न्याय नहीं मिलता है लेकिन इस सरकार ने प्रदेश के हजारों नहीं, लाखों लोगों को न्याय प्रदान करने का काम किया है। सभापति महोदय, इतना ही नहीं, चाहे दीनदयाल समस्या समाधान शिविर के नाम से हो, चाहे न्याय आपके द्वार के नाम से हो। इस सरकार ने पिछले तीन साल के अन्दर प्रदेश में गरीब को गणेश मानकर काम किया है और इन योजनाओं के माध्यम से उनको लाभ पहुंचाने का काम किया है। सभापति महोदय, इस अवसर के ऊपर मैं तो आपके माध्यम से इतना ही कहूंगा कि जिस तरीके से आम आदमी को उस योजना का केन्द्र बिन्दु मानकर सरकार लोक कल्याणकारी योजनाएं लेकर आई है, आने वाले समय के अन्दर उन योजनाओं का लाभ लोगों तक पहुंचाने का काम हम करें। लोगों को जोड़कर उनके हक को, उनकी जो हिस्सेदारी थी, उस हिस्सेदारी को उनके घर तक पहुंचाने का काम करें। मैं मानता हूं कि महामहिम राज्यपाल महोदय ने इस पवित्र सदन के अन्दर जो अभिभाषण दिया है, वह सरकार के एक दर्पण के रूप में था। मैं उसका समर्थन भी करता हूं और बांदीकुई से आने वाली माननीया सदस्या ने जो प्रस्ताव रखा था, मैं चाहता हूं कि आने वाले समय के अन्दर इस सरकार की योजनाओं और कार्यों को आगे तक लेकर जाएं। आपने समय दिया, उसके लिए आपको धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री गोविन्द सिंह डोटासरा।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): माननीय सभापति महोदय, आज महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण के ऊपर वाद-विवाद व चर्चा हो रही

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

है। महामहिम के अभिभाषण का समर्थन और अनुमोदन करने के लिए माननीया सदस्या बांदीकुई से, उन्होंने प्रस्ताव का समर्थन किया और अनुमोदन के लिए चौमूं से आने वाले माननीय सदस्य ने इसका समर्थन किया है। पूरे अभिभाषण को मैंने ध्यान से पढ़ा। दोनों माननीय सदस्यों को मैंने ध्यान से सुना और मैं अपने विचार प्रकट करने की अनुमति आपसे चाहता हूं।

श्री सभापति: अनुमति मिल गई आपको।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): ओ के धन्यवाद। माननीय सभापति महोदय, यह अभिभाषण, इसके पहले पन्ने से लेकर आखिर तक हमने देखा। माननीय सभापति महोदय, शुरू में प्रयास किया गया सरकार के द्वारा, महामहिम के श्रीमुख से कहलवाने का, कि जैसे-तैसे मोदी जी खुश हो जाएं और प्रदेश में कुछ थोड़ा बहुत बजट/पैसा मिल जाए। मिस्टर इंडिया में एक डायलाग था कि 'मोगैम्बो खुश हुआ'। तो मौगैम्बो को खुश करने के लिए जिस प्रकार की बातें इसमें कहीं गई हैं- आर्थिक महाशक्ति बन रहा है, यह सुनकर मोदी जी राज़ी हो जाएं। प्रधान मंत्री विभिन्न देशों से रिश्ते सुधार रहे हैं, प्रधान मंत्रीजी खुश हो जाएं। प्रधान मंत्रीजी ने सर्जिकल स्ट्राइक कर दी। यह बात इंगित करते हुए कि प्रधान मंत्रीजी जैसे-तैसे खुश हो जाएं, लेकिन जिसकी मार प्रदेश की मुखिया और बड़े-बड़े लोगों पर पड़ी, उस नोट बंदी का जिक्र तक इसमें नहीं किया गया तो वह प्रधानमंत्रीजी कैसे खुश होंगे, वह मोगेम्बो कैसे खुश होगा, मेरे समझ के बाहर की बात है। एक बात यह दिखी, इन्होंने कहा आर्थिक महाशक्ति बन गया, कहां बन गया। लोग तो लाइनों में चक्कर लगा रहे हैं। तीन-तीन दर्जन लोग मारे गए, अकाल मौत हो गई, आर्थिक महा शक्ति की बात कर रहे हो। उद्योग धन्धे चौपट हो गए, मजदूरों को रोजगार नहीं मिल रहा है, आर्थिक महाशक्ति बन गए। फैक्ट्रियां बंद पड़ी हैं, रोजगार बंद पड़े हैं, कहां से आर्थिक महाशक्ति बन गया।

दूसरा इन्होंने कहा कि रिश्ते सुधार रहे हैं, सुधार लिए। एक केक काटने से और एक चद्दर, शाल हमारे पाकिस्तान की प्रधानमंत्री की मम्मी को भेंट करने से रिश्ते नहीं सुधरते, रिश्ते बिगड़े हैं। आपको पता होगा सर्जिकल स्ट्राइक के बाद में जिस प्रकार जो प्रधानमंत्री यह कहता था कि एक के बदले

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

दस लाऊंगा, मेरे को मौका दे दीजिए, पता नहीं हमारे कितने सैनिक शहीद हो गए। बोर्डर के ऊपर जिस प्रकार के हालात पैदा हुए हैं मैं समझता हूं जो दुर्गति हमारे विदेशी संबंधों की प्रधानमंत्रीजी मोदी के समय, आज की तारीख में हुई है वह आज तक के इतिहास में पहले नहीं हुई। किस रिश्ते को सुधारने की बात कर रहे हैं? किस सर्जिकल स्ट्राइक की, क्या कर लिया सर्जिकल स्ट्राइक से? अच्छा किया कर दिया लेकिन करने के बाद में हमारी क्या हालत हो गई, किस प्रकार से हमारे सैनिक शहीद हो रहे हैं, बोर्डर पर लोग किस प्रकार आतंकित, भय के माहौल में रह रहे हैं। चीन के साथ भी आपके सम्बन्ध कितने अच्छे बने, यह पूरी दुनिया जानती है, हमारा प्रदेश जानता है, हमारा देश जानता है।

डा. जसवन्त सिंह यादव (श्रम एवं नियोजन मंत्री): डोटासरा साहब, बीच में बोलना नहीं चाहिए पर आप लोक सभा में बोल रहे हैं या विधान सभा में?

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): आपकी मुख्य मंत्रीजी ने ... (व्यवधान) मंत्री महोदय आपने महामहिम के, अपनी कैबिनेट में जो यह अभिभाषण अनुमोदन करके भिजवाया है और जिसमें पहले, दूसरे, तीसरे पांइट के ऊपर कहा है, उसी पर बोल रहा हूं।

डा. जसवन्त सिंह यादव (श्रम एवं नियोजन मंत्री): मुझे आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए पर यह बीएमसी को जो रिजल्ट आया है ... (व्यवधान) यह कब आया है।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): आप विराज जाएं। आप बड़े मंत्री बन गए, हमारे बीच में ही थे और आप तो हमें कहते थे कि हम में तो ताकत नहीं है, आप बोलो ...(व्यवधान) और आज वो ही मेरे को सीख देने लग गए।

डा. जसवन्त सिंह यादव (श्रम एवं नियोजन मंत्री): आपने ही सिफारिश की थी।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): आप मेहरबानी करके, आपको जो दो-एक साल मिला है झुनझुना, उससे काम चला लीजिए, विराज जाइये। (व्यवधान)

डा. जसवन्त सिंह यादव (श्रम एवं नियोजन मंत्री): आपको खुश करके ही रख लूंगा।

श्री शंकरसिंह राजपुरोहित (आहौर): माननीय सदस्य, आप तो सर्जिकल स्ट्राइक की बात कह दो। (व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): मैं बीच में नहीं बोला दोनों के। अगर इस तरह से बारी-बारी से खड़े हो जाएंगे तो फिर आसन की व्यवस्था का सम्मान कौन करेगा, जो आपने यहां आसन से ...

श्री सभापति: आप जारी रखें।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): जारी क्या रखें, बीच में बोल रहे हैं। मंत्री भी बोल रहा है, संतरी भी बोल रहा है। (व्यवधान)

श्री चन्द्रभान सिंह 'आक्या' (चित्तौड़गढ़): वह संतरी थोड़े ही है, ऐसे कैसे कह रहे हो ...(व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): जब हम नहीं बोले और आप बोलोंगे तो फिर आप बाद में बोल पाओगे क्या ...(व्यवधान)

डा. जसवन्त सिंह यादव (श्रम एवं नियोजन मंत्री): आपसे स्नेह है ... (व्यवधान) हम तो लोक सभा विधान सभा कह रहे थे, हम आपको डिस्टर्ब नहीं कर रहे।

श्री शंकरसिंह राजपुरोहित (आहौर): सर्जिकल स्ट्राइकल में क्या हुआ था यह बता दो ...(व्यवधान) आप प्रधान मंत्रीजी पर आरोप लगा रहे हो।

श्री चन्द्रभान सिंह 'आक्या' (चित्तौड़गढ़): माननीय सभापति महोदय, हमारे विधायक को संतरी कहकर पुकार रहे हैं, वह कितना गलत है। (व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आप बैठें। (व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): सभापति महोदय, यह जो अभिभाषण होता है यह हमेशा केबिनेट से एप्रूव होकर महामहिम के श्रीमुख से यहां कहलवाया जाता है। जब इसमें सर्जिकल स्ट्राइक, आर्थिक महाशक्ति, प्रधानमंत्री ने देश के रिश्तों को सुधारने और डिजिटल क्रांति की बात की है तो उस पर बात करने का मेरा अधिकार बनता है। सभापति महोदय, तीसरा इन्होंने सात नम्बर पर यह कहा है कि राज्य सरकार विगत 3 वर्ष से प्रदेश की खुशहाली सूचकांक (हैप्पीनेस इंडेक्स) में बढ़ोतरी कर रही है। वाह साहब, क्या हैप्पीनेस इंडेक्स में बढ़ोतरी कर रही है, बढ़ोतरी हो रही है ना हैप्पीनेस में। चन्द्रकांता मेघवाल जी को पूछो कितनी हैप्पी हो रही हैं। जलदाय विभाग के घोटाले में अन्दर बैठे हैं उनको पूछो कितने हैप्पी हो रहे हैं। जिन महिलाओं

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

के साथ, जिन अबोध बच्चियों के साथ विद्यालयों में दुष्कर्म हुए हैं, अध्यापकों द्वारा किए गए हैं, अन्य के द्वारा किए गए हैं, वह कितने खुश हैं। जिस प्रकार के घोटाले सामने आ रहे हैं, खान विभाग में अन्दर बैठे हैं अधिकारी, उनको कितनी हैप्पीनेस हो रही है? हैप्पीनेस की बात, प्रयास कर रहे हैं, हैप्पी नहीं हुए। हैप्पी नहीं हो सकते क्योंकि जिस प्रकार का शासन इस सवा तीन साल में दिया है, मैं निवेदन करना चाहता हूं वह कलंक है कलंक इस प्रदेश के ऊपर। आज आप देख सकते हैं हर अपराध में बढ़ोतरी हुई है। बलात्कार के मामले में 9559 मामले दर्ज हुए। गत वर्ष पांचवें स्थान से इस बार प्रदेश तीसरे स्थान पर आ गया है। अनुसूचित जाति के विरुद्ध प्रदेश में होने वाले अपराध में गत वर्ष की तुलना में 35 परसेंट की वृद्धि हुई है, अनुसूचित जनजाति, 52 परसेंट की वृद्धि हुई है। 8 परसेंट की अनुसूचित जाति की महिलाओं के बलात्कार में बढ़ोतरी हुई है। जघन्य अपराध और हत्या जैसे प्रयास में एक प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। लूट में 3300 डकैती के 169 मामलों में प्रदेश, जुआ, अवैध हथियार, मादक पदार्थ इसमें बेतहाशा वृद्धि हो रही है। महिलाओं के साथ छेड़छाड़ आए दिन का काम हो गया है, उसमें बढ़ोतरी हुई है। अपहरण के आंकड़े भी चिंताजनक हैं। मानव तस्करी में भी देश में राजस्थान नौवे स्थान पर आ गया है। कौन खुश है आप बताइये। किसान, अभी माननीय सदस्यों ने कहा हमने नियामक आयोग ने, आपने पता नहीं क्या कर दिया, किसान बहुत खुश हो गया, वाह-वाही लुटवा रहे हैं। बीजेपी के कार्यकर्ताओं के नकली साफे बंधा-बंधाकर मुख्य मंत्रीजी को राज़ी करवाने के लिए आ रहे हैं कि वारे न्यारे हो गए, हम तो चुनाव जीत गए, किसान खुशहाल हो गया। समय आने दीजिए, एक-एक आँख ने जो आंसू बहाया है उसका किसान बदला लेने वाला है। (व्यवधान) आप अपनी सीट पर जाइये या बीच में मत बोलिए। अगर बोले तो आप फिर सदन चलाइये, हम चले जाते हैं। यह कौनसा तरीका हुआ? जब हमने आपको आराम से सुना तो आप सुनिए। कान की किट्टी झड़ जाएगी आपकी। आपके पूरे सवा तीन साल में जो स्थिति हुई है। देखिए कोटा में प्रकरण हुआ, हम पूछना चाह रहे हैं कौन खुश है, पुलिस खुश है, माननीय सदस्या चंद्रकांता मेघवाल खुश है, कौन खुश है? आज चार-पांच, छह दिन हो गए मुंह पर पट्टी लगी हुई है मुख्य मंत्री और गृह मंत्री के ऊपर। मुंह पर पट्टी लगी हुई है। कौन जा रहे हैं जांच करने, माननीय कृषि मंत्री प्रभूलाल जी सैनी जांच करने जा रहे हैं, माननीय परनामी

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

जी जांच करने जा रहे हैं। +++ जब आपका डीजी नाकामयाब हो गया, आपकी विधायिका नाकाम हो गई तो प्रभूलाल सैनी और परनामी जी क्या जांच करके बता देंगे। पांच दिन में आपकी जांच नहीं हुई। जब एक एमएलए और एक पुलिस के सीआई का मामला हो, पूरी पुलिस का मामला हो उसके बाद भी अगर सात दिन तक प्रदेश की मुखिया नहीं बोले, प्रदेश का गृह मंत्री नहीं बोले और +++ जाकर जांच करने लग जाएं तो मान लीजिए कि वह खुशहाली का आंकड़ा ...(व्यवधान)

श्री सभापति: +++ यह शब्द अंकित नहीं हो ...(व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): कौन हो गया +++ किसके लिए कहा मैंने ...(व्यवधान)

श्री सभापति: टोक दिया है, +++ शब्द अंकित नहीं होगा।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): माननीय सभापति महोदय, यह नहीं है, आप कितने हटाओगे, बहुत आएंगे ऐसे।

श्री सभापति: थोड़ा संयम रखो भई, संयम की भाषा बोलो यहां पर।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): धैर्य रख रहा हूं। गलत कह रहा हूं क्या? (व्यवधान)

श्री सभापति: +++ क्या होता है।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): +++ ...(व्यवधान)

श्री सभापति: नहीं, यह अंकित नहीं हो। (व्यवधान)

श्री शंकरसिंह राजपुरोहित (आहौर): मंत्री गया ...(व्यवधान) +++ हो गया क्या ...(व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): मैंने कब कहा मंत्री को, मंत्री को कब कहा ...(व्यवधान)

श्री शंकरसिंह राजपुरोहित (आहौर): आप एक तरफ तो कह रहे हो मंत्री क्यों गए ...(व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): मंत्री नहीं जाना चाहिए ...(व्यवधान) मंत्री नहीं जाना चाहिए, मंत्री क्या जांच करेगा ...(व्यवधान)

श्री शंकरसिंह राजपुरोहित (आहौर): यह शब्द नहीं है। माननीय सभापति महोदय, यह अशोभनीय शब्द, कार्यवाही से निकालिए इस शब्द को।

श्री सभापति: पहले ही निकाल दिया है। (व्यवधान) निकाल दिया है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज): सभापति महोदय, मैं एक निवेदन करना चाह रहा हूं, आज सुबह से बहस बड़ी अच्छी चल रही है। माननीय सदस्य सचेतक भी हैं। जिस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल कर रहे हैं, रिकार्ड पर जा रहा है, कभी कोई रिकार्ड पढ़ेगा तो इन पर तरस खायेगा कि इस प्रकार के व्यक्ति को सचेतक बना दिया, किस प्रकार की भाषा है +++ क्या उपयोग कर रहे हैं सभापति महोदय। (व्यवधान) आप एक्सपंज कराइये।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): आपकी मेहरबानी नहीं है उस पर। (व्यवधान)

श्री सभापति: अंकित नहीं होगा, निर्देश दे दिए। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज): सभापति महोदय, मेरी प्रार्थना है इनको हिदायत दीजिए आप।

श्री सभापति: आप भी कोई उकसाने और भड़काने वाले शब्दों का प्रयोग मत करो। आप अपनी बात कहो ना। (व्यवधान) भाषा पर संयम रखो। यह सदन है, इसकी मर्यादा होती है उसको आप कुछ समझो।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): मर्यादा मैं समझता हूं अच्छी तरह। दूसरी बार आया हूं।

श्री सभापति: नहीं, आप ट्रेक से हट रहे हो।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): ट्रेक से नहीं हट रहा हूं। अगर इनके कुछ लग रहा है तो मैं क्या करूं। सभापति महोदय, 67 हजार करोड़ का बजट प्लान था इनका विकास का, 4400 करोड़ रुपये खर्च कर पाए हैं, यह पूरा पैसा खर्च नहीं कर पाए। कृषि में, हार्टिकल्चर में, जो कृषि संयंत्र हैं उनमें जो सब्सिडियां थीं वह सारी की सारी सब्सिडियां इन्होंने कम कर दीं, घटा दीं। कहां 90 परसेंट, 86 परसेंट, 85 परसेंट और कहां 40 परसेंट, 45 परसेंट, 35 परसेंट, इस प्रकार किसान के साथ, यह अभी कह रहे थे कि नियामक आयोग ने आपसे ऐसा कर लिया, वैसा कर लिया।

नियामक आयोग आपके भी लागू था, हमारे भी लागू था। माननीय मुख्य मंत्रीजी, सुराज संकल्प यात्रा के दौरान गांव-गांव गई थीं, गली-गली में घूमी थीं और किसानों को यह कहा था कि अशोक गहलोतजी की सरकार ने आपके पैसे नहीं बढ़ाने का नाटक किया था, आपके वी.सी.आर. लागू करा दी।

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

आपके लोड बढ़ाने का काम कर रहे हैं, आपके इतनी बढ़ोतरी कर रहे हैं और जो आपके वी.सी.आर. है उसको खतम कर दूंगी, वी.सी.आर. में जो सिविल लायबिलिटी है, उसको मैं खतम कर दूंगी, एक पैसा नहीं बढ़ाऊंगी, किसानों को मालामाल कर दूंगी। आज क्या हाल हो रहा है। बिना जांच किये किसान का लोड बढ़ रहा है। पैसे बढ़ाये एक सितम्बर को, क्यों बढ़ाये, उसी दिन मुख्य मंत्रीजी सब्सिडी दे सकती थीं, सरकार उसी दिन सब्सिडी दे देती तो किसान आंदोलनरत नहीं होता। किसान जब आंदोलनरत हुआ और यह लग गया कि इस सरकार की बैंड बजने वाली है तब जा करके इन्होंने नोटंकी की है वापस सब्सिडी देने की लेकिन लोड आज भी बढ़ा हुआ है। वी.सी.आर. आज भी भरी जा रही हैं। किसानों के साथ अन्याय हो रहा है। किसान आत्महत्या के लिये मजबूर हो रहे हैं। सभापति महोदय, किसके हैप्पी होने की बात कर रहे हैं आप। एक किसान भी अपनी मर्जी से आकर आपको धन्यवाद नहीं दे रहा है। वह घर में बैठा हुआ इंतजार कर रहा है पौने दो साल का कि मौका आने दीजिये, हम बता देंगे कि इस भारतीय जनता पार्टी की वसुंधराजी की सरकार ने हमारे साथ में किस प्रकार की बेइंसाफी की है, किस प्रकार से धोखाधड़ी की है। आज बेरोजगारों को, हम पर लांछन लगाते थे यही राठौड़ साहब इसी सीट पर बैठे-बैठे, अशोक गहलोत ने नौकरियां कोर्टों में कर दीं, एक बच्चे को नौकरी नहीं दी। आपने कितनों को दे दी, बताओ तो सही, वे हैप्पी कितने हैं। यह उद्योग नगर का मैदान, यह टी-पाइण्ट भरा रहता है, जब विधान सभा आती है और विधान सभा नहीं भी चलती है तो आज 15 लाख रोजगार का वादा देने वाली यह सरकार सरकारी नौकरी एक लाख भी नहीं दे पाई है। कहां गयीं वह 15 लाख नौकरियां? थर्ड ग्रेड टीचर का क्या हुआ? सैकिण्ड ग्रेड टीचर की वेतन-विसंगति, यह राठौड़ साहब, यूनुस खानजी और तीन मंत्रियों को बनाया था, क्या हुआ, चार साल हो गये, सवा तीन साल हो गये, सैकिण्ड ग्रेड की विसंगति आपने दूर कर दी क्या। सातवां वेतन आयोग केन्द्र ने लगा दिया। आपको लगाना था। आज कमेटियां बना रहे हो। कर्मचारी आपसे खुश नहीं है, किसान खुश नहीं है, महिलाएं खुश नहीं हैं, बेरोजगारों के रोजाना लाठियां पड़ रही हैं। डण्डे खा रहे हैं, दलित महिलाओं के साथ में अत्याचार, अन्याय और उनकी हत्याएं हो रही हैं। कहां गया डेल्टा मेघवाल की जांच सी.बी.आई. से कराने का मुख्य मंत्री का वादा, आज टायं-टायं फिस्स। आज कर क्या रहे हो। पद समाप्त कर रहे हैं, स्वास्थ्य विभाग में पद समाप्त,

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

शिक्षा विभाग में पद समाप्त। इन्होंने 80 हजार टीचर के पद इस एकीकरण और समानीकरण के नाम से समाप्त किये हैं। 20-21 हजार स्कूल इन्होंने बंद किये हैं। आज गांवों में लोग बात करते हैं कि इससे बढ़िया तो राज्यपाल शासन रह जाता तो भी हम काम चला लेते। हमने अशोक गहलोत के शासन को नकार करके भूल की है। अगर वह शासन रहता तो आज वे काम होते। सम्पर्क पोर्टल, मंत्री गांवों में जा रहे हैं। केवल भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को सुन रहे हैं और वे कार्यकर्ता क्या कह रहे हैं कि आपसे तो ये कांग्रेस वाले लोग ही अच्छे हैं। इनकी ज्यादा चलती है, हमारी चलती नहीं है।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): महाराष्ट्र में जोर से चली है कांग्रेस की।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): आप विराजो, अपन तो एक ही कमेटी में हैं फिर कर लेंगे बात।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): आप ही बोलेंगे या आपके साथी भी बोलेंगे।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): सम्पर्क पोर्टल संसदीय सचिवों को दे रखा है। इनसे पूछें कि आपने कितनी समस्याएं सुनीं, कितने समाधान हुए। मंत्री गये, हमारे सीकर में भी गये, और भी गये, मुख्य मंत्रीजी गयीं। जितनी शिकायतें आयीं, सारी सम्पर्क पोर्टल पर दर्ज कर लो और सम्पर्क पोर्टल आज की तारीख तक एक भी समस्या का समाधान करता नहीं है। कोड नम्बर बांटें, बी.जे.पी. के विधायकों को कोड बांट दिये कि आप दर्ज करा सकते हो। दूसरी पार्टियों के लोगों को नहीं बांटा। इसमें, शिकायत करने में भी, बी.जे.पी. के, आप बताइये, किस प्रकार का अन्याय है। सड़कें तो मत दो, कांग्रेस और अन्य विपक्षी माननीय सदस्यों के कहने से, लेकिन शिकायत दर्ज करने का अधिकार तो दे दो। वह अधिकार भी आपने छीन रखा है। रोजाना जाते हैं, संसदीय सचिव आयेंगे, शिकायत होगी। कलक्टर इन लोगों को बिलकुल गांठता नहीं है। आज अराजकता का माहौल जिस प्रकार से हुआ है, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आगे यह हैप्पीनेस इंडेक्स बढ़ेगा नहीं, यह कम होगा। यह कम किस प्रकार से होगा कि सरकार को जो कम टैक्स मिला है, अगले बजट में भारी कटौती करने का इन्होंने जो टेंटेटिव प्लान जारी किया है, उसके मुताबिक कृषि में 1200 करोड़ रुपये कम होने जा रहे हैं, पी.एच.ई.डी. में 1200 करोड़ कम होने जा रहे हैं, कालेज एजुकेशन में 70 करोड़ कम होने

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

जा रहे हैं। माध्यमिक शिक्षा में 300 करोड़ रुपये कम होने जा रहे हैं, को-आपरेटिव और मेडिकल में 600 करोड़ रुपये कम होने जा रहे हैं। हैप्पीनेस इंडेक्स ऐसा बढ़ेगा कि गांव में आपको घुसने नहीं देंगे।

हमारी मुख्य मंत्रीजी ने एक काम तो जोरदार किया। चिकित्सा मंत्रीजी जैसे तैसे अपना काम चला रहे थे। एक जानदार और शानदार चिकित्सा मंत्री को बना दिया, और शिक्षा मंत्रीजी ने बैठते ही ऐलान कर दिया पैट्रोल पम्प से कि हमारे जो कार्यकर्ता पुलिस के हाथों पिट जाएंगे उनके लिये एस.एम.एस. में 23 नम्बर का कमरा इलाज के लिये तैयार रहेगा। वाह चिकित्सा मंत्रीजी, हम तो उम्मीद कर रहे थे कि आप प्रदेश के चिकित्सा मंत्री बने। आप तो केवल भारतीय जनता पार्टी के वह कार्यकर्ता, जो बदमाशी करते हैं, जिनको पुलिस पीटती है उनका इलाज करने के लिये आपने 15 का स्टाफ लगा दिया और 23 नम्बर का एस.एम.एस. में कमरा, आप धन्यवाद के पात्र हैं कि उनकी सुध तो ली जो रोजाना पिट-पिट के आ रहे हैं। यह ऐसे नहीं पिट रहे हैं।

श्री मदन राठौड़ (सरकारी उप मुख्य सचेतक): आप आएंगे तो आपका भी इलाज वहां होगा। (व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): नकली राठौड़जी, आप बीच में मत बोलो। ये राठौड़जी असली हैं, आप नकली हो।

श्री मदन राठौड़ (सरकारी उप मुख्य सचेतक): सभापति महोदय, यह क्या बोल दिया। (व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): यह असली-नकली क्या होता है।

एक माननीय सदस्य: यह असली नकली का पैरामीटर क्या है, एक बार इनसे पूछो यह।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): यह सदन से क्लीयर किया जाए कि नकली कौन है और असली कौन है। कैसे असली है और कैसे नकली है।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): फैसला कर लो। इनसे कहलवा दो। ये असली हैं। मैं मान जाऊंगा।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): ये दोनों ही असली हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): नकली क्या है, असली क्या है।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): ये दोनों ही खरे हैं। खरे हैं, पक्के हैं, असली हैं। इन्होंने महाराष्ट्र में बता दिया कि कांग्रेस का ठिकाना भी नहीं रहेगा।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): दुनिया सब जानती है कि असली क्या है, नकली क्या है। यह सबको पहचानती है, कौन असली है, कौन नकली है।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): पब्लिक जानती है और पब्लिक पहचानती है।

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): कितना भी छिपाने से नहीं छिपता है यह।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): यह असली-नकली क्या होता है, माननीय सभापति महोदय।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): माननीय सभापति महोदय, निःशुल्क दवा योजना हमारी सरकार ने लागू की। माननीय घनश्यामजी तिवाड़ी बैठे हैं, और भी वरिष्ठ सदस्य बैठे हैं। मैं समझता हूं कि राजेन्द्रजी राठौड़ साहब ने उस दिन तो गलती की थी कि यह अच्छी योजना है, इसमें जो कमियां हैं उसको ठीक करने की जरूरत है। ये जब स्वास्थ्य मंत्रीजी थे तो यह योजना इसलिये बंद नहीं की कि इससे बढ़िया कोई योजना नहीं। लेकिन निःशुल्क दवा में भी 70 करोड़ रुपये की इन आने वाले तीन माह में कटौती कर ली है। ये कुछ देना नहीं चाहते। मैं निवेदन करना चाहता हूं, पानी में जिस प्रकार घोटाला हुआ, मंत्री बदलने से धुल गये क्या, ये पाप नहीं धुले हैं। आप जांच कराइये। जो लोग दोषी हैं उनको जेलों में डालिये। ऐसे नहीं चलता। एक मंत्रालय खराब कर दिया, दूसरा मंत्रालय दे दिया, दूसरा खराब कर दिया, अब तीसरा मंत्रालय दे दो। यह हैप्पीनेस इंडेक्स बना रहा है क्या। यह हैप्पनीनेस इंडेक्स नहीं बना रहा है। रिसर्जेण्ट राजस्थान किया। क्या किया रिसर्जेण्ट राजस्थान में। आंकड़े मेरे पास में मौजूद हैं, मेरा प्रश्न भी है। डिटेल में उस टाइम बात करूंगा। अम्बानी सहित सौ निवेशक आये। एक ने आ करके आपको नहीं पूछा। केवल जमीनें अलाट कराने में लगे हुए हैं। चाहे पुर्तगाल की वह कम्पनी हास्पिटल बनाने के लिये आई, वह कह रही है प्राइम

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

लोकेशन पर जमीन दो। एम.ओ.यू. कब किया, क्या किया, क्यों किया। यह कोई बताने को तैयार नहीं है। यह सरकार केवल मीटिंगें कर रही है, सैटिंगें कर रही है, इटिंग कर रही है, लोगों के साथ चीटिंग कर रही है। इससे इनके हैप्पीनेस का आंकड़ा बढ़ने वाला नहीं है।

मैं निवेदन करना चाहता हूं। कितने थे, 749 लोगों के खिलाफ मुकदमे दर्ज हुए, जो सरपंच, पंच, प्रधान और जिला प्रमुख बने, जिसमें हमारी सरकार में बैठे कई मंत्रियों के यहां जिला प्रमुख भी फर्जी मार्कशीटों से हैं। फिर भी आज तक एक का भी चालान किया हो तो बता दो, भारतीय जनता पार्टी से सम्बन्धित, एक की भी जांच की हो तो बता दो। 749 में से या तो वह फर्जी थे, या वे सही थे, कितने में एफ.आर. लगी, कितनों के चालान हुआ, कितनों को हटाया गया। फर्जी लोग काम कर रहे हैं। पहली बार प्रदेश में फर्जी लोग काम कर रहे हैं। आप बताइये यह सरकार करना क्या चाहती है। एस.पीज. को निर्देश दे दिये, फाइल लाक-अप में रख लो, किसी को कोई जांच नहीं करनी है। कोई इक्का-दुक्का कांग्रेस समर्थक बात करे तो उसके खिलाफ मुकदमा हो तो उसको अन्दर डाल दो। उसके अलावा कुछ भी करने की आपको दरकार नहीं है। मैं निवेदन करना चाहता हूं, एक-एक चीज, एल.ई.डी. में घोटाला हुआ, कहां 90 रुपये की एल.ई.डी., एक हजार में खरीद रहे हैं। क्या हो गया, आपके इतनी कौनसी भूख लग गई कि सब कुछ ही खा लेंगे। आज 24 प्रतिशत पंचायतों में, मैं निवेदन करना चाहता हूं, सभापति महोदय, नरेगा में काम नहीं चल रहा है। एक तरफ तो नरेगा की बड़ाई करते हैं। हम इतना पैसा दे रहे हैं। इतना पैसा प्रधान मंत्रीजी बढ़ा रहे हैं। इतने लोगों को रोजगार दे रहे हैं।

और दूसरी तरफ प्रधान मंत्रीजी लोक सभा में यह कहते हैं कि यह कांग्रेस की विफलताओं का स्मारक होगा, इस स्मारक को मैं चालू रखूंगा, भाई, जब स्मारक ही है और हमारी विफलताओं का ही है तो आपको क्या पड़ी है इसका बजट बढ़ाने की? आपको इस बजट में वाहवाही लूटने की कहां जरूरत पड़ गयी कि हम नरेगा में पैसा बढ़ा रहे हैं। हम यह कर रहे हैं, वह कर रहे हैं। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आज पंचायत सहायकों की भर्ती है, माननीय सभापति महोदय, बेरोजगारों के साथ, विद्यार्थी मित्रों को हटाया, टैट टीट आप खतम करना चाह रहे थे, कुछ भी नहीं कर पाये आप। आज 15 हजार की जो भर्ती है, उसका क्या हुआ? जो क्लर्क हैं, उनका क्या हुआ?

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

एस.आई. का क्या हुआ? वन पालों का क्या हुआ? एक भी भर्ती की है क्या? विद्यार्थी मित्रों को एक बार पुनः धोखा देने का काम किया है। पंचायत सहायक भर्ती हो रही है माननीय राठौड़ साहब, आप बैठे हैं सबसे वरिष्ठ मंत्री हैं यहां पर, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जब आप उसमें रिजर्वेशन का प्रावधान नहीं कर रहे हैं, जब आप विद्यार्थी मित्रों को बोनस अंक का प्रावधान नहीं कर रहे हैं, आप प्रिंसिपलों को कह रहे हैं कि आप साहब, मनमर्जी से कर लीजिए। फिर बुला-बुलाकर आपका जिला शिक्षा अधिकारी, आपका डी.ई.ओ. और सी.ई.ओ. यह कह रहे हैं कि विद्यार्थी मित्रों का नाम लिख दो। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं, चैलेंज करना चाहता हूं इस सरकार का कि जब तक विद्यार्थी मित्रों की सही मंशा से यह भर्ती नहीं करेंगे, जब तक उनको बोनस अंक नहीं देंगे तब तक विद्यार्थी मित्र नौकरी नहीं लगेंगे। अगर इन्होंने बैक डोर से किसी को नौकरी देने की कोशिश की तो जो हरियाणा में ओमप्रकाश चौटाला का हो रहा है, वह हश्र आपमें से किसी का होने वाला है। (व्यवधान).

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): यानी, आप विद्यार्थी मित्रों के विरोध में हो ना? आप नहीं चाहते हो कि राजस्थान में विद्यार्थी मित्रों को नौकरी मिले, यही कहना है न आपका?

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): मैं चाहता हूं। विद्यार्थी मित्रों के साथ धोखा मत करो। (व्यवधान).

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): आप कह रहे हो न कि ओमप्रकाश चौटाला का हश्र हमारा होगा, आप कहो न कि विद्यार्थी मित्रों को ....(व्यवधान).

श्री जितेन्द्र कुमार गोठवाल (संसदीय सचिव): आपकी मंशा स्पष्ट हो गयी कि आप विद्यार्थी मित्रों को नौकरी नहीं देना चाहते हो। (व्यवधान). माननीय सभापति महोदय, इनकी मंशा बिलकुल स्पष्ट हो गयी। (व्यवधान).

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): माननीय सभापति महोदय, मैं चाहता हूं कि विद्यार्थी मित्रों को नौकरी मिले।

श्री जितेन्द्र कुमार गोठवाल (संसदीय सचिव): इसमें आपकी मंशा बिलकुल स्पष्ट हो गयी कि आप विद्यार्थी मित्रों के पक्ष में नहीं हैं। (व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): माननीय सभापति महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि यह सरकार भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को, प्रिंसिपलों को बुला-बुलाकर के जो मोहर लगवायी जा रही है, हम उसके विरोध में हैं। आप कीजिए, विद्यार्थी मित्रों को लीजिए। आपने वादा किया था। आप वादे को भूल रहे हैं। आपने सौ दफा वादा किया था। आपकी मुख्य मंत्री ने वादा किया, आपके शिक्षा मंत्री ने वादा किया कि हम देंगे। यह पंचायत सहायक जो भर्ती है, उसमें कहां रखा विद्यार्थी मित्र का वेटेज? आपके प्रिंसिपल, आपके जो चयनकर्ता डी.ई.ओ., सी.ई.ओ., मोटी-मोटी...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): आप साफ कह दो कि पंचायत सहायकों की भर्ती के आप और आपकी पार्टी खिलाफ है, हिम्मत हो तो कह दो। कह दो, नहीं कह दो न आप। (व्यवधान).

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): पंचायत सहायक भर्ती में मौजूदा जिस प्रकार का प्रावधान है, मैं और मेरी पार्टी एक हजार बार खिलाफ है। जब तक विद्यार्थी मित्रों को बोनस अंक देकर उनको प्राथमिकता देने का काम नहीं किया जाता तब तक पंचायत सहायक भर्ती बेमानी है।

श्री जितेन्द्र कुमार गोठवाल (संसदीय सचिव): यह स्पष्ट कर दिया न आपने?

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): हां, कर दिया। कर दिया।

श्री जितेन्द्र कुमार गोठवाल (संसदीय सचिव): यह स्पष्ट कर दिया न आपने कि आप इसके पक्ष में नहीं हैं कि विद्यार्थी मित्रों को नौकरी मिले।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): कर दिया। जो नकली काम कर रहे हो न, उसको ठीक करने का काम करो। मुझे चैलेंज मत करो। पंचायत सहायक भर्ती न आप कर सकते, कोई नहीं कर सकता जब तक, आप जब सुप्रीम कोर्ट में गये तो पहले तो कहा कि हम बोनस अंक नहीं दे सकते। तीन साल तक राठौड़ साहब, आप राग अलापते रहे कि यह बोनस अंक का गलत कर दिया, हम सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं। आज सुप्रीम कोर्ट से सारे के सारे वापस वह फैसले होकर आ रहे हैं कि अशोक गहलोत की सरकार ने जो बोनस अंक दिये थे संविदा कर्मियों को वह सारे के सारे सही हैं।

आप विद्यार्थी मित्रों की भर्ती कीजिए। उनको बोनस अंक दीजिए और शत-प्रतिशत यह भर्ती विद्यार्थी मित्रों के लिए हो, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए नहीं हो, यह मैं कहना चाहता हूं। इस सदन के माध्यम से आपको मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि ....(व्यवधान).

श्री कालू लाल गुर्जर (सरकारी मुख्य सचेतक): भारतीय जनता पार्टी के नहीं तो क्या कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की कर दे? (व्यवधान).

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): क्या हुआ? आप तो सो लो न घंटे, दो घंटे के लिए। (व्यवधान) आप मुख्य सचेतक महोदय, सो लो घंटे, दो घंटे।

श्री कालू लाल गुर्जर (सरकारी मुख्य सचेतक): मैं तो सो लिया, अब आपकी सोने की बारी है इसलिए अब आप जाओ अन्दर। इसलिए इल्लीगल मत बोलो आप।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): इल्लीगल क्या है?

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): वह आप बता दो न कि कौनसा लीगल है और कौनसा इल्लीगल है? आप लीगल कर रहे हो क्या? खेल विभाग का भट्ठा बैठा रहे हो। फिर ललित मोदीजी को दे रहे हो आर.सी.ए. को, उसको दोबारा एम.ओ.यू. कर रहे हो। नागौर क्रिकेट संघ में, क्या कर रहे हो? 35 करोड़ रुपये आर.सी.ए. के मांग रहा है क्रीड़ा परिषद, आपने दिलाये 35 करोड़ रुपये? पांच साल, तीन साल से आप उन पैसों को तो वसूल नहीं कर रहे हो और वहां लंदन में बैठे व्यक्ति के लिए आप दोबारा एम.ओ.यू. कर रहे हो बैक-डोर से। क्या बात कर रहे हो? किसको इल्लीगल कहते हो? मेरे साथ बात कर लेना कभी आकर के। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): माननीय सभापति महोदय, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर वाद-विवाद करते हुए यह ऐसे व्यक्ति का नाम सदन में ले रहे हैं जो अपना स्पष्टीकरण यहां नहीं दे सकता। यह सदन की परम्परा भी रही है, अध्यक्षीय व्यवस्था भी है। अगर इन्हें कोई आरोप लगाना हो तो 273 में नोटिस दे दें, हम जवाब दे देंगे या और किसी प्रस्ताव के माध्यम से आ जाएं, हम जवाब दे देंगे। मतलब, यूं ही हवा में बात को छोड़ देना, कौनसा एम.ओ.यू. कर लिया, क्या प्रमाण है आपके पास?

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): आप पर थोड़े ही लगा रहा हूं महामहिम? माननीय मंत्री महोदय, देखो आप मन से तो हो रहे हो राज़ी और विरोध दर्ज करवाने के लिए कर रहे हो विरोध। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): या तो डाकूमेंट पेश करें। (व्यवधान) हवा के अन्दर बातों को कहकर छोड़ देना उचित नहीं है। आप इनको रोकिये।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): हवा में बातें फेंकनी बंद करो, हवा में। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): आपने इनको अनलिमिटेड समय दे दिया तो इसका मतलब यह थोड़े ही है कि कुछ भी बोलते चले जाएंगे।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आप तो राज्यपाल के अभिभाषण पर जो अंकित है, उसी मुद्दे पर बात करो न आप। (व्यवधान)

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): हवा में बिना आधार के बातें कहना गलत है। (व्यवधान)

श्री सभापति: आप उसी पर बात करो। (व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): नहीं, क्या गलत कह दिया? आप नागौर क्रिकेट संघ के साथ में दोबारा एम.ओ.यू. नहीं कर रहे हो क्या? डिनाई कर दें? (व्यवधान)

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): क्या प्रूफ है आपके पास इसका, क्या आधार है आपके पास? (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): आपके पास क्या प्रमाण है कि एम.ओ.यू. किया कि नहीं किया? कोई प्रमाण है आपके पास? (व्यवधान) माननीय सभापति महोदय, यह कोई बात हुई क्या? अच्छी बहस चल रही है, आप बोलो। (व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): विराजिए। आज किसान को मूंग का समर्थन मूल्य घोषित किया उन्होंने 5225 रुपये। माननीय सभापति महोदय, कोई ले रहा है क्या मूंग? खरीद रहा है क्या किसान का और जो मूंग खरीद लिया उसका भी पैसा नहीं मिल रहा है। आज मैं निवेदन करना चाहता हूं कि बोर-वैल पर लगा सोलर सिस्टम है, उस पर हम 86 परसेंट देते थे, आप 40 और 60 के बीच में आ गये। ड्रिप सिस्टम पर 90 देते थे सब्सिडी, आप 45 और 60 पर आ गये। स्प्रिंकलर सिस्टम पर 75 देते थे, आप 50 पर आ गये। ग्रीन हाउस शेड-नैट पर 78 परसेंट देते थे, आप 50 परसेंट पर आ गये। जिस प्रकार प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना का ढोल पीटा जा रहा है, प्रधान मंत्रीजी ने पता नहीं क्या कर दिया, आज कटौती हो गयी सब किसानों से, एक पैसा, माननीय सभापति महोदय, किसान को राहत के नाम पर नहीं मिल रहा है। किसान को एक पैसा नहीं मिल रहा है, किस बात की प्रधान

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

मंत्री फसल बीमा योजना है? आज घड़साना में देख लो, हनुमानगढ़ में देख लो, गंगानगर में देख लो, बीकानेर में देख लो, सीकर में देख लो, सब जगह पर किसान आंदोलन कर रहे हैं, सरकार को कोस रहे हैं और सरकार जो लगी हुई है...(व्यवधान) विराजो-विराजो, आप पर तो मुकदमा दर्ज हो गया, चालान चालू हो गया, आप बैठ जाओ।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय सभापति महोदय, जो ड्रिप इर्रिगेशन में, बीज में जो घोटाले हुए उनकी जांच करवाइये। हैप्पीनेस अपने आप आ जाएगी। मैं निवेदन करना चाहता हूं, मैं किसी पर आरोप नहीं लगा रहा हूं लेकिन जिस प्रकार यहां पर महामहिम के श्रीमुख से यह कहलवाया गया कि हैप्पीनेस इंडेक्स बढ़ रहा है, यह हैप्पीनेस इंडेक्स बढ़ नहीं रहा है बल्कि घट रहा है।

गौ-शालाओं का अनुदान दे रहे थे, दे दिया क्या? 200 गाएं होंगी तो यह थोड़ा बहुत, चालू किया है। माननीय घनश्यामजी तिवाड़ी कह-कहकर, और अपनी बात रख-रखकर थक गये लेकिन इन्होंने इनसे किनारा कर लिया। यह तो ऐसे ही कहते हैं। अभी कह रहे थे कि तीन आदमियों ने रथ निकाली। एक भारी भरकम माननीय सदस्य जो मंत्री रहा हुआ है आपकी केबिनेट में, जो राजस्थान में बी.जे.पी. को खड़ा करने वाला है, वह व्यक्ति कह रहा है कि भ्रष्टाचार हो रहा है, भ्रष्टाचार, लूटा जा रहा है, विदेशी लोग आकर, प्रदेश के बाहर के लोग आकर प्रदेश को लूट रहे हैं। क्या हुआ? यह डलहोजी कम्पनी का, किसको दे रहे हैं यह वाइल्ड लाइफ को? किसको दे रहे हैं? उस कम्पनी को कह दिया कि तू ही तो जांच कर ले, तू ही डी.पी.आर. बना ले, तू ही ले ले। जो करना है तू ही कर ले। यह बंद कीजिए। माननीय सभापति महोदय, यह बंद करना पड़ेगा। आपको जो शासन दिया है 160 का वह इसलिए नहीं दिया ....(व्यवधान)

श्री गजेन्द्रसिंह (वन एवं पर्यावरण मंत्री): आपने दस्तावेज देखे हैं क्या? आपने दस्तावेज देखे? (व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): आप दिखा देना न जब आपका नम्बर आये।

श्री गजेन्द्रसिंह (वन एवं पर्यावरण मंत्री): नहीं, कौन डाइरेक्ट कर रहा है? नहीं, कौन डाइरेक्ट कर रहा है कि यह हमारे टर्म्स एंड कंडिशन है, ... (व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): धमकाने वाली भाषा में बोलने की जरूरत नहीं है। (व्यवधान)

श्री गजेन्द्रसिंह (वन एवं पर्यावरण मंत्री): आपने दस्तावेज देखे क्या?

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): मेरे पास प्रमाण है। मेरे पास प्रमाण है।

श्री गजेन्द्रसिंह (वन एवं पर्यावरण मंत्री): बताइये क्या प्रमाण है? बताइये क्या प्रमाण है? (व्यवधान)

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): हवा में फेंक रहे हो। (व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): आप विदेशी कम्पनियों से मिलकर बेचना चाहते हो। (व्यवधान)

श्री सुरेश धाकड़ (बेगूं): मंत्री महोदय बता रहे हैं, आप इनकी सुन लो। (व्यवधान)

श्री गजेन्द्रसिंह (वन एवं पर्यावरण मंत्री): आप दस्तावेज पेश करके बताइये। (व्यवधान)

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): हवा में फेंकने की बातें बंद करो, तथ्यों के आधार पर आओ। (व्यवधान)

श्री सुरेश धाकड़ (बेगूं): जो प्रमाण है ही नहीं। (व्यवधान)

श्री गजेन्द्रसिंह (वन एवं पर्यावरण मंत्री): गलत बातें मत कहिये आप। (व्यवधान)

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): कोई आधार नहीं, कोई कुछ भी नहीं। (व्यवधान)

श्री सुरेश धाकड़ (बेगूं): बिना आधार के हवा में बात करने से कोई फायदा नहीं।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): शिक्षा में क्या हुआ? माननीय सभापति महोदय, शिक्षा में क्या हुआ? सवाईमाधोपुर, मिड डे मील, बोले मजबूत करेंगे। आपका सुराज संकल्प पत्र पढ़ लीजिए और उसके बाद में मेरे से बात कीजिए। उसमें कहा था कि मिड डे मील को और ज्यादा मजबूत और अच्छा बनाएंगे। कल-परसों क्या हुआ सवाईमाधोपुर में? खांटकलां में, एक वियालय में बच्चे कुत्तों के साथ में मिड डे मील खा रहे थे। (व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): माननीय सभापति महोदय, यह बड़ा

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

महत्वपूर्ण प्रश्न विधान सभा में आ गया। माननीय सदस्य ने आरोप लगाया और माननीय मंत्री महोदय ने कहा कि गलत लगाया। इसका सीधा प्रमाण यह है कि वह डाकूमेंट्स और वह कागज जो भी आज तक हुए हैं उनको सदन के पटल पर रखा जाना चाहिए ताकि आइंदा यह...(व्यवधान) यह सदन के पटल पर रखो। आज तक जो कार्यवाही और प्रक्रिया हुई है, क्योंकि राजस्थान की वन भूमि या राजस्थान का अभयारण्य न तो इनकी सम्पदा है, न अपनी सम्पदा है, यह राजस्थान की सम्पदा है, किसी को इसको बेचने का या देने का अधिकार नहीं है। सारे डाकूमेंट्स और कागज आप सदन के पटल पर रखें और अध्यक्ष महोदय इस बात को देखें कि यह क्या गलत आरोप लगा रहे हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): सभापति महोदय, यह सदन नियमों और प्रक्रियाओं से चलता है। माननीय सदस्य वरिष्ठ सदस्य हैं, संसदीय परम्पराओं का जितना ज्ञान इनको है, शायद दूसरे किसी को नहीं है। आप प्रस्ताव लेकर आ जाओ। हम कागज भी रख देंगे और इस पर खुली बहस भी कर लेंगे।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): कोई प्रस्ताव की जरूरत नहीं है। जिस डाकूमेंट की सदन में चर्चा हो जाए, उस डाकूमेंट को सदन को जानने का अधिकार प्राप्त है। इसलिये इसकी चर्चा हो गयी, माननीय मंत्री महोदय ने चर्चा की है और उन्होंने कहा है कि आपने डाकूमेंट्स नहीं देखे। डाकूमेंट्स में इस प्रकार की बात नहीं है। अगर यह डाकूमेंट्स सदन के पटल पर आ जाएंगे तो सार्वजनिक हो जायेंगे और जो भ्रांति है, वह समाप्त हो जायेगी।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): सभापति महोदय, मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य जो कह रहे हैं, कोई डाकूमेंट है जो आ जाये। अगर कोई डाकूमेंट है ही नहीं, कोई प्रस्ताव है ही नहीं तो? नहीं, अगर कोई प्रस्ताव है ही नहीं तो? हर कोई बात हवा में कह देगा।

श्री दर्शन सिंह (करौली): मंत्रीजी कह रहे हैं डाकूमेंट है। आप झुठला कैसे रहे हो, वह कह रहे हैं कि है।

श्री गजेन्द्रसिंह (वन एवं पर्यावरण मंत्री): सभापति महोदय, कोई ई-मेल की कापी लाकर बता दे कि एम ओ यू हो गया या दस्तावेज हो गया, कोई एग्रीमेंट हो गया, यह कोई बात हुई। एक ई-मेल की कापी लाते हैं।

(श्री गजेन्द्रसिंह)

उन्होंने आकर हमारे पास देखा और हमें सुझाव दिये। कौनसा एम ओ यू हो गया उसके अन्दर। (व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): आप थोड़े कर रहे हो। आप तो अदृश्य शक्ति के कारण से कर रहे हो। आप तो अदृश्य शक्ति के प्रभाव में कर रहे हो।

श्री गजेन्द्रसिंह (वन एवं पर्यावरण मंत्री): आप अख़बार पढ़कर उसके आधार पर बोल रहे हो। आपने कागज देखे, आपने दस्तावेज देखे?

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): अख़बार गलत है तो कह दो गलत है।

श्री गजेन्द्रसिंह (वन एवं पर्यावरण मंत्री): मैं पूछ रहा हूं आपने दस्तावेज देखे?

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): मैंने सब कुछ देख लिया। आप घोटाला करने जा रहे हैं, हम नहीं करने देंगे। अभी विपक्ष मौजूद है नहीं करने देंगे घोटाले।

श्री गजेन्द्रसिंह (वन एवं पर्यावरण मंत्री): आपने दस्तावेज देखे हैं, आपने एम ओ यू देखा है, आपने एग्रीमेंट देखा है। (व्यवधान)

श्री कालू लाल गुर्जर (मुख्य सचेतक): आपने कितने घोटाले कर लिये। घोटाले करने के बाद आप क्या घोटालों का कह रहे हैं। आप खुद घोटालेबाज हैं। (व्यवधान) आपकी सरकार ही घोटालेबाज रही है। (व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): मारवाड़ी में कहावत है कि 'चोर की दाढ़ी में तिनका'। मंत्री बीच में क्यों बोले, यह बताइये आप। जब कुछ है ही नहीं तो बोलने दो मुझे।

श्री मदन राठौड़ (उप मुख्य सचेतक): यह डोटासरा जी, फालतू डोटा मार रहे हैं, है कुछ नहीं आपके पास में कहने के लिये। फालतू हवा में डोटा मत मारो। कुछ भी नहीं है आपके पास में कहने के लिये। (व्यवधान) ऐसी अनर्गल बातें मत करो। यदि आपके पास में कुछ है तो रखो न। फालतू की बातें करते हो। व्यर्थ की बातें मत किया करो।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): बैठ जाओ आप। (व्यवधान)

श्री मदन राठौड़ (उप मुख्य सचेतक): अच्छा आपके कहने से नहीं बैठने वाला हूं। आप क्या हो जो बैठ जाओ, बैठ जाओ करते हो। +++ करने के सिवाय कुछ भी नहीं बोलते हो। (व्यवधान) यह क्या तरीका है इस प्रकार का। यह सदन में तीन साल में नहीं सीख पाया यह व्यक्ति।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): एक को भी नहीं बोलने देंगे। मजाक मत बनाओ इस सदन को। हमने चुपचाप सुना है। (व्यवधान)

श्री मदन राठौड़ (उप मुख्य सचेतक): थोड़ी बहुत मर्यादा है कि नहीं बोलने की। +++ करते जा रहे हो। बैठ जाओ, बैठ जाओ ...(व्यवधान).

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): जो असत्य बोल रहे थे वह सुना। (व्यवधान) हम बोले नहीं, यह कहां का न्याय है? आप भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यों के मुंह पर ताला लगा सकते हो, लेकिन गोविन्द सिंह डोटासरा और कांग्रेस पार्टी के नहीं लगा सकते। (व्यवधान)

श्री मदन राठौड़ (उप मुख्य सचेतक): फालतू की बातें मत किया करो। यह राठौड़ कौन है, कौन नहीं है, यह राठौड़ी दिखा देगा, हमें राठौड़ी दिखाना आता है। मालूम पड़ जाएगा कि राठौड़ कौन है। पता चल जाएगा।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): आप बैठ जाओ। (व्यवधान)

श्री मदन राठौड़ (उप मुख्य सचेतक): आपके कहने से बैठ जाऊंगा, फालतू की +++ करते हो। तीन साल हो गये और यह व्यक्ति सदन के अन्दर मर्यादा नहीं सीख पाया।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): आप बैठ जाओ। (व्यवधान)

श्री मदन राठौड़ (उप मुख्य सचेतक): आप बैठ जाओ, यह कहने वाले कौन होते हो आप? थोड़ी बहुत मर्यादा सीखो। मर्यादा आती नहीं है। तीन साल हो गये सदन का दुरुपयोग किया है, कुछ भी नहीं सीख पाये हैं अभी तक और अनर्गल बातें करना सदन के अन्दर और डोटे मारना, यह केवल आप से सीखे। ऐसी बातें मत किया करो। बैठ जाओ, बैठ जाओ करते हो। सदन आपकी व्यवस्था से नहीं चलता है। यहां आसन पर सभापति महोदय बैठे हैं। (व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): सभापति महोदय, क्या यह आपकी परमिशन से बोल रहे हैं?

श्री दर्शन सिंह (करौली): मंत्रीजी को भ्रष्टाचार नहीं करने देंगे, भ्रष्टाचारी सरकार नहीं बनने देंगे। (व्यवधान) जो भ्रष्टाचार हो रहा है, इसको नहीं होने देंगे।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, मैंने आपसे पहले भी कहा था कि आप महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर अपनी बात रखें। आप अनर्गल बातें कर ही क्यों रहे हैं, आपको क्या मतलब हो गया?

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): सभापति महोदय, मैंने कौनसी अनर्गल बात की? (व्यवधान)

श्री कालू लाल गुर्जर (मुख्य सचेतक): सभापति महोदय, यह इल्लीगल बातें कर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): सभापति महोदय, मैं मेरी सत्य बात कहूंगा, किसी के +++ तो हजार दफा लगे। (व्यवधान)

श्री सभापति: क्या +++ क्या बात हो रही है। आप इतने वरिष्ठ सदस्य हो।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): +++ यह शब्द ही असंसदीय शब्द है।

श्री सभापति: +++ इस शब्द को एक्सपंज कर दिया जाये।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): इनके खुद के लगी है। पीछे लगी है +++ उधर लगी है। (व्यवधान)

श्री सभापति: क्यों बिना बात की बात कर रहे हैं। आप विराजो। आप उत्तेजना क्यों पैदा करते हो? (व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): सभापति महोदय, +++ यह असंसदीय है और मक्खन लगे यह संसदीय है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): +++ उसके बाद इनके हाथ का इशारा देखा। इशारा किस तरफ था, वह इशारा मैं करके दिखाऊं। जो इन्होंने इशारा किया वह मैं करके दिखाऊं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): वह गलत है, लेकिन मक्खन लगे, वह संसदीय है।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): किसके क्या लगा, यह विषय बहुत गम्भीर है। किसके +++ और किसके मक्खन लगे। यह विषय बहुत गम्भीर है।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): सभापति महोदय, तीन साल में प्राधिकरण बनाये। कितने प्राधिकरण चालू हो गये? रोडवेज के बस डिपो को यह दे रहे थे, लोक परिवहन सेवा चला रहे थे, चल रही है क्या बस डिपो से लोक परिवहन सेवा? यात्रियों का हैप्पीनैस इंडेक्स बढ़ रहा है क्या? पैसे बढ़ा दिये। पानी में बढ़ा दिये, रोडवेज के बढ़ा दिये, रिफाइनरी आपने लगायी नहीं। आज लोक परिवहन सेवाएं तमाशा बनकर रह गयी हैं। जहां पर एक हजार का लाइसैंस मिला है, वहां पर चार हजार बसें चल रही हैं। तीन हजार बसें अवैध चलकर राजस्थान की सम्पदा को लूटने का काम कर रही हैं। इस पर अंकुश कौन लगायेगा? अगर हम नहीं कहेंगे तो फिर कौन कहेगा सभापति महोदय? यह सरकार के संज्ञान में कैसे आयेगी? सरकार तो कान में रूई लगाकर बैठ गयी है। जब मुख्य मंत्रीजी सीकर गयीं और जब विद्यार्थी मित्रों ने कहा कि हमें रोजगार दीजिये, आपने वादा किया था। मुख्य मंत्री ने कहा +++ यह बेरोजगार लफंगे कब से हो गये, यह बेइमान कब से हो गये, यह बदमाश कब से हो गये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): सभापति महोदय, कोई अनर्गल बात यह नहीं कहें तो उचित रहेगा। (व्यवधान)

श्री कालू लाल गुर्जर (मुख्य सचेतक): असत्य बोलने का इनको कोई अधिकार नहीं है। (व्यवधान) मुख्य मंत्रीजी ने क्या कहा ...(व्यवधान) +++ जैसे शब्दों का कोई प्रयोग नहीं किया। इनको एक्सपंज किया जाए।

श्री सभापति: माननीय मुख्य मंत्रीजी के लिये इन्होंने जो कहा है वह सारा डिलीट कर दें।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): सब कुछ ही डिलीट कर दो न मैंने जितना बोला।

एक माननीय सदस्य: मिट जाएगा। व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): फिर क्या हो जाएगा। मेरे नौजवानों को ...(व्यवधान) कहा हम निन्दा करते हैं। (व्यवधान)

श्री कालू लाल गुर्जर (मुख्य सचेतक): आप खुद मिट जाओगे। (व्यवधान)

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): कालूलाल जी इनसे पूछो महाराष्ट्र और उड़ीसा में क्या हुआ और कौन मिटा?

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): माननीय सभापति महोदय, यह हैप्पीनैस इंडेक्स नहीं है। यह तीन साल से सरकार फोटो कॉपियां करवा

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

रही है। कभी भामाशाह, कभी आधार कार्ड, कभी कुछ। पहले आधार कार्ड को बंद करने का कहा था, कर दिया क्या आधार कार्ड, आज सब कुछ आधार कार्ड पर है, जो कांग्रेस की यूपीए सरकार की योजना थी, उसके ऊपर कर रहे हो। आपने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को परमानेंट करने की बात कही थी, कर दिया क्या? एन आर एच एम कर्मी जो हम करके चले गये, उसके बाद में आपने कर दिया क्या? पंचायत राज में जो एल डी सी थे, हमने उनको कन्फर्म कर दिया, आपने एक भी किया हो तो बताइये। आप किस मुंह से बोल रहे हो? अब मेरे पास एक डायलाग और था, उसको नहीं कहूंगा।

सभापति महोदय, वह सीधा राठौड़ साहब पर जाता है। राठौड़ साहब के बारे में बहुत बड़ी इज्जत है। इसलिये मैं उनके लिये कहना नहीं चाहता। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जामड़ोली में क्या हुआ, विमंदित गृह में बच्चे मरे। हास्पिटल में ब्लड के संक्रमण से बच्चे मर रहे हैं। प्रसूताओं की मौतें हो रही हैं। आये दिन रोड़ पर एक्सीडेंट हो रहे हैं। यहां पर मेरे गांव के, मेरे अपने, मेरे छोटे जो भी है मंत्रीजी, पी पी पी मोड पर 20 हजार किलोमीटर सड़कें बना देंगे, वह बना दीं क्या? सभापति महोदय, मैंने पहले ही कहा था कि यह 20 हजार किलोमीटर पी पी पी आपके सरकार की पी पी बजा देगी और वह पी पी बज गयी। एक किलोमीटर की सड़क नहीं बनी, एक रुपये का खर्चा नहीं हुआ। क्या कर रहे हो, क्यों असत्य पर असत्य बोल रहे हो। खाद्य सुरक्षा गारण्टी अधिनियम में क्या हुआ? एक करोड़ लोगों को बाहर कर दिया। कहीं 35 परसेंट भी आज नहीं ले रहे हैं। उनको आपने कहा था हम 69 परसेंट पर ला देंगे, ला दिया क्या 69 परसेंट। आज एस डी ओ के यहां पूरे प्रदेश में जितनी अपीलें पेंडिंग हैं, एक का भी निस्तारण नहीं हो रहा है खाद्य सुरक्षा गारण्टी अधिनियम में। जिन लोगों की पेंशन मृत बताकर काटी गयी, उनको पेंशन सही समय पर नहीं मिल रही है। एक और जो श्रम मंत्रीजी हैं, अभी बोल रहे थे उनका आंकड़ा भी मैं लेकर आया हूं। फण्ड में 1400 करोड़ रुपये इकट्ठे करके प्रदेश की जनता के पड़े हैं, लेकिन अभी भी 13 लाख में से 1 लाख 21 हजार श्रमिक जो संनिर्माण में काम करने वाले श्रमिक हैं, उनकी बेटियों को जो पैसा मिलना चाहिये था, वह नहीं मिला है। केवल 347 करोड़ रुपया ही मिला है। 1400 करोड़ रुपये पड़े हैं और 1 लाख 21 हजार आवेदन पैंडिंग पड़े हैं। कौन देगा? यह हैप्पीनैस इंडेक्स बढ़ रहा है क्या? कहां पर बढ़ रहा है, मुझे बताइये तो सही।

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

आज कालेजेज, जो हमने चालू की थीं उन कालेजों को समीक्षा के नाम पर बंद कर दिया। बीकानेर की टेक्निकल यूनिवर्सिटी को बंद कर दिया। आज शेखावाटी यूनिवर्सिटी, जो हमने खोली थी सीकर में, आज तीन-सवा तीन साल हो गये उनमें पद स्वीकृत किये हुए, हमारे पद स्वीकृत थे, आपने एक नहीं लगाया। एक वी.सी. लगा या छह महीने बाद में, पूरा का पूरा 55 का स्टाफ जो सैंक्शन है उसके बावजूद नहीं। एक रुपया आपने दिया नहीं, न महाराजा सूरजमल यूनिवर्सिटी को दिया, न मेडिकल कालेजें चालू हुईं। भाई, कर क्या रहे हो? यह आहूजा जी कह रहे हैं न कि यह पोपाबाई का राज है, तो यह पोपाबाई का ही राज है। कुछ भी नहीं हो रहा है, कोई हैप्पीनेस इंडेक्स नहीं बढ़ रहा है।

आज प्रत्येक वर्ग परेशान है। किसान परेशान है, मजदूर को मजदूरी नहीं मिल रही है, वो परेशान है। आपके, भारतीय जनता पार्टी के शासन में लोग मर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): मेरा नाम लिया इसलिए बोल रहा हूं, पोपाबाई का राज मैंने नहीं कहा। राज इतना बढ़िया है, जितना काम बढ़िया हुआ है आज तक नहीं हुआ।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): उस दिन मेरे को राज़ी करने के लिए ही कह रहे थे क्या?

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): परसों जवाब दूंगा, परसों।

श्री कालू लाल गुर्जर (सरकारी मुख्य सचेतक): किसान तो परेशान नहीं है लेकिन, डोटासरा जी, आप परेशान हो क्योंकि महाराष्ट्र में और उड़ीसा में आपकी हार हो गयी है। इसलिए आप परेशान हो क्योंकि आपकी हार हो रही है, कांग्रेस की।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): दो मिनट लूंगा और समाप्त करूंगा।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आपको पूरे 40 मिनट हो गये हैं।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): दो मिनट। सभापति महोदय, अब ऐसी बात नहीं कहूंगा।

श्री मदन राठौड़ (सरकारी उप मुख्य सचेतक): सभापति महोदय, ज्ञानदेव जी नाम लेकर जो इन्होंने कोट किया है वो एक्सपंज कराएं, वो उन्होंने नहीं कहा।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): आपके स्प्रिंग है क्या, नीचे स्प्रिंग लगी हुई है क्या आपके? इनको फेल करने पर तुले हुए हो, मुख्य सचेतक को फेल करने के लिए तुले हुए हो। महारानी की नजर में आप इनको फेल कर रहे हो। बार-बार खड़े हो जाते हो।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार को कहना चाहता हूं कि आप बेरोजगारों को रोजगार दीजिए। जिन संविदा कर्मियों को आपने वादा किया था उन संविदा कर्मियों को आप नौकरी दीजिए। जिन किसानों से आपने वादा किया था सिविल लायबिलिटी खतम करेंगे, आज घरेलू लोगों की बिजली की दर पहले बढ़ा दी, दोबारा बारह महीने में दोबारा बढ़ा दी, बी.पी.एल. के लोगों के भी बढ़ा दी, जो ढाणियों में कनेक्शन के लिए बैठे हैं वो ढाणियों में कनेक्शन नहीं मिल रहे हैं। यह आपकी जो दीनदयाल विद्युतीकरण योजना है, जो हमारे राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना थी, नाम बदल दिया कोई बात नहीं, आज भ्रष्ट्राचार हो रहा है। ढाणियों में किसानों को कनेक्शन नहीं मिल रहे हैं। कालेजों में व्याख्याता नहीं हैं, स्कूलों में टीचर नहीं हैं, मिड-डे मील का खाना खराब है।

श्री नारायण सिंह देवल (रानीवाड़ा): आपके शासन में पांच साल में कितने घरेलू कनेक्शन दिये, यह भी तो सदन को बता दो।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): माननीय सभापति महोदय, इनको सब को एक साथ खड़ा कर दो। एक दफा सब को एक साथ खड़ा कर दो। (व्यवधान)

श्री नारायण सिंह देवल (रानीवाड़ा): माननीय सदस्य, आपकी सरकार में पांच साल में कितने घरेलू कनेक्शन दिये, यह भी तो सदन को बता दो।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): अब बताने दें तब बता दूं न। आप बताने भी तो नहीं दे रहे हो। आप तो निजीकरण कर रहे हो, अडानी, अम्बानी को बेच रहे हो और हम कहते हैं तो +++ लगती है, यह नहीं चलेगा। यह प्रदेश की गाढ़ी कमाई है ...(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य: आपने फिर +++ शब्द का प्रयोग किया।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): आपके लिए थोड़ी कहा है। मैंने तो वैसे ही कहा है, किसी के लिए नहीं कहा अलग से।

श्री सभापति: यह +++ शब्द ...(व्यवधान) यह सदन में आप कैसी भाषा बोलते हो? आप कैसी भाषा बोलते हो? यह सदन है। यह +++ शब्द हटा दो।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): अच्छा, साहब।

अडानी, अम्बानी को नहीं बेचने देंगे। बिजली को बेच रहे हो, डिपों को बेच रहे हो। बेच दिये क्या, वो प्राधिकरण को कर दिये क्या तीन डिपो? रोडवेज का तो आपने भट्ठा बैठा दिया लोक परिवहन के नाम से। लोक परिवहन के नाम से खुली लूट चल रही है। एक बस वाला एक नाम से अजमेर में करवा रहा है उसी नम्बर का, उसी का सीकर में करा रहा है, उसी की बीकानेर में करा रहा है, एक साथ आगे-पीछे तीन बसें चल रही हैं, वो ही नम्बर हैं, केवल जिले का कोड बदला है। यह ओवर लोड आपने समाप्त कर दिया क्या? जो माइनिंग में घोटाले हुए थे, जांच करा दी क्या?

अभी कह रहे थे कि हमने आक्शन दे दिया, वो छह सौ-साढ़े छह सौ खानें अगर हम निरस्त नहीं कराते तो आप तो कब के ही उनको खा जाते लेकिन यह कांग्रेस की देन है, विपक्ष की देन है कि उन्होंने दिल्ली में जाकर कहा, महामहिम राष्ट्रपति महोदय को कहा और आज यह जो नीलामी हो रही है न, वो कांग्रेस की देन है, विपक्ष की देन है, आप बी.जे.पी. वालों की मेहरबानी नहीं है इसके ऊपर।

इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जिन बेरोजगारों से वादा किया उनको आप रोजगार दीजिए, जिन महिलाओं के साथ, एस.सी., एस.टी. महिलाओं के साथ आप जो अत्याचार कर रहे हैं उनको बंद कीजिए। जो सड़कें टूटी पड़ी हैं, बिलकुल खतम सी हो गयी हैं उन सड़कों को ठीक करें। 35 हजार किलोमीटर नवीनीकरण करनी है, आपने 2500 की घोषणा की, मंत्रीजी होते तो मैं पूछता, उस 2500 में से हजार किलोमीटर भी आपने रिन्युअल नहीं किया। गौरव पथ बनाने की बात कर रहे हैं, गौरव पथ में अभी तक टेन्डर हो रहे हैं। फरवरी का महीना चला गया, बजट सत्र है, हमने क्वेश्चन लगाये हैं, हम जवाब मांगेंगे कि कितनी बन कर के तैयार हो गयी, यह राजस्थान की जनता कितने पर चलने लग गयी? ऐसे बातें करने से नहीं होता है।

एक माननीय सदस्य: दो हजार किलोमीटर तो बन चुकी है। (व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, अब आप बैठें।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): इसलिए, सभापति महोदय, मैं निवेदन करके बैठ रहा हूं एक सैकण्ड में।

श्री सभापति: अब आप बैठें।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): आधा मिनट में।

सीकर में इन्होंने कहा था नवलगढ़ पुलिया को चौड़ा कर देंगे, हर्ष पर रोप-वे बना देंगे, इन्होंने कहा था कि हम टोल माफिया से मुक्ति दिला देंगे, भढ़ाढ़र के पास में टोल माफिया नाजायज टोल वसूल कर रहा है, कर दिया क्या? सीकर का जनाना हास्पिटल चालू कर देंगे, कर दिया क्या चालू जनाना हास्पिटल? मेडिकल कालेज चालू कर देंगे, कर दी क्या चालू मेडिकल कालेज? हम सीकर में मिनी सचिवालय बना देंगे, बना दिया क्या मिनी सचिवालय? मेरे लक्ष्मणगढ़ में एक भी सड़क मिसिंग लिंक में स्वीकृत नहीं हुई। यह टोटल विपक्षी सदस्य बैठे हैं, एक भी सदस्य से मिसिंग लिंक के बारे में पूछ करके कोई फैसला नहीं हुआ। यह मनमर्जी से कह रहे हैं। सम्पर्क पोर्टल में कोड अपने-अपने को दे रहे हैं। हैण्डपम्प अपने-अपने को दे रहे हैं। क्या हम राजस्थान की जनता के चुने हुए जनप्रतिनिधि नहीं हैं क्या? पहली बार यह राजनीतिक भेदभाव इस सरकार के द्वारा किया जा रहा है। यह महंगा पड़ेगा।

जल स्वावलंबन के नाम से नोटंकी चल रही है। काम हो नहीं रहे हैं। पंचायत राज का फंड पूरा का पूरा आपने जल स्वावलंबन में दे दिया। विधायकों को पाबंद कर दिया कि 25 परसेंट पैसा आप विधायक कोष से जल स्वावलंबन में देंगे। भाई, कितना पैसा दे रखा है, सवा दो करोड़, बढ़ाया 25 लाख रुपये और ले रहे हैं 56 लाख रुपये। आप पैसा बढ़ाते, और करते। हास्पिटल वाला भी चिट्ठी लिख रहा है, पशुपालन वाला भी चिट्ठी लिख रहा है।

स्कूल में जो सर्व शिक्षा अभियान में 10 और 90 को रेश्यो था स्कूलों में सैकण्डरी और सीनियर सैकण्डरी में भवन निर्माण का, उसको मोदी जी ने 40 परसेंट किया और आपकी सरकार ने कहा कि वो 40 परसेंट भी भामाशाह देंगे तब हम केन्द्र वाला 60 परसेंट देंगे। एक रुपया इस राजस्थान की सरकार ने न भवन के लिए दिया, न पेयजल के लिए दिया, न शौचालय के लिए दिया।

स्चच्छ भारत कर रहे हैं, कहां से कर रहे हो स्वच्छ भारत? एक पैसा पंचायतों को नहीं मिल रहा है। (व्यवधान)

सभापति महोदय, अंत में मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह सरकार फेल है।

श्री सभापति: हो गया आपका।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): महामहिम के श्रीमुख से यह असत्य वाचन कराया गया है, इसका विरोध करता हूं। (व्यवधान)

श्री कालू लाल गुर्जर (सरकारी मुख्य सचेतक): आप विधान सभा में बोल रहे हो या आपके विधान सभा क्षेत्र में कहीं जनता में भाषण दे रहे हो?

श्री सभापति: श्री हीरालाल।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): हीरालाल जी, अब एक-एक चीज का जवाब देना है डोटासरा जी को। अब आओ।

श्री हीरालाल (निवाई): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे महामहिम के भाषण पर बोलने का मौका दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। महामहिम का अभिभाषण राजस्थान की सरकार का, जो विकास कार्य किये हैं उसका दर्पण है। (व्यवधान) मैंने टोकाटोकी नहीं की, आप मत टोको।

राजस्थान की संस्कृति इन्द्रधनुषी है और हमारी संस्कृति सम्पूर्ण विश्व में प्रसिद्ध है। राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने विषम परिस्थितियों में भी राजस्थान को अग्रसर किया है, इसका विकास किया है जो महामहिम ने अपने अभिभाषण में एक-एक चीज आपके सामने प्रस्तुत की है। आज राजस्थान विकास की दृष्टि से अनेक क्षेत्रों में प्रथम स्थान पर पहुंच गया है। राज्य में किये गये नवाचारों में नई पहचान मिली है, 'सर्वे भवंतु सुखिनः सर्वे संतु निरामया'।

माननीय प्रधान मंत्रीजी के नेतृत्व में देश नई अर्थव्यवस्था की ओर करवट ले रहा है। भारत विश्व पटल पर आर्थिक महाशक्ति के रूप में उभर रहा है। डिजीटल तकनीक के जरिए वित्तीय समावेश के जोड़ने के केन्द्र के प्रयास से राज्य सरकार निरन्तर आगे बढ़ रही है।

प्रधान मंत्रीजी ने देश के रिश्ते सुधारने के साथ-साथ भारतीय गौरव को बढ़ाने का महत्वपूर्ण कार्य किया है जो पूरा विश्व जानता है।

सारी दुनिया भारत को नई उम्मीद और एक नई आशा के साथ देखने लगी है। पड़ौसी राष्ट्रों के साथ सम्बन्ध बनाने के साथ सीमा पर आतंकवाद का सर्जिकल स्ट्राइक के माध्यम से मुंह तोड़ जवाब दिया है।

(श्री हीरालाल)

(16.00 बजे)

इस वर्ष का केन्द्रीय बजट गांव, गरीब और किसान के लिए विकासोन्मुखी बजट है। रोजगार के अवसर का युवाओं में, महिलाओं में और किसानों के लिए खुशहाली लाने वाला बजट है। राज्य सरकार विगत वर्षों में खुशहाली सूचकांक को बढ़ाने का प्रयास कर रही है। सरकार लोक कल्याण और लोक सेवा की भावना से उत्तरदायी, पारदर्शी और संवेदनशीलता से प्रदेश का विकास कर रही है। प्रदेश के समग्र विकास की दृष्टि से हर वर्ग तक लोक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाकर उन्हें विकास की मुख्य धाराओं से जोड़ने का काम किया है।

राजस्थान के निर्माण की दिशा में सुराज के संकल्प को पूरा करने के प्रयास के साथ-साथ राज्य के उद्योग, शिक्षा, चिकित्सा, कृषि, ग्रामीण विकास, सामाजिक सुरक्षा, सूचना और तकनीकी सहित विभिन्न क्षेत्रों में बेहतरीन कार्य करते हुए कई नवाचार किये हैं। राज्य की 2016-17 की वार्षिक योजना में 99,693 करोड़ 30 लाख का प्रावधान था। 2015-16 की तुलना में यह 39.62 प्रतिशत अधिक है। भामाशाह योजना के तहत 17 फरवरी तक 397 करोड़ से अधिक राशि से 8 लाख पात्र व्यक्तियों को लाभान्वित किया गया है। कैश लैस इंडोर उपचार सुविधाओं से भी लाभान्वित किया जा चुका है। इस योजना से बाइपास सर्जरी, वाल्व रिपेयर, एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, जन्मजात हृदय विकार, कैंसर, ब्रेन कैंसर, डायलिसिस, किडनी, ब्लेडर सम्बन्धी रोगों, फेफड़े एवं अन्य गम्भीर रोगों के उपचार के लिए भी लाभान्वित किया गया है।

प्रदेश में सीमित जल संसाधन और वर्षा की अनिश्चितता को देखते हुए जल समस्या के स्थाई समाधान की दिशा में माननीय मुख्य मंत्रीजी ने जल स्वावलंबन योजना चालू की है। इस अभियान के तहत प्रदेश के लगभग 21 हजार गांवों को जल की दृष्टि से आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रथम चरण में 95 हजार से अधिक कार्य पूर्ण कर लिए गए हैं, 26 लाख पौधे लगाए गए हैं। द्वितीय चरण, 2016 में 1843 करोड़ की लागत से 4,200 गांवों में 1 लाख 37 हजार कार्य आरम्भ कराये गये हैं।

राजस्व लोक अदालत अभियान जो कि सरकार ने चालू किया है,

(श्री हीरालाल)

'न्याय आपके द्वार', इसके तहत 48 लाख 46 हजार से अधिक राजस्व प्रकरणों का काश्तकारों एवं ग्रामीण हित में निस्तारण किया गया है। इस दौरान 523 ग्राम पंचायतों को वाद मुक्त किया गया है। ग्रामीण जनता की समस्याओं के निस्तारण के लिए प्रत्येक पंचायत समिति में 16 अक्टूबर, 2016 से 2-2 पंचायतों में 'पंडित दीनदयाल जन कल्याण पंचायत शिविर' का आयोजन किया जा रहा है। इन शिविरों में 17 विभागों से अधिकारी पंचायत मुख्यालय पर पहुंचकर वहां की समस्याओं का निराकरण करते हैं। वहां के आम अवाम को लाभान्वित करते हैं। अब तक 9107 शिविर आयोजित हो चुके हैं। वर्तमान में अन्नपूर्णा भण्डारों के माध्यम से गुणवत्ता युक्त मल्टी ब्रांड वस्तुएं उपलब्ध कराई जा रही हैं।

सभी जिलों में रोजगार कौशल प्रशिक्षण के लिए रोजगार मेलों का आयोजन किया गया है। स्वरोजगार एवं उद्यमिता आदि के माध्यम से विभागों एवं एजेंसियों द्वारा सरकारी एवं गैर सरकारी क्षेत्र में 11 लाख लोगों को रोजगार के अवसर सृजित किये जा चुके हैं। इस वित्तीय वर्ष में 325 रोजगार मेलों का आयोजन किया गया।

उन्नत किसान और राजस्थान, वर्ष 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने के लिए राज्य में पहली बार 'ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट' का आयोजन किया गया। इसमें प्रदेश के हर गांव से 58 हजार किसानों ने भाग लिया। राज्य सरकार के साथ 400 करोड़ रुपये के निवेश के एमओयू किये गये। जो कि हमारे देश में पहला काम है। यह हमारे माननीय मंत्रीजी ने किया। इसमें देश के सारे कृषि वैज्ञानिक इकट्ठे हुए और उन्होंने किसानों के लाभ की बात कही। मैं माननीय वसुंधरा जी को और माननीय कृषि मंत्रीजी को भी इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहूंगा।

अभी हमारे प्रतिपक्ष के माननीय सदस्य बात कह रहे थे। माननीय सभापति महोदय, आप जो निर्देश देते हैं उनका मैंने पालन किया है। हमें वाकई में सीखना चाहिए। जनता हमें देख रही है कि हम यहां क्या बोल रहे हैं और क्या कह रहे हैं। अभी पूर्व वक्ता माननीय सदस्य अलका जी ने बहस को प्रारम्भ किया और आदरणीय रामलाल जी ने उनका समर्थन किया। मैं भी महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण का पूर्ण समर्थन करता हूं।

जहां तक केन्द्र सरकार की आलोचना का सवाल है, माननीय मोदी जी ने देश की एक नई पहचान बनाई है। पूरा विश्व इस बात को जानता है कि

(श्री हीरालाल)

जहां अमेरिका यह कहता था कि हम वीजा नहीं देंगे, चुपके-चुपके मोदी जी को कहते हैं कि आप आइए। वहां के राष्ट्रपति प्रोटोकाल को तोड़कर माननीय मोदी जी को लेने आते हैं, मोदी जी का स्वागत करते हैं। क्या यह कोई कम बात है? मोदी जी की बात कर रहे हैं कि मोदी जी ने क्या किया? मोदी जी ने तो वह काम किया कि जो आतंकवादी थे वह अपने बिलों में घुस गए। नहीं तो आए दिन कभी गर्दन उड़ाकर ले जाते थे, कभी आंखें निकालकर ले जाते थे। यह मोदी जी की करामात है। मैं अपने प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों से कहना चाहता हूं कि जो तारीफ की बात है उसकी तारीफ करनी चाहिए।

हमारी सरकार ने, माननीय वसुंधरा जी ने यह वादा किया कि हम 15 लाख को रोजगार देंगे। रोजगार का मतलब केवल सरकारी नौकरियों से नहीं है। रोजगार प्राइवेट सैक्टर में भी देंगे। आज 11 लाख लोगों को हमारी सरकार ने, माननीय वसुंधरा जी ने रोजगार दे दिया। एक लाख लोगों को सरकारी नौकरियों में रोजगार दिया और बाकी को निजी क्षेत्र में रोजगार दिया है। आप सरकार की आलोचना कर रहे हैं। माननीय प्रतिपक्ष के सदस्यों ने कहा कि सरकार ने कुछ नहीं किया। माननीय वसुंधरा जी ने जो काम हमारे यहां किए वह ऐतिहासिक हैं। चाहे उनका पिछला कार्यकाल हो, चाहे अभी का कार्यकाल हो। माननीय वसुंधरा जी ने भामाशाह योजना चलाई। मैं यह कहना नहीं चाहूंगा कि 2003-08 तक, आप शायद नहीं होंगे 2003-08 में माननीय डोटासरा जी, वह योजना महिलाओं को सशक्त करने की योजना थी। मैं उस बात पर नहीं जाना चाहूंगा कि वह योजना बीच में क्यों बंद कर दी। क्यों उस सरकार ने बंद की, यह उस सरकार के अधिकार क्षेत्र की बात है या उन्होंने प्रतिशोध की वजह से बंद की लेकिन ऐसी योजना आज भामाशाह योजना, आज गरीब बड़ाई करता है कि उसके पास भामाशाह कार्ड है। अभी मेरे से पूर्व माननीय सदस्य रामलालजी ने भामाशाह कार्ड दिखाया था।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): रामलालजी के क्या काम का है भामाशाह कार्ड? पूछो उनसे।

श्री हीरालाल (निवाई): उन्होंने उदाहरण के रूप में दिखाया था कि भामाशाह कार्ड से सुविधाएं मिलती हैं। आज इस भामाशाह कार्ड से यदि प्राइवेट अस्पताल में जाते हैं। आप भी किसान हो, मैं भी किसान, मजदूर का लड़का हूं, हमारे पास पैसे नहीं होते तो पैसे साहूकारों से उधार लेकर आते हैं,

(श्री हीरालाल)

अपने घर के जेवर गिरवी रखते हैं और इलाज करवाते हैं। मैं माननीय वसुन्धराजी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि इस तरह की भामाशाह योजना स्वास्थ्य बीमा योजना चलाई, जिसमें आज एक आदमी, गरीब आदमी, जो दूर बैठा है गांव में, वह भी अपना कार्ड दिखाकर अपना इलाज करवा सकता है, 3 लाख रुपए का उसको फायदा है और उसको 3 लाख रुपए तक का नि:शुल्क इलाज करवाने की प्राइवेट चिकित्सालयों में सुविधा है नहीं तो पहले प्राइवेट चिकित्सालयों में केवल जिसके पास पैसा था वही इलाज करवा पाता था।

माननीय वसुन्धराजी ने, हमारी राजस्थान की सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इस बार सत्ता संभालने के बाद एक श्रमिक योजना चलाई, उस श्रमिक योजना में लड़की पैदा होने के बाद, शादी होने की आयु जो निर्धारित है सरकार की वहां तक, पैदा होने पर लड़की को 21 हजार, बच्चा पैदा होने पर 20 हजार, जब शादी लायक उम्र होगी तो 51 हजार, दो बच्चों तक यह सुविधा मिलती है। (व्यवधान) बच्चा पैदा होने पर, डिलीवरी होने पर ...(व्यवधान) मैं वह योजनाएं बता रहा हूं, आपने केवल सरकार की आलोचना की, आपने भारतीय जनता पार्टी की आलोचना की, आपने केन्द्र सरकार की आलोचना की, पर आपको मालूम है कि मोदीजी ने क्या किया। मोदीजी ने देश का जो बजट बनाया वह केवल किसानों के लिए, गरीबों के लिए, दलितों के लिए, मजदूरों के लिए बजट बनाया है जिसकी आम जनता ने तारीफ की है।

माननीय सभापति महोदय, आपको पता है कि महाराष्ट्र में महानगरपालिकाओं के चुनाव हुए, आज यह नोट बंदी की बात करते हैं, आज नोट बंदी को पूरे हिन्दुस्तान ने समर्थन दिया, पूरे हिन्दुस्तान की जनता ने समर्थन दिया। कुछ लोग जो आलोचना करते हैं उनके कोई विशेष कारण हो सकते हैं। हो सकता है कि उनको मन में नहीं भाया लेकिन आम जनता ने इस नोट बंदी की योजना का समर्थन किया और दस महानगरपालिका महाराष्ट्र में उनमें से आठ में भारतीय जनता पार्टी का परचम फहराया, आठ में। मैं आपको एक निवेदन करना चाहूंगा कि यूपी में छह विधान परिषद की सीटों के चुनाव हुए उनमें तीन विधान परिषद की सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने परचम फहराया। (व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): गुजरात में क्या हुआ?

श्री हीरालाल (निवाई): विराजिए। यूपी का 11 मार्च को रिजल्ट आ रहा है, उस दिन बताएंगे। (व्यवधान)

श्री भजन लाल जाटव (वैर): मोदी के गृह जिले भावनगर में क्या हुआ? अमित शाहजी के गृह जिले में क्या हुआ, वह तो बता दो। (व्यवधान)

श्री हीरालाल (निवाई): गुजरात जो मोदीजी का गृह राज्य है वहां अगले चुनाव जब होंगे तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी यह सुन लो। आपने देखा होगा कि महाराष्ट्र की दस महानगरपालिकाओं में से आठ में भारतीय जनता पार्टी आई और दो में भी हमारी इतनी सीटें आई हैं कि बिना हमारी मदद के वहां कोई राज नहीं कर सकता। बीएमसी में भी, वहां उनकी चौरासी है और हमारी बयासी। केवल आलोचना करना, इन्होंने जो बात कही, इंडिया का जो उदाहरण दिया, ...(व्यवधान) माननीय सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि ये बीच में टोकते हैं, बोलने नहीं देते हैं, मैं आपका संरक्षण चाहूंगा। आज डोटासराजी ने अभी थोड़ी देर पहले एक उदाहरण दिया, इंडिया का उदाहरण दिया, मोगेम्बो, किसको मोगेम्बो बताया, माननीय सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि इनका इशारा किसकी तरफ था, यह 'मोगेम्बो' शब्द कार्यवाही से निकाला जाए। इस तरह की बात हमारे प्रतिपक्ष के माननीय सदस्य करते हैं, मोदीजी का लोहा पूरा विश्व मान रहा है और राजस्थान में वसुन्धराजी को पूरी जनता चाह रही है, मैं प्रतिपक्ष के भाइयों को एक निवेदन करना चाहूंगा कि जब 2018 में राज्य सरकार के लिए चुनाव होंगे तो वसुन्धराजी यहां की मुख्य मंत्री बनेंगी, आप लोग देखते रह जाएंगे।

माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद, जय हिन्द, जय भारत।

श्री सभापति: श्री मानसिंह।

श्री मान सिंह (गंगापुर): माननीय सभापति महोदय, महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बहस चल रही है, आपने मुझे बोलने के लिए मौका दिया, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। बहुत अच्छी परम्परा इस सदन की रही है और इस सदन ने इतिहास में अपनी मर्यादा, अपने नियम कायदों के द्वारा अपना स्थान बनाया है। जिस प्रकार की बहस यहां पर माननीय अलकाजी ने शुरू की और राजस्थान सरकार ने विकास के जो परचम

(श्री मान सिंह)

लहराए हैं, मैं समझता हूं कि हमारे प्रतिपक्ष के भाई उसको गले नहीं उतार पा रहे हैं लेकिन सच्चाई, सच्चाई होती है, आंकड़े कभी असत्य नहीं बोलते, डाटा कभी असत्य नहीं बोलते और डाटा के आधार पर जिस प्रकार से सरकार ने विभिन्न क्षेत्रों के अन्दर अपना स्थान बनाया है, राजस्थान को वापस जो पटरी पर लाने का काम किया है। पिछले पांच साल में राजस्थान जिस प्रकार से कांग्रेस के कुशासन के कारण पिछले पायदान पर आ गया था, राजस्थान की स्थिति यह कर दी थी कि राजस्थान को कर्ज के जाल में फंसाने का जो काम कांग्रेस की सरकार ने किया, माननीय मुख्य मंत्रीजी के कुशल नेतृत्व से राजस्थान उस स्थिति में वापस आया है, राजस्थान विकासशील प्रदेश की स्थिति में आया है। न केवल विकासशील प्रदेश की स्थिति में है, देश के विभिन्न विभागों पर जब हम पहले नम्बर पर जिस प्रकार से काम राजस्थान में हो रहा है वह निश्चित रूप से राजस्थान की जनता और राजस्थान के हित में है।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि हमारे प्रतिपक्ष के सचेतक, भाई डोटासराजी बोल रहे थे और जिस प्रकार से बेलगाम होकर, न कोई तर्क है, न कोई विषय है, न कोई डाटा है, न कोई आंकड़ा है, केवल यह कह देना कि सरकार यह कर रही है, सरकार में यह हो रहा है, ऐसे अनेकों उदाहरण डोटासराजी मैं आपको बताऊंगा कि आप यह कहेंगे कि पिछले पांच साल के अन्दर किस प्रकार से कुशासन आपने किया। किस प्रकार से आपके शासन में दलितों पर अत्याचार हुआ, किस प्रकार से आपके समय के अन्दर थानेदार को जलाया गया, किस प्रकार से प्रशासन की धज्जियां उड़ीं, किस प्रकार से शासन आपने किया, वह सारी चीजें आपके सामने हैं। अभी माननीय हमारी अलकाजी ने जब बहस शुरू की तो एक शब्द यहां पर आया, हमारे माननीय सदस्य, घनश्यामजी तिवाड़ी चले गए, उन्होंने कहा कि आप एसबीसी में नहीं हैं।

माननीय सभापति महोदय, मैं आज मेरा दर्द आपके बीच में रखना चाहूंगा। सुबह कांग्रेस के कुछ साथी यहां पर आकर हल्ला करने का काम कर रहे थे, सौ-सौ चूहे खाकर बिल्ली हज को जाने की बात साबित कर रहे थे और यह कहने की कोशिश कर रहे थे कि एसबीसी, गुर्जर जाति के पक्ष में आज हम इस बात को रखना चाहते हैं लेकिन मैं प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों, आपको याद दिलाना चाहता हूं कि जब हमारी सरकार ने दिसम्बर, 2014 में

(श्री मान सिंह)

जब एसबीसी को आरक्षण का बिल पारित किया था तो आप ही लोग थे जो विरोध कर रहे थे और पहली बार ऐसा हुआ जब पहली बार सदन में हमारा विधेयक आया तो वही विधेयक सर्वसम्मति से पारित हुआ लेकिन वही विधेयक जब 2014 में माननीय वसुन्धराजी ने वापस से हमारे समाज को जब आरक्षण देने का काम किया तो यही कांग्रेस के लोगों ने उसको ध्वनि मत से पास करने दिया, सर्वसम्मति से पारित नहीं किया, अगर गिरहबान में झांक कर देखने का काम कांग्रेस के लोग करेंगे तो लोग आपके कपड़े फाड़ने का काम करेंगे, सच्चाई से मुंह नहीं मोड़ सकते। आज हमारे नेता प्रतिपक्ष इस बात को सुनें कि आप इसी सदन में थे, रिकार्ड निकलवा कर देखें कि आपने जिस जाति के लिए आज सुबह बात उठाई, आप भूल गए थे, 2014 के अन्दर जब इस जाति के लिए सरकार ने आरक्षण देने का काम किया था, सरकार ने आरक्षण देने का काम किया तब आप हल्ला कर रहे थे और उस विधेयक पर आपने सर्वसम्मति नहीं लगाई।

इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि आपकी कथनी और करनी में बहुत अंतर है। आपकी कथनी और करनी में इतना अंतर है कि राजस्थान की जनता आपको जानती है। जिस प्रकार से देश में कांग्रेस का सफाया हो रहा है, जिस प्रकार से कांग्रेस अंतिम पायदान पर जाने का काम कर रही है, मैं कहना चाहता हूं मेरे प्रतिपक्ष के भाइयों, आपके ज्यादा दिन नहीं हैं, ज्यादा मुगालते में रहने का काम मत करो, हसीन सपने मत देखो, मुंगेरीलाल के सपने मत देखो, राजस्थान की सरकार अपने ठोस कामों के बल पर वापस राजस्थान में सरकार बनाएगी और अपने कामों के आधार पर जिस प्रकार से राजस्थान प्रगति कर रहा है, जिस प्रकार से नौजवान को बल मिल रहा है, जिस प्रकार से हमारे बुजुर्गों को सम्मान देने का काम हुआ है, जिस प्रकार से व्यवस्था के अन्दर परिवर्तन किया है, आज जो पेंशन के लिए भटकता है उसके खाते में डाइरेक्ट डिपोजिट होता है। यह राजस्थान की वसुंधरा जी की सरकार ने किया है। इसलिए मैं प्रतिपक्ष के भाइयों से कहना चाहता हूं आप अपने गिरहबान में झांककर देखने का काम करें। राजस्थान की सरकार ने पहली बार इस प्रकार के जो कदम उठाये हैं।

हमारे माननीय सदस्यों ने बहुत सारा डाटा बोल दिया, बहुत सारी बातों को कहा है, मैं डाटा को नहीं, मैं भावना के साथ, इस सदन का सदस्य होने के साथ सच्चाई को बयान करना चाहता हूं। उस सच्चाई से आप मुंह

(श्री मान सिंह)

मोड़ रहे हो, इस सच्चाई को आपने पहचानने का काम नहीं किया। प्रदेश की जनता उस सच्चाई को आपके माध्यम से देखना चाहती थी, लेकिन जिस प्रकार से सदन में जो भाषा माननीय डोटासरा जी बोल रहे थे, जिस प्रकार की घटिया भाषा का उपयोग कर रहे थे यह सदन उसके लिए नहीं है। इस सदन के अन्दर सच्चाई के साथ अगर सरकार ने अच्छा काम किया है तो आपको उस बात को स्वीकार करना होगा। आज जल स्वावलम्बन के मामले में पूरी दुनिया के देश यह कह रहे हैं कि राजस्थान जैसे प्रदेश में जल स्वावलम्बन का माननीय मुख्य मंत्रीजी ने जो ऐतिहासिक कदम उठाया है, उसको आपको मानना पड़ेगा। पहली बार सरकार के कामों के अन्दर जिस प्रकार से जन सहभागिता हो रही है उसको आप भुला नहीं सकते। जन सहभागिता जिस प्रकार से जनता के साथ हो रही है, सरकार के कामों के साथ में, सरकारी पैसे के साथ में जनता का श्रम लग रहा है, जनता के साधन लग रहे हैं, जनता पैसा दे रही है। इसको आप यह कहना चाहते हो कि राजस्थान की सरकार का नीचे तक काम नहीं हुआ। आप जाकर देखें गांव-गांव में जिस प्रकार पोखर, तलाई के अन्दर पानी भरा है और आपके राज में जिस प्रकार 5 साल अकाल पड़ा है। राजस्थान सरकार की नीयत के कारण अबकी बार जिस प्रकार से किसान की फसल लहलहायी है, किसान के जिस प्रकार से पानी हुआ है, जल स्वावलम्बन में बहुत बड़ा काम किया है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं दो उदाहरण आपके सामने हैं, जल स्वावलम्बन और शिक्षा के अन्दर। पहली बार राजस्थान के इतिहास में पांच साल के कांग्रेस राज को देखो और अभी तीन साल के बीजेपी के राज में 26 जनवरी को हमारे सरकारी स्कूलों के प्रति जनता का भाव बदला है, अकेले सवाई माधोपुर जिले में 3 करोड़ 66 लाख रुपये जनता ने सहयोग राशि दी है। यह राजस्थान की जनता का सरकार के प्रति मोहर लगाना है। सरकार जनता के प्रति जिस जवाबदेही के साथ काम कर रही है, सरकार जिस जवाबदेही के साथ राजस्थान को ऊंचाई पर ले जाना चाहती है उसके लिए राजस्थान की जनता राजस्थान की सरकार के साथ खड़ी हुई है। इसलिए मैं प्रतिपक्ष के भाइयों से कहना चाहता हूं, आप विपक्ष के नाते यह नहीं कह सकते कि राजस्थान में सड़कें नहीं बनतीं। आज पूरे प्रदेश की प्रत्येक पंचायत में चाहे ग्रामीण गौरव पथ हो, चाहे डांग विकास हो, चाहे मेवात विकास हो, चाहे मगरा बोर्ड हो, अलग-अलग माध्यम से जिस प्रकार से सड़कों का काम राजस्थान में हो रहा है वह आपको पच नहीं सकता। मेरे सवाई माधोपुर जिले का आप सुनिए।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): हजार किलोमीटर की हो गयी पीपीपी मोड की। आपने तीन सत्र में गा-गाकर, नाच-नाचकर पूरे सदन को गुमराह करने का काम किया था। राजस्थान की जनता आपसे हिसाब मांगेगी।

श्री मान सिंह (गंगापुर): आप बैठिए। राजस्थान की जनता को अब हम हिसाब देंगे और राजस्थान की जनता ने जिस प्रकार से हमको भारी-भरकम तरीके से पहुंचाया है उस राजस्थान की जनता की जिम्मेदारी को सरकार निभा रही है। आज जिस प्रकार से आप झुठलाने का काम करते हो, सवाई माधोपुर जिले के अन्दर जिस प्रकार से चार नेशनल हाईवे गुजरे हैं। आपके चार-चार केन्द्र में मंत्री होते थे, उनके गांव तक में सड़क नहीं है। यह विकास का फर्क है। बामनवास में आपके तीन-तीन मंत्री होते थे।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): माननीय सदस्य, सवाई माधोपुर में मिड डे मील में बच्चा कुत्ते के साथ में भोजन कर रहा है इससे बड़ी शर्म की बात नहीं हो सकती।

श्री मान सिंह (गंगापुर): आपको इस बात का पता नहीं है जिस किसान की आप बात करते थे, आज राजस्थान के किसान जबसे हम पैदा हुए तबसे किसान यह कहता था कि कभी मेरी फसल की बोली मैं लगाउंगा, कांग्रेस ने कभी किसान के लिए नहीं सोचा। राजस्थान की बीजेपी की सरकार ने माननीय वसुंधरा जी ने पहली बार राजस्थान के अन्दर देश के इतिहास में 10 मण्डियों के अन्दर ई-टेंडरिंग की व्यवस्था शुरू की। मैं सौभाग्यशाली हूं मेरी गंगापुर मण्डी के अन्दर किसान अपनी फसल की बोली न केवल गंगापुर में लगाता है बल्कि पूरे देश में कहीं भी बेच सकता है, कहीं भी खरीद सकता है। यह काम इस सरकार ने किया है। कभी आपने इस बात को नहीं सोचा कि किसान को उसकी फसल का वाजिब मूल्य चाहिए। यह राजस्थान की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सोचा। आप इसको झुठला नहीं सकते। आज किसान जब अपनी फसल को बेचने आता है तो उसकी जो लैब टैस्टिंग थी वह लैब टैस्टिंग बाहर हुआ करती थी। आज मण्डी के अन्दर लैब टैस्टिंग करके सरकार ने हमारे किसान को जिस प्रकार से उसकी फसल का वाजिब मूल्य देने का काम किया है यह राजस्थान की सरकार ने किया है। यह आपको याद नहीं आया, चूंकि आप किसान से कोई वास्ता नहीं रखते, किसान के हित का आपको ध्यान नहीं है। केवल किसान के नाम पर, गांधी के पुण्य के नाम पर आप राज करना चाहते हो, वह समय आपका गया। गांधी के पुण्य के नाम पर

(श्री मान सिंह)

जो राजनीति आपने अब तक की है वह समय आपका गया। आपका पुण्य का कोई खाता नहीं है, अब लगाने को कोई फोटो नहीं बचा कि उस फोटो को लगाकर राज कर लोगे। जनता के बीच में जाकर, किसान के बीच में जाकर, मजदूर के बीच में जाकर काम करोगे तब आपको पता चलेगा कि राजस्थान की सरकार ने कितने काम किये हैं।

माननीय सभापति महोदय, हमारे प्रतिपक्ष के सदस्य कह रहे थे कि जो दवा योजना हमने चलायी थी, 108 का घोटाला माननीय डोटासरा जी भूल गये। आपकी सरकार के समय आपने 108 का घोटाला किया। स्वास्थ्य बीमा योजना के माध्यम से एक गरीब आदमी में जो हिम्मत आज पैदा हुई है, एक गरीब आदमी के मां-बाप के इलाज की जो हिम्मत दी है वह राजस्थान के मुख्य मंत्री ने दी है। राजस्थान की मुख्य मंत्री ने कहा कि गरीब का बेटा भी 36 कौम का भाई हमारा इलाज कराएगा, उसको हम इलाज देंगे। इस सरकार का वह कदम आज कारगर साबित हुआ है। मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी को धन्यवाद देते हुए यह कहना चाहूंगा कि सड़कों के मामले में और चिकित्सा के मामले में जिस प्रकार का आमूलचूल परिवर्तन राजस्थान में हुआ है उसके लिए हमारे पूर्व चिकित्सा मंत्रीजी यहां विराजमान हैं, जिस प्रकार के काम उनके कार्यकाल में हुए, आज पंचायत राज के अन्दर जितना पैसा, करीब 4700 करोड़ रुपया पंचायत राज में खर्च हुआ है, आज गांव का आदमी इस बात को महसूस करता है कि ग्रामीण गौरव पथ के माध्यम से उसके स्वाभिमान के लिए इस सरकार ने सोचने का काम किया। उस सड़क पर वह चलता है तब वह सोचता है कि 60 साल तक कांग्रेस के राज में गांवों की तरफ कभी ध्यान नहीं दिया गया। आज गांवों के अन्दर ग्रामीण गौरव पथ ने जिस प्रकार का मान-सम्मान बढ़ाने का काम किया है, आप कहते हो कि गांवों के अन्दर ग्रामीण गौरव पथ नहीं बना, मैं समझता हूं इससे ज्यादा असत्य दुनिया में कुछ हो नहीं सकता। आज राजस्थान के अन्दर करीब 4 हजार किलोमीटर के ग्रामीण गौरव पथ बन चुके हैं और आप हमारी पंचायतों में चलो, डोटासरा जी आपको आपके लोग यह कहेंगे कि कांग्रेस पर हमें तरस आता है।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): सभापति महोदय, अगर इस वर्ष ग्रामीण गौरव पथ लक्ष्मणगढ़ विधान सभा क्षेत्र में एक किलोमीटर भी बना हो तो आप कहो जो सज़ा भुगतने को तैयार हूं।

श्री मान सिंह (गंगापुर): आप जैसे जो +++ विधायक हैं, आप जैसे +++ विधायक ठेकेदारों को काम नहीं करने देते क्योंकि आपको दाम चाहिए। आप लोग जिस प्रकार से उन लोगों को ठगने का काम करते हो...(व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): यह आरोप भारतीय जनता पार्टी और उनके नेताओं पर लगते हैं। मेरा नाम गोविन्द डोटासरा है, मैं ठेकेदारों से वसूली नहीं करता। यह भारतीय जनता पार्टी की परम्परा रही है। इसीलिए जेलों में बैठे हैं लोग। आज भी अधिकारी जेलों में बैठे हैं। आपकी परम्परा रही है यह।

श्री मान सिंह (गंगापुर): भारतीय जनता पार्टी विचार की पार्टी है। कांग्रेस का कोई विचार नहीं है। (व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): सवा सौ साल का इतिहास है कांग्रेस का। आपने तो तीन साल में धोकर रख दिया। एनआरएचएम घोटाला, जलदाय घोटाला, बीज का घोटाला। क्या है यह?

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): लक्ष्मणगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य, एरोप्लेन से साइकिल पर आ गयी आपकी पार्टी। (व्यवधान)

श्री मान सिंह (गंगापुर): आपके विकास के कारण ही आप आज इस स्थिति में हो और आज भी जिस प्रकार से 2-2, 4-4 के अन्दर बंटे हुए हो, ईमानदारी से देखने का काम करोगे कि आप कहां हो।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): मुख्य मंत्रीजी ने कल ही यह कहा है कि दोबारा अशोक गहलोत या कांग्रेस का शासन मत लाना। मुझे दोबारा वोट देना, मैं दोबारा काम करूंगी। अभी से भय व्याप्त था आपकी मुख्य मंत्री में।

श्री सभापति: माननीय सदस्य डोटासरा जी, आप बार-बार +++ का जिक्र कर रहे थे, आपको +++ क्यों लग रही है अब? माननीय सदस्य को बालने दें उनको।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): माननीय सभापति महोदय, आप भारतीय जनता पार्टी के सदस्य नहीं हैं, आप सभापति हैं।

श्री सभापति: आप बार-बार खड़े होते हैं। आप बैठिये अब।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): मेरे ऊपर पर्सनली इन्होंने आरोप लगाया है इसलिए मैं खण्डन करता हूं। आपने एक्सपंज तो नहीं किया

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

जब मेरे पर आरोप लगाया। मैंने किसी का नाम लेकर लगाया क्या? इन्होंने न कि ठेकेदारों से पैसे लेते हो आप लोग। (व्यवधान)

श्री सभापति: आप बैठिये।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): आपने कहा क्या?

श्री सभापति: बिलकुल बैठिये आप। (व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): आपने कहा क्या? आप वो ही एक्सपंज कर रहे थे। भारतीय जनता पार्टी के मेम्बर होकर यह काम मत करो। (व्यवधान)

श्री सभापति: ये बोल रहे हैं और बार-बार टोका-टाकी कर रहे हो। (व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): सभापति महोदय, इस आसन की गरिमा है। (व्यवधान)

श्री मदन राठौड़ (उप मुख्य सचेतक): यह आसन को सीख मत दो। आसन को सीख देने की जरूरत नहीं है। (व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य बोल रहे हैं तो बोलने दो उनको आप।

श्री मान सिंह (गंगापुर): माननीय सभापति महोदय, राजस्थान की सरकार ने और इस देश के प्रधान मंत्री माननीय नरेन्द्र भाई मोदी ने जो स्किल डवलपमेंट के माध्यम से युवाओं को रोजगार देने की पहल की उसमें राजस्थान की सरकार ने देश में अनूठा उदाहरण पेश किया है। लगातार दो वर्ष तक युवाओं को प्रशिक्षण देकर जिस प्रकार से राजस्थान में स्किल डवलपमेंट का काम हुआ है और देश में राजस्थान पहला राज्य बनने जा रहा है जहां दो यूनिवर्सिटी बनने जा रही हैं। इन युवाओं के लिए जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी कर रही है, डोटासरा जी, इसको सुनने का काम करो। इस प्रदेश के युवाओं को विकास के साथ-साथ रोजगार चाहिए और वो रोजगार देने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। आप हसीन सपने मत देखो, केवल सपनों पर दुनिया नहीं चलती है। राजस्थान के विकास के लिए सरकार कटिबद्ध है और सरकार ने जिस प्रकार के काम किये हैं वो अपने आप में उदाहरण है।

सभापति महोदय, आज कृषि के क्षेत्र में सरकार ने जो आमूलचूल व्यवस्था की है और पहली बार देश में GRAM का आयोजन किया था। वो

(श्री मान सिंह)

अपने आप में इस किसान को पूरी व्यवस्था से, पूरे सूचना तंत्र से, पूरी तकनीक से ज्ञान कराने के लिए राजस्थान की सरकार ने पूरी ताकत लगाकर किसान से कहा कि देश और दुनिया में इस प्रकार की जो तकनीक है उससे आप भी सीखने का काम करें। राजस्थान का किसान आत्मनिर्भर बने, राजस्थान का किसान अच्छी-अच्छी उन्नत फसलों को लेने का काम करे, अच्छी नस्ल के पशुओं को बढ़ाने का काम करे। इस प्रकार के GRAM का जो आयोजन हुआ वो देश के इतिहास में पहली बार हुआ और इसकी कभी कांग्रेस को याद नहीं आई। कभी कांग्रेस ने इसको याद नहीं किया कि इस किसान के लिए अगर कोई रोजगार का जरिया उसकी खेती और किसानी के साथ-साथ पशुपालन को बढ़ावा कैसे मिले, देश-दुनिया के साथ में राजस्थान का किसान कैसे खड़ा हो, इस बात की कभी आपको चिंता नहीं रही। इसको कहने में भी आपको दिक्कत हो रही होगी कि राजस्थान की सरकार ऐसा क्यों कर रही है। राजस्थान की सरकार ऐसा इसलिए कर रही है कि सुराज संकल्प में राजस्थान की जनता से जो वादा किया है उस सुराज संकल्प पर चलकर राजस्थान की जनता को इस बात का एहसास कराने का काम माननीय मुख्य मंत्रीजी ने किया है कि किसान और युवा आज इस प्रकार से आगे बढ़ रहा है वो राजस्थान प्रदेश के लिए बहुत खुशी की बात है।

मैं प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों से कहना चाहूंगा कि आज आप जिस प्रकार से खाद्य सुरक्षा के मामले में आपके खाद्य मंत्रीजी कहां हैं? आपके खाद्य मंत्रीजी का कहीं पता है क्या?

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): आपकी सरकार में थे उनका बता दो कि कहां हैं। खाद्य मंत्रीजी को मोटर गैराज मंत्री बना दिया आपने।

श्री मान सिंह (गंगापुर): आपके खाद्य मंत्री की पूरी की पूरी पांच साल की कार्य प्रणाली आप देख चुके और ऐसा खाद्य मंत्री आपने राजस्थान को देने का काम किया कि गांव के आदमी का, किसान का राशन कार्ड तक नहीं बन सका। पांच साल के शासन में राशन कार्ड तक नहीं बना सके और राशन की व्यवस्था को पूरी तरह चौपट कर दिया और आज सपने देखते हो कि राजस्थान में दोबारा शासन आ जाएगा। राजस्थान की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को....

श्री कालू लाल गुर्जर (मुख्य सचेतक): माननीय मानसिंह जी, वो तो जेल में रह चुके हैं, उनको छोड़ो और आगे चलो।

श्री मान सिंह (गंगापुर): राजस्थान की जनता को जिस पोस मशीन के माध्यम से आज जिस प्रकार से राशन की व्यवस्था का काम इस सरकार ने किया है कि छोटी-छोटी जगह पर जाकर 500 की यूनिट बनाकर किसान को, गांव के व्यक्तियों को जो राशन मिलने का काम हुआ है। जन कल्याणकारी सरकार का जो सबसे पहला दायित्व होता है वह फूड सुरक्षा और उसके स्वास्थ्य की रक्षा होता है। फूड सेफ्टी और जो हैल्थ सिक्योरिटी है वो सरकार के दो बड़े पहलू होते हैं और उन दोनों पहलुओं पर इस सरकार ने इतना बड़ा काम किया है कि वह अपने आप में दुनिया के नक्शे कदम पर एक उदाहरण है। इस चीज को लेकर जब सरकार चलती है तो उस सरकार के सामने एक ही विजन होता है कि हमारे लोगों को किस प्रकार से सही व्यवस्था मिले। आज पूरी तरह से राशनिंग व्यवस्था में भ्रष्टाचार को खतम करके आम आदमी को इससे जोड़कर जिस प्रकार से जो व्यवस्था की है उसके लिए राजस्थान सरकार बधाई की पात्र है। मैं प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि आपको सहन करना पड़ेगा, यह पत्थर आपको रखना पड़ेगा क्योंकि यह विकास का आयाम बहुत बड़ा है। इसको लेकर के जो आप ले रहे हो वो आपके वश की बात नहीं है क्योंकि 50-60 तक जिस प्रकार से राजस्थान को पीछे ले जाने का काम हुआ वह आज चलने वाला नहीं है। सभापति जी, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि किस प्रकार से कामों के अन्दर भेदभाव करते हैं। माननीय मुख्य मंत्रीजी ने हमारी नांदौती, करौली, सवाई माधोपुर की जो चम्बल पेयजल योजना शुरू की उसको जब कांग्रेस का राज आया तो बन्द कर दिया। 590 करोड़ रुपये की योजना पर पूरे पांच साल में केवल 35 लाख रुपये दिये, 595 करोड़ रुपये की योजना पर केवल 35 लाख रुपये देकर तीन जिलों के साथ में भेदभाव करके सरकार में रहकर ऐसी पार्टी के लोग अगर यह सोचते हैं कि लोग भूल जाएंगे तो कभी नहीं भूलेंगे। जिस प्रकार से राजस्थान की जनता को पेयजल की जरूरत है, सड़क की जरूरत है, साधन की जरूरत है उसमें सभापति जी, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इस भेदभाव को कांग्रेस ने जिस प्रकार से पनपाने का काम किया और केवल फोटो गांधी की लगाकर पुण्याई खाने का काम किया वो समय अब लद चुका है। अब विकास के साथ में राजस्थान जय-जयकार कर रहा है और चारों तरफ से जिस प्रकार से ईश्वर मेहरबान है, किसान की जिस प्रकार से बहबूदी हुई है, शिक्षा में राजस्थान में जिस प्रकार से अमूलचूल परिवर्तन किया है उसमें कभी आपने कल्पना की थी कि गांव के किसान की बेटी 12वीं क्लास गांव में पढ़

(श्री मान सिंह)

ले? 50-60 साल राज करने के बाद में आपको कभी इस बात की याद नहीं आई कि गरीब की बेटी 12वीं की पढ़ाई गांव के अन्दर कर ले। यह पहली सरकार है जिसने एक साथ 5 हजार स्कूलों को सीनियर करने का काम किया और आज गांव-गांव के अन्दर बच्चियां साइकिल और स्कूटी पर जाकर माननीय वसुंधरा जी को धन्यवाद देती हैं और वो कहती हैं कि राजस्थान की मुख्य मंत्री ने जिस प्रकार से महिला सशक्तिकरण का जो बीड़ा उठाया है, राजस्थान की आधी आबादी माननीय अलका जी, अब करवट लेगी और कांग्रेस का खात्मा करने के लिए तैयार बैठी है।

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर): हमारी माननीय सदस्या चन्द्रकांता मेघवाल के बारे में तो न्याय कर दो। पूरी आधी आबादी की बात कर रहे हो तो यह तो कर दो आप जो यहां सदस्या के साथ हुआ है।

श्री मान सिंह (गंगापुर): माननीय सदस्य, मुझे इसमें भी कहने में बहुत शर्म आती है कि मेरे कांग्रेस के लोग इस पर राजनीतिक भाषा में बोल रहे हैं। जिस प्रकार आपके समय में कानून का नंगा नाच हुआ था, आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार एक नजर से सबको देखती है। मेरी बात सुनिये, अगर सच्चाई हो......

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर): कांग्रेस के राज में हुआ वो भी गलत हुआ और आपके राज में हो रहा है वो भी गलत हो रहा है। हम कह रहे हैं कि न्याय करिये उस महिला के साथ, इसमें हम कांग्रेस-बीजेपी के साथ नहीं हैं, हमारा भी अलग से दल है ध्यान रखिये आप।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): आप मंत्री और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष से जांच करवा रहे हो तो आप राजनीति नहीं कर रहे हो क्या? आप डी.जी. से जांच कराओ।

श्री मान सिंह (गंगापुर): भारतीय जनता पार्टी के शासन में राजस्थान की सरकार इस सदन के गरिमामय सदस्यों का सबका सम्मान रखती है। जिस प्रकार से कांग्रेस के लोगों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे, जिस प्रकार से नंगा नांच हुआ वो इस सरकार में न कभी हुआ न होगा और जो न्याय की बात होगी वो होगी। जहां तक महिला का सम्मान है वो हमेशा रहेगा लेकिन इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। माननीय सभापति जी, मैं आपके माध्यन से कहना चाहूंगा कि आज हमारे गृह मंत्रीजी ने थानों में केस स्टडी की जो

(श्री मान सिंह)

व्यवस्था की है और हमारे अपराध में 14 प्रतिशत की कमी हुई है। आज सबसे ज्यादा सवाई माधोपुर और भरतपुर में जहां एक हजार से ऊपर की एफ.आई.आर. होती हैं उन एक हजार एफ.आई.आर. में भी कमी करने का काम हुआ है। कांग्रेस के पांच साल के राज में कभी एक हजार से कम एफ.आई.आर. वहां नहीं हुई जो आज 900 से 800 पर आ गई है। यह राजस्थान की सरकार चारों तरफ विकास के मामले को लेकर चल रही है कि किस प्रकार से राजस्थान विकासशील प्रदेश बने। राजस्थान की जनता और राजस्थान का जो वैभवशाली इतिहास है, जिस भामाशाह के नाम को हम यह कह सकते हैं कि उस भामाशाह ने इस प्रदेश की आन-बान-शान के लिए अपना सब कुछ कुर्बान किया था उस भामाशाह के सम्मान के नाम पर इस भामाशाह योजना ने भी राजस्थान में जिस प्रकार से तहलका मचाया है उसके लिए राजस्थान की जनता बहुत ही आभारी है।

(16.39 बजे)

(श्री राव राजेन्द्र सिंह, उपाध्यक्ष, पदासीन)

मानननीय उपाध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से यह अनुरोध करना चाहूंगा कि ये लोग बहुत ज्यादा अल्पसंख्यकों का राग अलापते थे। अल्पसंख्यक के नाम पर केवल यह राग अलाप कर, उनको डराकर, पचास साल तक वोट लेने वाले अल्पसंख्यक के लिए जो इन्होंने काम किया उसकी इनको तुलना करनी चाहिए कि राजस्थान की सरकार ने उनके साथ भी न्याय किया है। उनकी संख्या के आधार पर चाहे वो मकराना, गंगापुर के अन्दर आई.टी.आई. हो चाहे टोंक और सवाई माधोपुर के अन्दर कालेजों को पैसा हो, इस प्रकार की भारतीय जनता पार्टी की 36 कौम को साथ लेकर चलने वाली सरकार आज जिस प्रकार से विकास के मामले में आगे बढ़ रही है, प्रतिपक्ष के भाइयों, केवल हल्ला करने के लिए और केवल अपना नाम दर्ज कराने के लिए बात करते हो क्योंकि आपके आका अलग-अलग हैं। अलग-अलग तरीके से अपनी रिपोर्टिंग करते हो। अगले वाला कहीं और करता है, पीछे वाला कहीं और करता है, आप करो लेकिन राजस्थान के मामले में सरकार के विकास में सहयोग करो, मैं आपसे अपील करना चाहता हूं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने बहस में मुझे बोलने के लिए मौका दिया, उसके लिए आपका आभार व्यक्त करता हूं। जय हिन्द, जय भारत।

समिति प्रतिवेदन

कार्य सलाहकार समिति (क्रम संख्या-29)

श्री उपाध्यक्षः कार्य सलाहकार समिति के प्रतिवेदन का उपस्थापन एवं उस पर विचार। श्री कालू लालजी गुर्जर।

श्री कालू लाल गुर्जर (सरकारी मुख्य सचेतक): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्य सलाहकार समिति के 29वें प्रतिवेदन का उपस्थापन करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, कार्य सलाहकार समिति की बैठक सोमवार, दिनांक 27 फरवरी, 2017 को मध्याह्न पश्चात् 3.00 बजे माननीय अध्यक्ष के वैश्म (चैम्बर) में हुई। समिति ने निर्णय लिया कि दिनांक 7 एवं 8 मार्च, 2017 को सदन में अग्रेत्तर लिये जाने वाले कार्य का बंटवारा निम्न प्रकार किया जाये:-

मंगलवार, दिनांक 07 मार्च, 2017	1. अनुपूरक अनुदान की मांगें वर्ष 2016-2017 (द्वितीय संकलन) का उपस्थापन, 2. भारतीय कौशल विकास विश्वविद्यालय, जयपुर विधेयक, 2017, 3. राजस्थान आई.एल.डी. कौशल विश्वविद्यालय, जयपुर विधेयक, 2017 एवं 4. राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2017 -पर विचार एवं पारण।
बुधवार, दिनांक 08 मार्च, 2017	आय-व्ययक अनुमान वर्ष 2017-2018 का उपस्थापन।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह भी प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन कार्य सलाहकार समिति के 29वें प्रतिवेदन पर अपनी सहमति प्रकट करता है।

श्री उपाध्यक्षः प्रश्न यह है कि यह सदन कार्य सलाहकार समिति के 29वें प्रतिवेदन पर अपनी सहमति प्रकट करता है?

(स्वीकृत)

सदन द्वारा प्रतिवेदन पर सहमति प्रदान की गई।

श्रीमती शकुन्तला रावत।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): सही-सही बोलना।

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): मैं तो सही-सही ही बोलती हूं, पर आप लोग ही गलत बोलते हो तो क्या करें।

सम्माननीय उपाध्यक्ष महोदय...

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री कालू लाल गुर्जर (सरकारी मुख्य सचेतक): उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय एक घंटे के लिए और बढ़ाया जाये।

श्री उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है कि सदन का समय एक घंटे के लिए बढ़ाया जाये?

(स्वीकृत)

सदन का समय बढ़ाया जाता है।

अभिभाषण

धन्यवाद प्रस्ताव पर वाद-विवाद

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): सम्माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय राज्यपालजी के अभिभाषण पर मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए धन्यवाद। माननीय राज्यपालजी के अभिभाषण में जो पहले पेज पर लिखा है, उन लाइनों को पढ़कर लग रहा था, शायद राजस्थान की कोई खुशहाली की बात अन्दर होगी। इसमें लिखा हुआ था, ''सर्वे भवन्तु सुखिन: सर्वे सन्तु निरामया:'' का सूत्र लेकर राज्य के सभी तबकों के लिए समान विकास का जिक्र किया गया था। इतनी देर से सभी को हम सुन रहे थे लेकिन प्रत्येक वर्ग को नहीं लेकर चलने की इसके अन्दर सच्चाई है और किस-किस वर्ग को लिया गया, यह भी सच्चाई है। आप इतनी देर से कह रहे थे लेकिन मैं कहना चाहूंगी, ''जीना है तो उस दीप की तरह जियो, जो बादशाह के महल में भी उतनी रोशनी देता है और एक गरीब की झोंपड़ी में भी उतनी रोशनी देता है।'' अगर आपको राज चलाना है, जनता का भला करना है तो पूर्ववर्ती कांग्रेस की सरकार के मुख्य मंत्रीजी से सीखो कि कैसे राज चलाया जाता है जिन्होंने गांव में और दूर ढाणी में बैठे हुए गरीब की झोंपड़ी में भी एक वृद्ध की जेब में पेंशन डाली और फ्री दवा दी। उससे सीखें आप।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): यह जो आपका भाषण है, यह आपके प्रदेशाध्यक्ष महोदय के पास शाम को ही पहुंच जायेगा। फिर देख लेना। यह जो आप यहां बोल रही हो ना, पुल बांध रही हो, मैं तो आपका हितैषी हूं इसलिए कह रहा हूं। यह भाषण यूं का यूं सचिनजी पायलट के पास पहुंचने वाला है।

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): ऐसा है, हमारे अध्यक्ष महोदय ऐसे नहीं हैं। आप ही यह पहुंचाने का शुभ काम कीजिये। आप यह शुभ काम कीजिये। हमारे यहां इस तरीके का नहीं है। आपके बोलने से कुछ नहीं होता।

नदी की धारा कितनी ही अलग बहे लेकिन जल एक रहता है, यह बात दिमाग में रखना। इसमें जिक्र किया गया। देश के प्रधान मंत्रीजी के नेतृत्व में अर्थव्यवस्था की करवट की बात की गई। डिजीटल इण्डिया की बात की गई। डिजीटल क्रांति की बात की गई। शासन की पारदर्शिता की बात की गई। पड़ौसी देशों से रिश्ते सुधारने की बात की गई। सर्जिकल स्ट्राइक की बात की गई। लेकिन जो इसके अन्दर जिक्र है, पड़ौसी देश से रोजाना हमारी सैनिक टुकड़ियों पर हमले हो रहे हैं, यह रिश्ते सुधरे हैं? हमारे देश के सैनिकों पर पीछे से पत्थर फेंके जा रहे हैं, वहां कैसी सरकार है ये? उपाध्यक्ष महोदय, हमारे ही देश के सैनिक, हमारे देश का हिस्सा कश्मीर, उसमें ऐसी सरकार बनाकर जो हमारे ही देश के सैनिकों पर हमला कर रहे हैं। यह बड़ी शर्म की बात है। यह सारी चीजें हैं। ऐसा है, ये हमारे भाई हैं, इनको कहना इनकी मजबूरी है लेकिन उनसे जाकर पूछिये, जिन मांओं के लाल, 20 और 25 साल के कलेजे के टुकड़े शहीद होकर तिरंगे में लिपटकर आये, उन मांओं से पूछिये। क्यों नहीं आप ऐसी सर्जिकल स्ट्राइक करते, सबक सिखा दें उसको। क्यों नहीं करते? कहां गया वह 56 इंच का सीना? हमारी भारत माता के लाल शहीद हो रहे हैं। उन्हें सबक सिखाना चाहिए।

श्री जितेन्द्र कुमार गोठवाल (संसदीय सचिव): पहले कभी हुई थी क्या सर्जिकल स्ट्राइक ऐसी? पहले कभी हुई थी क्या? पहली बार ऐसा हुआ है, पाकिस्तानियों को मारकर...

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): आप याद करिये। उपाध्यक्ष महोदय, इनको याद दिलाइये कि पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी थी और उसके दो टुकड़े कर दिये थे। इतिहास में रहेगा यह। याद करिये ये, याद करिये। इतिहास को मिटा नहीं सकते आप। यह आसमान का रंग नीला है,

(श्रीमती शकुन्तला रावत)

हरा नहीं होगा। खून का रंग लाल है, सफेद नहीं होगा और इतिहास के पन्नों से इसे मिटाने वाला कोई पैदा नहीं होगा।

संसद भवन के अन्दर आप रीति-नीति की बात करते हैं। यह अभिभाषण के अन्दर लिखा हुआ है, उसी की बात कर रही हूं। आप ज्यादा बुद्धिमान हैं तो थोड़ा हम भी हैं, यह बात भी दिमाग में रखिये। संसद में घुसने से पहले धोक खाई थी। हमने सोचा, बहुत अच्छी बात है हमारे देश के प्रधान मंत्री महोदय, लेकिन जिस दिन संसद के अन्दर पूर्व प्रधान मंत्रीजी के लिए जो शब्द काम में लिये गये, बड़ी शर्म की बात है यह। एक तरफ संस्कृति की बात करते हैं, वह एक सीढ़ी कम नहीं थे। वह भी प्रधान मंत्री थे और एक दिन आपके आगे भी "था" लगेगा, इस बात को दिमाग में रखे। सदा कोई एक ही रहने वाला नहीं है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): वह कौनसा शब्द था, बताना तो सही। यह सदन जानना चाहता है, वह शब्द कौनसे थे? रेनकोट वाले ना। रेनकोट पहनकर नहाने की कला, इसमें गलत क्या था?

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): यह सही भी क्या था? बाथरूम में कोई रेनकोट पहनकर नहाता है कैसे नहाता है आपको क्या लेना-देना इन चीजों से? मैं इसका जवाब देना उचित नहीं समझती।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): आपके पूर्व प्रधान मंत्रीजी नहाते हैं।

श्री मदन राठौड़ (उप मुख्य सचेतक): इसमें तो मनमोहन सिंह जी की प्रशंसा हुई है।

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ये संसदीय सचिव इस तरह की भाषा बोल रहे हैं जो अशोभनीय है सदन में।

श्री शत्रुघ्न गौतम (संसदीय सचिव): ...(व्यवधान) इनके नेता भी रेनकोट पहनकर ही नहाया करते थे। जो एक मंत्रीजी बिना वजह जेल में गये। अभी बरी हुए और आपके तत्कालीन मुख्य मंत्रीजी ने जेल भेजा उनको।

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): ऐसा नहीं बोलना चाहिए। आप सुनने का माद्दा रखें।

श्री शत्रुघ्न गौतम (संसदीय सचिव): सुनने का माद्दा है पूरा।

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): अभी आपके एक-एक कारनामे बताती हूं। केन्द्रीय बजट में सर्वांगीण विकास की बात की गयी थी, खुशहाली की बात की गयी थी, महिला की, किसान की, बच्चियों की सुरक्षा की बात, कैसी सुरक्षा? माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो आंकड़े दिन प्रतिदिन बढ़ रहे हैं। आंकड़े पेश करने की मेरे हिसाब से जरूरत नहीं है क्योंकि नैट पर सारे आंकड़े उपलब्ध हैं लेकिन चाहें तो मैं भी प्रस्तुत कर सकती हूं कि राजस्थान महिलाओं और बालिकाओं पर अत्याचार में कौन से नम्बर पर है, इसको भी देख लेना जरा ध्यान से निकालकर नैट से। काश भारत देश के बेरोजगार को रोजगार देने की बात करते तो डिजीटल भारत होता। घोषणाएं तो कर दी थीं पन्द्रह-पन्द्रह लाख की उसमें प्रशिक्षण वालों को भी गिनवा रहे हैं।

डा. जसवन्त सिंह यादव (श्रम एवं नियोजन मंत्री): वो तो नैट से जुड़ा हुआ है। आप रहने दें।

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): नहीं, वो जुड़ा हुआ है लेकिन प्रशिक्षण को भी नौकरी की लिस्ट में गिन रहे हैं कि इतने लोगों को हमने नौकरी दे दी। मुख्य मंत्री महोदय ने गुर्जरों को बेवकूफ बनाया। क्या दिया पांच परसेंट दे दिया। ढोल बजा कर धन्यवाद देने गये। इस बात का धन्यवाद देने गये, साल-साल भर अपनी एक-एक कौड़ी जोड़कर जिस किसान बाप ने कोचिंग करने के लिए पैसा दिया, वो पास हुआ। नौकरी में नंबर आ गया और अब उसको नौकरी से रोक दिया। एसएमएस में भर्ती हैं जरा जाकर के देख लेना।

श्री कालू लाल गुर्जर (मुख्य सचेतक): शकुन्तला जी, बीजेपी के राज में आरक्षण दिया। एक साल तक आपने भी लिया, आपके बच्चों ने भी लिया और पांच साल तक कांग्रेस ने क्या दिया यह भी बता दो न। केवल बीजेपी ने दिया उसकी तो आलोचना कर रहे हो और जो दिया ही नहीं उसके बारे में कुछ तो बोलो कि अशोक जी गहलोत ने क्या किया। केवल लोगों के सामने आंसू बहाकर के पांच साल निकाल दिये।

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): आपके अन्दर वज़न है लेकिन सुनने की शक्ति नहीं है।

श्री कालू लाल गुर्जर (मुख्य सचेतक): मैं तो आपसे ज्ञानवर्द्धन करने के लिए पूछ रहा हूं। मेरे में शक्ति है। शक्ति और भक्ति दोनों है मेरे में।

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं वो ही बताना चाह रहा हूं। सुनें तो सही। मैं बता देती हूं क्या दिया है। कम से

(श्रीमती शकुन्तला रावत)

कम एक परसेंट तो दिया था। आप वो भी ले डूबे। एक तो लगता था वो जो था वो वापस करके दिखाओ अभी तो मान जाएं आपको। बच्चे एसएमएस में पड़े हैं, सीरियस हैं। रोजगार देने के नाम पर असत्य वादे करने वालों।

श्री कालू लाल गुर्जर (मुख्य सचेतक): आप मानते हैं कि एक परसेंट बहुत है? आपको ज्यादा नहीं चाहिए क्या?

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): ज्यादा बीच में बोल-बोल कर डराने की धमकी मत देना। आप बैठ जाइये।

श्री कालू लाल गुर्जर (मुख्य सचेतक): आप राज़ी हो क्या एक से? आप क्या एक परसेंट लेकर के राज़ी हो?

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): आप सुनो। मेरे इस चीज से असर होने वाला नहीं है। आपने बेवकूफ बनाया, राजस्थान के निवासियों को मूर्ख बनाया।

श्री कालू लाल गुर्जर (मुख्य सचेतक): मैं तो कहता हूं कि पांच परसेंट देंगे। आप एक क्यों मांग रहे हो? सरकार पांच परसेंट देगी आप एक क्यों मांग रहे हो?

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): चुप रहें आप। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने हिदायत दी थी फिर ये बीच-बीच में उठ रहे हैं। इनको ज्यादा ज्ञान लेना है तो एक घंटे मेरे पास क्लास लेने के लिए आ जाएं बता दूंगी क्या-क्या किया। नैट से निकालना नहीं जानते क्या? कम्प्यूटर नहीं है क्या घर पर कि क्या किया कांग्रेस पार्टी ने। आपकी तरह दो तरह का व्यवहार नहीं किया कि आधों को कम्प्यूटर दे दिया आधों को कम्प्यूटर नहीं दिया। 90 परसेंट वाला घूम रहा है, मैडम, मुझे कम्प्यूटर ही नहीं मिला।

श्री जितेन्द्र कुमार गोठवाल (संसदीय सचिव): कालूलाल जी, अब मत बोलना। एक घंटे के लिए बुला लिया वहां जाकर पूछ लेना।

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): मुझे साइकिल नहीं मिली है। एक बच्चे को मिल गयी है 70 परसेंट वाले को। आपके क्या सीमा बांध रखी है कि कुल इतने ही बच्चों को देनी है? बराबर बैठने वाले बच्चे को भी कम्प्यूटर और साइकिल नहीं दी आपने। कालेज में बराबर की परसेंटेज वाली लड़कियों को भी आपने साइकिल नहीं दी। वो भी चक्कर काट रही है आफिस के।

श्री वासुदेव देवनानी (राज्य मंत्री, शिक्षा): कालेज में पढ़ने वाली को

(श्री वासुदेव देवनानी)

नहीं मिलती। नवीं में पढ़ने वाली हर बच्ची को साइकिल मिलती है किसी को नहीं मिली हो तो आप मेरे को नाम दे दें।

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): मैं आपको लिस्ट दे दूंगी। पहले भी दी है मैंने 18 बच्चियों की लिस्ट दी थी। एक भी बच्ची को साइकिल नहीं मिली है।

श्री वासुदेव देवनानी (राज्य मंत्री, शिक्षा): वो नहीं थी।

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): और आज आप एक परसेंट की बात करते हो।

श्री वासुदेव देवनानी (राज्य मंत्री, शिक्षा): गवर्नमेंट वाली का एक भी नाम हो तो मैं सदन में कहता हूं कि बता दें नाम।

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): उस दिन तो धन्यवाद देने गये थे। युवा जो बेरोजगार हैं उनके साथ यह घोर अन्याय है, यह धोखा है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ये काली साइकिल को भगवा कैसे किया, शिक्षा मंत्रीजी? काली वाली तो वापस लौटायी फिर भगवा ली।

श्री वासुदेव देवनानी (राज्य मंत्री, शिक्षा): ये डिमाण्ड्स में जब पूछोगे तो जवाब दे दूंगा।

श्री मदन राठौड़ (उप मुख्य सचेतक): ...(व्यवधान) साइकिल पर राहुल को बैठाने के लिए उसको भगवा किया था।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): राहुल और अखिलेश की साइकिल और हाथ तो आपका सूपड़ा साफ कर देंगे।

श्री वासुदेव देवनानी (राज्य मंत्री, शिक्षा): वो तो 11 मार्च को पता चलेगा।

श्री जितेन्द्र कुमार गोठवाल (संसदीय सचिव): ...(व्यवधान) दूसरों का सहारा लेना पड़ रहा है साइकिल पर बैठना पड़ रहा है मर्सडीज में चलने वालों को।

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, काश भारत देश के युवाओं को, राजस्थान को रोजगार की बात करते, खुशहाली की

(श्रीमती शकुन्तला रावत)

बात की। समृद्ध राजस्थान, सुराज संकल्प यात्रा। इसी को कहते हैं सुराज, पुलिस वाले भी आपके और हमारे ही हैं कहीं न कहीं रिश्तेदार। क्यों तो पुलिस ने एक जनप्रतिनिधि को मारा और क्यों जनप्रतिनिधि ने पुलिस को मारा। कैसी अजीब सी विडम्बना है ये। ये कैसा सुशासन है? कोई किसी को मार रहा है। एक जनप्रतिनिधि को एक सीआई को थप्पड़ मार रहा है कोई। कैसा सुशासन है ये। ऐसा सुशासन है।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): जांच कौन कर रहा है?

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): जांच ये अपने आप करके अपने आप रख लेंगे। नवाचार, खुशहाल राजस्थान फ्लेगशिप। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह सोच रही थी ...।

श्री रामहेत सिंह यादव (किशनगढ़बास): ...(व्यवधान) माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ये फूल मोहम्मद को भूल गये। ये सीआई को जलाने वाले लोग हैं। (व्यवधान)

श्री बनवारीलाल सिंघल (अलवर शहर): ...(व्यवधान) एक सीआई को आपके राज में जिन्दा जला दिया गया था। (व्यवधान)

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): बता देती हूं उसका भी।

श्री रामहेत सिंह यादव (किशनगढ़बास): फूल मोहम्मद को भूल गये क्या? (व्यवधान) आपके राज में सीआई को जिन्दा जला दिया गया था।

श्री बनवारीलाल सिंघल (अलवर शहर): फूल मोहम्मद को जिन्दा जला दिया गया था।

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): आपके कार्यकर्ताओं ने ही जलाया होगा जरूर इसीलिए आप बोल रहे हैं। हण्ड्रेड परसेंट। (व्यवधान) अब तो घर में बच्चियां सुरक्षित नहीं हैं। आप काहे को बोल रहे हो विधायक महोदय। जरा उठा कर तो देखिये आप।

श्री रामहेत सिंह यादव (किशनगढ़बास): ...(व्यवधान) आप चेचट थाने को भूल गये क्या? आपको चेचट की घटना पता है कि नहीं माननीय सदस्या?

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): मैं मिलती हूं दुखियों से। बच्चियां आठ साल और नौ साल, दस साल की बच्चियां जिनको भारत देश में कन्या के रूप में पूजा जाता था वो भी सुरक्षित नहीं हैं आज। (व्यवधान) अभी

(श्रीमती शकुन्तला रावत)

भामाशाह योजना का जिक्र किया जा रहा था। बहुत अच्छी बात है। रामलाल जी ने दस-बीस नाम गिनवाये लेकिन इसका माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अगर रिकार्ड उठाकर देखें आज भी सैकड़ों मरीज एसएमएस में भर्ती हैं जिन्होंने भामाशाह कार्ड जमा करा दिया लेकिन उन्हें मदद नहीं मिल रही है। वो नैट पर ही नहीं डला। भामाशाह कार्ड तो ले आया बेचारा, लाकर दे भी दिया और उसको कहेंगे कि पहले लेकर आना चाहिए था। कोई सीरियस पेशेंट है कोई एक्सीडेंट हो गया तो वो कार्ड रखकर थोड़ी घूमता है कि मेरा कुछ ऐसा बुरा होने वाला है। वो नैट पर नहीं बोल रहा है और उसको मदद नहीं मिल रही है। कुछएक को मदद जैसा अभी आज हम लोग बयान पढ़ रहे हैं। कार्यकर्ताओं को करा दी हो तो हम नहीं कह सकते लेकिन ये पूर्ण रूप से निराधार है। इसमें मैं आपको बता दूं बस्तियों के नाम से बानसूर कस्बे की जो बीच की बस्ती है। एससी बस्ती उसमें कम से कम बीच-पच्चीस घर ऐसे हैं जिनको भामाशाह का किसी भी तरीके से लाभ नहीं मिल रहा है। चतरपुरा है, नारायणपुर है, घड़ी है, हरसौरा है, गूंता, नीमूचाणा, कराणा कोई पंचायत ऐसी अछूती नहीं है जिसमें गरीब आदमी नहीं हो और उसे बिलकुल फायदा नहीं दिया जा रहा है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, खाद्य सुरक्षा की सबसे बड़ी प्राब्लम है। वो जाता है बेचारा सुबह अपनी मजदूरी छोड़ेगा, वहां वो मशीन रख दी जाती है। मशीन पर अंगूठा लगायेगा। उसमें अंगूठे का निशान नहीं आ रहा है। नैटवर्क काम नहीं कर रहा है तो बैठे रहो भाई। वो 10-10 दिन तक चक्कर काटता है यह सच्चाई है। अब चाहे कुछ भी कह लें लेकिन यह धरती की सच्चाई है, एक आम नागरिक की सच्चाई है, यह उसका दर्द है। आपकी मशीनें जहां पूर्ण रूप से काम नहीं कर रही हैं, रीति नीति की बात करते हैं, भारतीय संस्कृति की बात करते हैं। जल स्वावलंबन का एक बहुत बड़ा उदाहरण दिया जाता है। उपाध्यक्ष महोदय, आंकड़ों में तालाबों में बहुत सारा जल भरा हुआ है, सिर्फ और सिर्फ आंकड़ों में भरा हुआ है। मेरे यहां जितनी भी जगह बनाये गये उसमें सिर्फ नाम का पत्थर लगा हुआ है, दीवार खड़ी है। मैं चली गई तो पीछे से अधिकारी महोदय उद्‌घाटन करके आ रहे थे तो मैंने कहा कि साहब पानी गाडी के पीछे आ रहा है कहीं आप बह नहीं जाओ थोड़ा साइड में गाड़ी ले लें। जो दीवारें बनाई थीं वह सारी बहकर चली गई, सिर्फ उसका नाम है जल स्वावलंबन।

(श्रीमती शकुन्तला रावत)

न्याय आपके द्वार, राजस्व प्रकरणों के निस्तारण किये गये। उपाध्यक्ष महोदय, आंकड़ों में तो बहुत सारे प्रकरणों का निस्तारण हो गया लेकिन गांवों में ग्राम पंचायत में आज भी अगर आम रास्ता सरकारी है, उस पर भी अगर कोई झगड़ा चल रहा है तो वह आज भी एज इट इज है। बीसों वर्षों से केस चल रहा है तो वह आज भी वह का वही है। यह कह रहे हैं कि हमने निस्तारण कर दिया। ज्यादा से ज्यादा आंकड़े उठाकर देखें, एक दो का कर दिया हो तो कह नहीं सकते बाकी किसी का भी निस्तारण नहीं हुआ है, आज भी वैसे के वैसे केस पडे हुए हैं। अगर यह न्याय हो जाता तो शायद गांव का आदमी आपको दुआ देता लेकिन नहीं हुआ। जो रास्ते 100-100 साल के हैं उनके पट्टे देने के लिये भी कैम्प लगाये गये थे कि हम इन रास्तों के पट्टे देंगे लेकिन एक भी रास्ते का पट्टा किसी भी ग्राम पंचायत ने आज तक किसी भी सरपंच को नहीं दिया है। मेरे यहां तो नहीं दिया गया, अगर इनको मिल गया तो पता नहीं है।

क्षेत्र में जाने का तो मैं खड़ी हूं, मैं दिख रही हूं, इसीलिए खड़ी हूं, क्षेत्र में नहीं जाती तो नहीं आती। (व्यवधान) पंडित दीनदयाल उपाध्याय जन कल्याण पंचायत शिविर लगाये जाते हैं। शिविरों में आंकड़े बनाये जाते हैं, कुछ समस्या बीडीओ, तहसीलदार, सेक्रेटरी और एसडीएम को दी जाती हैं। वह उनका निराकरण करके कागजों में, कम्प्यूटर में भेज देते हैं। रोजगार कौशल प्रशिक्षण, अब तो मंत्री महोदय हैं तो हम तो यही चाहेंगे कि आप उन सबको रोजगार दे दें। रिसर्जेंट राजस्थान में पार्टनरशिप की बात की गई थी सरकार और गैर सरकारी संस्थाओं को। इसमें कितनी भूमि आबंटित की गई राज्यपाल जी के अभिभाषण में दिया गया है 17040 हैक्टेयर भूमि, लेकिन आबंटन के बाद, एमओयू साइन होने के बाद रोजगार के लिये कोई व्यवस्था नहीं है।

बिजली उत्पादन में अभी पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना है, उपाध्यक्ष महोदय, पिछले तीन वर्षों में पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के तहत कितनों को कनेक्शन दिया इसकी कोई गिनती नहीं है। यानी कि एक को भी कनेक्शन नहीं दिया गया। उनसे डिमांड नोटिस जमा करा लिया, डिमांड नोटिस जमा कराने के बाद अभी करेंगे, अभी करेंगे, अभी करते-करते आज इतने दिन हो गये, किसी को कोई कनेक्शन नहीं दिया गया है। तीन वर्ष से जो जीएसएस के कार्य अधूरे पड़े हैं, मोटूका वालों ने

(श्रीमती शकुन्तला रावत)

जमीन भी खरीद ली, उनको खरीदे हुए दो वर्ष हो गये, तीसरा वर्ष चल रहा है, वहां आज तक काम चालू नहीं हो रहा है, पता नहीं क्या कारण है। टोडियाकाबांस है, देवसन है, जमीन है, सब कुछ है लेकिन फिर भी काम चालू नहीं हो रहे हैं यह कैसी उपलब्धि है।

सड़कों का अभी बहुत किया गया था, गौरव पथ, मिसिंग लिंक, नोन पेचेबल, उपाध्यक्ष महोदय, मंत्रीजी को लिखकर देने और बार-बार विधान सभा में उठाने के बाद भी मेन सड़क आलनपुर से बानसूर नारायणपुर तक जो जाती है उसमें एक-एक, डेढ़-डेढ़ फीट के गड्ढे हो रहे हैं। उसको पीपीपी माडल पर स्वीकृत करने की बात कही थी लेकिन तीन वर्ष में तो वहां पीपीपी माडल पहुंचा नहीं, वह पता नहीं कौनसी मालगाड़ी में बैठकर आ रहा है, या चल रहा है, कब पहुंचेगा, मुझे उम्मीद नहीं है कि वह पहुंचेगा, वह शायद मेरे हिसाब से पीपी ही हो जायेगा।

आदर्श प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, स्वास्थ्य की बात हो रही थी। लगातार तीन वर्ष से विधान सभा में स्थगन के जरिये, 295 के जरिये, एप्लीकेशन के जरिये दिया गया, ढाई साल से स्वास्थ्य केन्द्र बंद पड़े हैं। बन कर कम्पलीट हो गये हैं, इंदराड़ा में पड़ा है। कहां काम कर रहे हैं, कहां नहीं कर रहे हैं यह कुछ पता नहीं है। उसमें डाक्टर और मेल नर्स कौन है, कोई जानकारी नहीं है। महिला चिकित्सक एक भी नहीं है। शिशु चिकित्सक एक भी नहीं है। सरकार निरंकुश है, सरकार गूंगी-बहरी है। यह काम सरकार के करने का है, मेरा काम होता तो मैं कब का ही कर देती। अलवर में मेडिकल कालेज बना हुआ है, हास्पिटल ईएसआई, बनकर तैयार पड़ा हुआ है, उसका पता नहीं उद्घाटन ही नहीं हो रहा है, उसको चालू ही नहीं कर रहे हैं। चंबल योजना का पानी आ रहा था, वह कौनसी जगह अटक गया, तिजारा में अटक गया पता नहीं बहरोड़ में अटक गया, मंत्री महोदय उसको थोड़ा सा आगे सरकाओ।

बालिका शिक्षा की बहुत सारी बातें की गई थीं, मंत्री महोदय भी सामने बैठे हैं। जो भी बालिकाओं के बारहवीं विद्यालय हैं, उपाध्यक्ष महोदय, मैं आज भी अनुरोध करती हूं परीक्षा आ गई हैं कम से कम बालिका विद्यालय में तो विषय अध्यापक लगा दें मंत्री महोदय। मैंने सदन के माध्यम से भी अनुरोध किया, जो विषय अध्यापक हैं वही नहीं लगाये गये। बालिका महाविद्यालय हैं उनमें आप कम से कम व्याख्याता लगा दें तो उपाध्यक्ष

(श्रीमती शकुन्तला रावत)

महोदय, मैं सदन के माध्यम से धन्यवाद दूं। प्राइमरी स्कूलों में शिक्षा की नींव मजबूत करना चाहते हैं वह ऐसे होगी प्राइमरी स्कूलों को बंद कर देंगे तो वह नींव फिर ऊपर ही अधर रहेगी।

किसानों की बात की गई थी कि किसानों का हमने यह कर दिया, किसानों की आज की जो स्थिति है, अब आपके क्षेत्र में तो शायद उनको सब सुविधाएं मिल रही होंगी, बिजली भी पूरी मिल रही होगी। उपाध्यक्ष महोदय, हमारे यहां थ्री फेस की बिजली सिर्फ और सिर्फ दो या तीन घंटे में भी आधा आधा घंटे में कट कर आती है 10 मिनट और 15 मिनट। एक दिन भी रेगुलर खेती की बिजली नहीं आ रही है। यह बड़े शर्म की बात है, यह सच्चाई है, आप लोग डरते हो इसलिए कुछ भी बोल सकते हो। घोषणा की थी कि 8 घंटे देंगे, सिंगल फेस 20 घंटे देंगे, शाम को गांव का आदमी अंधेरे में रोटी खा रहा है, आपको शर्म आनी चाहिये, शाम को पांच बजे बाद में लाइट नहीं आती है। किसी भी गांव में घुस कर देख लो, अपने कलेजे पर हाथ रखकर देख लो चुप क्यों हो। मेरे यहां तो 10-15 पंचायतों में मुआवजा भी नहीं मिला। एसडीएम, तहसीलदार मेरे को भी साथ ले गये, मैं भी गई लेकिन फिर भी गांवों का नाम हटा दिया गया, यह बड़े शर्म की बात है। आज हमारे मंत्री महोदय कह रहे थे दिया हुआ है तो थोड़ा सा हमारे इधर भी सरका देते तो अच्छा होता। आंकड़ों में तो दिया है आपने, आंकड़े तो हमारे पास भी हैं, सब कुछ है।

उपाध्यक्ष महोदय, प्रधान मंत्री आवास योजना और स्वच्छ भारत की बात की जाती है। आज तक तो किसी को भी मकान बनाने का और शौचालय का पैसा ग्राम पंचायत में नहीं पहुंचा, हमारे यहां नहीं पहुंचा या तो सरकार की गड़बड़ हुई है, ऐसा नहीं होना चाहिये।

आप जाकर देख लें। मेरे यहां से ग्राम पंचायत वाइज आप रिकार्ड मंगा लें। कहीं कोई शक को हो बता दें। पेंशन के लिए वृद्धजन-विधवा, छात्रवृत्ति के लिए ओ.बी.सी., एस.सी., एस.टी. के छात्र आए दिन आफिसों के चक्कर लगा रहे हैं। कइयों को पढ़ाई छोड़नी पड़ रही है, लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, उनको छात्रवृत्ति नहीं मिल रही है। आशा सहयोगिनियों की बात की थी। उन्होंने अपनी मांग रखी, तो उनको डंडे मिले। एक तो मर भी गई थी। वो सरकार के लिए शहीद हो गई। उसको ये यही नाम देंगे। छात्राओं ने अध्यापक मांगे तो उनको भी डंडे मिले। व्यापारी और स्वर्णकार ने जब अपनी

(श्रीमती शकुन्तला रावत)

मांग रखी तो उनको भी, युवाओं ने रोजगार मांगा तो उनको भी, विद्यार्थी मित्रों और कम्प्यूटर शिक्षकों ने मांगा तो उनको भी लाठियां मिलीं।

गौशाला की बात करते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा मेरा अनुरोध है कि जो गौशाला जनसहयोग से बना दी गई हैं, चल रही हैं। कम-से-कम सरकार प्रशासन को निर्देश दे कि उनका रजिस्ट्रेशन वहीं तहसील स्तर पर हो जाए क्योंकि उनमें पांच-पांच सौ, हजार-हजार गायें उन्होंने अपने आपसी सहयोग से पाल रखी हैं। सरकार क्या कर रही है? हर ग्राम पंचायत में गोशालाएं बनी हुई हैं, लेकिन सरकार के पास तो दस-पांच के नाम हैं, दो-एक के। बस उसी को, और वह भी नाममात्र का। हमारे यहां तो बिल्कुल भी नहीं दे रहे हैं ये पैसा-वैसा वहां पर। उपाध्यक्ष महोदय, यह कैसा अन्याय है? अगर गोशालाओं की रक्षा करना चाहते हैं तो कम-से-कम इस तरीके का सभी गोशालाओं को पहुंचाएं। जो गौवंश का मंत्रीमण्डल भी बना हुआ है। क्या करते हैं? कुछ समझ में नहीं आ रहा।

पुरातत्व स्मारकों के लिए गुम्बद, छतरियों के लिए उसमें जिक्र किया गया है कि इतने करोड़, इतने लाख रुपए हमने खर्च किए लेकिन अलवर में कौनसी जगह काम चल रहा है, हमारे साथियों को पता हो तो, पता नहीं है। लेकिन मैं कहना चाहूंगी कि तालवृक्ष, बानसूर का किला, शीतलनाथ, कूल का कुंड, गर्वा जी, भर्तृहरि जी, हमारे यहां ऐसी जगहें हैं, जिनके संरक्षण के लिए सरकार अगर दे तो वहां भी थोड़ा-बहुत पैसा दे दे या फिर ये दोहरा व्यवहार कर रहे हैं। सैनिकों वाला जो था, मैंने पिछली बार भी उठाया था। सैनिकों की जो विधवा महिलाएं हैं, वे आए दिन अपने कागजों के लिए चक्कर काटती हैं पेंशन के लिए और भूमि आबंटन उनको कर दी गई है, लेकिन उनको सुपुर्द नहीं की गई है। यह सबसे बड़ा मैटर है। महिलाएं आए दिन आती रहती हैं। मैं राज्यपाल जी के अभिभाषण में जो मिथ्या लिखी हुई है। आंकड़ों में सरकार चल रही है। उपाध्यक्ष महोदय, इस मिथ्या के लिए मैं विरोध करती हूं और...

'जिन्दगी का यह हुनर है,
जिन्दगी का यह हुनर भी आजमाना चाहिए
आज राज में हो तो किसान का कर्जा माफ करना चाहिए,
माफ करना चाहिए'।

धन्यवाद। राम राम सा।

श्री उपाध्यक्ष: श्री रामचन्द्र।

श्री रामचन्द्र (डग): सम्माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोलने का समय दिया, उसके लिए धन्यवाद। सबसे पहले तो माननीय सदस्यों द्वारा इस सदन में अपने विद्वत विचार प्रकट किए और विचार, निश्चय ही सरकार और प्रतिपक्ष के अपने-अपने ढंग से प्रस्तुत होते हैं। एक आदमी एक गधे को ले जा रहा था। उस पर उसका बच्चा बैठा था। सब ने कहा यार क्या आदमी है? बुजुर्ग आदमी तो पैदल चल रहा है और किशोर उस पर बैठे हुए जा रहा था। उसने सुन लिया। बच्चे को उतार दिया। बड़ा बैठकर जाने लगा। बड़ा बैठकर जाने लगा तो फिर गांव वालों ने कहा कि यार कितना बेवकूफ आदमी है कि बच्चा नीचे चल रहा है और इतना बड़ा आदमी इस गधे पर बैठकर जा रहा है। बाप ने सोचा कि दोनों के लिए परेशानी खड़ी हो गई। दोनों ही बैठकर चलो। फिर वे दोनों ही गधे पर बैठकर चलने लगे। फिर किसी ने कहा कि कितने पागल आदमी हैं, छोटे-से जीव पर दो जने बैठकर जा रहे हैं, इसकी जान लेंगे क्या ये? उन्होंने क्या किया, उस गधे से दोनों उतर गए और उस गधे को दोनों बाप-बेटे ने बांधकर खींचना शुरू कर दिया। कांग्रेस ने आज तक यही किया है, और कुछ नहीं किया है। न वो कभी सरकार के मायनों में, इस देश में कांग्रेस के शासन में जितनी सरकारें बनी हैं। अगर ये सारे आयाम स्थापित किए होते तो मुझे नहीं लगता था कि कोई पार्टी यहां पैदा होती। जब यह कहते हैं कि इस देश को आजाद कराने में कांग्रेस ने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। सब लोग, कांग्रेस की वजह से इस देश को आजादी दिला पाए। लेकिन कितने लोगों के नाम उत्सर्ग हुए? वे लोग कितने हैं, जिनका नाम शहीदों की सूची में शामिल नहीं हुआ? उनको आज कोई भी याद नहीं करता। अगर याद करते हैं तो पंडित जवाहर लाल नेहरू को याद करते हैं, इंदिरा गांधी जी को याद करते हैं। राजीव गांधी जी को याद करते हैं। मैं तो बापू को नमन करता हूं, इस राष्ट्रपिता को। महोदय, इस देश में एक गलती जरूर हो गई है। वे अपने नाम के पीछे का अक्षर इनको दे गये, पूरे 70 साल हो गये, अभी तक वही चला आ रहा है और इस गांधी-गांधी की वजह से जितनी सरकारें बनी हैं, उन सरकारों ने इस देश के अन्दर वैमनस्यता एवं विचार, देश के विकास के साथ खराबी, जात-पात, गरीबी, न जाने कितनी बीमारियां इस देश में छोड़ीं? अभी माननीया सदस्य कह रही थीं कि प्रधान मंत्रीजी जब संसद में प्रवेश कर रहे थे, प्रधान मंत्री बनने के बाद, तो उन्होंने संसद की उस प्रथम सीढ़ी पर अपना

(श्री रामचन्द्र)

शीश नवाकर प्रवेश किया। यह तो भारतीय संस्कृति हमारे विचारों में है, हमारे संस्कारों में है। लेकिन एक बात जरूर याद रहनी चाहिए, जिस दिन इस देश के महामहिम राष्ट्रपति आजादी के पर्व के पहले जब रात को संबोधित कर रहे थे तो विशेषकर उन्होंने इस बात का जिक्र किया था। ये राष्ट्र के पहले प्रधान मंत्री हैं, जिन्होंने इस संसद की पहली सीढ़ी को शीश नवाकर अन्दर प्रवेश किया। देश में कितने प्रधान मंत्री बने और कितने ही बनेंगे। लेकिन संविधान की इस परिधि और पवित्र धाम को, जो आदमी इस राष्ट्र को पूरा संसार और अपना ईश्वर मानता हो, जिसका सिर्फ लक्ष्य यही है कि यह भारत भूमि, मेरी भारत माता किसी भी तरह से इस विश्व के पटल पर विकसित हो और वे पुरजोर कोशिश कर रहे हैं कि यह देश किस प्रकार से दिव्य और भव्य बने, यह पुन: विश्व गुरु कैसे बने? मैं अटल जी का संस्मरण सुन रहा था। एक बार वो अफगानिस्तान गए। उन्होंने जाकर अफगानिस्तान के राष्ट्रपति जी और विदेश मंत्रीजी से कहा कि मैं वह जगह देखना चाहता हूं। गजनी जगह यहां कहां है, जब वह गजनी की वहां पर बात कर रहे थे, तो वहां के विदेश मंत्री जी को यह पता ही नहीं था कि गजनी नामक कोई शहर या गांव इस देश में है। इतिहास के पन्नों में उस गजनी का नाम नहीं है। प्रधान मंत्रीजी कह रहे थे कि फिर भी मैंने जिद की कि मैं उस गजनी को देखना चाहता हूं, जहां धूल उड़ रही थी, जहां झोपड़ियां थीं। वह गजनी महमूद जो देश को चीरता-लूटता, लुटेरों की फौज बनाता हुआ अकेला भारत की सोने की चिड़िया को लूटता-लूटता सोमनाथ के मंदिर में घुसा और इस भारत को लूटने के लिए एकमात्र आदमी था, महमूद। वह महमूद क्यों बना? वे लुटेरे कैसे इस देश में आए? वाजपेयी जी बता रहे थे कि हमारे देश के अन्दर हम सब लोग चाहे कितनी ही पार्टियों के हों, कितने ही धर्मों के हों, कितने ही हम वर्ण व्यवस्थाओं के हों। सिर्फ हमारी फूट की वजह से इस देश के अन्दर यह ब्रिटिश शासनकाल हुआ। ये लुटेरे इस देश में आए। हम चाहे कैसे भी लड़ें। चाहें हम सदन में किसी भी बात पर लड़ें, लेकिन विकास की बात होनी चाहिए। देश को जोड़ने की बात होनी चाहिए। प्रदेश को जोड़ने की बात होनी चाहिए। हम एक-एक बात कहते हैं। डोटासरा जी कह रहे हैं इस सरकार ने बिल्कुल नेस्तनाबूद कर दिया राजस्थान को।

बहन जी, माननीय सदस्या कह रही हैं कि सारे राजस्थान के अन्दर जो विकास के आंकड़े दिए हैं वह खोखले हैं। अगर यह आंकड़े खोखले होते तो

(श्री रामचन्द्र)

राज्यपाल जी इस भाषण को पढ़कर नहीं जाते। पूरे प्रदेश के अन्दर 200 विधान सभा सदस्य हैं, 199 इस विधान सभा में बैठते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि देश आजाद होने के बाद मेरी विधान सभा में क्या हुआ। एक-एक सदस्य को मालूम है देश आजाद होने के बाद अपनी-अपनी विधान सभा में क्या काम हुए। यह जन कल्याणकारी योजनाएं और मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन अभियान, चाहे न्याय आपके द्वार, चाहे श्रमिक कार्ड, चाहे भामाशाह स्वास्थ्य योजना हो, इनका गुणगान सब कर रहे हैं लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि मेरी विधान सभा के अन्दर देश आजाद होने के बाद पहली बार महाविद्यालय खुला। देश के आजाद होने के बाद मेरी विधान सभा में 220 केवी जीएसएस खुला। देश आजाद होने के बाद पहली बार गांव के अन्दर ग्रामीण गौरव पथ और सीसी रोड बने। मेरी विधान सभा के अन्दर 127 करोड़ का सीसी रोड बना। डग से दुधालिया का 40 करोड़ का सीसी रोड बना। गांव के अन्दर आज नहीं-नहीं करते मेरी विधान सभा में 2500 करोड़ के काम चल रहे हैं और इसी सरकार के द्वारा किए जा रहे हैं।

ऐसे कई काम हैं, लेकिन मैं यह कहना चाह रहा हूं कि जो अपने सोच से इस परिदृश्य को प्रस्तुत करना चाह रहे हैं। माननीय सदन की नेता, राजस्थान की सरकार बनने से पहले सुराज यात्रा के माध्यम से प्रदेश में गई थी, आपका ही शासन था, आप लोग शासन में थे, आपका इतना बड़ा विरोध। आपको पता ही नहीं चला कि सदन में 164 सदस्य बीजेपी के आए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, व्यक्तिगत विमांशा और आकांक्षाओं को दबाकर रखना चाहिए। अगर आपको यह पता होता 163-164 सदस्य प्रचण्ड बहुमत से राजस्थान की सरकार में आए हैं, लेकिन आपने इतने पहली बार प्रयोग किए वह आपके पहली बार के अंतिम प्रयोग साबित हुए। आप निश्चित रहिए, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इस सदन में माननीय मुख्य मंत्री महोदया ने राजस्थान के चहुंमुखी विकास के लिए, सर्वांगीण विकास के लिए जितने विकल्प, जितने प्रकल्प और जितने संकल्प लिए वह सारे सम्पूर्ण हो रहे हैं। इस विकास ज़ाता का जो नया इतिहास बनेगा वह भी आप देखना। आप छोटी-छोटी बातों को बड़ी बनाकर प्रस्तुत कर रहे हो। माननीय मुख्य मंत्रीजी ने जो छोटे-छोटे काम गांवों में किए, चाहे वह मिसिंग लिंक का हो, चाहे सम्पर्क सड़क का हो, चाहे पानी का हो, चाहे जल स्वावलम्बन का हो, चाहे न्याय आपके द्वार का हो, चाहे पंडित दीनदयाल उपाध्याय पंचायत कल्याण शिविर

(श्री रामचन्द्र)

का हो यह काम कोई छोटे-मोटे काम नहीं हैं। ऐसे-ऐसे नवाचार हुए कि लोगों को घर मृत्यु प्रमाण पत्र मिलने लगे हैं। पास बुक नामान्तरण की कापी घर पर मिलने लगी है, पर खुद में भी कुछ करने की क्षमता होनी चाहिए। सुबह उठे तो बुराई, रात को सोए तो बुराई, बुराई करने वाला बुराई ही जन्म देता है और बुराई में ही मरता है। कोई अच्छे काम करे उसकी प्रशंसा होनी चाहिए। एक बार पंडित जवाहर लाल नेहरू जी ने किसी विदेशी से माननीय अटल बिहारी वाजपेयी को मिलवाया था तब वह नये-नये पहली बार उस संसद में गए थे, उन्होंने यह कहा था यह जो नौजवान लड़का है, संसद में हमेशा मेरे खिलाफ बोलता है और मैं जानता हूं कि यह देश का, भारत का भविष्य बनने वाला है, ऐसे लोग भी हमारी इस राजनीति में रहे हैं। मैं तो आप सबसे एक विनम्र अपील करता हूं कि सब अपनी-अपनी विधान सभाओं में काम कर रहे हैं, मैं तो कहता हूं कि जब घर सुधरेगा तो देश सुधरेगा, सब अपनी-अपनी विधान सभा पर ध्यान दें। विधान सभा का काम कराएं। मुख्य मंत्रीजी दिल खोलकर काम करा रही हैं। सारे काम हो रहे हैं। जिस दिन आप अपनी विधान सभा पर अधिकार जमा लेंगे, वहां की पब्लिक से आपका तारतम्य बन जाएगा, सामंजस्य बन जाएगा, परस्पर समन्वय रहेगा। कौन कांग्रेस और कौन दूसरी पार्टी, कोई पार्टी कहीं नहीं घुसेगी। वहां के कार्यकर्ता भी जानते हैं निश्चित रूप से माननीय मुख्य मंत्रीजी के नेतृत्व में पुनः सरकार बनेगी, इन्हीं भावनाओं के साथ मैं उपाध्यक्ष जी को बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: श्रीमती द्रोपती।

श्रीमती द्रोपती (पीलीबंगा): सर्वप्रथम महामहिम राज्यपाल महोदय और माननीय मुख्य मंत्रीजी का मैं आभार व्यक्त करना चाहूंगी जिन्होंने पिछली कांग्रेस सरकार के पिछड़ेपन के कलंक को हटाकर राजस्थान प्रदेश को देश के अन्य विकसित राज्यों में प्रथम श्रेणी में लाकर खड़ा कर दिया है।

बने हम हिंद के योगी, धरेगे ध्यान भारत का, उठाकर राष्ट्र का झण्डा करें उत्थान भारत का, स्वरों में तान भारत की, मुख में आन भारत की, नैन में मूर्ति भारत की, नसों में रक्त भारत का, नसों में रक्त भारत का। तेरा वैभव अमर रहे मां, हम दिन चार रहें ना रहें, इन्हीं पंक्तियों को चरितार्थ करते हुए हमने दिखाया है, हमारे देश के फौजी भाइयों ने दिखाया है। हमारे देश के गौरवशाली प्रधानमंत्री भाई नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में हमारे देश की सेना ने जो

(श्रीमती द्रोपती)

सर्जिकल स्ट्राइक किया इसके लिए मैं देश के प्रधान मंत्री महोदय को और हमारे फौजी भाइयों को नमन करती हूं, प्रणाम करती हूं।

अभी कांग्रेस की माननीय सदस्या बोल रही थीं कि आपने यह काम किया है, कितनों की मांग उजाड़ी है, लेकिन मैं पूछना चाहती हूं कि याद करो वह दिन 26 नवम्बर, 2011 का, याद करो वह दिन जब ताज होटल बोम्बे में आंतकवादियों ने हमला किया था। उस वक्त तत्कालीन सरकार कांग्रेस की थी और हमारे प्रधान मंत्री माननीय मनमोहन सिंह जी ने, जिन्होंने भारत को हौसला बंधाई के लिए, भारत को धीरज बंधाने के लिए फैसला किया था कि हम पाकिस्तान के साथ मैच नहीं खेलेंगे। याद करो वह दिन क्या उस वक्त का फैसला सही था? वह दिन याद करो जब 150 लोग उस होटल में मारे गए थे। आप वह दिन भी याद करो जब भारत के सैनिकों का सिर काटकर पाकिस्तान में ले गए थे, उस वक्त भी तत्कालीन सरकार कुछ नहीं बोल पाई और चुप रही। किसी प्रकार की उसके अन्दर कोई भावना नहीं जागी और आज कह रहे हैं कि क्या यह अच्छे दिन हैं। मैं पूछ रही हूं कि क्या वह दिन अच्छा था जिस वक्त यह हमले हुए थे? संसद पर हमला हुआ था, उस वक्त क्या खुशी थी? यह दिन आप याद करो।

केन्द्र में हमारी सरकार प्रधान मंत्री मोदी जी के नेतृत्व में बनते ही, आज तक किसी ने नहीं किया, हमारे फौजी भाइयों के साथ दीपावली मनाते हैं, कितना अच्छा काम करते हैं। 18 सैनिकों का बदला, सर्जिकल स्ट्राइक करके 38 आतंकवादियों को मार गिराया। हमारे गौरवशाली प्रधान मंत्रीजी ने इतना अच्छा जो काम किया है वह देशहित में काम किया है। हमारा देश विश्व गुरु रहा है परन्तु दुर्भाग्य रहा देश की बागडोर एक परिवार विशेष के पास आ गई। हमारे देश पर 60 साल तक उसने राज किया परन्तु देश उन्नति के शिखर पर नहीं पहुंच पाया। जब से हमारे देश की बागडोर उस परिवार विशेष से हटकर हमारे देश के गौरवशाली प्रधान मंत्री भाई नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में आई है, मैं बताना चाहूंगी हमारे देश को पूरा विश्व एक विशेष नजरिये से देखता है। पूरे विश्व में भारत मां की जय जयकार हो रही है। यह हमारे लिए गर्व की बात है। मोदी जी के नेतृत्व में हमारा देश पुनः विश्व गुरु बनेगा ऐसा मेरा दृढ़ विश्वास है।

उपाध्यक्ष महोदय, मोदी जी के नेतृत्व में हमारा देश विश्व पटल पर

(श्रीमती द्रोपती)

आर्थिक महाशक्ति के रूप में उभरा है। चाहे उपग्रहों के विषय हों, चाहे सेना के मनोबल का विषय हो, चाहे किसान भाइयों के लिए अपने खेत की मिट्टी की जांच का विषय हो, महोदय, इस वर्ष का केन्द्रीय बजट गांव, गरीब, किसान और सेना के लिए समर्पित है। मुझे यह कहते हुए गर्व हो रहा है कि समृद्ध राजस्थान के निर्माण की दिशा में हमारी यशस्वी मुख्य मंत्री वसुंधरा जी के नेतृत्व में सुराज के संकल्प को पूरा करने के लिए वचनबद्ध है।

उपाध्यक्ष महोदय, हमारे प्रदेश में उद्योग, चिकित्सा, शिक्षा, कृषि, ग्रामीण विकास, सिंचाई, सामाजिक सुरक्षा, रोजगार के क्षेत्रों में बेहतरीन कार्य करते हुए देश में राजस्थान प्रदेश को प्रथम पंक्ति में खड़ा किया है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, किसानों की खुशहाली के लिये वर्ष 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने के संकल्प को पूरा करने के लिये प्रदेश में पहली बार ग्लोबल राजस्थान एग्रोटेक मीट का आयोजन किया गया जिसमें राजस्थान प्रदेश के प्रत्येक गांव से किसान बड़ी संख्या में आये और बहुत खुश नजर आये। उन्होंने अच्छे उत्पाद करने के तौर तरीकों का प्रशिक्षण प्राप्त किया। जब हमारे देश का किसान खुशहाल होगा तो हमारा देश विश्व गुरु बनेगा। राजस्थान में बारिश की अनिश्चितता को देखते हुए जल समस्या का स्थाई समाधान करने की दिशा में हमारी यशस्वी मुख्य मंत्री ने 'मुख्य मंत्री जल स्वावलम्बन अभियान' की शुरूआत की, यह अभियान अत्यन्त कारगर सिद्ध हो रहा है। प्रदेश के लगभग 21 हजार गांवों को जल की दृष्टि से आत्मनिर्भर बनाने के लिये प्रथम चरण में 95 हजार से अधिक कार्य पूर्ण कर लिये गये हैं। मेरे पीलीबंगा विधान सभा क्षेत्र से दो काम लिये गये थे। उसमें जो जोहड़ों का काम हुआ है, वहां के लोग बहुत ज्यादा खुश हैं। पहले वहां लोग बहुत ज्यादा परेशान थे जिनके जोहड़ों के आसपास घर बने हुए थे, बीमारियां फैलती थीं, गन्दगी फैली हुई थी। जैसे ही जल स्वावलम्बन अभियान के दौरान जो जोहड़े पक्के हुए हैं, उन गांवों के लोगों में खुशी की लहर है। वहां पौधारोपण भी हुआ है। प्रदेश में स्थाई, संवेदनशील एवं जवाबदेह प्रशासन के लिये 'आपका जिला आपकी सरकार' जैसे अभियान कार्यक्रम किये जा रहे हैं। राजस्थान सम्पर्क पोर्टल पर नौ लाख से अधिक जन अभाव अभियोग प्रकरणों का निस्तारण किया जा चुका है। 'न्याय आपके द्वार' कार्यक्रम में राजस्थान की जनता को न्याय मिला है। मेरे पीलीबंगा विधान सभा क्षेत्र की बात करूं तो 25 जून, 2015 को ग्राम पंचायत डबले बास मौलवी में लोक अदालत

(श्रीमती द्रोपती)

शिविर लगा था। एक ही दिन में 209 नामांतरण और 83 खाता विभाजन किये गये, जो अपने आप में रिकार्ड है। जनता के अटके पड़े कार्य होते हैं तो मन में प्रसन्नता होती है कि हमारे देश के प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदीजी ने जो नारा दिया था, वह साकार होने जा रहा है, अच्छे दिन आने वाले हैं और माननीय मुख्य मंत्री महोदय के नेतृत्व में जब से सरकार बनी है, तब से राजस्थान की जनता के अच्छे दिन आने शुरू हो गये। जैसे, अनेक प्रकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को शुरू करके इन योजनाओं में गांव के अन्तिम छोर पर बैठा गरीब, मजदूर, किसान, व्यापारी, युवा, जब एक ही छत के नीचे राज्य सरकार की योजनाओं का फायदा लेते हैं तो मन को सुकून मिलता है। गांव की जनता के कल्याण के लिये अक्टूबर, 2016 में पंचायत स्तरीय समस्याओं का मौके पर ही निस्तारण करने के लिये माननीय मुख्य मंत्री द्वारा पंडित दीनदयाल उपाध्याय जन कल्याण शिविर लगाये गये, जिसमें लगभग सभी विभागों के अधिकारियों द्वारा वहीं मौके पर ही समस्याओं का समाधान किया गया।

माननीय मुख्य मंत्री महोदय एवं जल संसाधन मंत्री डाक्टर रामप्रतापजी के नेतृत्व में सिंचाई के क्षेत्र में अनेक कार्य हुए हैं। राजस्थान की जीवनदायिनी इन्दिरा गांधी मुख्य नहर की रिलाइनिंग, गेट के मरम्मत की बात करूं या सी.ए.डी. विभाग द्वारा पक्के खालों का निर्माण हो रहा है, यह बहुत अच्छा कार्य हो रहा है। मेरे पीलीबंगा विधान सभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत चाहिया, 29 डी डबल्यू डी, किंकरालिया, रामपुरा के किसान जो सिंचाई के लिये हमेशा तरसते थे, पानी वहां टेल तक नहीं पहुंचता था, आज उनके टेल तक पानी पहुंच रहा है और वहां किसानों में खुशियां छाई हुई हैं और कह रहे हैं कि आज हमारे अच्छे दिन हैं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं बात करती हूं, राजस्थान के गौरव की। जब राजस्थान की बात याद आती है तो हमारा सीना गर्व से प्रफुल्लित हो जाता है, 56 इंच का हो जाता है। शील विनय आदर्श श्रेष्ठता, तार बिना झंकार नहीं, शिक्षा क्या स्वर साध सकेगी, यदि नैतिकता का आधार नहीं। हमारे देश में लार्ड मैकाले की शिक्षा दी जाती थी। जिससे शिक्षा का स्तर निरन्तर नीचे गिरता चला गया। परन्तु उपाध्यक्ष महोदय, जब से यशस्वी मुख्य मंत्री वसुंधराजी के नेतृत्व में सरकार बनी है, तब से शिक्षा में लगातार सुधार हो रहा है। बालकों के सर्वांगीण विकास के लिये राज्य सरकार वचनबद्ध

(श्रीमती द्रोपती)

है। हमारे देश के महापुरुषों का जीवन परिचय पढ़ाने की हम बात करते हैं। हम महाराणा प्रताप की जीवनी पर बात करते हैं तो विपक्षी भाइयों के ऐसे होता है कि ये लोग भारत में, अपने राजस्थान में ये ऐसा क्यों पढ़ा रहे हैं। राजस्थान की दसवीं की मैरिट में राजकीय विद्यालयों के बच्चे अग्रणी रहे हैं। अध्यापकों को पदोन्नति देकर शिक्षा के स्तर में हमने सुधार किया है। यह अच्छे दिन हैं या और कुछ हैं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, चिकित्सा क्षेत्र में मैं बात करूं तो प्रथम चरण में 295 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को आदर्श प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के रूप में विकसित किया। राज्य में 104 जननी एक्सप्रेस, 108 एम्बुलेंस सेवा आदि माध्यम से मरीजों के लिये सुविधाएं प्रदान की गईं। राज्य में वर्ष 2011 की जनगणना में लिंगानुपात मात्र 888 था। इसे सुधारने के लिये राज्य सरकार गम्भीर है। 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ' अभियान की शुरूआत की गई, जो अपने आप में एक जागरुक उदाहरण है और समाज के सामने उभर रहा है। हमारी सरकार ने ऐतिहासिक निर्णय लेकर सरकारी क्षेत्र में 8 नये मेडिकल कालेज स्वीकृत किये हैं। रिक्त पड़े डाक्टरों के पदों को भी भरा गया है।

मैं बात करूं सड़कों की, राजस्थान में मिसिंग लिंक की, तो प्रदेश में जाल बिछाया जा रहा है। प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना, जो हमारे देश के प्रधान मंत्री अटल बिहारी वाजपेयीजी ने शुरू की थी, कांग्रेस सरकार के समय में राजस्थान की सड़कें टूटी हुई थीं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जब से राजस्थान में वसुंधराजी की सरकार आई, तब से अच्छी सड़कें बननी शुरू हो गयीं। हमारे जिले हनुमानगढ़ की बात करूं तो रावतसर-नोहर रोड, भादरा जो जा रही है, वह सड़क अपने-आप में गौरव है। 'गौरव पथ' की बात करूं, जो गांवों के अन्दर बनी है, वह भी अपने आप में गौरवशाली है। गांव वालों ने कभी ऐसा सोचा ही नहीं था कि हमारे गांवों में ऐसी सड़कें बनेंगी क्या।

किसानों की खुशहाली के लिये यूरिया की किल्लत नहीं है। आप वह दिन याद करो, जब किसान यूरिया के लिये सड़कों पर खड़े रहते थे। इतनी ज्यादा मुश्किलों में वे एक लाइन के अन्दर खड़े रहते थे। हमारे माननीय प्रधान मंत्रीजी ने नोट बंदी करके यह काम किया है तो विपक्ष को यह रास नहीं आ रहा है, और कह रहे हैं कि लाइन में खड़े हैं। आप वह दिन याद करो, जब गैस की किल्लत थी और लाइनों में खड़े रहते थे, क्या यह अपने आप में अच्छे दिन नहीं हैं। खरीफ फसल, 2016 से राज्य में प्रधान मंत्री फसल बीमा

(श्रीमती द्रोपती)

योजना लागू की गई। जिसका फायदा किसान भाई उठा रहे हैं और अच्छे दिनों की तारीफ कर रहे हैं। प्रधान मंत्री आवास योजना, ग्रामीण क्षेत्रों में अनुदान राशि 70 हजार से बढ़ाकर एक लाख 48 हजार रुपये किये गये। वर्ष 2016-17 में राज्य में दो लाख 50 हजार से अधिक परिवारों को लाभान्वित किया जा चुका है। स्वस्थ भारत के तहत राजस्थान में 53 लाख 46 हजार शौचालय बनवाये गये हैं। कुल 4432 ग्राम पंचायतें खुले में शौच से मुक्त हो चुकी हैं। राजस्थान प्रदेश को विद्युत उत्पादन की दिशा में आत्म निर्भर बनाने के लिये माननीय यशस्वी मुख्य मंत्री के नेतृत्व में राज्य सरकार कार्य कर रही है। राज्य सरकार ने उदय योजना के तहत 62 हजार करोड़ से अधिक का ऋण अधिग्रहण कर विद्युत निगमों की वित्तीय स्थिति को सुदृढ़ किया है। हाल ही में राज्य सरकार ने किसानों के हित में महत्वपूर्ण फैसला किया है। जब हमारी सरकार बनी थी, तब 80 हजार करोड़ का घाटा बिजली के अन्दर हमें कर्जे के तौर पर विरासत में मिला था। माननीय मुख्य मंत्रीजी का मैं धन्यवाद देना चाहूंगी कि इन्होंने इतना सब कुछ होते हुए भी किसानों के हित को देखते हुए इतना अच्छा यह काम किया है। वास्तव में यह किसान हित के लिये सराहनीय काम है। 01 सितम्बर, 2016 से बढ़ी हुई विद्युत दरों का सम्पूर्ण भार राज्य सरकार द्वारा वहन किया जायेगा। बिजली उपभोक्ताओं को बेहतर सेवायें देने के लिये माननीय मुख्य मंत्री विद्युत सुधार अभियान प्रारम्भ किया गया है।

(समय-समाप्ति-सूचक-घंटी)

उपाध्यक्ष महोदय, दो मिनट, बस। राज्य के पुरातत्व स्मारकों, प्रमुख किलों के कार्यों के साथ-साथ 10 राजकीय संग्रहालयों के पुनरुद्धार का कार्य प्रगति पर है।

मेरे पीलीबंगा विधान सभा में कालीबंगा के संग्रहालय में विकास कार्य करवाये जा रहे हैं। कालीबंगा में सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष मिले थे। कालीबंगा को विश्व धरोहर के तहत विकसित किया जा रहा है। कालीबंगा के संग्रहालय को देखने के लिए देशी और विदेशी पर्यटक आते हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ऐसा लगता है कि सुराज का सपना साकार हो रहा है।

मैं तीन साल के अन्दर जो कार्य मेरे द्वारा किये गये हैं, मेरे क्षेत्र में, मैं वह आपसे गिनवाना चाहती हूं और कह रही हूं कि हमारे क्षेत्र पीलीबंगा में अच्छे दिन आ गये हैं। मेरे विधान सभा क्षेत्र में दो नगरपालिका लगती हैं।

(श्रीमती द्रोपती)

नगरपालिका रावतसर में करवाये गये विकास कार्य जैसे- सड़क, सी.सी. रोड, री-सोलिंग, नाली इंटरलोकिंग सहित अन्य कार्य जो 12 करोड़ 15 लाख की लागत से हो रहे हैं। नगरपालिका पीलीबंगा में कराये गये जो विकास कार्य हैं, सड़क, सी.सी. रोड, री-सोलिंग, नाली इंटरलोकिंग आदि कार्य हैं, वह 8 करोड़ 30 लाख की लागत से बन रहे हैं।

मैं जलदाय विभाग की बात करूं तो रावतसर शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र में वाटर-वर्क्स निर्माण, रिपेयरिंग, फिल्टर प्लांट आदि जो कार्य हो रहे हैं वह 37 करोड़ के कार्य हैं, जो प्रगति पर हैं। सार्वजनिक निर्माण विभाग, रावतसर, पीलीबंगा, ग्रामीण गौरव पथ सड़क खोड़ा, चाहिया, 25 आर.डब्ल्यू.डी. हरदासवाली, ऐसे कुल 14 गांवों के अन्दर 7 करोड़ के समथिंग काम हो रहे हैं।

सिंचाई विभाग में नहरों के रख-रखाव, नहरों की सिल्ट सफाई, री-लाइनिंग, टेल पर पानी, खालों के निर्माण आदि कार्य 26 करोड़ रुपये के लगभग हो रहे हैं।

स्वास्थ्य विभाग के अन्दर चिकित्सालय में धर्मशाला निर्माण, राजस्थान के अन्दर पहली बार ऐसा हुआ है, जो मरीज के साथ आते हैं उनको ध्यान में रखते हुए इन्होंने काम किया है, हमारी सरकार ने फ्री-पे, उप स्वास्थ्य केन्द्र का निर्माण करवाया है जो 7 करोड़ 13 लाख की लागत से हो रहा है। विद्युत विभाग, रावतसर, पीलीबंगा के अन्दर पांच करोड़ 30 लाख रुपये का काम हो रहा है। शिक्षा विभाग के अन्दर सर्व शिक्षा अभियान के तहत विद्यालयों में कमरों का निर्माण किया जा रहा है, जो 4 करोड़ के लगभग है।

कृषि उपज मंडी समिति, रावतसर, पीलीबंगा के अन्दर शेड निर्माण, पुल निर्माण, हाई-मास्क लाइट्स, इंटरलोकिंग, सड़क आदि कार्य 6 करोड़ 75 लाख रुपये की लागत से करवाये जा रहे हैं।

विधायक कोटे द्वारा पीलीबंगा विधान सभा क्षेत्र में 5 करोड़ 60 लाख रुपये के काम हो रहे हैं। मैं धन्यवाद देना चाहूंगी माननीया मुख्य मंत्री महोदय को जो पूरे राजस्थान को इतनी अच्छी तरह से स्थापित कर रही हैं।

अंत में मैं दो शब्द कहना चाहूंगी- अब जाग उठो, कमर कसो, मंजिल की राह बुलाती है, हम सबकी मंजिल एक है, वह है भारत माता की जय, भारत माता की जय। जय हिन्द। जय भारत। जय-जय राजस्थान।

श्री उपाध्यक्षः सुश्री कीर्तिकुमारी।

श्रीमती द्रोपती (पीलीबंगा): खुशी की बात है, मैं माननीया मुख्य मंत्रीजी को और मंत्री महोदय को धन्यवाद देना चाहूंगी कि जो पीलीबंगा से लक्खवाली नई सड़क 60 मीटर की है, जो 105 करोड़ की लागत से बनने जा रही है, वह अपने आप में विकास है और जय-जय राजस्थान हो रहा है। हमारे राजस्थान के अच्छे दिन आ गये। धन्यवाद।

सुश्री कीर्तिकुमारी (माण्डलगढ़): बहुत-बहुत आभार, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे आपने राज्यपाल के अभिभाषण के प्रस्ताव पर बोलने का मौका दिया। मैं राज्यपाल महोदय का बहुत-बहुत आभार व्यक्त करना चाहती हूं और मैं अभिभाषण का प्रस्ताव जो बांदीकुई से आने वाली माननीय सदस्या ने रखा, उसके समर्थन में बोलना चाहती हूं।

इस पवित्र सदन की जैसी परम्परा रही कि हम लोग सब सौहार्दपूर्ण वातावरण में राजस्थान के विकास के लिए यहां योजनाएं बनाते रहे और राजस्थान आगे बढ़े, ऐसी मर्यादाओं को भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने ही ज्यादा समझा और राजस्थान उन्नति के पथ पर, विकासशील या मजबूत भारतीय जनता पार्टी के टाइम ही अधिक हुआ, ऐसा मैं कहूंगी तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। इस सदन में लोकतंत्र की सभी परम्पराओं को निभाया।

हमारी यशस्वी मुख्य मंत्री वसुन्धरा राजेजी सिंधिया सुराज का संकल्प लेकर जब आईं तो जो जनादेश हमको मिला वह एक ऐतिहासिक जनादेश था। उसकी भावनाओं को देखते हुए हमारी मुख्य मंत्रीजी ने वैसा ही काम करके दिखाया। मैं कहूंगी कि एक शेरनी की जैसी हिम्मत रखकर हमारी मुख्य मंत्रीजी ने बीमारू राजस्थान, जिसकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी, हमको वसीयत में मिला और उसको विकासशील आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने योजनाएं बनाईं और योजनाओं को क्रियान्विति भी प्रदान की।

हमारी सरकार की भामाशाह योजना, इसके लिए मैं कहूं कि विश्व की कई सरकारों ने इसको सराहा है। नारी सशक्तिकरण, महिलाओं के नाम से भामाशाह कार्ड बने। हमारी सरकार ने लोगों की परेशानियां सुनने के लिए सम्पर्क पोर्टल चालू किया जिससे कि हम अपनी शिकायत आज कोई भी राजस्थान का आदमी डाइरेक्ट शिकायत अपने बूथ पर बैठे-बैठे डालता है और सी.एम.ओ. से मोनिटरिंग होकर उसकी समस्या का समाधान नहीं हो, जब तक हमारे अधिकारी उसके पीछे चक्कर लगाते हैं।

(सुश्री कीर्तिकुमारी)

'आपका जिला, आपकी सरकार', हमारे मुख्य मंत्रीजी ने राजस्थान के लोगों की सोच और उनकी देखभाल को देखते हुए बनाई। हमारी सरकार बराबर 'आपका जिला, आपकी सरकार' के तहत गयी। मैं कहूंगी कि राजस्थान के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है, जब कोई मुख्य मंत्री डिस्ट्रिक्ट हैडक्वार्टर पर तीन दिन के लिए रुका हो और हमारे लोगों की समस्याओं का समाधान उन्होंने किया हो। इसके साथ ही मंत्री समूह भी हमारे जिलों में पहुंचे और सभी मंत्रियों ने भी हम लोगों की जो विकास की परेशानी थी, उसमें अपना सहयोग प्रदान किया। भामाशाह योजना, कैश-लेस इंडिया की शुरूआत हमारी मुख्य मंत्री ने की थी।

न्याय आपके द्वार अभियान के तहत हजारों की संख्या में एक-एक विधान सभा क्षेत्र में लोगों के राजस्व के जो काम निपटाये गये, इसके लिए मैं मुख्य मंत्रीजी का और मंत्रीजी का बहुत-बहुत आभार व्यक्त करूंगी।

दीनदयाल उपाध्याय पुण्य शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में जो हमारी पंचायतों में अभी कैम्प लगे हैं, इससे भी लगातार लोगों की समस्याओं का समाधान हो रहा है और छोटे-छोटे जो लोग पंचायत समिति या उप खण्ड हैडक्वार्टर पर नहीं जा सकते थे, उस परेशानी को भी हमारी सरकार ने दूर किया और लोग आज तत्काल समस्या का समाधान प्राप्त कर रहे हैं।

हमारे पी.डब्ल्यू.डी. मंत्रीजी विराजमान हैं। मैं कहूंगी कि ग्रामीण गौरव पथ, जैसा कि नाम है, वैसे ही आज हमारे गौरवशाली गौरव-पथ बनकर तैयार हुए। ग्रामीण विकास में यह एक आयाम स्थापित होंगे। हमारी सरकार ने अधिक मिसिंग लिंक्स बनाईं, हमारी सरकार ने अधिक नोन-पेचेबल सड़कें बनाईं और हमारी सरकार के जो गुणवत्तापूर्वक पेचवर्क निकाले गये, वैसे पिछली कांग्रेस की सरकार में नहीं निकाले गये थे।

ऊर्जा के सम्बन्ध में तो हम लोग 80 हजार करोड़ रुपये का जो घाटा कांग्रेस की सरकार ने हमें दिया था, मैं मुख्य मंत्रीजी का बहुत-बहुत आभार व्यक्त करूंगी कि 60 हजार करोड़ रुपये का घाटा तो उन्होंने बजट में ही एडजस्ट किया और हमारी प्रदेश की जो बिजली की हालत खराब हो रही थी, जब हम लोग वर्ष 2013 में सरकार में आये थे तो कोई उधार भी देने के लिए तैयार नहीं था फिर भी इस समस्या से राजस्थान के लोगों को सम्बल प्रदान किया। किसानों पर अभी हाल ही में लगाया गया जो प्रति यूनिट भार था

(सुश्री कीर्तिकुमारी)

उसको वापस लिया, जिसके लिए पूरा राजस्थान सहर्ष हमारी मुख्य मंत्रीजी के साथ खड़ा है।

मुख्य मंत्री ग्रामीण घरेलू कनेक्शन योजना से लोगों ने कई लाभ उठाये और लाभ उठाते जा रहे हैं। घरेलू बिजली, हमारी सरकार में लगातार 23 से 24 घंटे पूरे प्रदेश में आई है, यह राजस्थान की खुशहाली का एक आयाम है। हमारी सरकार ने 4752 मेगावाट उत्पादन बढ़ाया। छीजत कम की है। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण ज्योति योजना के तहत 2805 करोड़ में 33 परियोजनाओं के कार्य प्रगति पर हैं, जिसमें बी.पी.एल. परिवारों को भी हमने कनेक्शन दिये हैं।

मुख्य मंत्री जल स्वावलंबन योजना राजस्थान की एक भागीरथी योजना साबित होगी, जिसको हमारी मुख्य मंत्रीजी ने समझा। राजस्थान एक अकालग्रस्त जिला, जहां पर हर दूसरे साल अकाल पड़ता था, वहां जन सहभागिता से हमारा बहता जल रुके और रुकने वाला जल धरती में एब्जार्व हो, ऐसी योजना के लिए मुख्य मंत्रीजी का बहुत-बहुत राजस्थान सदैव आभारी रहेगा।

पेयजल के लिए हमारी सरकार ने 6132 ट्यूबवैल्स खोदे और सोलर ऊर्जा के हमारे प्लांट लगाये, हजारों-लाखों की संख्या में हमने हैण्डपम्प्स खोदे, 7 लाख 2 हजार हैण्डपम्प्स रिपेयर भी करवाये और हमने 9757 गांव, ढाणी तक पानी भी पहुंचाया।

भीलवाड़ा जिले को भी चम्बल की योजना से हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, जिन्होंने पेयजल उपलब्ध करवाया। महिला बाल विकास राजश्री योजना के लिये मैं हमारे मंत्रीजी भी विराजमान हैं और हमारी मुख्य मंत्रीजी के भी इसके लिये बहुत-बहुत आभारी रहेंगे। केन्द्र की सरकार ने नारी सशक्तिकरण की ओर देखते हुए हमारी बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ योजना के तहत हमको 8 तारीख को पुरस्कृत करने की योजना बनायी, इसके लिये मैं प्रधान मंत्री नरेन्द्र जी मोदी का बहुत-बहुत आभार व्यक्त करूंगी।

पंचायत राज में आज हमारा राजस्थान प्रदेश अग्रणी रहा है। हमारे यहां मनरेगा के काम पूरे भारत में सबसे अधिक हुए। शिक्षा का महत्वपूर्ण निर्णय पंचायत राज में जो मुख्य मंत्रीजी ने लिया, इससे आज सभी सरपंच और जो भी हमारे जन प्रतिनिधिगण आये हैं, सभी शिक्षित हैं। यह एक ऐतिहासिक उपलब्धि राजस्थान में हुई।

(सुश्री कीर्तिकुमारी)

शिक्षा के क्षेत्र में हमारे जो आदर्श विद्यालय बने, इससे शिक्षा का बहुत अच्छा विकास हुआ। आज हमारी सरकार शिक्षा के प्रति जागरूक है और अच्छी व्यवस्थित शिक्षा हमारे राजस्थान में चालू हुई, जो पिछले पांच साल के कांग्रेस के राज्य में यह लोग नहीं कर पाये थे। थर्ड ग्रेड टीचर्स की रिट के द्वारा भर्ती होना, एक बहुत अच्छा कदम टीचर्स के लिये हुआ है। शिक्षा विभाग में हमारी सरकार ने 84 हजार से अधिक पदोन्नति की हैं और 37 हजार से अधिक उनको नियुक्तियां दी हैं। बालिकाओं को, जिसने भी नवीं कक्षा पास की है, सभी को साइकिल उपलब्ध करवाई है। इससे शिक्षा के प्रति ग्रामीण जनों का रूझान बढ़ा है।

उद्योग में रि-सर्जेण्ट राजस्थान एक अद्‌भुत कदम उठाया गया और इससे युवाओं को रोजगार मिलेगा। हमारी नई खनिज योजना, नई खनिज नीति, कृषि, कौशल विकास, खाद्य नागरिक, हमारा अन्नपूर्णा भण्डार, हमारी पोस मशीनें, जो कांग्रेस वाले 58 हजार राशन कार्ड ही नहीं बना पाये थे, हम लोग आधार कार्ड से जुड़कर आज पोस मशीन के द्वारा बहुत अच्छा राशन वितरण कर रहे हैं। श्रम क्षेत्र में हमारी सरकार की श्रम कल्याण की एक उपलब्धि हमारे पिछले साल जो ओलावृष्टि हुई, उसमें पहली बार शायद मैं कहूंगी कि इतना मुआवजा तत्काल किसानों को दिया। इसके लिये हमारी सरकार और हमारे मुख्य मंत्रीजी बहुत-बहुत धन्यवाद और बधाई के पात्र हैं कि उन्होंने किसान की परेशानियों को समझा।

चिकित्सा क्षेत्र में हमने आदर्श प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्थापित किये। यह बहुत अच्छे केन्द्र साबित हो रहे हैं और ग्रामीणजन इनसे बहुत लाभ प्राप्त कर रहे हैं। बीमार व्यक्ति इनमें बहुत जल्दी लाभान्वित हो रहा है, ऐसा मैं सदन में कहना चाहूंगी। आरोग्य राजस्थान, भामाशाह स्वास्थ्य योजना, जिसमें हमने प्राइवेट हास्पिटल को भी लिया, यह बहुत लाभकारी सिद्ध हुआ। सरकारी अस्पतालों के अलावा आज हम लोग स्वाभिमान के साथ में प्राइवेट अस्पतालों में भी इलाज करवा पा रहे हैं। मेडिकल कालेज से अच्छे डाक्टर्स बनकर आयेंगे, इसके लिये मैं बहुत-बहुत आभार व्यक्त करूंगी कि भीलवाड़ा जिले को भी मिला। हमारी सरकार किसान की, गरीब की सरकार है, हमारे यहां संवेदनशील प्रशासन तीन साल से रहा है जो पहले नहीं था। हमारी सरकार में अपराध रूके, नारी सम्मान बढ़ा, युवाओं को रोजगार मिला, वृद्धों का सम्मान बढ़ा है। उपाध्यक्षजी, मैं कहना चाहूंगी कि सर्वे भवन्तु सुखिन: सर्वे

(सुश्री कीर्तिकुमारी)

सन्तु निरामया:' ऐसी हमारी सरकार की सोच है और हम ऐसा ही करके बता रहे हैं। मुझे आज बोलने का मौका दिया, इसके लिये मैं आपका बहुत-बहुत आभार व्यक्त करूंगी और मैं बांदीकुई से आने वाली माननीय सदस्या ने जो प्रस्ताव रखा उसके समर्थन में अपनी बात रखती हूं।

श्री उपाध्यक्ष: श्री भजनलाल।

श्री भजनलाल (वैर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोलने का मौका दिया, उसके लिये आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राज्यपाल महोदय द्वारा 23 फरवरी को अपने श्रीमुख से जो अभिभाषण पढ़वाया गया, वह एक असत्य का पुलिन्दा साबित होता है, जिसका धरातल पर कोई औचित्य नहीं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, महामहिम राज्यपाल द्वारा अपने अभिभाषण में कई जगह पर राजस्थान प्रदेश को नम्बर वन का प्रदेश बताया गया, जबकि स्थिति यह है कि जिन मामलों में प्रदेश नम्बर वन है, उसको कहीं दर्शाया ही नहीं गया है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं मानता हूं प्रदेश के कुछ मामलों में राजस्थान नम्बर वन है। महिला उत्पीड़न नम्बर वन, भ्रष्टाचार नम्बर वन, अपराधीकरण नम्बर वन, बेरोजगारी नम्बर वन, राशन डीलर्स की नियुक्ति में भ्रष्टाचार नम्बर वन, अवैध खनन नम्बर वन, शिक्षा का निजीकरण नम्बर वन, चिकित्सालयों में निजीकरण करने में नम्बर वन, बिजली में भ्रष्टाचार नम्बर वन तथा एक बहुत महत्वपूर्ण मामला हमारे देश के प्रत्येक व्यक्ति से जुड़ा हुआ है, वह है नोट बंदी का फैसला। 8 नवम्बर को माननीय प्रधान मंत्रीजी ने नोट बंदी का फैसला किया, उस नोट बंदी के अन्दर बैंकों में पीछे के दरवाजे से जितना भ्रष्टाचार हुआ और उन नोटों को बदलवाने का काम केन्द्र की सरकार और राज्य की सरकार द्वारा किया गया, उसमें आमजन का बहुत बड़ा नुकसान हुआ और गरीब लोग लाइनों में लगे उसमें कइयों की मौत हो गयी। इसलिये मैं मांग करता हूं कि जो मौतें हुई हैं, राज्य सरकार उसमें मुआवजा दे। मैं कहना चाहूंगा महामहिम राज्यपाल महोदय द्वारा अभिभाषण में इस बयान को तोड़-मरोड़कर सरकार को बचाते हुए पेश किया गया है, जिसमें उपरोक्त सभी बिन्दुओं को नजरंदाज करते हुए अपने अभिभाषण को प्रदेश की जनता को बताया गया है। प्रदेश की जनता यह नहीं समझ पा रही है कि प्रदेश की प्रगति हुई है या दुर्गति। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, प्रदेश में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं है। आये दिन महिलाओं के साथ बलात्कार,

(श्री भजनलाल)

चैन स्नेचिंग, छेड़खानी, चोरी-डकैती, गुण्डागर्दी पिछले तीन वर्षों में इतनी बढ़ चुकी है, आमजन इतना दु:खी है जिसका जवाब आने वाले चुनाव में प्रदेश की जनता देगी और इनको सबक सिखा देगी।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, चार रोज पहले का एक बहुत संगीन मामला है कोटा प्रकरण। कोटा प्रकरण के अन्दर आमजन की तो बहुत दूर की बात है, हमारी माननीय सदस्य, जो महिला है, और महिला होने के नाते जिस प्रकार थाने में बंद करके उसको पीटा गया और उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया। मैं कहना चाहूंगा माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक तो वह महिला हैं, दूसरी वह दलित हैं और दलित होने के नाते हम सब लोगों का दायित्व बनता है और यह हमारा अपमान नहीं, उस महिला का अपमान नहीं, जितने सदन में माननीय सदस्य बैठे हैं, 199 माननीय सदस्य हैं, इन सबका अपमान है और इस अपमान की सही तरीके से जांच होनी चाहिये। यदि उसके पति ने उस सी.आई. को थप्पड़ मारा है तो उसके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज होना चाहिये। यदि उस सी.आई. द्वारा बर्बरतापूर्वक माननीय सदस्या को पीटा गया है तो उसके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज होना चाहिये। मैं अपनी तरफ से यह मांग करता हूं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जिस तरह से आमजन दलितों के ऊपर अत्याचार इस तरह से जब एक महिला और एक माननीय सदस्य ही सुरक्षित नहीं है तो आमजन कैसे सुरक्षित रह सकता है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तब से असत्य वादे किये गये। प्रदेश में सुराज संकल्प यात्रा में रोजगार देने का वादा, प्रदेश की भोली-भाली जनता को ठग लिया गया। वास्तविक स्थिति यह है आज प्रदेश में बेरोजगार आत्महत्या पर उतारू हैं और 40 लाख बेरोजगारों को रोजगार तो दूर की बात, 14 हजार लोगों को भी रोजगार नहीं दिया गया है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक उन्नत किसान, खुशहाल किसानों की आय दोगुनी करने के संकल्प को पूरा करने के लिये राज्य में पहली बार ग्लोबल राजस्थान एग्रोमीट का आयोजन किया गया जिसमें मैं अवगत कराऊं प्रदेश के करीब 38 निवेशकों द्वारा राज्य सरकार के साथ 4400 करोड़ के निवेश के लिये एम ओ यू किये गये। इस प्रकार की घोषणाएं महज घोषणा ही है। इस सम्बन्ध में एक भी निवेशक प्रदेश में आज तक नहीं आया। माननीय

(श्री भजनलाल)

उपाध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहूंगा कि अनुसूचित जाति, जनजाति मैट्रिक छात्रवृत्ति को लाभान्वित करने का काम आज प्रदेश में सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग को देखो तो समझ में नहीं आता है। उन छात्रों को कभी समय पर छात्रवृत्ति नहीं मिलती।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 24 घंटे बिजली देने का जो सरकार ने वादा किया था, किसानों को मात्र 3 से 4 घंटे बिजली उपलब्ध होती है जिससे किसान की आमजन की फसल नष्ट हो जाती है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय दीनदयाल उपाध्याय योजना के तहत कनेक्शन वितरण करने का काम किया गया था, उसमें एक भी कनेक्शन नहीं हुआ है और वह अधिकारी यह कहकर टाल देते हैं कि यह आबादी भूमि है, यह गैर-आबादी भूमि है। उसके तहत उनको लटका दिया जाता है और मैं कहना चाहूंगा हमारे जो पूर्व में चिकित्सा मंत्री थे, राठौड़ साहब, उन्होंने पी एच सी को क्रमोन्नत करने का काम किया, उनका मुझे पत्र मिला। उस पत्र को मैंने पढ़ा और उस पत्र को पढ़ते हुए मैंने उस पी एच सी में जाने का काम किया, उसका उद्‌घाटन करने के लिए वहां के स्थानीय सांसद आये। उन्होंने कहा कि उद्‌घाटन मैं करूंगा। मैंने कहा आप उद्‌घाटन करिये मैं भी गया और वह भी गये। जब वहां पर फण्ड देने की बात आयी तो फण्ड के नाम पर उन्होंने एक रुपया नहीं दिया और मैंने वहां पर 12 लाख रुपये दिये। मैं इस बात के लिए कहना चाहूंगा कि यदि कोई चीज क्रमोन्नत होती है तो उसमें हम सभी जन प्रतिनिधियों को सहयोग करना चाहिये। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्षः सदन की बैठक मंगलवार, दिनांक 28 फरवरी, 2017 के प्रातः 11.00 बजे तक के लिये स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 18.00 बजे मंगलवार, दिनांक 28 फरवरी 2017 के 11.00 बजे तक के लिये स्थगित हुई)

सदन में नहीं लिये जा सके तारांकित प्रश्नोत्तर

बीकानेर जिले के राशन डीलरों का निलम्बन

8. **श्री भंवरसिंह (कोलायत):** क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) बीकानेर जिले में वर्तमान में ग्रामीण व शहरी क्षेत्र में कितने राशन डीलर के अनुज्ञा पत्र/लाइसेंस निलम्बित अथवा निरस्त हैं? डीलरवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) प्रदेश में निलम्बित अथवा निरस्त राशन डीलर का चार्ज वितरण हेतु अन्य डीलर को देने हेतु क्या नियम निर्धारित हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त जिले में वर्तमान में निलम्बित व निरस्त राशन व केरोसीन डीलरों का चार्ज किन-किन डीलरों को दिया गया है? डीलरवार मय नाम विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि उक्त जिले में राशन डीलरों को लाभ पहुंचाने हेतु नियम विरुद्ध एक से अधिक राशन व केरोसीन डिपो का चार्ज दिया गया है?

(5) क्या सरकार निलम्बित डिपो का चार्ज देने में नियमों की अवहेलना करने वाले जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

(6) क्या सरकार एक से अधिक राशन/केरोसीन डीलर का अतिरिक्त चार्ज रखने वाले डीलरों का चार्ज अन्य राशन डीलर को देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) बीकानेर जिले में वर्तमान में ग्रामीण व शहरी क्षेत्र में कुल 133 अनुज्ञापत्र/लाइसेन्स निलम्बित/निरस्त हैं। डीलरवार विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) प्रदेश में निलम्बित/निरस्त उचित मूल्य दुकानों को अन्य समीप की दुकान से सम्बद्ध (अटैच) किया जाता है। इस सम्बन्ध में जारी आदेश दिनांक 23.08.2016 की प्रति परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(3) बीकानेर जिले में वर्तमान में निलम्बित व निरस्त राशन व

(खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री)

केरोसीन डीलरों का चार्ज जिन डीलरों को दिया गया है, उनका डीलरवार विवरण परिशिष्ट-1 में सम्मिलित है।

(4) राज्य सरकार के आदेश दिनांक 23.08.2016 के अनुसार ही चार्ज दिये गये हैं। अपरिहार्य परिस्थितियों में उक्त निर्देशों में राज्य सरकार से शिथिलता प्राप्त किये जाने का प्रावधान है।

(5) प्रदेश में निलम्बित/निरस्त उचित मूल्य दुकानों को अन्य समीप की दुकान से अटैच करने के सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा जारी आदेश दिनांक 23.08.2016 की अवहेलना करने की शिकायत प्राप्त होने पर सम्बन्धित अधिकारी के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाती है।

(6) जी हां। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा जारी आदेश दिनांक 23.08.2016 के बिन्दु संख्या 3 में यह उल्लेख है कि जिले में किसी भी उचित मूल्य दुकान पर एक से अधिक उचित मूल्य दुकान को सम्बद्ध (अटैच) नहीं किया जाये। आदेश में यह भी उल्लेख किया गया है कि इसमें किसी तरह की शिथिलन की आवश्यकता हो तो औचित्य के साथ प्रस्ताव राज्य सरकार को भिजवाये जावें।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

किसानों की पैतृक सम्पत्ति के बंटवारे का सरलीकरण

9. **श्री कैलाश चौधरी** (बायतू): क्या राजस्व राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि किसानों की पैतृक सम्पत्ति के बंटवारे की प्रक्रिया जटिल होने के कारण अत्यधिक धन खर्च एवं अनेक प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है?

(2) क्या सरकार किसानों को अपनी पैतृक भूमि का बंटवारा एक सामान्य प्रक्रिया से बिना स्टाम्प ड्यूटी और अन्य प्रकार के शुल्कों के करने के नियम बनाने का विचार रखती है? यदि हां तो कब तक व नहीं तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं। किसानों की कृषि भूमि के विभाजन की प्रक्रिया राजस्थान टिनेन्सी एक्ट, 1955 की धारा 53 व राजस्थान काश्तकारी (राजस्व

(राजस्व राज्य मंत्री)

मण्डल) नियम, 1955 के नियम 18-21 (परिशिष्ट-1) में स्पष्ट रूप से वर्णित है, जिसके आधार पर प्रदेशभर में कृषि भूमि के बंटवारे किये जा रहे हैं। इस सम्बन्ध में राजस्व विभाग द्वारा परिपत्र दिनांक 08.09.97, 18.09.06 एवं 08.01.07 जारी किये गये हैं। जो क्रमशः परिशिष्ट-2, 3 एवं 4 पर संलग्न हैं।

(2) राज्य अधिसूचना एफ. 2(3)एफ.डी/टैक्स-डिवी/98-185 दिनांक 26.03.99 (परिशिष्ट-5) द्वारा पैतृक कृषि भूमि के विभाजन-पत्र के दस्तावेजों को स्टाम्प ड्यूटी से मुक्त किया गया है और राज्य अधिसूचना एफ. 12(25)एफ.डी./टैक्स/11-155 दिनांक 09.03.11 (परिशिष्ट-6) पैतृक कृषि भूमि के विभाजन-पत्र के दस्तावेजों को पंजीयन शुल्क से भी मुक्त किया गया है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

भणियाणा (जैसलमेर) में नवीन पुलिस थाने की स्थापना

10. श्री शैतानसिंह (पोकरण): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र पोकरण के अन्तर्गत गौवंश वध के दर्ज मुकदमों पर 31 जनवरी, 2017 तक की गई कार्यवाही का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त विधान सभा क्षेत्र के उपखण्ड मुख्यालय भणियाणा पर पुलिस थाना खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र पोकरण के अन्तर्गत आने वाले 5 थानो में वर्ष 2014 से 31.01.2017 तक कुल 4 प्रकरण गौवंश वध से सम्बन्घित दर्ज हुये हैं। विवरण निम्नानुसार है -

क्र. सं.	वर्ष	मुकदमा/थाना	कार्यवाही विवरण
1	2014	शून्य	शून्य

(गृह मंत्री)

क्र. सं.	वर्ष	मुकदमा/थाना	कार्यवाही विवरण
2	2015	पुलिस थाना पोकरण मुकदमा नं. 169/15	बाद अनुसंधान मुल्जिमानों 1. रहमान खां निवासी जीयासर 2. रज्जाक खां निवासी जीयासर 3. हनीफ खां निवासी जीयासर को गिरफ्तार कर उनके विरुद्ध चार्जशीट नम्बर 76 दिनांक 29.08.2015 मुर्तिब कर दिनांक 19.01.2016 को चालान पेश किया गया।
3	2016	पोकरण, रामदेवरा एवं लाठी में 1-1 मुकदमा दर्ज हुआ	उक्त तीनों प्रकरणों में बाद अनुसंधान नतीजा एफ.आर. अदम पता में दिया जाकर न्यायालय में पेश की गई।

(2) क्षेत्र की आवश्यकता एवं वित्तीय संसाधनों को दृष्टिगत रखते हुए उक्त विधान सभा क्षेत्र के उपखण्ड मुख्यालय भणियाणा में पुलिस थाना खोलने पर विचार किया जा सकेगा।

मालपुरा में ग्राम सेवकों के रिक्त पद

11. श्री कन्हैयालाल (मालपुरा): क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश में वर्तमान में ग्राम सेवकों की कमी के कारण कार्य बाधित हो रहा है? यदि हां, तो उक्त पदों को कब तक भर दिया जायेगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) विधान सभा क्षेत्र मालपुरा में कितने ग्राम सेवकों के पद रिक्त हैं? ग्राम पंचायतों के नाम सहित सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार ग्राम सेवकों की नवीन भर्ती कर उक्त विधान सभा क्षेत्र के रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं। ग्राम सेवकों के रिक्त पदों के मध्यनजर विभागीय आदेश क्रमांक 1939 दिनांक 24.06.2014 द्वारा प्रशासनिक दृष्टि से एवं कार्य निष्पादन को गति देने की दृष्टि से यह निर्देश दिये गये हैं कि जिस ग्राम पंचायत में कनिष्ठ लिपिक पदस्थापित हैं, उन ग्राम पंचायतों में ग्राम सेवक का पद रिक्त होने पर अथवा ग्राम सेवक के किसी कारण से लम्बे अवकाश पर जाने की स्थिति में नियमित व्यवस्था होने तक ग्राम सेवक का कार्यभार उस पंचायत में कार्यरत कनिष्ठ लिपिक को दिया जा सकेगा।

(2) विधान सभा क्षेत्र मालपुरा में ग्राम सेवकों के 31 पद रिक्त हैं। रिक्त पदों की सूची ग्राम पंचायतों के नाम सहित परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(3) जी हां। ग्राम सेवकों के 3648 रिक्त पदों पर भर्ती हेतु राजस्थान अधिनस्थ एवं मंत्रालयिक सेवा चयन बोर्ड द्वारा भर्ती परीक्षा आयोजित की जा चुकी है। परिणाम घोषित होने पर सफल अभ्यार्थियों में से रिक्त पदों को भरने की कार्यवाही की जा सकेगी।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

प्रदेश में विद्युत दरों में बढ़ोतरी

12. **डा. राजकुमार शर्मा** (नवलगढ़): क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) 1 जनवरी, 2014 के पश्चात् प्रदेश में विद्युत दरों में किस-किस श्रेणी में कितनी-कितनी बढ़ोत्तरी कब-कब की गयी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार प्रदेश में विद्युत दरों में की गयी बढ़ोतरी को वापस लेने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राज्य में दिनांक 1 जनवरी, 2014 के बाद से वर्तमान तक दो बार विद्युत दरों में बढ़ोतरी की गई है - प्रथम बार दिनांक 1 फरवरी, 2015 से तथा दूसरी बार दिनांक 1 सितम्बर, 2016 से। बढ़ोतरी का श्रेणीवार विवरण परिशिष्ट "अ" पर उपलब्ध है।

(2) जी नहीं। विद्युत दरें राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग द्वारा तय की जाती हैं, जिन्हें राज्य सरकार द्वारा परिवर्तित नहीं किया जा सकता।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

बाप (जोधपुर) में कृषि उपज मण्डी की स्थापना

13. श्री पब्बाराम (फलोदी): क्या कृषि विपणन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या सरकार द्वारा उपखण्ड मुख्यालय बाप (जोधपुर) पर कृषि उपज मण्डी स्थापित किये जाने की घोषणा की गई है? यदि हां, तो कब? आदेशों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या बाप में कृषि उपज मण्डी स्थापित किये जाने हेतु भूमि आबंटन के लिए प्रस्ताव तैयार कर सरकार को भेजे गये हैं? यदि हां, तो किस स्थान के व किस-किस खसरे में? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त कृषि उपज मण्डी स्थापित किये जाने हेतु भूमि आबंटन का प्रस्ताव किस स्तर पर विचाराधीन है तथा भूमि का आबंटन कब तक कर दिया जायेगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं। वरन् अधिसूचना दिनांक 13.10.2014 के द्वारा कृषि उपज मण्डी समिति फलौदी के मण्डी क्षेत्र के ग्राम बाप में गौणमण्डी यार्ड घोषित किया गया है। अधिसूचना दिनांक 13.10.2014 की प्रति परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है

(2) जी हां। गौणमण्डी यार्ड बाप के लिए चयनित भूमि के आबंटन का प्रस्ताव जिला कलक्टर जोधपुर को भेजा गया है। गौणमण्डी यार्ड बाप के निर्माण के लिए ग्राम बाप के खसरा नं 1902 में स्थित कुल 78.08 बीघा किस्म बारानी IV भूमि में से 50 बीघा भूमि का चयन किया गया है। चयनित भूमि ग्राम बाप में बाप-फलौदी रोड राष्ट्रीय राजमार्ग 11 (पूर्व में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 15) पर हवाई पट्टी के सामने स्थित है।

(3) गौणमण्डी यार्ड बाप के लिए चयनित भूमि का आबंटन जिला कलक्टर जोधपुर द्वारा किया जाना है। कृषि उपज मण्डी समिति फलौदी द्वारा पत्र दिनांक 2.5.16 एवं 15.6.16 जिला कलक्टर जोधपुर को भूमि आबंटन कराने हेतु लिखे गये हैं। चयनित भूमि पर जिला कलक्टर जोधपुर को आपत्ति प्राप्त हुई है। आपत्ति के निस्तारण के पश्चात नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही सम्पादित की जा सकेगी।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

बांसवाड़ा जिले के वन क्षेत्रों में वन्य जीवों का संरक्षण

14. श्री नवनीत लाल (घाटोल): क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश में विभाग द्वारा जंगली जानवरों व पक्षियों की देखरेख व निगरानी रखी जाती है? यदि हां, तो कौन-कौन से जानवर व पक्षियों की? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या वन क्षेत्र में रहने वाले वन्यजीव वन छोड़कर गांव व खेतों में आ जाते हैं? यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि जंगली जानवरों हेतु वन क्षेत्र की बाउण्ड्री वाल बनाकर भोजन-पानी की व्यवस्था करने का प्रावधान है? यदि हां, तो क्या सरकार बांसवाड़ा जिले के जगमेर, जोगीमाल व आस-पास के वन खण्ड में बाउण्ड्री वाल बनाकर वन्य जीवों को उस बाउण्ड्री वाल के अन्दर रखने की व्यवस्था करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। वन विभाग द्वारा जिन जंगली जानवरों व पक्षियों की सुरक्षा का प्रावधान किया गया है उसका वर्णन वन्य जीव (सुरक्षा) अधिनियम, 1972 की अनुसूची-I से V (संलग्न परिशिष्ट "ए") में उल्लेखित है।

(2) वन्यजीव मुख्यत: वन क्षेत्र में ही वास करते हैं, जहां उनका प्राकृत वास बेहतर होता है। वनों में जैविक दबाव के कारण एवं वन क्षेत्रों की धारक क्षमता (Carrying capacity) से अधिक वन्यजीव हो जाने के कारण वन्यजीव आदि काल से ही अपना वनक्षेत्र छोड़कर अन्य क्षेत्रों की ओर जाने का प्रयास करते हैं। चूंकि वन क्षेत्रों के समीप आबादी व खेतों की संख्या बढ़ गई है, यह वन्य जीव इन क्षेत्रों में भी चले आते हैं।

(3) यथा सम्भव बाउन्ड्री वाल बनाकर तथा वन में पानी की कमी के समय पानी की अस्थाई व्यवस्था कर जंगली जानवरों को वन क्षेत्र से बाहर जाने से रोकने का प्रयास किया जाता है।

जिला बांसवाड़ा में जगमेर, जोगीमाल व आस-पास के वन खण्ड में बाउन्ड्री वाल बनाई जाकर वन्य जीवों को उस बाउण्ड्री वाल के अन्दर रखने की वर्तमान में कोई योजना नहीं है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

प्रश्न संख्या 15

(स्थगित)

भादरा में राशन की दुकानों का आबंटन

16. श्री संजीव कुमार (भादरा): क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि वर्ष 2016-17 में तहसील भादरा में उचित मूल्य की दुकान आबंटन हेतु सरकार द्वारा आवेदन किए गये अभ्यर्थियों का साक्षात्कार लिया गया है यदि हां, तो कौन-कौनसे ग्रामों/वार्डो के लिए एवं कब-कब तथा साक्षात्कार में उचित मूल्य दुकान आबंटन समिति के कौन-कौनसे सदस्य एवं अधिकारी सम्मिलित हुए? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि साक्षात्कार के बाद उक्त क्षेत्र में राशन डीलर नियुक्त कर दिये गये हैं? यदि हां, तो कहां-कहां व किन-किनको? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) साक्षात्कार में सम्मिलित शेष अभ्यर्थियों को दुकानों का आबंटन नही किये जाने के क्या कारण हैं?

(4) क्या सरकार उक्त साक्षात्कार के बाद शेष बची उचित मूल्य दुकानों के अनुज्ञा पत्र शीघ्र जारी करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) दिनांक 01.08.2016 को तहसील भादरा की नवसृजित उचित मूल्य दुकानों के लिए साक्षात्कार रखा गया था। तहसील भादरा की नवसृजित उचित मूल्य दुकानों क्रमशः वार्ड नं. 17 भादरा, खचवाना, जनाणा, गढीछानी, अजीतपुरा, मुदरियाबड़ा, कुंजी, डुंगराना, कलाना, मोठसरा, भानगढ़, पचारवाली, पटवा, चक भोजासर, चनाणा, राठी, चक चिडियागाधी, घोटडापट्टा, सिकरोडी, रामसरा, गुजासरी, पालडी, चौबारा, लाखनबास (सांगड़ा), मेहरिया (शेरडा), उदराण (बिराण), बेर (गढीछानी), झिलोदा (भानगढ़), गदरा (भनाई), बामबलबास (साहुवाल), रतनपुरा (डाबड़ी), अमरपुरा (सूरतपुरा), ढाणी बेरवाल (सरदारगढ़िया), शेरपुरा (न्यांगल) तथा समिति में सम्बन्धित ग्राम पंचायत सरपंच, राज्य सरकार द्वारा मनोनीत आबंटन सलाहकार समिति के सदस्यगण एवं जिला रसद अधिकारी शामिल हुए। सूची परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री)

(2) साक्षात्कार के बाद जिन नवनियुक्त उचित मूल्य दुकानदारों को प्राधिकार पत्र जारी कर दिये गये हैं, उनकी सूची परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(3) तहसील भादरा की आबंटन सलाहकार समिति द्वारा दिया गया निर्णय, राज्य सरकार के निर्देशों के असंगत होने के कारण पत्रावलियां मार्गदर्शन हेतु राज्य सरकार को भिजवायी गई हैं।

(4) उक्त तहसील भादरा में उचित मूल्य दुकान आबंटन हेतु आबंटन सलाहकार समिति द्वारा लिये गये साक्षात्कार पश्चात कमेटी द्वारा दिया गया निर्णय राज्य सरकार के निर्देशों के असंगत/विवादित होने के कारण शेष बची उचित मूल्य दुकानों के डीलरों की पत्रावलियां निर्णय हेतु राज्य स्तर पर विचाराधीन हैं।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

उदयपुरवाटी के गांवों में श्मशान हेतु भूमि का आबंटन

17. **श्री शुभकरण चौधरी** (उदयपुरवाटी) : क्या राजस्व राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) उदयपुरवाटी विधान सभा क्षेत्र में किन-किन गांवों में श्मशान हेतु भूमि आबंटित है व ऐसे कितने गांव हैं, जिनमें श्मशान हेतु भूमि आबंटित नहीं है?

(2) क्या सरकार श्मशान रहित गांवों में भूमि आबंटित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक, किन-किन गांवों में व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) उदयपुरवाटी विधान सभा क्षेत्र में ग्राम अडवाना, हीरवाना, आदर्शनगर, इन्द्रपुरा, उदयपुरवाटी, काटलीपुरा, किशोरपुरा, कीरपुरा, केड़, कैरोठ, केशरीपुरा, कोट, खटकड़, खींवासर, गढ़लाकला, गढ़लाखुर्द, गढ़वालों का बास, गिरावड़ी, गिलों का बास, गुडा, गुढागौड़जी, गुमाना का बास, गोदारों का बास, चंवरा, चक नांगल, छऊ, छापोली, छावसरी, जहाज, जैतपुरा, जोधपुरा, झड़ायानगर, झाडूवाला, झाझड़ियों की ढाणी, टीटनवाड़, टोड़ी, डूडीनगर, ढाणी कानिका, ढाणी खेदडा, दीपपुरा, दुड़िया, धमोरा, धौलाखेड़ा, नंगलीनिर्वाण, नंगलीदीपसिंह, नंगलीगुजरान, नाहरवाड़ी, नीमकी ढाणी, नेवरी, पचलंगी, पापड़ाखुर्द, पौंख, पोसाना, बडागांव, बजावा, बसन्तपुरा, बागोरा, बागोली,

(राजस्व राज्य मंत्री)

बामलास, बासमाना, बासबिसना, भाटीवाड, भोड़की, मझाउ, मण्डावरा, मणकसास, मावता, मैनपुरा, रघुनाथपुरा, रामलालपुरा, सराय, सिंगनौर, सीथल, हुकमपुरा, हेमन्तपुरा, एवं नांगल में श्मशान हेतु भूमि आबंटित है।

ग्राम ककराना, खौह, गूड़ाढहर, चकजोधपुरा, जगदीशपुरा, ढाणी खरबासा, ढाणी सोकडा, ढाणी बड़ की, ढाणी बिजारणीयां, ढाणी मझाउ, धनावता, नाटास, पापड़ाकलां, बासड़ी, भोजगढ़, राजीवपुरा, रामनगर, श्योनाथपुरा, सूरपुरा, सैनीपुरा, हरिपुरा एवं हांसलसर में श्मशान हेतु भूमि आबंटित नहीं है।

(2) जी हां। श्मशान के लिए भूमि आबंटन के प्रकरण प्राप्त होने पर गुणावगुण के आधार पर विचार किया जाकर भूमि आबंटन की कार्यवाही की जावेगी।

चित्तौड़गढ़ जिले में अपराधों पर नियंत्रण की कार्ययोजना

18. श्री चन्द्रभान सिंह 'आक्या' (चित्तौड़गढ़): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) गत दो वर्षों में प्रदेश में चोरी, डकैती, लूट, हत्या के कितने प्रकरण विभिन्न पुलिस थानों में दर्ज हुए तथा उनमें से कितने प्रकरणों का निस्तारण किया जा चुका है व कितने प्रकरणों की जांच लम्बित है? जिलेवार संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि चित्तौड़गढ़ जिले में गत दो वर्षों में चोरी, डकैती, लूट व हत्या के प्रकरणों में बढ़ोत्तरी हुई हैं? यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार प्रदेश में अपराधों पर नियंत्रण करने के लिए कोई विशेष कार्य योजना बनाने का विचार रखती हैं? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) गत दो वर्ष 2015 व वर्ष 2016 में प्रदेश में चोरी के कुल 56471 प्रकरण दर्ज हुए जिनमें से 56011 का निस्तारण किया जा चुका है व 460 प्रकरणों की जांच लम्बित है।

(गृह मंत्री)

डकैती के कुल 137 दर्ज हुए जिनमे से 120 का निस्तारण किया जा चुका है व 17 प्रकरणों की जांच लम्बित है।

लूट के कुल 2200 दर्ज हुए जिनमें से 2082 का निस्तारण किया जा चुका है व 118 प्रकरणों की जांच लम्बित है।

हत्या के कुल 3122 दर्ज हुए जिनमें से 2807 का निस्तारण किया जा चुका है व 315 प्रकरणों की जांच लम्बित है। प्रकरणों की जिलेवार एवं वर्षवार सूची परिशिष्ट-अ व ब पर संलग्न है।

(2) जिला चित्तौड़गढ़ में विगत दो वर्षो (2015 व 2016) में डकैती, लूट के प्रकरणों में नियंत्रण के फलस्वरूप कमी हुई है। हत्या अपराध में वर्ष 2014 की तुलना में वर्ष 2015 में अंशमात्र वृद्धि हुई है, जिसकी रोकथाम के लिए बिन्दु 3 में उल्लेखित परिपत्रों की कड़ाई से पालना की जावेगी व चोरी में सिर्फ वाहन चोरी के प्रकरणों में अंशमात्र बढ़ोतरी हुई है जिसके कारण व प्रशासन द्वारा चोरी की रोकथाम के लिए किये गये प्रयासों एवं उक्त अपराधों के आंकड़ों सहित विस्तृत मय तुलनात्मक विवरण परिशिष्ट-स- 1, 2, 3, 4 पर संलग्न है।

(3) प्रदेश में अपराधों पर नियंत्रण पाने के लिए पुलिस महानिदेशालय राजस्थान जयपुर के स्तर से समय-समय पर परिपत्र जारी किये हैं जिनकी पालना सम्पूर्ण राज्य में सख्ती से की जा रही है। उक्त परिपत्रों का विवरण परिशिष्ट-द पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

गोविन्दगढ (अलवर) को नवीन पंचायत समिति बनाने की योजना

19. **श्री ज्ञानदेव आहूजा** (रामगढ़): क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) प्रदेश में वर्तमान में कितनी पंचायत समितियां हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) प्रदेश में पंचायत समिति बनाये जाने के क्या मानदण्ड निर्धारित हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार गोविन्दगढ़ (अलवर) को पंचायत समिति बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री ज्ञानदेव आहूजा)

(4) सरकार द्वारा गोविन्दगढ़ (अलवर) को सभी निर्धारित मानदण्ड पूर्ण करने के बाद भी पंचायत समिति नहीं बनाने के क्या कारण हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) प्रदेश में वर्तमान में 295 पंचायत समितियां हैं। जिनका जिलेवार नाम सहित विवरण परिशिष्ट-क पर संलग्न है।

(2) राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 101 में किसी पंचायती राज संस्था की सीमाओं में परिवर्तन करने का प्रावधान निर्धारित है।

राज्य सरकार द्वारा नई पंचायत समिति बनाने का निर्णय लिये जाने के बाद मानदण्ड का निर्धारण, क्षेत्र की भौगोलिक व प्रशासनिक स्थिति एवं तत्समय की जनसंख्या के आकड़ों के आधार पर किया जाता है।

(3) नवीन पंचायत समिति का गठन राज्य सरकार द्वारा परिसीमन का निर्णय लिये जाने पर किया जाता है। अत: पंचायत समिति गोविन्दगढ के गठन के संदर्भ में परिसीमन के समय ही विचार किया जाना सम्भव होगा।

(4) वर्तमान में राज्य में नई पंचायत समिति बनाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। जब भी राज्य में नई पंचायत समितियों के पुनर्गठन का कार्य आरम्भ होगा तत्समय गुणावगुण के आधार पर ग्राम पंचायत गोविन्दगढ़ को पंचायत समिति बनाने पर विचार किया जा सकेगा।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

प्रदेश की विद्युत कम्पनियों का अंकेक्षण

20. डा. फूलचन्द भिण्डा (विराटनगर): क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) प्रदेश में विद्युत कम्पनियों की स्थापना कब तथा किस अधिनियम के अन्तर्गत की गयी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त कंपनियों का कम्पनी अधिनियम की किस धारा के अन्तर्गत अंकेक्षण करवाया जाता है तथा वर्तमान में कितने वर्षों का अकेक्षण बकाया है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार जिन विद्युत कंपनियों द्वारा अंकेक्षण नहीं कराया है उनका अंकेक्षण करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) प्रदेश में पांच विद्युत निगमों का गठन कम्पनी अधिनियम 1956 (वर्तमान में कम्पनी अधिनियम, 2013) के अन्तर्गत तथा कम्पनियों के पंजीयक के यहां पंजीकृत राजस्थान सरकार द्वारा राजस्थान ऊर्जा क्षेत्र सुधार अधिनियम, 1999 के प्रावधानों के अन्तर्गत दिनांक 19 जून, 2000 को तत्कालीन राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल के विघटन के उपरान्त हुई जो निम्न प्रकार है :-

1. जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड
2. अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड
3. जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड
4. राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड
5. राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड

उपरोक्त के अतिरिक्त राजस्थान ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड के रूप में छठे निगम की स्थापना दिनांक 04.12.2015 को हुई है।

(2) कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 139 (पूर्व में कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 (2)) के अन्तर्गत प्रत्येक वित्तीय वर्ष में महालेखाकार कार्यालय में नियुक्त सांविधिक अंकेक्षकों द्वारा वैधानिक अंकेक्षण किया जाता है एवं इसके उपरान्त महालेखापरीक्षक द्वारा कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (पूर्व में कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 (4)) के अन्तर्गत पूरक अंकेक्षण किया जाता है।

विद्युत निगमों के गठन वर्ष 2000-01 से लेकर वर्ष 2015-16 तक का वैधानिक अंकेक्षण एवं पूरक अंकेक्षण किया जा चुका है।

(3) कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 139 एवं 143 के अन्तर्गत विद्युत निगमों का निरन्तर अंकेक्षण अनिवार्य रूप से किया जा रहा है।

जोधपुर के स्पाइस पार्क से मसालों का निर्यात

21. **श्री कैलाश भंसाली** (जोधपुर): क्या कृषि विपणन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि जोधपुर जिले में केन्द्र सरकार के सहयोग से स्पाइस पार्क की स्थापना की गई थी? यदि हां, तो पार्क में वर्तमान में संचालित यूनिटों की क्या स्थिति है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री कैलाश भंसाली)

(2) उक्त स्पाइस पार्क में किन-किनको किस आधार पर भूखण्ड आबंटित किए गए थे? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि उक्त स्पाइस पार्क का अपेक्षित लाभ क्षेत्र के किसानों और कारोबारियों को नहीं मिला है? यदि हां, तो उक्त पार्क की स्थापना के पश्चात कितने मसालों का विक्रय या निर्यात किया गया?

(4) क्या उक्त पार्क के सुचारु संचालन में कोई रूकावटें आ रही हैं? यदि हां, तो क्या-क्या? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। स्पाइसेस बोर्ड (भारत सरकार) द्वारा जोधपुर में स्थापित स्पाइसेस पार्क एवं उसमें संचालित यूनिटों का विवरण परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(2) स्पाइसेस बोर्ड द्वारा उक्त आबंटन अभिरूचि की अभिव्यक्ति (Expression of Interest) के क्रम में पहले आओ पहले पाओ (First come first bases) के आधार पर किये गये हैं। स्पाइसेस पार्क में आबंटित भूखण्डों की सूची परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(3) स्पाइसेस पार्क जोधपुर विशेष तौर पर जीरा एवं धनिया के प्रसंस्करण एवं मूल्य सवर्धन के लिए है। स्पाइसेस बोर्ड द्वारा 2013 में स्थापित इस पार्क में सीड स्पाइसेस के लिए प्रसंस्करण एवं वेयरहाउस की पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध हैं। वित्तीय वर्ष 2016-17 में अब तक 2735 मै.टन स्पाइसेस का प्रसंस्करण किया गया है जिसमें से 86 मै.टन स्पाइसेस का प्रसंस्करण स्थानीय कृषकों द्वारा कराया गया है।

(4) जी नहीं।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

प्रदेश में पंचायत समिति मुख्यालयों पर खेल स्टेडियम की स्थापना

22. श्री शंकर लाल शर्मा (दौसा): क्या युवा मामले एवं खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या सरकार युवा खेल प्रतिभाओं को तराशने के लिए पंचायत समिति मुख्यालयों पर भी खेल स्टेडियम का निर्माण कराकर खेलों का

(श्री शंकर लाल शर्मा)

प्रशिक्षण देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र दौसा में नवसृजित पंचायत समिति मुख्यालय लवाण में खेल स्टेडियम बनाने का विचार रखती है? यदि हॉं, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) समन्वित स्टेडियम (आधारभूत खेल संरचनाएं) विकास कार्यक्रम-2015 के अन्तर्गत संभाग/जिला/उपखण्ड/तहसील/पंचायत समिति एवं ग्राम पंचायत स्तर पर न्यूनतम मूलभूत आवश्यकताओं हेतु मापदंड का नियत किये गये हैं। जिस अनुसार चरणबद्ध रूप से स्टेडियम निर्माण एवं विकास कार्य बजट उपलब्धता के आधार पर करवाये जा रहे हैं।

(2) समन्वित स्टेडियम (आधारभूत खेल संरचनाएं) विकास कार्यक्रम-2015 के अन्तर्गत संभाग/जिला/उपखण्ड/तहसील/पंचायत समिति एवं ग्राम पंचायत स्तर पर न्यूनतम मूलभूत आवश्यकताओं हेतु मापदंड का नियत किये गये हैं।

उक्त सम्बन्ध में प्रस्ताव प्राप्त होने पर, वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर विचार किया जावेगा।

तिजारा के उद्योगों द्वारा सामाजिक कार्यों पर व्यय राशि

23. **मास्टर मामन सिंह यादव** (तिजारा): क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र तिजारा में औद्योगिक क्षेत्र भिवाड़ी, चौपानकी, कहरानी, खुशखेड़ा, कारौली और टपूकड़ा में स्थापित उद्योग अपने लाभ का निर्धारित प्रतिशत सी.एस.आर. के रूप में नियमानुसार सामाजिक कार्यों में लगाते हैं? यदि हां, तो क्या इस हेतु क्षेत्रीय विधायक से भी कोई अभिशंसा ली जाती व नहीं, तो क्यों?

(2) वर्ष 2013 से 31 जनवरी, 2017 तक उक्त औद्योगिक क्षेत्रों में स्थापित उद्योगों द्वारा अपने लाभ के सी.एस.आर. के रूप में नियमानुसार सामाजिक कार्य के लिए कितनी राशि व्यय करनी थी व कितनी राशि व्यय की गई उद्योगवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) भारतीय कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के अन्तर्गत बनाये गये नियमों व अधिसूचनाओं के अनुसार प्रत्येक कम्पनी जो सी.एस.आर. के दायरे में आती है, उन्हें अपने विगत 3 वर्षों के शुद्ध लाभ की औसत राशि का 2 प्रतिशत सी.एस.आर. फण्ड कम्पनी में गठित सी.एस.आर. समिति के निर्णयानुसार उपयोग/व्यय किये जाने का प्रावधान है। उस कम्पनी द्वारा व्यय किये जाने वाले सी.एस.आर. फण्ड की मोनिटरिंग करने का राज्य सरकार को कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। इस प्रकार कम्पनी द्वारा किये जाने वाले सी.एस.आर. कार्यों हेतु विधिक रूप से स्थानीय विधायक से कोई अभिशंसा लेने का प्रावधान नहीं है।

(2) भारतीय कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के अन्तर्गत बनाये गये नियमों व अधिसूचनाओं के अनुसार प्रत्येक कम्पनी जो सी.एस.आर. के दायरे में आती है, उन्हें अपने विगत 3 वर्षों के शुद्ध लाभ की औसत राशि का 2 प्रतिशत सी.एस.आर. फण्ड कम्पनी में गठित सीएसआर समिति के निर्णयानुसार उपयोग/व्यय किये जाने का प्रावधान है। उस कम्पनी द्वारा व्यय किये जाने वाले सी.एस.आर. फण्ड की मानिटरिंग करने का राज्य सरकार को कोई अधिकार प्राप्त नहीं है इकाइयों द्वारा व्यय की जाने वाली एवं व्यय की गई सी.एस.आर. राशि की सूचना को कम्पनी की वार्षिक रिपोर्ट में सम्मिलित किया जाता है। यद्यपि राज्य सरकारों का इस राशि की मानिटरिंग करने का कोई प्रावधान नहीं है किन्तु फिर भी इकाइयों से प्राप्त जानकारी के अनुसार अलवर जिले में स्थापित कम्पनियों की सूची एवं उनके द्वारा दी गई व्यय की सूची परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

प्रश्न संख्या 24

(स्थगित)

सिकराय में खाद्य सुरक्षा योजना से पात्रों के नाम हटाने पर कार्यवाही

25. **श्रीमती गीता वर्मा** (सिकराय): क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र सिकराय में अनेक गरीब

(श्रीमती गीता वर्मा)

लोगों के खाद्य सुरक्षा योजना से नाम हटा दिए गए हैं? यदि हां, तो किन नियमों एवं मानदंडों के तहत? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) खाद्य सुरक्षा योजना से नाम हटाने के लिए किसे अधिकृत किया गया है? ग्राम पंचायत गीजगढ़ में कितने लाभार्थी ऐसे हैं, जिन्हें खाद्य सुरक्षा योजना से हटाया गया है? क्या हटाए गए सभी लाभार्थी विभागीय नियमों में नहीं आते हैं? यदि हां, तो हटाये गये लाभार्थी के नाम सहित पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या उक्त विधान सभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत गीजगढ़ में बहुत से लाभार्थी ऐसे हैं, जिन्हें खाद्य सुरक्षा योजना के मानदंडों को पूरा करने के उपरांत भी उनका नाम खाद्य सुरक्षा से हटा दिया गया है? क्या सरकार द्वारा गलत नाम हटाए जाने वालों के विरुद्ध कार्यवाही हेतु कोई समिति का गठन किया है? यदि हां, तो उक्त समिति के सदस्यों के नाम सहित पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत गरीब लोगों के नामों को हटाया नहीं गया है, अपितु आवेदक के पास प्रमाणिक दस्तावेज का अभाव होने के कारण उन्हें उक्त योजना से निष्कासित किया गया है। खाद्य सुरक्षा प्रदान करने के सम्बन्ध में जारी अधिसूचना दिनांक 25.07.2016 की प्रति परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के अन्तर्गत अपात्र लोगों के नाम हटाने हेतु पूर्व में विकास अधिकारी एवं वर्तमान में उपखण्ड अधिकारी, सिकराय को अधिकृत किया गया है। ग्राम पंचायत गीजगढ़ में आदिनांक तक राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा सूची से कोई नाम पृथक नहीं किया गया है।

(3) जी नहीं। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के मानदण्डों को पूरा करने वालों का नाम नहीं हटाया गया है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

प्रदेश में तहसीलदारों के रिक्त पद

26. श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): क्या राजस्व राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(श्री मानिक चन्द सुराना)

(1) प्रदेश में तहसीलदारों व नायब तहसीलदारों के कितने पद सृजित हैं व उक्त में से कितने-कितने पद वर्तमान में रिक्त हैं?

(2) क्या सरकार उक्त रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राजस्थान में वर्तमान में तहसीलदारों व नायब तहसीलदारों के सृजित, कार्यरत एवं रिक्त पदों का विवरण निम्नानुसार है :-

विवरण	स्वीकृत	कार्यरत	रिक्त
तहसीलदार	646	377	269
नायब तहसीलदार	952	396	556

(2) इन पदों को नियमान्तर्गत भरने की सतत प्रक्रिया है जिसमें तहसीलदार पद हेतु वर्ष 2016-17 की नियमित डीपीसी की जाकर पद भरे जा चुके है तथा शेष पद नियमानुसार निर्धारित अनुभव पूर्ण नहीं करने के कारण रिक्त हैं।

नायब तहसीलदार के रिक्त पदों हेतु सीधी भर्ती द्वारा राजस्थान लोक सेवा आयोग से सफल अभ्यर्थी उपलब्ध होने पर नियुक्ति की जाती है।

पदोन्नति कोटे में नायब तहसीलदार के पद हेतु निरीक्षक संवर्ग से तदर्थ पदोन्नति दिये जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

अतारांकित प्रश्नोत्तर

जयपुर को सोलर सिटी बनाने की योजना

1. **श्री घनश्याम तिवाड़ी** (सांगानेर): क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि केन्द्र सरकार द्वारा जयपुर को सोलर सिटी घोषित किया गया था? यदि हां, तो कब? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार द्वारा उक्त योजना के लिए कोई मास्टर प्लान बनाया गया है? यदि हां, तो क्या? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार द्वारा उक्त योजना हेतु बजट आबंटन के लिए केन्द्र सरकार को कोई प्रस्ताव भेजा गया है? यदि हां, तो कुल कितनी राशि का व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) केन्द्र को भिजवाये गये प्रस्ताव के उपरान्त अब तक कितनी राशि का आबंटन हो चुका तथा आबंटित राशि में से कितनी राशि का उपयोग कर क्या-क्या कार्य करवाये गये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। दिनांक 31.07.2009 को जयपुर को सोलर सिटी घोषित करने की सैद्धान्तिक स्वीकृति दी गई थी।

(2) जी नहीं।

(3) जी नहीं। चूंकि नगर निगम जयपुर द्वारा योजना की गाइडलाइन के अनुसार मास्टर प्लान तैयार नहीं किया गया। अतः बजट आबंटन हेतु केन्द्र सरकार को कोई प्रस्ताव नहीं भेजा गया है।

(4) मास्टर प्लान के अभाव में केन्द्र सरकार को बजट आबंटन हेतु कोई प्रस्ताव नहीं भेजा गया है। अतः इस योजना के क्रियान्वयन हेतु केन्द्र सरकार से कोई राशि प्राप्त नहीं हुई है।

विद्युत सतर्कता दलों पर हो रहे हमलों को रोकने की कार्ययोजना

2. **श्री जोगाराम पटेल** (लूणी): क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) प्रदेश में स्थित तीनों विद्युत निगमों के सभी सतर्कता दलों व अन्य बिजली कार्मिकों पर बिजली की चोरी रोकने, अवैध ट्रांसफार्मर जब्त

(श्री जोगाराम पटेल)

करने तथा बिजली की अवैध सप्लाई रोकने की कार्यवाही करने पर कितनी बार सतर्कता दलों पर हमले हुए व कितने कर्मचारी जख्मी हुए तथा कितने प्रकरण पुलिस में दर्ज हुए? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार प्रदेश स्थित तीनों विद्युत निगमों में बिजली की चोरी व छीजत रोकने के दौरान बिजली कर्मियों व सतर्कता दलों पर हो रहे हमलों को रोकने के लिये कोई पुख्ता इंतजाम करने का विचार रखती है? यदि हां, तो क्या व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) तीनों विद्युत निगमों के सभी सतर्कता दलों व अन्य बिजली कार्मिकों पर बिजली की चोरी रोकने, अवैध ट्रांसफार्मर जब्त करने या बिजली की अवैध सप्लाई रोकने की कार्यवाही करने पर हुए हमलों, जख्मी हुए बिजली कार्मिकों एवं पुलिस में दर्ज एफ.आई.आर. का विवरण परिशिष्ट "अ" पर उपलब्ध है।

(2) ऐसी घटनाओं की रोकथाम हेतु स्थानीय पुलिस थानों को पर्याप्त पुलिस जाब्ता उपलब्ध करवाने तथा मारपीट व तोड़फोड़ के सम्बन्ध में दर्ज हुए मुकदमों में दोषियों की अविलम्ब गिरफ्तारी सुनिश्चित करने हेतु निगम स्तर पर सभी जिला पुलिस अधीक्षकों को व्यक्तिश: व लिखित में आग्रह किया गया है। साथ ही समस्त अधिकारियों को डिस्काम के अन्तर्गत उप अधीक्षक पुलिस (सतर्कता) व स्थानीय पुलिस प्रशासन से समन्वय स्थापित कर सतर्कता दल द्वारा कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया है, ताकि इस प्रकार के हमले न हों व उनसे बिना क्षति निपटा जा सके।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

पंडित दीनदयाल उपाध्याय योजनान्तर्गत लाभान्वित ढाणियां

3. **श्रीमती राजकुमारी दियाकुमारी** (सवाई माधोपुर): क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

विधान सभा क्षेत्र सवाई माधोपुर में पंडित दीनदयाल उपाध्याय योजना के अन्तर्गत कितनी ढाणियों को जोड़ा गया और उनकी वर्तमान स्थिति क्या है? पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना ब्लाक स्तर पर बनाई गई

(ऊर्जा मंत्री)

है, न कि विधान सभा क्षेत्र के अनुसार। यद्यपि विधानसभा क्षेत्र सवाई माधोपुर में दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के प्रथम चरण में स्वीकृत 22 अविद्युतिकृत ढाणियों में से 21 ढाणियों का विद्युतीकरण किया जा चुका है एवं एक ढाणी में विद्युतीकरण का कार्य प्रगति पर है, जिसका विवरण परिशिष्ट "अ" पर उपलब्ध है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

झुन्झुनूं में बकाया विद्युत कनेक्शन

4. श्री बृजेन्द्र सिंह ओला (झुंझुनूं): क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र झुन्झुनूं की ढाणियों एवं कृषि भूमियों पर बसने वाले कितने व्यक्तियों को कहां-कहां कब से विद्युत कनेक्शन देने शेष हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त व्यक्तियों को कनेक्शन कब तक जारी कर दिये जावेंगे? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र झुन्झुनूं के अन्तर्गत ढाणियों एवं कृषि भूमियों पर बसने वाले परिवारों के "मुख्यमंत्री घरेलू विद्युत कनेक्शन योजना" के अन्तर्गत विद्युत कनेक्शन हेतु शेष रहे आवेदनों का विवरण परिशिष्ट "अ" पर उपलब्ध है।

(2) उपरोक्त प्राप्त आवेदनों में से 468 आवेदकों के मांग पत्र जारी किए जा चुके हैं तथा शेष आवेदकों के तकमीना बनाकर मांग पत्र जारी करने की कार्यवाही की जा रही है। मांग पत्र जमा होने पर मांग पत्र की राशि जमा आवेदकों को सामान की उपलब्धता एवं प्राथमिकता अनुसार वित्तीय वर्ष 2017-18 में विद्युत कनेक्शन जारी किये जाने प्रस्तावित हैं।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

रामगढ़ शेखावटी में उपकोष कार्यालय की स्थापना

5. श्री नन्दकिशोर महरिया (फतेहपुर): क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) प्रदेश में उपकोष कार्यालय खोलने के क्या मानदण्ड हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री नन्दकिशोर महरिया)

(2) विधान सभा क्षेत्र फतेहपुर के रामगढ़ शेखावटी उपखण्ड में उपखण्ड कार्यालय व तहसीलदार कार्यालय होने के उपरान्त भी उपकोष कार्यालय नहीं होने के क्या कारण हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार उक्त विधान सभा के रामगढ़ शेखावटी उपखण्ड में उपकोष कार्यालय खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) प्रदेश में नवीन उपकोष कार्यालय, राजस्थान कोषागार नियम, 2012 के नियम 67 **(प्रति संलग्न)** के तहत सम्बन्धित तहसील क्षेत्र के आहरण एवं वितरण अधिकारियों की संख्या, बिलों की संख्या, पेंशनर्स की संख्या तथा स्टाम्प वेण्डर्स की संख्या को ध्यान में रखते हुए नवीन उपकोष कार्यालय सृजित करने का निर्णय सक्षम स्तर पर लिया जाता है।

(2) तहसील व उपखण्ड कार्यालय रामगढ शेखावटी में केवल एक नगरपालिका तथा 13 ग्राम पंचायतों का क्षेत्र ही आता है। आहरण एवं वितरण अधिकारियों, बिलों, पेंशनर्स तथा स्टाम्प वेण्डर्स की संख्या कम होने के कारण इस तहसील पर उपकोष कार्यालय सृजित करने का प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(3) तहसील रामगढ शेखावटी उपखंड पर स्वतंत्र उपकोष के सृजन का प्रस्ताव जिला स्तर से पूर्ण औचित्य के साथ प्राप्त होने पर समुचित निर्णय ले लिया जाएगा।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

सांगोद के न्यायालयों में हाल व शेड का निर्माण

6. श्री हीरालाल नागर (सांगोद): क्या विधि एवं विधिक कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र सांगोद में दिसम्बर, 2013 से दिसम्बर, 2016 तक सरकार द्वारा कनवास, सांगोद एवं दीगोद उपखण्ड में कराये गये निर्माण कार्यों एवं भवनों के जीर्णोद्वार पर व्यय की गई राशि का उपखण्ड एवं कार्यवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री हीरालाल नागर)

(2) क्या सरकार उक्त विधान सभा क्षेत्र के न्यायालयों में वकीलों एवं पक्षकारों के बैठने हेतु हाल/शेड निर्माण कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र सांगोद में दिसम्बर 2013 से दिसम्बर 2016 तक विधि विभाग द्वारा कार्यकारी एजेन्सी सार्वजनिक निर्माण विभाग के माध्यम से उपखण्ड कनवास, सांगोद एवं दीगोद में निर्माण कार्यों एवं भवनों में जीर्णोद्धार पर की गयी व्यय राशि का उपखण्डवार विवरण प्रदर्श-1 संलग्न है।

(2) सांगोद विधान सभा क्षेत्र के न्यायालयों में वकीलों एवं पक्षकारों के बैठने हेतु हाल/शेड का निर्माण वित्तीय संसाधन की उपलब्धता होने पर एवं पारस्परिक प्राथमिकताओं के आधार पर किया जाना सम्भव हो सकेगा।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

प्रदेश में नाबालिगों के विरुद्ध दर्ज प्रकरण

7. **श्री अभिषेक मटोरिया** (नोहर): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश में होने वाले अपराधों में 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के विरुद्ध भी अपराध होते हैं? यदि हां, तो गत 5 वर्षों (दिसम्बर, 2016 तक) में जिलेवार व बच्चों के विरुद्ध अपराध की प्रकृति व अपराधियों का संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) बच्चों के विरुद्ध किस प्रकार के अपराधों में किस-किस तरह के अपराधी लिप्त पाये गये? गत पांच वर्षों में बच्चों के विरुद्ध अपराध करने वाले अपराधियों का जिलेवार व वर्षवार संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) बच्चों के विरुद्ध होने वाले अपराधों के आयुवर्ग 11 वर्ष से कम, 11-14, 14-15 व 16-18 वर्ष के आधार पर गत पांच वर्षों में जिलेवार व वर्षवार बालक-बालिकाओं का संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) हां। यह सही है कि राज्य में होने वाले अपराधों में 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के विरुद्ध भी अपराध होते हैं। राज्य में विगत 05 वर्षों में 18

(गृह मंत्री)

वर्ष से कम आयु के बच्चों के साथ हुए अपराधों का जिलेवार एवं अपराध शीर्षकवार विवरण परिशिष्ट-अ पर अंकित है।

(2) पिछले दस वर्षों में बच्चों के विरुद्ध अपराधों में लिप्त पाये गये अपराधियों की प्रकृति व अपराधियों का संख्यात्मक जिलेवार व वर्षवार विवरण परिशिष्ट-ब पर अंकित है।

(3) पिछले 10 वर्षों में 11 साल से कम, 11-14 वर्ष व 14-15 व 16-18 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों के विरुद्ध होने वाले अपराधों का जिलेवार व वर्षवार विवरण परिशिष्ट-स पर अंकित है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

प्रदेश में साइबर अपराधों की रोकथाम हेतु पुलिस का आधुनिकीकरण

8. श्री संदीप शर्मा (कोटा दक्षिण): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) कोटा जिलें में गत तीन वर्षों में कितने शव लावारिस हालत में मिले? उक्त शवों में से कितने शवों की शिनाख्त हो पायी? वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त में से ज्यादातर प्रकरणों में एफ.आर. लगा दी गई है? यदि हां, तो कितने प्रकरणों में? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) गत तीन वर्षों में प्रदेश में साइबर अपराधों पर नियंत्रण हेतु सरकार द्वारा पुलिस का आधुनिकीकरण करने के लिए क्या-क्या प्रयास किये गये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) कोटा जिले में गत तीन वर्षों में लावारिस हालत में मिले शवों तथा उनमें से शिनाख्त शवों का वर्षवार विस्तृत विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) यह सही नहीं है कि उक्त में ज्यादातार प्रकरणों में एफ.आर. लगा दी गई है। वर्षवार विस्तृत विवरण उपरोक्तानुसार संलग्न है।

(3) गत तीन वर्षों में प्रदेश में साइबर अपराधों पर नियंत्रण हेतु सरकार द्वारा पुलिस का आधुनिकीकरण करने के लिए निम्न प्रयास किए गए हैं:-

(गृह मंत्री)

1. निम्न उपकरण साइबर थाना को उपलब्ध कराये गये हैं :-

S.No.	Name of Cyber Forensic Tools
1	High and forensic work station for analysis and recovery
2	Chinese Phone data extraction kit
3	High speed forensic disk imaging device
4	Call data analysis and management system
5	External write blocking kit
6	Device for extraction of data from SIM/Cell phone and GPS device
7	Data recovery and analysis software

2. राज्य में साइबर क्राइम के प्रभावी अनुसंधान के लिये एक राज्य स्तरीय साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन का गठन किया गया है। जिसने दिनांक 15.09.2013 से स्टेट क्राइम रिकार्ड ब्यूरों, राजस्थान जयपुर के अधीन कार्य प्रारम्भ कर दिया है। यहां पर अति महत्वपूर्ण साइबर अपराधों का अनुसंधान किया जाता है।

3. राज्य स्तर पर विभिन्न पुलिस अधिकारियों को राजस्थान पुलिस अकादमी एवं केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्थानों से साइबर अपराधों के अनुसंधान के सम्बन्ध में प्रशिक्षण दिलाया गया है।

4. राज्य में साइबर अपराधों के अनुसंधान हेतु रेंज स्तर पर साइबर क्राइम पुलिस यूनिटस (CCPUs) के गठन का प्रस्ताव विचाराधीन है।

5. साइबर अपराधो को रोकने के लिये समय-समय पर जागरूकता अभियान भी आयोजित किये गये हैं एवं पोस्टर, पम्पलेट, दूरदर्शन, सेमीनार के माध्यम से भी साइबर अपराधों से बचाव के लिये जागरूकता फैलाने के प्रयास किये जा रहे हैं।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

जैसलमेर जिले में हिस्ट्रीशीटरों के विरुद्ध कार्यवाही

9. **श्री छोटू सिंह** (जैसलमेर): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) जैसलमेर जिले में वर्तमान में आपराधिक प्रवृति के कितने लोगों के विरुद्ध हिस्ट्रीशीट खुली हुई है? थानेवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री छोटू सिंह)

(2) उक्त लोगों में से ऐसे कितने लोग हैं जो किसी राजनैतिक दल के सदस्य हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जैसलमेर जिले में वर्तमान में आपराधिक प्रवृति के कुल 221 लोगों के विरुद्ध हिस्ट्रीशीट खुली हुई है। थानेवार विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) उक्त में से 1 हिस्ट्रीशीटर राजनैतिक दल कांग्रेस का सदस्य है जिसका नाम गाजी उर्फ गाजी फकीर पुत्र राणे खां जाति मुसलमान उम्र 70 वर्ष निवासी भागू का गांव पुलिस थाना सदर जिला जैसलमेर है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

अलवर जिले के फरार इनामी अपराधी

10. श्री बनवारी लाल सिंघल (अलवर शहर): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) अलवर जिले में इनाम घोषित फरार अपराधियों की संख्या कुल कितनी है? नाम सहित सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि राजस्थान प्रदेश में फरार वारंटियों की संख्या अन्य प्रदेशों की तुलना में बहुत अधिक है? यदि हां, तो प्रतिशतवार प्रदेशों का तुलनात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार प्रदेश के फरार वारंटियों को अतिशीघ्र पकड़ने की ठोस योजना बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

(4) क्या सरकार प्रदेश में ऐसे फरार वारंटियों के आने पर इलेक्ट्रानिक मानिटरिंग सिस्टम विकसित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) अलवर जिले में इनाम घोषित फरार अपराधियों की कुल संख्या 109 है। सूची परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) प्रदेश में फरार वारंटियों (स्थाई वारंटी) की संख्या माह दिसम्बर 2016 तक कुल 62776 है। सूचना परिशिष्ट-ब पर संलग्न है। अन्य प्रदेशों का डाटा उपलब्ध नहीं होने के कारण प्रदेशों का प्रतिशतवार तुलनात्मक विवरण उपलब्ध कराया जाना संभव नही है।

(गृह मंत्री)

(3) राज्य में फरार वारंटियों को अतिशीघ पकड़नें के लिए मुख्यालय से समय-समय पर अभियान चलाया जाकर पकड़ने की कार्यवाही की जाती है।

(4) वर्तमान में ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

जमवारामगढ़ में शौचालय निर्माण की बकाया राशि

11. श्री जगदीश नारायण (जमवारामगढ़): क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि स्वच्छ भारत अभियान के तहत विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ में शौचालयों का निर्माण किया जा रहा है? यदि हां, तो अब तक उक्त विधान सभा क्षेत्र में कितने शौचालयों की स्वीकृतियां जारी की गईं तथा कितने शौचालय बने व कितने शौचालयों की राशि का वितरण किया गया? ग्राम पंचायतवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त विधान सभा क्षेत्र में शौचालयों के निर्माण के बावजूद भी कई लाभार्थियों को आज तक राशि नहीं दी गई है? यदि हां, तो क्यों एवं कौन-कौनसी पंचायतों में शौचालय निर्माण के बावजूद राशि नहीं दी गई? ग्राम पंचायतवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार उक्त विधान सभा क्षेत्र में शौचालय निर्माण के बावजूद जिन लाभार्थियों को राशि नहीं दी गई है, उनको शीघ्र राशि देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ में स्वच्छ भारत मिशन (ग्रा.) में अब तक कुल 45597 परिवारों की स्वीकृतियां जारी की गई हैं तथा विधान सभा क्षेत्र में कुल 13587 शौचालय बन गये हैं। जिसमें से 9253 शौचालयों का भुगतान किया जा चुका है। ग्राम पंचायतवार विवरण परिशिष्ट-क पर संलग्न है।

(2) जी हां। विधानसभा क्षेत्र जमवारामगढ़ में स्वच्छ भारत मिशन (ग्रा.) अन्तर्गत राशि के अभाव में 4334 लाभार्थियों को राशि नहीं दी गई है। जिनका ग्राम पंचायतवार विवरण परिशिष्ट-क पर संलग्न है।

(पंचायती राज मंत्री)

(3) जी हां। भुगतान की सतत् प्रक्रिया जारी है एवं शेष लाभार्थियों को भारत सरकार से राशि प्राप्त होने पर भुगतान कर दिया जायेगा।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

जैसलमेर जिले में नवीन पंचायत समिति का गठन

12. **श्री झाबर सिंह खर्रा** (श्रीमाधोपुर): क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) प्रदेश में परिसीमन के बाद किन-किन जिलों में कितनी-कितनी नवीन पंचायत समितियों का गठन किया गया? जिलेवार गठित नवीन पंचायत समिति के नाम विवरण सहित सदन की मेज पर रखें।

(2) जैसलमेर जिले में परिसीमन के पश्चात् कितनी नवीन पंचायत समिति का गठन किया गया है? यदि नहीं, तो क्यों? कारणों सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) पंचायत समितियों का परिसीमन के बाद राज्य में 47 नई पंचायत समितियों का गठन किया गया है। जिनका जिलेवार नाम सहित विवरण परिशिष्ट-क पर संलग्न है।

(2) जी नहीं। निर्धारित नोर्म्स के अनुसार मापदण्ड पूर्ण नहीं करने से जैसलमेर जिले में किसी भी नई पंचायत समिति का गठन नहीं किया गया है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

प्रदेश में चयनित ग्राम पंचायतों को आदर्श बनाने हेतु स्वीकृत राशि

13. **श्री बाबू सिंह** (शेरगढ़): क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश में सरकार द्वारा चयनित ग्राम पंचायतों को आदर्श बनाने हेतु आधारभूत विकास के लिए गत वर्ष में राशि स्वीकृत की गई है? यदि हां, तो किन-किन ग्राम पंचायतों को कितनी-कितनी राशि स्वीकृत की गई? जिलेवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त चयनित ग्राम पंचायतों द्वारा किस-किस कार्य के लिए,

(श्री बाबू सिंह)

कितनी-कितनी राशि अब तक व्यय की गई? जिलेवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा सभी जिला समन्वयकों को महात्मा गांधी नरेगा योजना के तहत परिसम्पत्ति निर्माण निधि के अन्तर्गत शेष राशि लौटाने के आदेश जारी किये गये हैं? यदि हां, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। सांसद आदर्श ग्राम योजना एवं मुख्यमंत्री आदर्श ग्राम पंचायत योजना में चयनित ग्राम पंचायत को विगत वर्ष में स्वीकृत राशि का जिलेवार/ग्राम पंचायतवार विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) ग्राम पंचायतवार स्वीकृत कार्यों एवं व्यय राशि का जिलेवार विवरण परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(3) राज्य सरकार द्वारा महात्मा गांधी नरेगा योजना में परिसम्पत्ति निर्माण निधि के अन्तर्गत केवल वित्तीय वर्ष 2015-16 में राज्य मद में प्रावधान किया गया था। वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिये इस मद में बजट प्रावधान नहीं होने के कारण वित्तीय वर्ष 2015-16 के प्रावधान में से अवशेष राशि लौटाने के आदेश सम्बन्धित जिला कार्यक्रम समन्वयकों को जारी किये गये हैं, आदेश की प्रति परिशिष्ट-3 पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

मुख्यमंत्री बी.पी.एल. आवास योजनान्तर्गत निर्मित आवास

14. श्री राजेन्द्र सिंह यादव (कोटपूतली): क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश में इन्दिरा आवास योजना और मुख्यमंत्री बी.पी.एल. आवास योजना के तहत निर्मित आवास अधूरे हैं? यदि हां, कितने? जिलेवार संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार द्वारा जिला कलेक्टर्स को अधूरे आवास को पूर्ण करने हेतु लक्ष्य दिये गये थे? यदि हां, तो कब एवं कितने आवासों के लिए? आदेशों की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना एवं मुख्यमंत्री

(श्री राजेन्द्र सिंह यादव)

बी.पी.एल. ग्रामीण आवास योजना के तहत नये आवासों का निर्माण करवाया जा रहा है? यदि हां, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) प्रदेश में अधूरे आवासों का पूर्ण निर्माण कब तक करा दिया जावेगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। यह सही है कि प्रदेश में इन्दिरा आवास योजना में स्वीकृत 4,86,777 आवासों में से 1,17,200 व मुख्यमंत्री बीपीएल आवास योजना में स्वीकृत 6,69,427 आवासों में से 68,118 कुल स्वीकृत 11,56,204 आवासों में से 1,85,318 आवास अधूरे हैं, जिनका विवरण निम्नानुसार है :-

वर्ष	इन्दिरा आवास योजना		
	स्वीकृत	पूर्ण	अधूरे
11-12	1,15,348	1,06,957	8,391
12-13	84,284	75,104	9,180
13-14	1,07,120	86,349	20,771
14-15	96,942	63,967	32,975
15-16	83,083	37,200	45,883
कुल	4,86,777	3,69,577	1,17,200
वर्ष	मुख्यमंत्री ग्रामीण बीपीएल आवास योजना		
	स्वीकृत	पूर्ण	अधूरे
11-12	2,75,551	2,61,999	13,552
12-13	2,00,188	1,76,096	24,092
13-14	1,93,688	1,63,214	30,474
कुल	6,69,427	6,01,309	68,118
वर्ष	कुल (IAY+CMBPL)		
	स्वीकृत	पूर्ण	अधूरे
11-12	3,90,899	3,68,956	21,943
12-13	2,84,472	2,51,200	33,272
13-14	3,00,808	2,49,563	51,245
14-15	96,942	63,967	32,975
15-16	83,083	37,200	45,883
कुल	11,56,204	9,70,886	1,85,318

(ग्रामीण विकास मंत्री)

जिलेवार विवरण परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(2) जी हां। जिलों में शेष रहे आवासों को पूर्ण कराने हेतु समय-समय पर जिला कलेक्टर्स व मुख्य कार्यकारी अधिकारियों को लक्ष्य निर्धारित कर 31.03.2017 तक पूर्ण कराने के निर्देश दिये गये हैं एवं माननीय मंत्री महोदय, ग्रावि एवं पंरावि की ओर से अ.शा. पत्र दिनांक 18.05.2016 द्वारा सभी माननीय विधायक/सांसद महोदयों से भी अनुरोध किया गया, जो परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

(3) जी हां। माननीय प्रधानमंत्री महोदय, की वर्ष "2022 तक सब को आश्रय" को ध्यान में रखते हुये प्रधानमंत्री आवास योजना अन्तर्गत राज्य को लक्ष्य आबंटित किये गये हैं। निर्देशानुसार स्वीकृति एवं निर्माण कार्य प्रक्रियाधीन है, साथ ही पुराने आवासों को पूर्ण करने का प्रयास जारी है परिशिष्ट-अ पर संलग्न है। प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण की प्रगति निम्नानुसार है:-

लक्ष्य 2016-17	पंजीयन	स्वीकृत
2,50,258	3,41,757	80,533

(4) इन्दिरा आवास योजना के दिशा-निर्देशानुसार आवास निर्माण का कार्य स्वयं लाभार्थी द्वारा किया जाता है प्रथम निरीक्षण में लाभार्थी द्वारा निर्धारित दासा स्तर तक निर्माण कार्य करवाये जाने के उपरान्त ही दूसरी एवं आवास निर्माण पूर्ण करने पर तृतीय किश्त ग्राम सेवक द्वारा सत्यापन करने पर दी जाती है। वर्ष 2016-17 में 1,80,696 आवासों को पूर्ण कराया गया है। शेष 1,85,318 प्रगितरत आवासों को 31.03.2017 तक पूर्ण कराये जाने हेतु जिलों को निर्देशित कर दिया गया है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

प्रदेश में नवीन पशु चिकित्सा उप केन्द्रों की स्थापना

15. **डा. मंजू बाघमार** (जायल): क्या पशुपालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) प्रदेश में गत 3 वर्षों में पशु चिकित्सालय कहां-कहां खोले गये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(पशुपालन मंत्री)

(2) प्रदेश के कितने पशु चिकित्सालय वर्तमान में सरकारी भवनों, किराये के भवनों व अनुदानित भवनों में चल रहे हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) गत पांच वर्षों में कितने नवीन पशु चिकित्सा उपकेन्द्र कहां-कहां खोले गये हैं? जिलेवार संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) प्रदेश में विगत 3 वर्षों में पशु चिकित्सा उपकेन्द्रों से क्रमोन्नत कर निम्नानुसार पशु चिकित्सालय खोले गये-

वर्ष	खोले गये पशु चिकित्सालयों की संख्या
2013-14	200
2014-15	शून्य
2015-16	200
कुल	**400**

खोले गये पशु चिकित्सालयों का जिलेवार/स्थानवार विवरण परिशिष्ट 1 पर संलग्न है।

(2) प्रदेश के सरकारी भवन, किराये के भवन व अनुदानित भवनों में संचालित पशु चिकित्सालयों का विवरण परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(3) प्रदेश में विगत पांच वर्षों में निम्नलिखित पशु चिकित्सा उपकेन्द्र खोले गये-

वर्ष	खोले गये पशु चिकित्सा उपकेन्द्रों की संख्या
2011-12	200
2012-13	400
2013-14	400
2014-15	शून्य
2015-16	600
कुल	**1600**

नव स्वीकृत पशु चिकित्सा उपकेन्द्रों का जिलेवार/स्थानवार विवरण परिशिष्ट-3 पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

प्रश्न संख्या 16

(स्थगित)

सिवाना में कृषि पर्यवेक्षकों का पदस्थापन

17. **श्री हमीरसिंह भायल** (सिवाना): क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा विधान सभा क्षेत्र सिवाना में कृषि पर्यवेक्षकों को पदस्थापित करने के लिए नये सिरे से समीक्षा की गई है? यदि हां, तो उक्त समीक्षा के क्या-क्या आधार रहे एवं उक्त विधान सभा क्षेत्र में किन-किन स्थानों पर कृषि पर्यवेक्षकों को पदस्थापित करने का निर्णय लिया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार प्रदेश की प्रत्येक ग्राम पंचायत में कृषि पर्यवेक्षक का पद एवं कार्यालय स्वीकृति करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं। राज्य सरकार के स्तर पर ऐसी कोई समीक्षा नहीं की गयी है।

(2) जी नहीं। प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर कृषि पर्यवेक्षक का पद एवं कार्यालय स्वीकृत करने का कोई प्रस्ताव वर्तमान में विचाराधीन नहीं है।

पीलीबंगा में वन माफियाओं के विरुद्ध कार्यवाही

18. **श्रीमती द्रोपती** (पीलीबंगा) : क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र पीलीबंगा में जनवरी 2016 से 20 जनवरी, 2017 तक कितने हरे पेड़ वन माफिया द्वारा काटे गये तथा विभाग द्वारा उनके विरुद्ध कितनी एफ.आई.आर. दर्ज करवाई गई? नाम सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) चक LGW (A) भीराजवाला की गोचर भूमि में खेजड़ी के कितने हरे पेड व अन्य पेड वन माफिया द्वारा उक्त अवधि में काटे गये? क्या विभाग द्वारा इसकी एफ.आई.आर. दर्ज करवाई गई है? यदि हां, तो किन-किनके विरुद्ध विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त विधान सभा क्षेत्र में वर्ष 2015-16 में कितने पेड़ किस-किस

(श्रीमती द्रोपती)

प्रकार के लगाये गये? वर्तमान में उक्त पेड़ों की क्या स्थिति है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र पीलीबंगा में कार्यालय उप वन संरक्षक, हनुमानगढ़ अधिनस्थ वन क्षेत्र की भूमि पर जनवरी 2016 से 20 जनवरी, 2017 तक 27 वृक्षों के अवैध कटान होने पर राजस्थान वन अधिनियम, 1953 के तहत विभाग द्वारा 10 वन अपराध प्रकरण दर्ज कर कार्यवाही की गई। दर्ज किए गए वन अपराध प्रकरणों का विवरण संलग्न परिशिष्ट "ए" अनुसार है।

(2) चक 16 एलजीडब्ल्यू थिराजवाला में गे.मु. जोहड़ भूमि में 11 हरे-सूखे खेजडी के पेड़ों को काटने पर महावीर पुत्र हेतराम बिश्नोई निवासी थिराजवाला द्वारा पुलिस थाना गोलूवाला में दशरथ-रिछपाल पुत्र हरीराम, राजकुमार पुत्र छिपाल, निवासी थिराजवाला, काकासिंह उर्फ सुखदेवसिंह पुत्र हजूरसिंह, निवासी खरलिया हाल वार्ड नं. 9 थिराजवाला, अर्जुनसिंह पुत्र जगरसिंह, निवासी वार्ड नं. 10 थिराजवाला के नाम एफ.आई.आर. संख्या 14/19.01.2017 दर्ज कराई गई।

इसके अतिरिक्त वन विभाग अथवा राजस्व विभाग द्वारा कोई एफ.आई.आर. दर्ज नहीं कराई गई है।

(3) विधान सभा क्षेत्र पीलीबंगा में कार्यालय उप वन संरक्षक, हनुमानगढ़ अधिनस्थ वन क्षेत्र की भूमि पर वर्ष 2015-16 में रोपित पौधों की संख्या, प्रजाति एवं जीवित प्रतिशतता सम्बन्धी विवरण संलग्न परिशिष्ट "बी" अनुसार है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

वन क्षेत्र की भूमि के उपयोग हेतु संचालित योजनाएं

19. श्री नारायण सिंह देवल (रानीवाड़ा): क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) यह सही है कि सरकार द्वारा वन क्षेत्र की भूमि के उपयोग हेतु योजना बनाई गई है? यदि हां, तो कौन-कौनसी व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री नारायण सिंह देवल)

(2) यह भी सही है कि वन क्षेत्र में जन उपयोगार्थ कार्य हेतु एन.ओ.सी. देने का प्रावधान है? यदि हां, तो किस प्रकार की एन.ओ.सी. (अनापत्ति प्रमाण पत्र) जारी करने के लिये कौन-कौन अधिकारी उत्तरदायी है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) वन क्षेत्र के संरक्षण व उस पर वृक्षारोपण हेतु समय-समय पर राज्य आयोजना के अन्तर्गत, बाह्य सहायता प्राप्त एवं नाबार्ड वित्त पोषित योजनाएं बनाई जाती हैं। वर्तमान में राज्य में क्रियान्वित की जा रही योजनाओं में राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना फेज-II एवं नाबार्ड वित्त पोषित योजना प्रमुख है, जिनका विवरण संलग्न परिशिष्ट "क" अनुसार है।

(2) वन क्षेत्र में गैर वानिकी कार्यों हेतु वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत अधिनियम की धारा 2 (ii) के प्रावधानानुसार वनभूमि प्रत्यावर्तन की भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा दिये जाने का प्रावधान है।

इस हेतु सम्बन्धित विभाग/एजेंसी द्वारा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की वेबसाइट पर आनलाइन प्रस्ताव रजिस्टर्ड कराया जाता है। प्राप्त प्रस्तावों का परीक्षण उपवन संरक्षक एवं मुख्य वन संरक्षक द्वारा किया जाकर वे नोडल अधिकारी (एफ.सी.ए.) के माध्यम से राज्य सरकार को अग्रेषित किये जाते हैं। राज्य सरकार द्वारा प्रस्ताव भारत सरकार को स्वीकृति हेतु अग्रेषित किये जाते हैं। जिन मामलों में भारत सरकार ने राज्य सरकार को अधिकृत किया हुआ है उनमें राज्य सरकार के स्तर से ही स्वीकृति जारी कर दी जाती है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

बारां जिले में फोरेस्टरों को रेंजों का अतिरिक्त चार्ज

20. **श्री ललित कुमार** (किशनगंज): क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि बारां जिले की रेंजों का अतिरिक्त चार्ज फोरेस्टरों को दिया गया है? यदि हां, तो कब किस-किस फोरेस्टर को किस-किस रेंज का चार्ज दिया गया व क्यों?

(2) क्या सरकार उक्त सम्बन्ध में जांच करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। बारां जिले में कार्यालय उप वन संरक्षक, बारां अधीन 6 रेंजों का अतिरिक्त चार्ज निम्नानुसार फोरेस्टरों को दिया गया है:-

क्र.सं.	रेंज का नाम	पदस्थापित फोरेस्टर का नाम	पदस्थापन की दिनांक
1	बारां	श्री ओमप्रकाश खत्री	27.07.2016
2	शेरगढ़	श्री केसरी चन्द वर्मा	27.11.2014
3	किशनगंज	श्री केसरी चन्द वर्मा (अतिरिक्त)	12.12.2016
4	छीपाबड़ौद	श्री नानक राम	11.04.2016
5	अन्ता	श्री भेरू सिंह	23.11.2016
6	केलवाड़ा	श्री पूरमचन्द सेन	26.09.2016

वर्तमान में विभाग में क्षेत्रीय वन अधिकारी प्रथम के 202 एवं क्षेत्रीय वन अधिकारी द्वितीय के 117 रिक्त पदों को नियमानुसार नवीन भर्ती एवं पदोन्नति से भरा जाना प्रक्रियाधीन है। इस कारण कार्यालय उप वन संरक्षक, बारां के अन्तर्गत कुल 10 रेंजों के विरुद्ध 4 क्षेत्रीय वन अधिकारी द्वितीय ही पदस्थापित होने से छह रेंजों का चार्ज फोरस्टरों को दे रखा है!

(2) जी नहीं। यह एक विभागीय एवं प्रशासनिक प्रक्रिया है, जिसमें जांच की आवश्यकता नहीं है!

टोडारायसिंह में रीको औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना

21. **श्री कन्हैयालाल** (मालपुरा): क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र मालपुरा के टोडारायसिंह उपखण्ड में रीको औद्योगिक क्षेत्र खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(2) क्या यह सही है कि औद्योगिक क्षेत्र खोलने हेतु सम्पूर्ण दस्तावेज सम्बन्धित विभाग में भिजवाये जा चुके हैं? यदि हां, तो अब तक कार्यवाही नही करने के क्या कारण हैं?

(3) क्या सरकार उक्त उपखण्ड पर रीको औद्योगिक क्षेत्र खोलने का

(श्री कन्हैयालाल)

विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र मालपुरा के टोडारायसिंह उपखण्ड में औद्योगिक क्षेत्र खोलने का प्रस्ताव प्रक्रियाधीन है।

(2) प्रस्तावित औद्योगिक क्षेत्र हेतु ग्राम श्रीनगर तहसील टोडारायसिंह में भूमि चिन्हित की गई, उक्त भूमि में पहुंच मार्ग के लिए सरकारी भूमि उपलब्ध नहीं होने के कारण राज्य सरकार द्वारा जिला कलक्टर से टिप्पणी चाही गयी है।

(3) चिह्नित की गई भूमि में औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना हेतु आवश्यकताएं पूर्ण होने पर निर्णय लिया जाना सम्भव होगा।

प्रदेश में एकल खिड़की व्यवस्था में सुधार हेतु कार्ययोजना

22. श्री रमेश (सपोटरा): क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) सरकार द्वारा जनवरी, 2014 से दिसम्बर, 2016 तक प्रदेश में औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देने एवं ईज आफ डुइंग रैकिंग में सुधार हेतु क्या-क्या कदम उठाये गये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि सरकार की सिंगल विंडो सिस्टम व्यवस्था में कमियों के कारण निवेश आकर्षित नहीं हो पा रहा है? यदि हां, तो सिंगल विंडो सिस्टम को सुधारने हेतु उपरोक्त अवधि में क्या-क्या कदम उठाये गये?

(3) क्या यह सही है कि प्रदेश के औद्योगिक क्षेत्रों में अभी भी मूलभूत सुविधाओं का अभाव है? यदि हां, तो कौन-कौनसी एवं इस कमी को दूर करने के लिए जनवरी, 2014 से दिसम्बर, 2016 तक क्या-क्या कदम उठाये गये व नहीं, तो क्यों?

(4) प्रदेश के वर्ष 2016 में ईज आफ डुइंग रैकिंग में गिरावट के क्या कारण हैं?

उत्तर

(1) प्रदेश में औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देने एवं ईज आफ डूइंग रैंकिंग में सुधार हेतु निम्न कदम उठाये गये -

(उद्योग मंत्री)

1. राज्य में उद्यम की स्वीकृतियों के समयबद्ध निस्तारण हेतु राजस्थान एन्टरप्राइजेज सिंगल विण्डो एनेबलिंग एण्ड क्लीयरेन्स रूल्स, 2011 में संशोधन कर संशोधित रूल्स, 2014 जारी किए गए। तत्पश्चात वर्ष 2016 में रूल्स में पुन: संशोधन किया गया तथा पूर्णतया आनलाइन सिस्टम व ग्रेवियन्स रिड्रेसल सेल का प्रावधान किया गया। संशोधित रूल्स, 2016 के अनुसार 01 जून, 2016 से सिंगल विण्डो सिस्टम को पूर्णतया आनलाइन सिस्टम में परिवर्तित कर दिया गया है। वर्तमान में नवीन आनलाइन सिंगल विण्डो सिस्टम में ग्यारह विभागों से सम्बन्धित स्वीकृतियों हेतु आवेदन, शुल्क भुगतान तथा स्वीकृति प्रमाण पत्र जारी किया जाना पूर्णतया आनलाइन है।

2. डीआईपीपी, भारत सरकार द्वारा निर्देशित बिजनेस रिफार्म एक्शन प्लान 2016 के अनुसार सम्बन्धित विभागों की स्वीकृतियों हेतु आनलाइन पोर्टल प्रारम्भ किए गए। विभागों द्वारा स्वीकृति प्रक्रिया को आसान बनाने तथा अनावश्यक निरीक्षण समाप्त करने हेतु नियमों व प्रक्रिया में आवश्यक संशोधन आदेश जारी किए गए।

(2) जी नहीं। 01 जून, 2016 से दिनांक 21.02.2017 तक सिंगल विण्डो सिस्टम के अन्तर्गत कुल 2177 आवेदन प्राप्त हुए हैं जिनमें से 1872 आवेदन पत्रों पर निर्णय लिया जा चुका है तथा 111 विभागीय स्तर पर विचाराधीन है।

राज्य में सिंगल विण्डो सिस्टम को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए नियमों में संशोधन कर निम्न कदम उठाए गए हैं -

राजस्थान एन्टरप्राइजेज सिंगल विण्डो एनेबलिंग एण्ड क्लीयरेन्स रूल्स, 2011 में संशोधन कर संशोधित रूल्स, 2014 जारी किए गए। तत्पश्चात वर्ष 2016 में रूल्स में पुन: संशोधन किया गया तथा पूर्णतया आनलाइन सिस्टम व ग्रेवियन्स रिड्रेसल सेल का प्रावधान किया गया। संशोधित रूल्स, 2016 के अनुसार 01 जून, 2016 से सिंगल विण्डो सिस्टम को पूर्णतया आनलाइन सिस्टम में परिवर्तित कर दिया गया है। वर्तमान में नवीन आनलाइन सिंगल विण्डो सिस्टम में ग्यारह विभागों से सम्बन्धित स्वीकृतियों हेतु आवेदन, शुल्क भुगतान तथा स्वीकृति प्रमाण पत्र जारी किया जाना पूर्णतया आनलाइन है।

(उद्योग मंत्री)

(3) औद्योगिक क्षेत्रों को विकसित करने की सतत प्रक्रिया हैं, रीको द्वारा जिन औद्योगिक क्षेत्रों को विकसित घोषित किया जा चुका है उनमें जरूरी मूलभूत सुविधायें उपलब्ध करा दी गई हैं मूलभूत सुविधाओं के रखरखाव एवं उन्नीकरण का कार्य आवश्यकतानुसार करवाया जाता है। औद्योगिक क्षेत्रों के रख रखाव एवं विकास पर जनवरी, 2014 से दिसम्बर, 2016 तक निम्नानुसार राशि व्यय की गई है-

(खर्च की गई राशि लाखों में)

क्र.सं.	वर्ष/अवधि	विकास कार्य पर	रखरखाव पर
1.	01.01.14 से 31.03.14	7227.84	3410.31
2.	01.04.14 से 31.03.15	22550.97	7475.25
3.	01.04.15 से 31.03.16	33463.51	7162.19
4.	01.04.16 से 31.12.16	20555.98	5376.79

(4) वर्ष 2015 में ईज आफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में राज्य द्वारा भारत सरकार द्वारा निर्देशित 285 बिन्दुओं के बिजनेस रिफार्म एक्शन प्लान का 61.04 प्रतिशत क्रियान्वयन किया गया था तथा राज्य को Aspiring Leader State के रूप में वर्गीकृत किया गया था।

वर्ष 2016 में राज्य द्वारा 340 बिन्दुओं के बिजनस रिफार्म एक्शन प्लान का 96.43 प्रतिशत क्रियान्वयन किया गया तथा राज्य को Leader State के रूप में वर्गीकृत किया गया है। अत: वर्ष 2016 में राज्य द्वारा क्रियान्वयन प्रतिशत में उल्लेखनीय सुधार किया गया है।

राज्य के वर्ष 2015 में छठे स्थान से वर्ष 2016 में आठवें स्थान पर रहने का कारण रैंकिंग हेतु कुल रिफार्म्स की गणना की तकनीकी प्रक्रिया है जिसमें रिफार्म्स बिन्दुओं के राज्य में लागू नहीं होने पर कुल रिफार्म्स की संख्या संदर्भित राज्य हेतु कम कर दी जाती है।

प्रश्न संख्या 23

(स्थगित)

करौली जिले में समर्थन मूल्य पर फसल खरीद हेतु खरीद केन्द्रों की स्थापना

24. श्री घनश्याम (टोडाभीम): क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) करौली जिले में समर्थन मूल्य पर फसल खरीद के केन्द्र कितने एवं कहां-कहां पर किस-किस योजना के अन्तर्गत स्थापित किये गये हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त जिले में समर्थन मूल्य पर फसल की खरीद के केन्द्रों की कमी के कारण लोगों को परेशानी का सामना करना पड रहा है? यदि हां, तो क्या सरकार इसके निदान के लिए करौली और टोडाभीम में समर्थन मूल्य खरीद केन्द्र खोलने का विचार रखती है? हां, तो कहां-कहां व कब तक?

उत्तर

(1) रबी विपणन वर्ष 2016-17 में करौली जिले में विकेन्द्रीकृत खरीद योजनान्तर्गत घोषित समर्थन मूल्य पर गेहूं फसल की खरीद हेतु निम्नांकित खरीद केन्द्र स्थापित किये गये :-

1. टोडाभीम
2. बालूपुरा
3. जरोटा
4. नांदौती
5. हिण्डौन सिटी
6. सपोटरा एवं
7. करौली

(2) यह सही नहीं है कि जिला करौली में समर्थन मूल्य पर फसल के खरीद केन्द्रों की कमी के कारण लोगों को परेशानी का सामना करना पड रहा है। गेहूं की संभावित पैदावार एवं गत वर्षो के खरीद के अनुभवों के आधार पर ही राज्य में समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीद हेतु खरीद केन्द्र स्थापित किये जाते हैं।

रबी विपणन वर्ष 2016-17 में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहूं क्रय किये जाने हेतु क्रय केन्द्रों की स्थापना किये जाने के सम्बन्ध में दिनांक

(खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री)

18.02.2016 को आयोजित उच्च स्तरीय बैठक में यह निर्णय लिया गया है कि किसी भी एक वर्ष में जिन खरीद केन्द्रों पर खरीद 500 मै.टन से अधिक हुई है, उन खरीद केन्द्रों को ही स्थापित किया जायेगा।

इसके अतिरिक्त करौली और टोडाभीम में जिला प्रशासन एवं राज्य की किसी भी खरीद एजेन्सी से नये क्रय केन्द्र खोले जाने हेतु अभी तक कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुए हैं।

बांदीकुई में नवीन राजस्व ग्राम

25. **श्रीमती अलका सिंह** (बांदीकुई): क्या राजस्व राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) सरकार द्वारा प्रदेश में राजस्व ग्राम घोषित करने के क्या मानदण्ड निर्धारित हैं? प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) बांदीकुई विधान सभा क्षेत्र में उक्त मानदण्डों को पूरा करने वाले कितने गांव व ढाणियां हैं? क्या सरकार उक्त सभी गांव व ढाणियों को राजस्व ग्राम घोषित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 20.08.2009 द्वारा राजस्व ग्राम घोषित किये जाने के सम्बन्ध में मानदण्ड एवं प्रक्रिया निर्धारित की गई है। परिपत्र की प्रति परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) विधान सभा क्षेत्र बांदीकुई में वर्तमान में कोई भी मजरा व ढाणी नवीन राजस्व ग्राम बनाये जाने के निर्धारित मानदण्डों को पूरा नहीं करता है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

जयपुर रियासत के पूर्व महाराजाओं के नाम दर्ज भूमि

26. **श्री गोविन्द सिंह डोटासरा** (लक्ष्मणगढ़): क्या राजस्व राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) पुरानी जयपुर रियासत में स्थित वर्तमान जिले जयपुर, सीकर, सवाई माधोपुर, झुन्झुनूं एवं दौसा में स्थित किन-किन तहसीलों के कौन-कौनसे गावों में पूर्व महाराजाओं के नाम से भूमि दर्ज है? सूची सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

(2) क्या उपरोक्त जिलों की तहसीलों के ग्रामों में जयपुर के पूर्व महाराजा मानसिंह एवं महाराजा भवानीसिंह के नाम से भूमि दर्ज है? यदि हां, तो कहां-कहां एवं कौन-कौनसे तहसीलों के गावों में उक्त प्रकार के नामों से जमाबंदी है? प्रत्येक गांवों में दर्ज भूमि की सूची एवं जमाबंदी नकल की फोटो प्रतियों सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) वर्तमान जयपुर जिले में स्थित पुरानी जयपुर रियासत के पूर्व महाराजाओं के नाम से दर्ज भूमि का तहसीलवार विवरण निम्नानुसार है। परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

क्र.सं.	नाम तहसील	ग्रामों का विवरण
1.	जयपुर	भवानीशंकरपुरा, भोजपुरा, हथरोई, बीडखातीपुरा
2.	सांगानेर	झालावा चौड
3.	जमवारामगढ़	जमवारामगढ़, घाटी, घनश्यामपुरा, गोपालगढ़
4.	कोटपूतली	बूचाहेडा, मीरापुर

जिला कलक्टर सीकर की तहसील खण्डेला के ग्राम खण्डेला में ख.नं. 158/1 रकबा 0.27 है. एवं ग्राम दायरा के ख.नं. 4078/203, 204, 205, 206 कुल किता 04 रकबा 2.67 है. की खातेदारी राजा नारायणसिंह पुत्र श्री राजा संग्रामसिंह रा.पु.सा. खण्डेला के नाम दर्ज है। नकल जमाबंदी संलग्न है। अन्य किसी तहसील में पूर्व महाराजाओं के नाम कोई भूमि दर्ज नहीं है। परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

जिला सवाई माधोपुर की किसी तहसील व गांव में पूर्व महाराजाओं के नाम से भूमि दर्ज नहीं है। परिशिष्ट-3 पर संलग्न है।

जिला झुंझुनूं में स्थित कुल 8 तहसीलों झुंझुनूं, चिड़ावा, उदयपुरवाटी, बुहाना, मालसीसर, नवलगढ़, खेतड़ी व सूरतगढ़ के गावों में पुरानी जयपुर रियासत के पूर्व महाराजाओं के नाम से भूमि दर्ज नहीं है। परिशिष्ट-4 पर संलग्न है।

जिला दौसा में किसी भी ग्राम में पूर्व महाराजाओं के नाम से भूमि दर्ज नहीं है। परिशिष्ट-5 पर संलग्न है।

(2) जी हां। जयपुर जिले की तहसील जयपुर एवं जमवारामगढ़ में

(राजस्व राज्य मंत्री)

जयपुर के पूर्व महाराजा श्री मानसिंह एवं महाराजा श्री भवानी सिंह के नाम से भूमि दर्ज रिकार्ड है। गांवों की सूची, भूमि का विवरण नकल जमाबंदियों की छायाप्रतियां सहित संलग्न है। परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

जिला सीकर, सवाई माधोपुर, झुन्झुनूं एवं दौसा की किसी भी तहसील में जयपुर के पूर्व महाराजा मानसिंह एवं महाराजा भवानी सिंह के नाम से भूमि दर्ज नहीं है। क्रमश: परिशिष्ट-2, 3, 4 व 5 पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

प्रदेश में नवीन उप तहसील बनाने की कार्ययोजना

27. श्री तरुण राय कागा (चौहटन): क्या राजस्व राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) सरकार द्वारा नवीन उप तहसील/तहसील बनाने हेतु क्या-क्या नियम निर्धारित किये गये हैं? पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) विधान सभा क्षेत्र चौहटन की कितनी ग्राम पंचायतों में लोग गोचर भूमि पर बसे हुए हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) सरकार गोचर भूमि पर बसे लोगों को सुविधा देने के लिये क्या प्रयास कर रही है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 (अधिनियम संख्या 15 सन, 1956) की धारा 15 एवं 16 के अन्तर्गत उप तहसील/तहसील गठन के सम्बन्ध में शक्तियां राज्य सरकार में निहित है।

नियमों की प्रति परिशिष्ट "अ" पर तथा निर्धारित मापदण्ड की प्रति परिशिष्ट "ब" पर संलग्न है।

(2) विधान सभा क्षेत्र चौहटन की 27 ग्राम पंचायतों में कुछ परिवार/लोग गोचर भूमि पर बसे हुए हैं, जिनका विवरण इस प्रकार है -

<u>तहसील चौहटन की 04 ग्राम पंचायतें-</u>

1. शौभाला जैत, 2. धनाऊ, 3. नवातला जैत, 4. बावड़ीकला

<u>तहसील सेड़वा की 23 ग्राम पंचायतें-</u>

1. सालारिया, 2. अमी मोहम्मद शाह की बस्ती, 3. बामणोर, 4. गौड़ा, 5. भैरूड़ी, 6. सांवलासी, 7. अरटी, 8. हाथला, 9. साता, 10. बाखासर,

(राजस्व राज्य मंत्री)

11. नवातला बाखासर, 12. एकल, 13. हरपालिया, 14. बुरहान का तला, 15. पुंजासर, 16. तालसर, 17. सांवा, 18. जानपालिया, 19. रबासर, 20. बींजासर, 21. सरूपे का तला, 22. ईटादा 23. गोहड का तला।

(3) इस सम्बन्ध में विभिन्न न्यायालयों के निर्देश एवं कानूनी प्रावधानों के तहत राज्य सरकार द्वारा नीतिगत निर्णय किया जाता है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

बीकानेर जिले के उपनिवेशन क्षेत्र की समस्याओं का निराकरण

28. श्री भंवरसिंह (कोलायत): क्या उपनिवेशन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि कोलायत के जनप्रतिनिधि द्वारा माह जनवरी, 2014 से जनवरी 2017 तक उपनिवेशन क्षेत्र के आमजन की समस्याओं के निराकरण हेतु आयुक्त, उपनिवेशन बीकानेर को व उनके अधिनस्थ अधिकारियों को कई पत्र लिखे गए परन्तु उपनिवेशन विभाग द्वारा प्रेषित पत्रों में वर्णित क्षेत्र की किसी भी समस्या का निराकरण नहीं किया गया है? यदि हां, तो क्यों? समस्त पत्रों व पत्रों पर की गई कार्यवाही का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार जनप्रतिनिधियों के पत्रों व सुझावों पर कार्यवाही नहीं करने व प्रत्युत्तर नहीं देने वाले अधिकारियों पर अनुशासनात्मक कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो क्या व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार द्वारा अपने विभागों व उपक्रमों को जनप्रतिनिधियों द्वारा प्रेषित पत्रों व सुझावों पर तुरन्त कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया है? यदि हां, तो कब-कब? सम्बन्धित निर्देशों व परिपत्रों की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। कोलायत विधान सभा क्षेत्र के जनप्रतिनिधि श्री भंवरसिंह मा. विधायक द्वारा उपनिवेशन क्षेत्र के समस्याओं के निराकरण हेतु विभाग के आयुक्त एवं अधीनस्थ अधिकारियों को समय-समय पर अपने विभिन्न पत्रों से अवगत करवाया जाता रहा है। विभाग द्वारा इन समस्याओं के निराकरण हेतु सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देशित किया जाता रहा है तथा इस बाबत मा.

(उपनिवेशन राज्य मंत्री)

विधायक महोदय को भी अवगत कराया जाता रहा है। मा. विधायक महोदय द्वारा उल्लेखित सुझाव/प्रस्ताव नोर्म्स के अनुसार होने पर उन पर आवश्यक कार्यवाही की जाती है, जो सुझाव/प्रस्ताव नियमानुसार/नोम्स अनुसार नहीं होते, उन पर विभाग द्वारा कार्यवाही करने में असमर्थता होने पर इस बाबत मा. विधायक महोदय को उनके पत्र के क्रम में अवगत करवाया जाता है। मा. विधायक महोदय से जनवरी 2014 से जनवरी 2017 तक विभाग को जो पत्र प्राप्त हुए हैं। उनका विवरण परिशिष्ट-क पर संलग्न है।

(2) जी नहीं। जनप्रतिनिधियों के पत्रों व सुझावों पर नोर्म्स के अनुसार होने पर उन पर आवश्यक कार्यवाही की जाती है।

(3) जी हां। सरकार द्वारा समय-समय पर परिपत्र जारी कर अपने विभागों व उपक्रमों को जनप्रतिनिधियों द्वारा प्रेषित पत्रों व सुझावों पर तुरंत कार्यवाही करने हेतु निर्देशित कर रखा है। सरकार द्वारा जारी नवीनतम परिपत्रों की प्रतियां परिशिष्ट-ख पर अवलोकनीय हैं।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)